




MAHS-15

प्रसार कार्यक्रम प्रबंधन एवं सतत् विकास

Extension Program Management and Sustainable Development



स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

प्रसार कार्यक्रम प्रबंधन एवं सतत् विकास
**Extension Program Management and
Sustainable Development**



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
तीनपानी बाई पास रोड, ट्रांसपोर्ट नगर के पास, हल्द्वानी-263139
फोन नं. 05946- 261122, 261123
टोल फ्री नं. 18001804025
फैक्स नं. 05946-264232, ई-मेल: info@uou.ac.in
<http://uou.ac.in>

अध्ययन बोर्ड					
प्रोफेसर आर0 सी0 मिश्र निदेशक स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	प्रोफेसर रीता एस0 रघुवंशी अधिष्ठाता, गृह विज्ञान महाविद्यालय गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, उत्तराखण्ड	प्रोफेसर लता पाण्डे विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग डी0एस0बी0 कैम्पस कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड	डॉ0 हिना के0 बिजली सह- प्राध्यापक, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन एवं विस्तार सतत शिक्षा विद्यापीठ इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली		
डॉ0 प्रीति बोरा अकादमिक एसोसिएट गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	श्रीमती मोनिका द्विवेदी अकादमिक एसोसिएट गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड				
विषय विशेषज्ञ समिति					
प्रोफेसर आर0 सी0 मिश्र निदेशक स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 मनीषा गहलौत प्रोफेसर, वस्त्र एवं परिधान विभाग, गृह विज्ञान महाविद्यालय गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर, उत्तराखण्ड	डॉ0 अपराजिता विभागाध्यक्ष, गृह विज्ञान विभाग इंदिरा प्रियदर्शिनी राजकीय महिला स्नातकोत्तर वाणिज्य महाविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 छवि आर्या सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान विभाग डी0एस0बी0 कैम्पस कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड	डॉ0 लोतिका अमित सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान विभाग मोतीराम बाबूराम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	डॉ0 प्रीति बोरा अकादमिक एसोसिएट गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड
पाठ्यक्रम संयोजक			पाठ्यक्रम संपादन		
डॉ0 प्रीति बोरा अकादमिक एसोसिएट गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड			श्रीमती मोनिका द्विवेदी अकादमिक एसोसिएट गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड		
इकाई लेखन	इकाई संख्या	इकाई लेखन	इकाई संख्या		
श्रीमती मोनिका द्विवेदी अकादमिक एसोसिएट गृह विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	1	डॉ0 कामिनी बिष्ट प्रसार शिक्षा विभाग, कृषि विज्ञान महाविद्यालय टीकमगढ़, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, मध्य प्रदेश	2,3,4,5,6,7		
इकाई लेखन	इकाई संख्या				
डॉ0 अजय राउत, वैज्ञानिक, ICAR – ATARI, JNKVV जबलपुर, मध्य प्रदेश	8,9,10				

ISBN-

समस्त लेखों/पाठों से सम्बन्धित किसी भी विवाद के लिए लेखक जिम्मेदार होगा। किसी भी विवाद के लिए जूरिसडिक्शन हल्द्वानी (नैनीताल) होगा।

कॉपीराइट: उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

प्रकाशन वर्ष: 2020

संस्करण: सीमित वितरण हेतु पूर्व प्रकाशन प्रति

प्रकाशक: एम0पी0डी0डी0, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी- 263139 (नैनीताल)



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

प्रसार कार्यक्रम प्रबंधन एवं सतत् विकास

Extension Program Management and Sustainable Development

MAHS-15

खण्ड	इकाई	पृष्ठ संख्या
1 नवाचार अभिग्रहण एवं प्रसार तथा कार्यक्रम योजना	इकाई 1: नवाचार एवं प्रसार	2-15
	इकाई 2: अभिग्रहण	16-36
2 प्रसार कार्यक्रम तथा कार्यक्रम प्रबंधन	इकाई 3: कार्यक्रम नियोजन	38-61
	इकाई 4: प्रसार शिक्षा की विकास में भूमिका	62-83
	इकाई 5: भारत में राष्ट्रीय प्रसार तंत्र की रूपरेखा	84-109
3 सतत् विकास	इकाई 6: ग्रामीण विकास कार्यक्रम	111-146
	इकाई 7: प्रसार प्रबंधन एवं मूल्यांकन	147-170
	इकाई 8: सामुदायिक संगठन एवं विकास	171-192
	इकाई 9: प्रसार एवं संचार विधियाँ	193-235
	इकाई 10 : सतत् विकास के लिए कार्यक्रम	236-252

खण्ड :1

नवाचार अभिग्रहण एवं प्रसार तथा कार्यक्रम योजना

इकाई 1: नवाचार एवं प्रसार

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 नवाचार
- 1.4 अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण
- 1.5 संचार तथा प्रसार प्रक्रिया
- 1.6 नवाचार का प्रसार
- 1.7 नवाचार निर्णय प्रक्रिया
- 1.8 सारांश
- 1.9 पारिभाषिक शब्दावली
- 1.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 1.11 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

प्रस्तुत इकाई में आप नवाचार के बारे में पढ़ेंगे जिसका अर्थ है नई पद्धति अथवा नया आविष्कार। आप नवाचार के विभिन्न तत्वों तथा नवाचार ग्रहण करने की प्रक्रिया को भी समझेंगे। किसी व्यक्ति की किसी नवाचार को ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर हम उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं इसके सम्बन्ध में भी इस इकाई में बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस इकाई में आप नवाचार एवं प्रसार के सम्बन्ध को जानेंगे। इस इकाई के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया गया है की नवाचार एवं प्रसार किस प्रकार एक दूसरे से अंतःसम्बंधित हैं। तो आइये इकाई की आरम्भ करने से पूर्व इसके उद्देश्यों को भी समझने का प्रयास करें।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई को पूर्ण करने के पश्चात आप निम्न को समझने में सक्षम होंगे;

- नवाचार का अर्थ एवं नवाचार को प्रभावित करने वाले कारक
- नवाचार अभिग्रहण की प्रक्रिया तथा अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण
- संचार तथा प्रसार प्रक्रिया

- नवाचार का प्रसार
- नवाचार निर्णय प्रक्रिया

1.3 नवाचार

1.3.1 परिभाषा

"यह एक विचार, अभ्यास या वस्तु है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी नए विचार के रूप में अपनाया जाता है। समाज के विकास हेतु नवाचार तथा उसका विस्तारण अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से ही लोगों के सोच विचार तथा रीति रिवाजों आदि में परिवर्तन लाया जा सकता है और यदि सोच परिवर्तित हो गयी तो व्यक्ति द्वारा संपादित कार्यों में स्वयं ही परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए **बारनेट** ने नवाचार को सामाजिक परिवर्तन का आधार कहा है क्योंकि जब तक कोई नई पद्धति या नया विचार समाज में नहीं विस्तारित होगा तब तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिशर ने कहा है " पूर्व स्थिति अथवा रहन सहन के तरीकों में भिन्नता को ही संक्षेप में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है।"

1.3.2 नवाचार को प्रभावित करने वाले कारक

नवाचार को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं ये कारक अलग अलग तरीके से समाज में अपना प्रभाव डालते हैं।

एवरेट एम रोजर्स (1931-2004) ने किसी भी नवाचार को अपनाने की प्रक्रिया को प्रभावित होने वाले पांच कारकों की पहचान की जो अंततः इसकी सफलता की डिग्री को तय करते हैं। इन विभिन्न कारकों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :

a) प्रौद्योगिक कारक

मनुष्य के जीवन में परिवर्तनों का एक मुख्य कारण प्रौद्योगिकीकरण है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी प्रौद्योगिकीकरण के कारण कई अच्छे परिवर्तन हुए हैं। जैसे यदि हम घर का कार्य कर रही महिलाओं की बात करें तो हम देखते हैं कि जो काम करने में कई घंटे लग जाते थे प्रौद्योगिकीकरण के कारण वह कार्य मशीनों से कुछ मिनटों में हो जाता है उदाहरणार्थ : कपड़े धोने के लिए मशीन का प्रयोग, पीसने के लिए मिक्सी का प्रयोग, गैस चूल्हा, वैक्यूम क्लीनर आदि। इसी प्रकार यदि हम कृषि कार्यों में आये सुधारों को देखते हैं तो उसका कारण भी प्रौद्योगिकीकरण ही है जिसने उन्नत किस्म के बीज तथा अत्याधुनिक मशीनें देकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायता तो की ही है साथ ही साथ समय तथा श्रम की बचत भी की है। इसके अतिरिक्त परिवहन एवं संचार में जो सुधार हुए हैं उनके पीछे भी प्रौद्योगिकीकरण का बहुत योगदान है। पुराने समय में लोगों को कई मील की यात्रा पैदल ही करनी पड़ती थी किन्तु आज हमारे पास किसी छोटी से छोटी या किसी अधिक दूरी को तय करने के लिए

भी कई साधन हैं जैसे कार, बस, ट्रेन , आदि। इसी प्रकार आज प्रौद्योगिकी ने इतनी उन्नति कर ली है कि हम मोबाईल फोन से मीलों दूर बैठे व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं तथा उसे वीडियो कॉल की सहायता से देख भी सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रौद्योगिकी ने लोगों को नवाचार अपनाने को प्रेरित किया है। इसके अंतर्गत निम्न बिंदु आते हैं;

i. अनुकूलता

अनुकूलता से यह मापा जाता है कि क्या नवाचार मानदंडों, मूल्यों और अन्य सांस्कृतिक पहलुओं या धार्मिक विश्वासों के अनुरूप है या नहीं जो समाज में बहुत मान्य हैं। नवाचार के उत्पाद की उपभोक्ताओं की मौजूदा पृष्ठभूमि, व्यवहार और जीवन शैली के तरीकों से अनुकूलता भी जनता द्वारा इसको अपनाए जाने के प्रतिशत को प्रभावित करती है। किसी उत्पाद की अनुकूलता यह मापती है कि यह जरूरतों, मूल्य प्रणालियों और मानदंडों, जीवन शैली, संस्कृति आदि से कितनी निकटता से जुड़ा हुआ है। अनुकूलता का स्तर जितना अधिक होगा प्रसार उतना ही तीव्र गति से होगा और यदि अनुकूलता का स्तर कम है तो उसका प्रसार भी धीमी गति से होगा। इसके साथ ही साथ कोई भी नवाचार बहुत अधिक तीव्र गति से फैलेगा जब वह उपभोक्ताओं को उनके मूल्यों, मानदंडों, जीवन शैली, संस्कृतियों आदि को बदलने को बाध्य नहीं करेगा।

ii. जटिलता

कोई भी नवाचार यदि समझने तथा उपयोग में लाने में जटिल होगा तो उसका प्रसार बहुत आसानी से नहीं होगा जबकि यदि नवाचार समझने तथा उपयोग में लाने में आसान होगा तो वह नवाचार आसानी से फैल जाएगा। जब हम जटिलता की बात करते हैं तो उस समय तकनीकी जटिलता का नाम सर्वप्रथम आता है जोकि प्रसार में बाधा के उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा नई पीढ़ी के लोग तकनीकी रूप से अधिक सक्षम हैं तथा तकनीकी जटिलताओं का अच्छे से सामना करते हैं।

iii) परीक्षण करने की क्षमता

किसी भी नवाचार का परीक्षण करने की क्षमता उस नवाचार को अपनाए जाने की क्षमता का निर्धारण करती है। परीक्षण क्षमता जितनी अधिक होगी, प्रसार की दर उतनी ही अधिक होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे लोगों को नवाचार को आजमाने, उसे आंकने और उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने का अवसर मिलता है। उपभोक्ता अभिनव पेशकश की कोशिश कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं और फिर इसे स्वीकार / अस्वीकार करके खरीद प्रतिबद्धता पर निर्णय ले सकते हैं।

b) सांस्कृतिक कारक

हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है जिससे उस समाज का उद्भव हुआ होता है। प्रत्येक समाज की किसी नये विचार या नई पद्धति के प्रति अलग अलग

प्रतिक्रिया होती है कुछ बहुत आसानी से सब कुछ अपना लेते हैं तथा कुछ उसका विरोध करते हैं। सांस्कृतिक भिन्नता संचार प्रक्रिया में एक गंभीर बाधक है। इस सम्पूर्ण गतिविधि के विस्तारित क्षेत्र के भीतर (1) संचार प्रणालियों को सांस्कृतिक मूल्यों से किस प्रकार सम्बन्धित किया गया है (2) हमारे संचार प्रणालियों के वर्तमान उपयोग से उत्पन्न होने वाली जिम्मेदारी की विशिष्ट नैतिक समस्याएं तथा (3) सांस्कृतिक सीमाओं के ज्यादा होने से संचार में आने वाली समस्याएं आती है। कुछ नवाचार देश के कुछ भाग या किसी समूह में सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार कर दिये जाते हैं जबकि किसी समाज द्वारा बहुत शीघ्रता से स्वीकार कर लिए जाते हैं।

c) आर्थिक कारक

किसी भी नवाचार को अपनाने में आर्थिक कारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि किसी भी नयी तकनीक अथवा नवाचार को अपनाने हेतु व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन का होना बहुत आवश्यक है अन्यथा कोई भी व्यक्ति किसी नवाचार के फायदे को जानने के बाद भी उसे नहीं अपना पायेगा। उदाहरणार्थ : आप कपड़े धोने का काम हाथ से कर रहे हों और तभी आपको पता चले कि इस काम के लिए अब बाजार में वाशिंग मशीन उपलब्ध हैं तो यदि आपके पास धन की उपलब्धता हो तो आप उसे खरीद सकते हैं अन्यथा आप ये तो जानते हैं कि वाशिंग मशीन खरीदना फायदेमंद है उससे आपका समय एवं मेहनत दोनों की बचत होती है किन्तु क्योंकि आपके पास उसे खरीदने हेतु धन नहीं है अतः आप उसे नहीं खरीद पाएंगे।

d) सापेक्ष लाभ

एक नवीनता को तभी अधिक व्यापक रूप से अपनाया जाएगा जब वह उस समय उपस्थित वैकल्पिक समाधान से बेहतर होगा जिसे बदलना है। सापेक्ष लाभ को आर्थिक रूप से मापा जा सकता है (नई तकनीक पुरानी से सस्ती है अथवा या यदि महंगी है तो पुरानी तकनीक से अधिक शक्तिशाली है) अथवा यह एक सुविधा कारक भी हो सकता है (ईमेल प्राप्त करना पत्र लिखने और पोस्ट पर जाने से तेज है) या स्थिति पहलू ("मुझे अच्छा दिखने के लिए इस उत्पाद की आवश्यकता है") हो सकता है।

1.3.3 नवाचार अभिग्रहण की प्रक्रिया

बील और बोहेन के अग्रणी काम ने एक पाँच-चरण प्रक्रिया की पहचान की, जिनसे होकर ही कोई व्यक्ति किसी नवाचार को ग्रहण करता है। इनमें से प्रत्येक चरण के लिए नवाचार से सम्बंधित स्पष्ट जानकारी की आवश्यकता होती है। यह जानकारी या तो समुदाय के बाहर के बाहरी प्रभावों से या समुदाय के प्रभावशाली सदस्यों के माध्यम से आती है। प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग दरों से इन चरणों को पार करता है, जिसके परिणामस्वरूप नवाचार अभिग्रहण करने में लगे समय में भी भिन्नता होती है। नवाचार प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है:

1. जागरूकता या अभिज्ञा(awareness)

इसका अर्थ है, व्यक्तिगत रूप से पता चलना कि कोई नवाचार हुआ है। इस अवस्था में व्यक्ति के पास नवाचार से सम्बंधित विवरण उपलब्ध नहीं होता है, यह एक बहुत ही निष्क्रिय अवस्था है। जागरूकता सामान्यतया समुदाय के बाहर के स्रोतों और सूचना के अन्य स्रोतों द्वारा आती है।

2. अभिरुचि (interest)

इसमें व्यक्ति नवाचार से सम्बंधित अधिक से अधिक जानकारी चाहता है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित होने लगते हैं कि नवाचार उनकी मदद कर सकता है। वे सक्रिय रूप से नई जानकारी एकत्रित करने में जुट जाते हैं। व्यक्ति समुदाय के बाहर और भीतर दोनों स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित करने में लग जाता है।

3. मूल्यांकन (evaluation)

इस चरण में व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग करके नवाचार की मानसिक रूप से जांच करता है तथा यह निर्धारित करने की कोशिश करता कि क्या यह वास्तव में नवाचार उसके काम को प्रभावित करेगा और यह कैसे उसके कार्यों को आसान या बेहतर बना देगा। यह एक महत्वपूर्ण चरण है और पहला ऐसा चरण है जहां बाहरी संपर्कों के स्थान पर समुदाय की आवाजें (अर्थात् सहकर्मी, दोस्त या पड़ोसी) किसी व्यक्ति पर अधिक प्रभाव डालती हैं।

4. परीक्षण (trial)

इस चरण में व्यक्ति वास्तव में नवाचार का परीक्षण यह देखने के लिए करता है कि वास्तविकता अपेक्षाओं से मेल खाती है या नहीं। इस स्तर पर जानकारी प्रदान करने वाले हर स्रोत का उपयोग किया जाता है, हालांकि करीबी सामुदायिक संबंध अभी भी सबसे जानकारी प्रदान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

5. अभिग्रहण (Adoption)

यह नवाचार अभिग्रहण प्रक्रिया का अंतिम चरण है जिसमें व्यक्ति नवाचार को पसंद करता है और इसे पूरे दिल से अपनाता है। यह प्रासंगिक उपयोग के सभी क्षेत्रों में लागू होता है और व्यक्ति अक्सर समुदाय में नवाचार का एक मजबूत समर्थक बन जाता है। इस स्तर पर समुदाय से आने वाली आवाजें अथवा सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं।

1.4 अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण

नवाचार अभिग्रहण में लगने वाले समय के आधार पर अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है;

प्रवर्तक(innovators) - प्रवर्तक किसी भी नवाचार को अपनाने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। प्रवर्तक जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं, कम उम्र के होते हैं, बहुत सामाजिक होते हैं, समाज के

उच्च वर्ग के होते हैं तथा आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। जोखिम लेने की असीम क्षमता के कारण ये वर्ग किसी भी नये विचार या खोज या नवाचार को बहुत शीघ्रता से अपना लेते हैं जिसमें ये कई बार विफल भी होते हैं किन्तु आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण ये इस नुकसान की आसानी से भरपायी कर लेते हैं।

प्रारंभिक अभिग्रहणकर्ता(early adopters) - यह किसी भी नवाचार को अपनाने वाले व्यक्तियों की दूसरी सबसे तेज़ श्रेणी है। इन व्यक्तियों के पास नवाचार अपनाने वाली अन्य श्रेणियों की अपेक्षा सबसे अधिक नेतृत्व क्षमता होती है। इस श्रेणी के व्यक्ति सामान्यतया उम्र में छोटे होते हैं, उच्च सामाजिक स्थिति रखते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत, उच्च शिक्षित तथा नवाचार को देर से अपनाने वालों की तुलना में अधिक सामाजिक होते हैं।

विलम्बकारी ग्रहणकर्ता (late adopters) - इस श्रेणी के व्यक्ति किसी भी नवाचार को तब अपनाते हैं जब समाज का बहुत अधिक हिस्सा उस नवाचार को अपना चुका होता है। ये व्यक्ति किसी भी नवाचार पर बहुत अधिक संदेह करते हैं और समाज के अधिकांश लोगों ने नवाचार को अपनाने के पश्चात ही उसे अपनाते हैं। विलम्बकारी ग्रहणकर्ता सामान्यतया एक नवाचार के बारे में संशय में रहते हैं, औसत सामाजिक स्थिति से नीचे होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं तथा बहुत अधिक सामाजिक नहीं होते हैं।

अतिकालिक अभिग्रहणकर्ता या लैगार्ड्स - इस श्रेणी के व्यक्ति किसी नवाचार को अपनाने वाले अंतिम व्यक्ति होते हैं। इस श्रेणी के व्यक्ति कम नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति उम्र में बड़े होते हैं। ये सामान्यतया "परंपराओं" पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है तथा ये आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं।

अभ्यास प्रश्न


प्रश्न : निम्न की एक पंक्ति में व्याख्या कीजिए।

1. नवाचार
2. लैगार्ड्स
3. प्रवर्तक

1.5 संचार तथा प्रसार प्रक्रिया

संचार का लक्ष्य सूचना देना तथा उस सूचना की समझ एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति दूसरे या समूह तक पहुँचाना है। इस संचार प्रक्रिया को तीन मूलभूत घटकों में विभाजित किया गया है। एक प्रेषक जो किसी माध्यम की सहायता से ग्राही या श्रोताओं तक संदेश को प्रसारित करता है। प्रेषक

पहले एक विचार विकसित करता है जिससे एक संदेश निर्मित करता है जिसे वह श्रोताओं तक पहुँचाता है जो उसका अर्थ निकालकर समझते हैं। किसी संदेश को विकसित करना संकेतीकरण (Encoding) कहलाता है। संदेश की व्याख्या करना संकेत वाचन (Decoding) कहलाता है। मानव संचार एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। खेती की आधुनिक तकनीकों की दिशा में किसानों के मूल्यों और दृष्टिकोण को बदलने के लिए भी संचार प्रक्रिया अति महत्वपूर्ण है। संचार प्रक्रिया के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता किसानों तक जानकारी पहुँचाने में सक्षम होते हैं तथा वह उनकी समस्याएं भी समझ सकते हैं।



संचार प्रक्रिया

संचार प्रक्रिया के तत्व

- **कम्यूनिकेटर या प्रेषक** : प्रेषक को एन्कोडर या कूट लेखक के रूप में जाना जाता है, जो सूचना/संदेश भेजता है तथा यह निर्णय भी लेता है कि कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होगा। यह सब प्रेषक के विभाग में चलता है। प्रेषक खुद से ही सवाल पूछता है कि मैं किन शब्दों का प्रयोग करूँगा ? किन संकेतों या चित्रों का प्रयोग करूँगा ।
- **संदेश** : यह सभी तकनीकी जानकारी सामग्री है जो प्रेषक विभिन्न स्रोतों से एकत्रित करता है और श्रोताओं को भेजता है।
- **माध्यम** : माध्यम वह है जो चुने हुए संदेश का श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार है। संचार माध्यम एक माध्यम है जिसके द्वारा किसी संदेश या सूचना का प्रसार प्रेषक से एक या अधिक ग्राही या श्रोताओं तक किया जाता है। उदाहरण के लिए टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियों, फिल्मशो तथा प्रदर्शन आदि ।

- **संदेश का वर्णन** : यह संदेश व्यक्त करने में या व्यक्त करने के लिए आवश्यक तकनीक या तरीके या प्रदर्शन से सम्बन्धित है। यही एक तरीका है जिसमें संदेश में आवश्यक परिवर्तन कर उसे श्रोताओं तक पहुँचाया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य संदेश या सूचना को स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है।
- **श्रोता/ग्राही** : श्रोता भावी उत्तरदायी होते हैं अर्थात् किसान जो आर्थिक तथा सामाजिक रूप से लाभान्वित होते हैं। श्रोता/ग्राही या संकेतवाचक संदेश का अर्थ निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। ग्राही प्रेषक को प्रतिक्रिया देने के लिए भी जिम्मेदार होता है। एक शब्द में कहें तो किसी भी संदेश की व्याख्या करना ही उसका मुख्य कार्य है।

फीडबैक या प्रतिक्रिया : यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही निर्धारित करता है कि संकेतवाचक या ग्राही को वांछित अर्थ समझ आया या नहीं और यह भी कि संचार प्रक्रिया सफल हुई या नहीं।

1.6 नवाचार का प्रसार

नवाचार का प्रसार तब होता है जब एक विचार किसी समाज में पारस्परिक संचार का उपयोग करके फैलता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दक्षिण कोरिया में वर्ष 1968 में मिलता है। इस समय के दौरान वहाँ जन्मदर बहुत अधिक थी जिसे नियंत्रित करने के लिए गांवों में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। महिलाओं को जन्म नियंत्रण विधियों और सूचना तथा अनुभवों को साझा करने हेतु एक मंच पर एकत्रित करने के लिए महिला क्लब बनाए गए। रोजर्स और उनके सहयोगियों ने सन् 1973 तक मामले का अध्ययन किया। उन्होंने कई अलग-अलग गांवों में महिलाओं का साक्षात्कार लिया। उन्होंने पाया कि गाँव के नेताओं ने सबसे पहले मीडिया से और परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं से जन्म नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल की थी; फिर इसे गाँव के बाकी हिस्सों में प्रसारित कर दिया। रोजर्स ने पाया कि सबसे अच्छी सफलता वाले गांव वे थे जहाँ नेता ने व्यक्तिगत रूप से कई लोगों से बात की थी, और फिर महिला क्लबों ने भी इस पर चर्चा की। इस प्रक्रिया में पारस्परिक प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है।

नवाचार का प्रसार बहुत सरल लगता है किन्तु इसकी प्रक्रिया वास्तव में काफी जटिल है। नवाचार को अपनाने की दर और परिवर्तन एजेंट जैसे सभी कारक इस अद्भुत सिद्धांत को बनाने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं।

“प्रसार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सामाजिक प्रणाली के सदस्यों के बीच समय के साथ कुछ चैनलों के माध्यम से एक नवीनता का संचार किया जाता है।

यह एक विशेष प्रकार का संचार है, जिसमें संदेश नए विचारों से संबंधित हैं। इस वाक्य में चार मुख्य

तत्व हैं जो नवाचारों का प्रसार करते हैं। ये तत्व नवाचार, संचार चैनल, समय और सामाजिक प्रणाली हैं। आइये अब इन सभी तत्वों को विस्तार से पढ़ें;

I. नवाचार

"यह एक विचार, अभ्यास या वस्तु है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी नए विचार के रूप में अपनाया जाता है।

नवाचार की विशेषताएं

सभी नवाचारों में कुछ विशेषताएं होती हैं। जो निम्नवत हैं:

1. **सापेक्ष लाभ** : पहली विशेषता जो सभी नवाचारों से संबंधित है, सापेक्ष लाभ कहलाती है। यह वह डिग्री है जिसमें एक नवाचार को पूर्व के विचार से बेहतर माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि नवाचार पुराने विचार की अपेक्षा अधिक लाभप्रद है तो वह उसे अपना लेता है अतः जितना अधिक कथित लाभ, होगा उस नवाचार को अपनाने की दर भी उतनी ही अधिक होगी।
2. **संगतता** : एक नवाचार की अगली विशेषता संगतता है। यह वह डिग्री है जिसमें एक नवाचार को मौजूदा मूल्यों, पिछले अनुभवों और संभावित अपनाने वालों की जरूरतों के अनुरूप होने के रूप में माना जाता है। एक विचार जो एक सामाजिक प्रणाली के मूल्यों और मानदंडों के साथ संगत नहीं है, उसे एक नवाचार के रूप में तेजी से नहीं लिया जाएगा जो संगत है। एक ऐसे विचार के लिए जिसे अपनाया जाना संगत नहीं है, एक नए मूल्य प्रणाली को अपनाना आवश्यक है। यह धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है।
3. **जटिलता** : नवाचार की एक और विशेषता जटिलता है। यह इस बात को दर्शाता है कि किसी एक नवाचार को समझना और उपयोग करना कितना मुश्किल है। जितना अधिक जटिल विचार होता है, उसे अपनाने में उतना ही अधिक समय लगता है। "नए विचार जो समझने में सरल हैं, वे उन नवाचारों की तुलना में अधिक तेजी से अपनाए जाते हैं, जिन्हें अपनाने के लिए नए कौशल और समझ विकसित करने की आवश्यकता होती है।
4. **परीक्षण क्षमता** : नवाचार की चौथी विशेषता परीक्षण क्षमता है। यह वह डिग्री है जिस पर एक विचार को सीमित आधार पर प्रयोग किया जा सकता है। "एक ऐसा नवाचार जो परीक्षण योग्य है, यह उस व्यक्ति की अनिश्चितता को कम करता है जो इसे अपनाने के लिए विचार कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार के नवाचार में करके सीखने की संभावना है।
5. **अवलोकनशीलता** : नवाचारों की अंतिम विशेषता अवलोकनशीलता है। यह वह डिग्री है जिसमें किसी विचार के परिणाम दिखाई देते हैं। लोगों के लिए एक नवाचार के परिणामों को

देखना जितना आसान होगा, वे उतनी ही तेजी से उस विचार को अपनाते हैं। परिणाम देखने में सक्षम होना चर्चा को बढ़ाता है और व्यक्तियों के बीच अधिक चर्चा तेजी से विचार का प्रसार करती है। सापेक्ष लाभ, अनुकूलता, जटिलता, परीक्षणशीलता और अवलोकनशीलता एक नवीन विचार का निर्माण करते हैं।

II. संचार माध्यम

नवाचारों के प्रसार का अगला मुख्य तत्व संचार माध्यम हैं। यह एक रास्ता है जिसके द्वारा कोई सन्देश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मिलता है। संचार माध्यमों के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार के व्यक्ति से संवाद किया जाना है। दो या दो से अधिक व्यक्ति समलिंगी होने पर संचार अधिक प्रभावी होता है, या उनमें कुछ चीजें समान होती हैं जैसे: समान दिलचस्पी का होना या एक ही पड़ोस में रहना। जब ऐसा होता है तो , "कोई विचार ज्ञान लाभ, दृष्टिकोण निर्माण और परिवर्तन के संदर्भ में अधिक प्रभावी होता है। इसके विपरीत तब होगा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति विषमलैंगिक हों तथा एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इस मामले में संचार बहुत अप्रभावी है।

III. समय

प्रसार प्रक्रिया में समय तीसरा तत्व है। समय दो तरह से प्रसार में शामिल है। पहला, नवाचार-निर्णय प्रक्रिया और दूसरा एक प्रणाली में अपनाने की नवाचार दर है।

इस प्रक्रिया के पांच मुख्य चरण हैं, पहला ज्ञान, फिर अनुनय, अगला निर्णय, कार्यान्वयन और अंत में पुष्टि। नवाचार-निर्णय की अवधि नवाचार-निर्णय प्रक्रिया से गुजरने में लगने वाला समय है। दूसरे तरीके से समय नवाचारों के प्रसार में शामिल है जिसे नवाचार को अपनाने की दर कहा जाता है। यह वह गति है जिसके साथ एक समाज में रहने वाले लोग एक विचार को अपनाते हैं।

IV. समाज अथवा सामाजिक प्रणाली

नवाचार के प्रसार का अंतिम तत्व एक सामाजिक प्रणाली है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके कई कारक हैं। एक प्रणाली की सामाजिक और संचार संरचना प्रणाली में नवाचारों के प्रसार को सुगम या बाधित करती है। एक नवाचार के आने पर किसी प्रणाली को निम्न चार कारकों का सामना करना पड़ता है; पहला "मानदंड" है यह एक सामाजिक प्रणाली के सदस्यों के लिए स्थापित व्यवहार का तरीका है। दूसरा है नेतृत्व क्षमता, यह वह तरीका है जिसमें एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन करने में सक्षम होता है। तीसरे क्षेत्र को नवाचार-निर्णय कहा जाता है।

1.7 नवाचार निर्णय प्रक्रिया

यह मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति नवाचार के पहले ज्ञान से गुजरता है और नए विचार के कार्यान्वयन के लिए एक निर्णय के लिए नवाचार के प्रति एक दृष्टिकोण का निर्माण करता है। ज्ञान- यह तब होता है जब एक व्यक्ति नवाचार के संपर्क में आता है और यह कैसे कार्य करता है, इसके बारे में कुछ समझ हासिल करता है। यह तीन तरह की होती है

जागरूकता ज्ञान: इसमें एक नवाचार क्या है तथा नवाचार का उपयोग करने का क्या लाभ होगा जैसे प्रश्न शामिल हैं।

कैसे करें ज्ञान: इसके अंतर्गत नवाचार का उपयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी आती है। जैसे : इसका सही इस्तेमाल कैसे करें?

सिद्धांत ज्ञान: नवाचार की कार्यप्रणाली को शामिल करना, अर्थात् उसका सैद्धांतिक पहलू।

1.7.1 नवाचार निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरण

नवाचार निर्णय प्रक्रिया की पाँच अवस्थाएँ:

1. ज्ञान
2. प्रोत्साहन
3. निर्णय
4. कार्यान्वयन
5. पुष्टि

1.7.2 नवाचार-निर्णय के प्रकार

स्वैच्छिक नवाचार निर्णय : ये ऐसे नवाचार निर्णय हैं जिन्हें अपनाने या अस्वीकार करने का विकल्प है तथा ये समाज के किसी व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से लिए गए हैं।

सामूहिक नवाचार-निर्णय: इस प्रकार के नवाचार निर्णय को अपनाने या अस्वीकार करने का विकल्प होता है जो एक प्रणाली के सदस्यों के बीच आम सहमति से बने हैं।

प्राधिकरण नवाचार-निर्णय: ये एक ऐसे नवाचार को अपनाने या अस्वीकार करने के विकल्प हैं जो एक प्रणाली में अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, जिनके पास शक्ति, पद या तकनीकी अनुभव है।

1.7.3 नवाचार निर्णय के परिणाम

परिणाम एक नवाचार को अपनाने या अस्वीकृति के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या सामाजिक प्रणाली में होने वाले परिवर्तन हैं। ये निम्न प्रकार से हो सकते हैं;

- i. **वांछनीय बनाम अवांछनीय परिणाम:** इस बात पर निर्भर करता है कि किसी सामाजिक प्रणाली में एक नवाचार के प्रभाव कार्यात्मक या दुष्क्रियाशील हैं।
- ii. **प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष परिणाम:** इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति या सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन एक नवाचार के तत्काल जवाब में होते हैं या एक नवाचार के प्रत्यक्ष परिणामों के दूसरे क्रम के परिणाम के रूप में।
- iii. **प्रत्याशित बनाम अप्रत्याशित परिणाम:** इस बात पर निर्भर करता है कि परिवर्तन किसी सामाजिक प्रणाली के सदस्यों द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं।

1.8 सारांश

शिक्षार्थियों प्रस्तुत इकाई में आपने नवाचार के अर्थ को समझा तथा किसी भी नवाचार प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के सम्बन्ध में पढ़ा। आपने नवाचार अभिग्रहण की प्रक्रिया को समझा तथा इस अभिग्रहण में लगाने वाले समय के आदार पर अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है यह भी जाना। इसके पश्चात आपने संचार तथा प्रसार प्रक्रिया को विस्तार से पढ़ा जिसमें संचार प्रक्रिया के तत्वों को भी समझा। शिक्षार्थियों कोई भी नवाचार तभी सफल माना जाता है जब उसका प्रचार एवं प्रसार उचित रूप से हुआ हो अतः इस इकाई में आपने नवाचार के प्रसार से सम्बंधित जानकारी भी प्राप्त की और इकाई के अंत में आपने नवाचार निर्णय प्रक्रिया को बहुत विस्तार से समझा। इस प्रकार से इस इकाई में हमने नवाचार एवं प्रसार से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त की।

1.9 पारिभाषिक शब्दावली

नवाचार : "यह एक विचार, अभ्यास या वस्तु है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा किसी नए विचार के रूप में अपनाया जाता है।

प्रसार : प्रसार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सामाजिक प्रणाली के सदस्यों के बीच समय के साथ कुछ चैनलों के माध्यम से एक नवीनता का संचार किया जाता है।

1.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Havelock, R.G. (1973). The change agent's guide to innovation in education. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications,
- Rogers, E.M. (1995). Diffusion of Innovations. New York: Free Press.
- Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York: Free Press.
- Seevers, B., & Graham, D. (2012). Education through Cooperative Extension. (3rd ed.). Fayetteville, AR: University of Arkansas Bookstore.
- Clevenger, I. (1991). Can one not Communicate? A conflict of models? Communication studies 42: 355
- Dahama, O. P. and Bhatnagar, O. P. (1987). Education and Communication for development, Second edition Oxford & IBH Publishing Co, New Delhi.
- Dubey, V.K. and Bishnoi, I. (2008). Extension Education and Communication . I Ed. New Age International (P) Limited Publishers., New Delhi.
- FAO, Corporate Document Repository. Produced by Economic and Social Development Department.
- Ibitoye, J. S. and N. E. Mundi (2004) Essentials of Agricultural Extension, Rowis Publishers Ankpa,
- Khandai, H; Yadav, K and Mathur, A. (2011). Extension Education. APH Publishing Corporation, New Delhi-110002, pp-304.
- Kumar, B. and Hansra, B.S. (2000). Extension Education for Human Resource Development. Concept Publishing Company, New Delhi.

-
- Little, S. P. (1980). Communication in Business, 2nd ed., Longman Group Ltd, London
 - Obibuaku, L. O. (1983). Agricultural Extension as a Strategy for Agricultural Transformation, University of Nigeria Press, Nsukka
 - Ray, G.L. (2006). Extension Communication and Management. Sixth edition. Kalyani publishers , Rajinder Nagar, Ludhiana.
 - Reddy,A.A. (2006). Extension Education. Shree Lakshmi Press Bapatla Guntur Dist. Andra Pradesh.
 - Yadla, V.L. and Jasrai, S. (2000). Home Science Reference Book for UGC National Eligibility Test JRF/ Lecturership. Kalyani Publishers, New Delhi.
 - <https://www.slideshare.net>
 - <https://www.slideshare.net>

1.11 निबंधात्मक प्रश्न

- 1) नवाचार से आप क्या समझते हैं? किसी नवाचार का प्रसार क्यों आवश्यक है?
- 2) नवाचार को प्रभावित करने वाले तत्वों को विस्तार पूर्वक लिखिए।

इकाई 2: अभिग्रहण

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 अभिग्रहण (Adoption)

2.3.1 अभिग्रहण प्रक्रिया (Adoption process)

2.3.2 अभिग्रहण की दर (Rate of adoption)

2.3.3 अभिग्रहण के लिए जनादेश (Mandates for adoption)

2.3.4 अति अभिग्रहण/ अभिग्रहण की अधिकता (Over adoption)

2.3.5 अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण (Adopter categories)

2.3.6 अभिग्रहण को प्रभावित करने वाले कारक (Factors affecting adoption process)

2.4 नवाचार के अभिग्रहण एवं विसरण प्रक्रिया में प्रसार अभिकर्ता (extension agent) की भूमिका

2.5 अभिग्रहण का माप (Measurement of adoption)

2.6 सारांश

2.7 शब्दावली

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

2.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

2.10 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

प्रसार शिक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण कार्य कृषि अनुशंसाओं की जानकारी किसानों तक पहुँचाना तथा उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करना है। जब तक किसान उन्हें अपनाएंगे नहीं, अपने-अपने घरों तथा खेतों में उनका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक विकास की गति धीमी ही रहेगी। तथा ग्रामीणों का जीवन स्तर भी निम्न ही रहेगा। इसलिए विकसित तकनीकों को कृषकों तक पहुँचाना, उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करना, उनका प्रचार-प्रसार करना भी महत्वपूर्ण काम है। साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि कितने ग्रामीणों ने इसे अपनाया है और यदि नहीं अपनाया तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। किसी भी नए विचार को ग्रहण करना अथवा ग्रहण नहीं करना व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। नवप्रवर्तन को स्वीकार करने का निर्णय लेने से पहले व्यक्ति कई बौद्धिक स्तरों से गुजरता है जिसमें

एक लम्बा समय भी लग सकता है। यदि व्यक्ति किसी नए विचार को अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार है तभी वह उसे अपनाता है। परन्तु यदि वह उस विचार के परिणामों से संतुष्ट नहीं है तो वह उस विचार को अपनाने के बाद के बाद अस्वीकार भी कर सकता है। आइये इस इकाई में अभिग्रहण के बारे में विस्तृत में चर्चा करते हैं।

2.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- 1) अभिग्रहण के बारे में जानेंगे।
 - 2) अभिग्रहण प्रक्रिया, अभिग्रहण प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरण, गति, माप तथा अधिदेश के बारे में जानेंगे।
 - 3) अभिग्रहणकर्ताओं के वर्गीकरण को समझेंगे।
 - 4) प्रसार कार्यकर्ता की अभिग्रहण तथा विसरण प्रक्रिया में भूमिका को समझेंगे।
- आइये इकाई की शुरुआत अभिग्रहण को समझते हुए करते हैं।

2.3 अभिग्रहण

अभिग्रहण को अंगीकरण भी कहते हैं। सामान्य शब्दों में किसी चीज को अपनाना ही अभिग्रहण (Adoption) है। विकसित तकनीकों को ग्रामीणों तक पहुँचाना, उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करना, उनका प्रचार-प्रसार करना भी महत्वपूर्ण काम है। साथ ही यह देखना भी जरूरी है की कितने ग्रामीणों ने विकसित तकनीकी जानकारी को अपनाया है। यदि नहीं अपनाया है तो इसके पीछे क्या कारण है।

2.3.1 परिभाषा

- ❖ नवीन प्रक्रिया, नई पद्धति, नई खोज या नई विकसित तकनीक को अपनाने के लिए विचार करना और सोच-विचारकर उसे अपनाना ही अभिग्रहण कहलाता है।
- ❖ किसी नयी जानकारी को अपनी इच्छा के अनुसार अपनाने को अंगीकरण कहते हैं।
- ❖ अभिग्रहण एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें से व्यक्ति गुजरता है तथा इस प्रक्रिया के माध्यम से नए विचारों का अंततः अभिग्रहण करता है। (Adoption is the mental process through which an individual passes from hearing about an innovation to final adoption).

– E.M.

Rogers

2.4 अभिग्रहण प्रक्रिया

- ❖ नये विचारों को अपनाने से पूर्व एक व्यक्ति विभिन्न अवस्थाओं से मानसिक रूप से गुजरता है। इसी मानसिक प्रक्रिया को अभिग्रहण प्रक्रिया कहते हैं।
- ❖ अभिग्रहण प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति विशेष किसी नवीन ज्ञान की प्रथम जानकारी से लेकर उस ज्ञान की ग्राह्यता के निर्णय तक गुजरता है। (Adoption process is the mental process through which an individual passes from the first knowledge of an innovation to a decision to adopt).

- S.V. Supe


वास्तव में अंगीकरण/ अभिग्रहण एक ऐसा निर्णय है जो एक नवाचार के पूर्ण प्रयोग तक संलग्न रहता है।

2.4.1 अभिग्रहण प्रक्रिया की अवस्थाएं/ चरण

अभिग्रहण प्रक्रिया में मुख्य रूप से पांच अवस्थाएं हैं।

1. **जानकारी/ जागरूकता (Awareness)**
 2. **रूचि (Interest)**
 3. **मूल्यांकन (Evaluation)**
 4. **परिक्षण (Trial)**
 5. **अधिगम (Adoption)**
1. **जानकारी (Awareness):** 'जानकारी प्राप्त करना' अभिग्रहण का प्रथम चरण है। इस चरण में व्यक्ति किसी नवीन विचार से प्रथम बार परिचय करता है। इसमें ग्रहणकर्ता को केवल ऊपरी ज्ञान ही प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ किसान को एक विज्ञापन पढ़कर धान की किसी नवीन प्रजाति का नाम तथा उसे प्राप्त करने के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। पर उस विज्ञापन में इसके अलावा और जानकारी नहीं थी। ऐसे में किसान को नवीन प्रजाति के बारे में सम्पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई।

2. **रूचि (Interest):** जब ग्रहणकर्ता किसी नई तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है तब उसकी इच्छा होती है कि वह उसके बारे में और ज्ञान प्राप्त करे। अर्थात् उस तकनीक के प्रति उसकी रूचि पैदा होती है। इसलिए वह अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त करता है।
3. **मूल्यांकन (Evaluation):** अभिग्रहण प्रक्रिया का यह तीसरा चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चरण में व्यक्ति किसी उपयोगी एवं रुचिकर विचार/ तकनीक के विषय में मूल्यांकन करता है। वह अपने मन में यह विचार करता है कि क्या यह तकनीक अपनाने से उसे फायदा मिलेगा। और जब उसके मन में यह विचार बैठ जाता है कि इससे उसे लाभ होगा, तभी वह उसे प्राप्त करने के लिए अगला कदम उठाता है।
4. **परीक्षण (Trial):** जब ग्रहणकर्ता नई तकनीक का मूल्यांकन भली-भांति कर लेता है तब वह उसे क्रियात्मक रूप प्रदान करता है अर्थात् वह उसका प्रयोग करके देखना चाहता है कि वास्तव में ये चीजें उसके लिए लाभदायी या उपयोगी हैं अथवा नहीं। उदाहरण: किसान को गेहूं की एक नई प्रजाति के बारे में जानकारी हुई तो वह पहले उस प्रजाति को अपने खेत के एक छोटे हिस्से में ही प्रयोग करके उसके परिणामों को देखेगा। पूरे खेत में प्रयोग करके किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा।
5. **अभिग्रहण (Adoption):** किसी नई तकनीक का पूरा परीक्षण एवं मूल्यांकन के पश्चात् जब ग्रहणकर्ता को यह विश्वास हो जायेगा कि इस तकनीक की उपयोग से उसे निश्चित ही लाभ होगा, तब वह उस तकनीक का पूरी तरह प्रयोग करेगा। जैसे- जब किसान को गेहूं की नई प्रजाति के बीज की उत्पादन क्षमता, प्रयोग की विधि इत्यादि के बारे में पूर्ण जानकारी के बाद यह विश्वास हो जायेगा कि यह मेरे लिए आर्थिक दृष्टी से लाभकारी है तब वह उस प्रजाति को बड़े स्तर पर प्रयोग करेगा।



अभिग्रहण तत्काल की प्रक्रिया नहीं है। अभिग्रहण प्रक्रिया में व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है। विभिन्न विद्वानों ने अभिग्रहण प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाएं बतायी हैं:

1) Ryan and Gross (1943) के अनुसार-

जानकारी – दृढ़ विश्वास – परीक्षण – ग्रहणता और पूर्ण अभिग्रहण

2) Wilson and Gallup (1955) के अनुसार-

सावधान – रुचि – दृढ़ विश्वास – साहस – संतुष्टि

3) Sub committee in Diffusion of Farm Practices, North Control, Rural Sociology Society के अनुसार-

जागरूकता – रुचि – मूल्यांकन – परीक्षण – अभिग्रहण

4) Boss and Das Gupta (1962) के अनुसार-

जागरूकता – रुचि – परीक्षण – मूल्यांकन – अभिग्रहण

5) Singh and Pareek (1968) के अनुसार-

आवश्यकता – जागरूकता – रुचि – विचार-विमर्श – परीक्षण - मूल्यांकन – अभिग्रहण

1. आवश्यकता- क्या है और क्या होना चाहिए के बीच का अंतर ही आवश्यकता है। इस स्तर पर व्यक्ति स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पहचान कर अपनी मौजूदा स्थिति को

बदलने की इच्छा रखता है।

2. **जागरूकता-** इस स्तर पर व्यक्ति ब्यौरे की जानकारी के बिना नवप्रवर्तन की जानकारी रखता है।
3. **रूचि-** व्यक्ति नवप्रवर्तन के बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करता है।
4. **विचार-विमर्श-** इस स्तर पर व्यक्ति अपनी स्वयं की परिस्थितियों में नवप्रवर्तन की अनुप्रयुक्तता की सम्भावना के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। वह अभिमत नेताओं की सलाह लता है। विभिन्न स्थानों पर कार्य-निष्पादन का अवलोकन करता है तथा परिवार के सदस्यों के साथ इस पर विचार विमर्श करता है। इसके बाद व्यक्ति इसका परीक्षण करने अथवा विचार को निरस्त करने का निर्णय लेता है।
5. **परीक्षण-** व्यक्ति अपने स्वयं की परिस्थितियों में कार्य-निष्पादन का अवलोकन के लिए सीमित पैमाने पर इसका परीक्षण करता है।
6. **मूल्यांकन-** व्यक्ति विभिन्न आयामों से नवप्रवर्तन के कार्य-निष्पादन का अवलोकन करता है। वह अन्य परिस्थितियों में भी नवप्रवर्तन के कार्य-निष्पादन पर आंकड़ें एकत्रित करता है। पुराने विचार के साथ नए विचार के कार्य-निष्पादन के तुलना करता है तथा अन्य परिवर्तनों की जानकारी लेता है जो नवप्रवर्तन को अपनाये जाने के बाद आवश्यक होंगे। वह इनपुट-आउटपुट, जोखिमों, अनिश्चितताओं की गणना करता है।
7. **अभिग्रहण-** इस स्तर पर व्यक्ति सतत आधार पर नवप्रवर्तन के उपयोग को विस्तारित करने का निर्णय लेता है।

2.5 अभिग्रहण की दर

अभिग्रहण की दर का सम्बन्ध उस गति से होता है जो एक सामाजिक व्यवस्था या पद्धति में सदस्यों द्वारा अपनायी जाती है। अभिग्रहण की दर को मापने के लिए मुख्यतः एक निश्चित प्रतिशत तथा आवश्यक समय की लंबाई जिसे सामाजिक प्रणाली के सदस्यों ने नयी खोज को अपनाने में लगाया से मापा जाता है।

Rogers (1995) के अनुसार नवाचार को अपनाने की दर प्रभावित करने वाले कारक हैं: नवाचार के कथित गुण, नवाचार निर्णय का प्रकार, संचार माध्यमों का उपयोग या उपलब्धता, सामाजिक प्रणाली की प्रकृति, और विस्तार एजेंट के प्रचार प्रयासों की सीमा।

2.6 अभिग्रहण के लिए जनादेश

जब दृढ़ता, स्वैच्छिक कार्रवाई या प्रोत्साहन वांछित परिणाम उत्पन्न करने में असफल होते हैं, तब सरकार द्वारा समाज के हित में, अभिग्रहण के लिए जनादेश (आधिकारिक आदेश) जारी कर सकती है। उदाहरण: आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग, परिवार में एक ही बच्चा इत्यादि।

अभिग्रहण जनादेश एक क्रियाविधि है जिसके माध्यम से व्यवस्था व्यक्ति को एक नवाचार के आपेक्षिक फायदे विशेष रूप से निवारक/ प्रतिबंधक नवाचार की पहचान करने के लिए बाध्य करती है।

2.7 अति अभिग्रहण/ अभिग्रहण की अधिकता

जब एक व्यक्ति नए विचारों को पूरे जोर-शोर से तब प्रयोग में लाता है जब विशेषज्ञों को लगता है कि उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। नए विचार के बारे में अपर्याप्त ज्ञान के कारण होता है, नवाचार के परिणामों की भविष्यवाणी करने में असमर्थता के कारण अति अभिग्रहण होता है। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग अति अभिग्रहण का एक उदाहरण है।

कई क्षेत्रों में अति अभिग्रहण एक बड़ी समस्या है। कभी-कभी अति अभिग्रहण तब होता है जब किसी नवाचार की कुछ विशेषता, या उप विशेषता को किसी व्यक्ति के द्वारा इतना आकर्षक माना जाता है कि यह अन्य सभी विचारों को अस्वीकार कर देता है। उदाहरण के लिए, एक उपभोक्ता नवाचार का प्रतिष्ठा-प्रदान करने वाला पहलू किसी व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि अति अभिग्रहण का कारण बनता है।


अति अभिग्रहण को रोकने के लिए प्रसार कार्यकर्ता द्वारा उपभोक्ताओं के बीच नवप्रवर्तन का विसरण तेज करना नवप्रवर्तन निर्णय अवधि को छोटा करने का सबसे अच्छा तरीका है।

2.8 अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण

सामाजिक व्यवस्था में सभी व्यक्ति किसी नई तकनीकी को एक साथ अधिग्रहित नहीं करते हैं। कुछ अभिग्रहणकर्ता नई तकनीकी को शीघ्र अधिग्रहित कर लेते हैं तो वहीं कुछ अति विलम्ब से नई तकनीक को अधिग्रहित करते हैं।

आवृत्ति आधार पर समय के ऊपर रखने पर नवप्रवर्तन का अभिग्रहण एक सामान्य घंटी आकार वक्र का अनुसरण करेगा। यदि अभिग्रहणकर्ता की संचयी संख्या को रखा जाता है, तो परिणामस्वरूप S- आकार का वक्र बनेगा। समय अवधि में कुछ अभिग्राही होने पर S-आकार वक्र धीरे-धीरे बढ़ेगा, प्रणाली में लगभग आधे व्यक्तियों द्वारा ग्रहण करने पर इसकी गति अधिकतम तक बढ़ेगी

और कुछ शेष व्यक्तियों द्वारा अंतिम रूप से ग्रहण करने पर क्रमशः धीमी दर से बढ़ेगी (आकृति 1)। जैसाकि मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया है, S-आकार वक्र 'अध्ययन वक्र' जैसा है। सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक अभिग्रहण एक समझ के तहत होता है, जो व्यक्ति द्वारा अध्ययन प्रयास के समकक्ष होता है। ये दोनों वक्र सामान आंकड़े सामाजिक व्यवस्था के सदस्यों द्वारा समय पर नवप्रवर्तन के अभिग्रहण के लिए हैं, लेकिन घंटी- आकार वक्र इन आंकड़ों को प्रत्येक वर्ष ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुसार दर्शाता है, वहीं S-आकार वक्र इन आंकड़ों को संचयी आधार पर दर्शाता है।




चित्र 1:- अनुकूलक श्रेणियों के लिए घंटी आकार आवृत्ति वक्र रेखा और एस-आकृति संचयी वक्र रेखा

समय पर अभिग्रहणकर्ताओं का वितरण निकट रूप से सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ता है और इसकी सामान्य वक्र की सांख्यिकी अवधारणा द्वारा व्यवस्था की जा सकती है। Rogers द्वारा नई तकनीक को अधिग्रहित करने के आधार पर अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण निम्न पांच प्रकार से किया गया है:

1. अग्रग्राही (Innovators)
2. शीघ्रग्राही (Early Adopters)

3. शीघ्र बहुसंख्यक (Early Majority)
4. विलम्ब बहुसंख्यक (late Majority)
5. अन्तिम ग्राही (laggards or last Adopters)



1. अग्रग्राही/ Innovators (नवप्रवर्तक/ उद्यम) - ये वे व्यक्ति होते हैं, जो किसी नई सूचना को प्राप्त होते ही ग्रहण कर लेते हैं। ये विज्ञान में विश्वास करने वाले तथा खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 2.5 प्रतिशत है। ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:
 - i) ये प्रायः शिक्षित होते हैं।
 - ii) ये आर्थिक रूप से सम्पन्न होते हैं तथा जोखिम उठाने का साहस होता है।
 - iii) नेतृत्व का गुण रखने वाले होते हैं।
 - iv) इनका जन संचार माध्यमों (रेडियो, टी.वी.) से लगाव होता है।
 - v) मानसिक रूप से नयी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने को तत्पर रहते हैं।
 - vi) इनके सरकारी संगठनों, उच्च स्तर के अधिकारियों से सम्बन्ध होते हैं।
 - vii) इन लोगों के माध्यम से ही क्षेत्र में नयी तकनीकी का प्रसार आसानी से होता है।
2. शीघ्रग्राही/ Early Adopters (सम्मानिय)- ये वे व्यक्ति होते हैं, जो किसी नयी तकनीकी जानकारी होने के पश्चात शीघ्र ग्रहण करते हैं लेकिन अग्रग्राही की अपेक्षा ग्रहण करने की गति

धीमी होती है अर्थात् ये व्यक्ति नयी तकनीकी को सोच-समझकर प्रयोग में लाते हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 13.5 प्रतिशत है। ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

- i) ये किसी नयी तकनीकी को शीघ्र बहुसंख्यकों की अपेक्षा शीघ्र ग्रहण करते हैं।
- ii) ये माध्यम शिक्षित होते हैं।
- iii) इनका सामाजिक- आर्थिक स्तर ऊँचा होता है।
- iv) ये व्यक्ति भी सामाजिक व सरकारी संगठनों की गतिविधियों में भाग लेते हैं। स्थानीय प्रसार कार्यकर्ताओं अथवा कृषि वैज्ञानिकों से इनका सम्बन्ध अच्छा होता है।
- v) इनमें लोगों के व्यवहार को बदलने की क्षमता होती है।
- vi) ये ग्रामीण स्तरीय नेता होते हैं।
- vii) पड़ोस के लोग इनसे व्यक्तिगत कार्यों में सलाह लेते हैं।
- viii) ये व्यक्ति भी पत्र- पत्रिकाओं एवं अन्य संचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं।

3. **शीघ्र बहुसंख्यक/ Early Majority (सतर्क)**- ये वे व्यक्ति होते हैं जो नयी अग्रग्राहियों तथा शीघ्रग्राहियों (Innovators and Early Adopters) के क्रियाकलापों को देखते रहते हैं। उनके परिणाम जानते रहते हैं तथा संतुष्ट होने के बाद उसे तुरंत ही अपना लेते हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 34 प्रतिशत है। ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

- i) ये उम्र, शिक्षा व कृषि अनुभवों में मध्यम स्तर के होते हैं।
- ii) ये कभी-कभी कृषि पत्र-पत्रिकाओं को भी पढ़ते हैं।
- iii) इनका उच्च मध्यम आर्थिक एवं सामाजिक स्तर होता है।
- iv) सरकारी संगठनों की गतिविधियों में कम भाग लेते हैं।
- v) ये व्यक्ति समाज का नेतृत्व तो नहीं करते, लेकिन सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लेते हैं।
- vi) ये समाज का अनौपचारिक नेतृत्व करते हैं।
- vii) इनकी कृषि सूचनाओं का स्रोत सामान्यतः पड़ोसी व मित्र होते हैं।

4. **विलम्ब बहुसंख्यक/ late Majority (संशयी)**- ये वे व्यक्ति होते हैं जो नयी तकनीकी एवं विचार को काफी विलम्ब से अपनाते हैं। ये प्रायः अशिक्षित वाले होते हैं। ये लोग

आवश्यकता से अधिक सावधानी बरतते हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 34 प्रतिशत है। ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

- i) ये व्यक्ति कम शिक्षित एवं अधिक आयु के होते हैं।
- ii) ये सामाजिक संगठनों के सदस्य होते हैं, लेकिन उसकी गतिविधियों में कम भाग लेते हैं।
- iii) ये व्यक्ति कृषि पत्र-पत्रिकाओं का बहुत कम उपयोग करते हैं।
- iv) इनकी आय कम होती है, फार्म आकार भी छोटा होता है।
- v) जोखिम सहने की क्षमता कम होती है।

5. अन्तिम ग्राही/ laggards or last Adopters (परंपरागत) - ये वह व्यक्ति है, जो किसी तकनीकी का प्रयोग करने वाला अंतिम व्यक्ति होता है। ये नयी जानकारी को तब अपनाने का प्रयास करते हैं जब उस खोज का महत्व ही समाप्त होने लगता है। इनका दृढ़ विश्वास अपने द्वारा अपनाये जाने वाली पद्धति में ही होता है। इनके व्यवहार को बदलना बड़ा कठिन है। समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 16 प्रतिशत है। ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

- i) बहुत कम शिक्षित अथवा अशिक्षित होते हैं।
- ii) इनका सामाजिक- आर्थिक स्तर बहुत छोटा होता है।
- iii) ये रूढ़िवादी होते हैं।
- iv) ये दूसरे ग्रामीण नेताओं में विश्वास रखते हैं।
- v) ये की नए विचार के प्रति उदासीन रहते हैं।
- vi) सूचना के स्रोत इनके सगे- सम्बन्धी होते हैं।
- vii) वैज्ञानिक पद्धतियों में इनका विश्वास कम होता है।
- viii) इनका जन संचार माध्यमों अथवा कृषि पत्रिकाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

2.9 अभिग्रहण को प्रभावित करने वाले कारक

अभिग्रहण को प्रभावित करने वाले कारक हैं:

2.9.1 व्यक्तिगत कारक (Personal factors) - कुछ व्यक्ति किसी नयी जानकारी/ विचार को शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं वहीं कुछ व्यक्ति शीघ्र ग्रहण नहीं करते। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

- i) **आयु (Age):** युवा वर्ग के कृषक , अधिक आयु के कृषकों की अपेक्षा, नए विचारों को शीघ्र ग्रहण करते हैं। इसका कारण हो सकता है कि युवा कृषक में अधिक आयु के कृषकों की अपेक्षा जोखिम सहने की क्षमता अधिक होता हिया तथा युवा कृषक में नूतन कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। (हालांकि कई अध्ययनों के परिणाम आयु व अभिग्रहण के बीच नकारात्मक संबंधों के अस्तित्व का समर्थन नहीं करते।
 - ii) **शिक्षा (Education):** शिक्षित कृषक, अशिक्षित अथवा कम शिक्षित कृषकों की अपेक्षा नए विचारों को शीघ्र ग्रहण करते हैं।
 - iii) **मनोवैज्ञानिक कारक (Psychological factors):** विश्वसनीय सूचना स्रोत नए विचारों को अपनाने में बहुत प्रभावी सिद्ध होते हैं।
मानसिक रूप से लचीले अथवा हरफनमौला स्वाभाव के व्यक्ति नए विचारों को शीघ्र ग्रहण करते हैं। जबकि मनोवैज्ञानिक दृष्टी से कुठिल स्वाभाव के व्यक्ति नए विचारों को ग्रहण करने से भयभीत रहते हैं।
 - iv) **सांस्कृतिक कारक (Cultural factors):** मनुष्य के जीवन में सांस्कृतिक कारकों (जीवन मूल्य एवं अभिवृत्ति) का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। जिनके जीवन मूल्य उच्च होते हैं वे व्यक्ति सदा परिवर्तनशील कार्य करते हैं। वहीं दूसरी ओर रूढ़िवादी एवं समाज सा अलग-अलग रहने वाले व्यक्ति अपने पुराने विचारों पर ही चलना पसंद करते हैं, इसलिए अभिग्रहण प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
 - v) **इसके अलावा अन्य करक हैं-** व्यक्ति का अनुभव, व्यक्ति का दृष्टिकोण, व्यक्ति की परिवर्तनशीलता, व्यक्ति की स्मृति इत्यादि।
- 2.9.2 सामाजिक कारक (Social factors) -** व्यक्ति का सामाजिक जीवन स्तर एवं सामाजिक संबंधों का उसके जीवन स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जिन व्यक्तियों का सामाजिक जीवन उच्च स्तर का होता है, वही सदा परिवर्तनशील व्यतीत करता है।
- i. **सामाजिक मूल्य (Social values):** किस सीमा तक परिवर्तनों को ग्रहण किया जाता है यह समूह के मूल्यों और अपेक्षाओं और व्यक्ति के स्वीकार करने की अपेक्षा की सीमा पर निर्भर करता है। जहाँ परम्पराओं और मूल्यों को बनाये रखने पर अधिक ध्यान दिया जाता है वहां नए विचारों को ग्रहण करने की गति धीमी होती है। दूसरी ओर, जहाँ व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत सफलता पर जोर दिया जाता है वहां नए विचार तीव्र गति से ग्रहित होते हैं।
 - ii. **स्थानीय नेतृत्व (local leadership):** ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन एवं नए विचारों के अधिग्रहण को स्थानीय नेता बहुत प्रभावित करते हैं। शिक्षित, युवा नेता सदा नए विचारों को ग्रहण कर अपने मित्रों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ समाजों की स्थिति ऐसी होती है की जब तक उस समाज का नेता किसी नए विचार/ तकनीकी को ग्रहण नहीं

कर लेता, तब तक उस समाज का कोई भी व्यक्ति उन विचारों को ग्रहण नहीं करता। इसलिए अधिग्रहण की प्रक्रिया में स्थानीय नेता का सीधा प्रभाव पड़ता है।

- iii. **सामाजिक सम्बन्ध (Social contacts):** व्यक्ति के समाज के अंतर्गत तथा समाज के बाहर के सम्बन्ध नए विचारों एवं तकनीकी के अधिग्रहण व विसरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि व्यक्ति के किसी एक ऐसे क्रियाशील संगठन से सम्बन्ध हैं, जो सदा क्रियाशील रहकर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के व्यवहार, जीवनशैली में परिवर्तन होगा। ऐसी परिस्थिति में नए विचारों एवं तकनीकी का अधिग्रहण एवं विसरण तीव्र गति से होता है। यदि संगठन निष्क्रिय है तो उसका बुरा असर पड़ता है।

2.9.3 पारिस्थितिकीय कारक (Ecological/ Situational factors)- नए विचारों के अधिग्रहण एवं विसरण प्रक्रिया में निम्नलिखित पारिस्थितिकीय कारकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है:

- i) **कार्य की प्रकृति (Nature of practice):** नए विचारों का अधिग्रहण, कार्य की प्रकृति से सीधा सम्बन्ध रखता है। कार्य जटिल है, तो उसे अपनाने में विलम्ब होगा। यदि कार्य पद्धति सरल है तो उसे आसानी एवं शीघ्रता से अपनाया जायेगा। यदि नए विचारों को अपनाने में अधिक धन की आवश्यकता नहीं है और उसका प्रभाव छोटे पैमाने में परीक्षण करके देखा जा सकता है तो उस विचार को शीघ्र अपना लिया जायेगा।
- ii) **फार्म आय (Farm income):** जिन कृषि फार्मों से आय अधिक होती है वहां नयी तकनीकी का अधिग्रहण शीघ्र एवं अधिक होता है।
- iii) **फार्म स्थिति (Farm size):** जिन कृषि फार्मों का आकर बड़ा होता है वहां नयी तकनीकी का अधिग्रहण शीघ्र होता है।
- iv) **फार्म स्थिति (Farm status):** जिन कृषकों के स्वयं के फार्म होते हैं वे पट्टे पर लिए कृषि फार्मों की अपेक्षा नयी तकनीकी को शीघ्र ग्रहण करते हैं।
- v) **फार्म सूचना स्रोत (Source of farm information):** जिन कृषकों के फार्म सूचना स्रोत एक से अधिक होते हैं, ऐसे कृषक नयी तकनीकी का शीघ्र अधिग्रहण करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जिन कृषकों का फार्म सूचना स्रोत केवल रिश्तेदार, मित्र एवं पड़ोसी होते हैं, ऐसे कृषक नयी तकनीकी का अधिग्रहण धीमी गति से करते हैं।
- vi) **रहन-सहन का स्तर (level of living):** जिन कृषकों का जीवन स्तर ऊँचा होता है, वे निम्न जीवन स्तर वाले कृषकों की अपेक्षा नयी तकनीकियों का शीघ्र अधिग्रहण करते हैं।

2.10 नवाचार की अभिग्रहण एवं विसरण प्रक्रिया में प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका

Dwarakinath (2001) द्वारा नवाचार की अभिग्रहण एवं विसरण प्रक्रिया में प्रसार कार्यकर्ता की निम्नलिखित भूमिका का उल्लेख किया गया है।

1. लोगों को संभावित अभिग्रहणकर्ताओं के रूप में सुधार के लिए संपर्क करना और उनके साथ विश्वास और तालमेल का आधार बनाना।
2. लोगों के साथ मिलकर उनकी जरूरतें और समस्याएँ, जिन पर नयी कार्य पद्धति संबद्ध हों की पहचान करना।
3. रुचि रखने वाले लोगों को मूल्यांकन और नयी कार्य पद्धति का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना। (encouraging interested people to evaluate and try the practices).
4. नयी कार्य पद्धति को अपनाने में विश्वास करने वाले लोगों का मार्गदर्शन करना। (guiding those who are convinced, in adopting the new practices)
5. अन्य संभावित अभिकर्ताओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार करना। (spreading the technology through other potential dopters).
6. लोगों को उनके द्वारा अपनाये गए सुधारों की समीक्षा करने में, संतुष्टि प्राप्त करने में और स्वयं में आत्मविश्वास हासिल करने में सहायता करना। (help people to make a review of the improvements adopted and derive satisfaction and gain confidence in themselves).
7. भविष्य में सुधार के लिए नए लक्ष्यों को स्थापित करने में लोगों का समर्थन करना। (support people to set new goals for further improvement).

2.11 अभिग्रहण का माप

भारत में अभिग्रहण को अलग-अलग तरीकों से मापा जाता है। जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं।

1. उनमें से सबसे सरल है अभिग्रहण सूचकांक। बोस (1965) द्वारा किसानों से जानकारी एकत्रित की गयी जिसमें उन्होंने किसानों से पूछा की विस्तार सेवाओं द्वारा संस्तुत नयी कार्यपद्धतियों में से उनके द्वारा कितनी अभिग्राहित की गयीं और कितने वर्षों के लिए।

प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कार्य पद्धति के अभिग्रहण के लिए एक स्कोर दिया गया और उनके जोड़/ योग से अभिग्रहण सूचकांक मिला। उदाहरण: अगर एक किसान ने पांच साल तक एक व्यावसायिक उर्वरक और 2 साल तक हर्बीसाइड का इस्तेमाल किया था, तो अभिग्रहण सूचकांक 7 होगा।

(The simplest among them are preparation of adoption index. Bose (1965) developed an adoption index by asking the farmers how many improved practices recommended by the extension service they had adopted and for how many years. A score of one was given for each year of adoption for each practice and their summation gave the adoption index. If a farmer had used a commercial fertilizer for five years and herbicide for 2 years, the adoption index would be 7).

2. Ray (1967) ने अपनी विधि में अध्ययनरत क्षेत्र के लिए एक विस्तृत सूची तैयार की जिसमें उन्होंने उन्नत कृषि कार्यपद्धतियां जो किसानों के अनुरूप और उनके महत्व की हों को शामिल किया। अध्ययन के तहत किसानों से पूछा गया कि उस वर्ष में उन्होंने कौन सी कार्य पद्धति को अभिगृहीत तथा उपयोग किया। प्रत्येक अनुशंसित कार्य पद्धति के अभिग्रहण के लिए एक स्कोर दिया गया जिसके जोड़/ योग से एक किसान द्वारा अभिग्राहित खेत कार्यपद्धतियों के स्तर का सूचक है। Ray के अनुसार, जब अभिग्रहण को तकनीकी परिवर्तन के रूप में देखा गया तो इस विधि ने अभिग्रहण-व्यवहार का व्यापक प्रतिनिधित्व/ अनुप्रस्थ काट दिया।

(Ray (1967) used a method in which an exhaustive list of improved farm practices relevant and of significance to the farmers of the study area was prepared. The farmers were then asked which of the practices they had adopted and used in the year under study. A score of one was given for each recommended practice adopted and their summation indicated the level of farm practice adoption of the particular farmer for that year. This method, according to him, gave a cross-section of the adoption behaviour, when adoption was viewed as a technological change).

3. अभिग्रहण को मापने के लिए चट्टोपाध्याय (1963) द्वारा एक दृढ़ और व्यापक विधि अभिग्रहण अनुपात विकसित की गयी। उनके अनुसार, अभिग्रहण अनुपात एक अनुपात पैमाना है जो किसी व्यक्ति के अभिग्रहण व्यवहार को मापने के लिए विकसित किया गया है। अभिग्रहण अनुपात के द्वारा अभिग्रहण व्यवहार को मापने का तरीका अधिक सटीक है क्योंकि इसमें संभावित, सीमा, समय, स्थिरता और महत्वता जैसे सभी संबंधित संकल्पनाएं शामिल हैं। इस विधि का उपयोग विभिन्न प्रकार की तकनीकों के साथ किया जा सकता है। हालांकि, अधिक कार्यपद्धतियों के साथ डेटा का संग्रह करना मुश्किल हो जाता है। सिंह ने इस विधि को वास्तविक गणना के साथ निम्नानुसार समझाया गया है (1981):

A more rigorous and widely used method of measuring adoption by the formula of adoption quotient was developed by Chattopadhyay (1963). According to him, the Adoption Quotient is a ratio scale designed to quantify the adoption behavior of an individual. The method of adoption quotient is more accurate as it involves all the related concepts like potentialities, extent, time, consistency and weightage. The formula may be used with different type of technologies. However, collection of data becomes difficult with more number of practices. The formula is explained with an actual computation from Singh (1981)

$$\text{अभिग्रहण अनुपात (Adoption Quotient)} = \frac{\sum_{j=1}^N (Y_j W_j)}{\sum_{j=1}^N W_j} \times 100$$

$$\text{Where, } Y_j = \frac{\sum_1^{t_p-t} (e_j p_j)}{t_p - t_1}$$

Where,

N = उन कार्यपद्धतियों की संख्या जिन्हें अपनाने की क्षमता व्यक्ति में है। उदाहरण के लिए, तीन HYV (प्री-खरीफ) चावल, HYV (खरीफ) चावल और HYV आलू। (Number of practices for which the individual has the potentiality to adopt. For example, three practices- HYV (pre-kharif) rice, HYV (Kharif) rice and HYV potato were taken into consideration)

$\sum_{j=1}^N$ = प्रत्येक N कार्य पद्धति का योग सारांश, जिसमें से कोई एक jth कार्यप्रणाली हो । (Summation over each of the N practices, of which any one is the jth practice)

W_j = अभिग्रहण की कठिनाई के आधार पर एक jth कार्य पद्धति को महत्व दिया जाना चाहिए। चूंकि तीनों चयनित कार्यपद्धतियों को विस्तार एजेंटों द्वारा कई सालों तक अनुशंसित किया गया था, किसानों को उन्हें अपनाना मुश्किल नहीं था, इसलिए उन सभी को 1 अंक दिया गया । (Weight to be given to a jth practice based on its difficulty of adoption. As the three selected practices were recommended by the extension agents for a number of years and were not difficult for the farmers to adopt, all of them were given weightage of 1)

t_p = अध्ययन का समय उदाहरण 1978-1979 (Time of investigation, for example 1978-79)

t_1 = एक समुदाय में जेठ jth अभ्यास के पहले परिचय (वर्ष) का समय। इस उदाहरण में, इसका मतलब पिछले वर्ष से है जिस पर जांच की जानी है यानी 1 976-77। (Time of first introduction (year) of the jth practice in a community. In this example, it means past year upto which the investigation is to be made i.e. 1976-77)

$\sum_1^{t_p-t_1}$ = t_1 से t_p तक प्रत्येक वर्ष का योग । प्रस्तुत उदाहरण में यह 3 साल है (Summation over each year from t_1 to t_p . In the example it is 3 years)

e_j = एक विशेष वर्ष (भूमि की मात्रा) में एक विशेष ((jth) अभ्यास को अपनाने के सीमा । अभिग्रहण की सीमा से तात्पर्य है की जिस कार्य पद्धति को किसान ने वास्तव में एक अभ्यास अपनाया है । (Extent of adoption of any particular (jth) practice in a particular year (amount of land). Extent of adoption

has been defined as the degree to which the farmer has actually adopted a practice)

p_j = किसी विशेष (jth) अभ्यास की संभावितता, जिसमें e_j की गणना उस विशेष वर्ष (भूमि की मात्रा) में की जाती है। संभाव्यता से मतलब है कि एक किसान यदि चाहे तो संसाधनों के अधिकतम उपयोग के आधार पर किसी नए विचार को अभिग्राहित करने की प्रक्रिया को किस हद बढ़ा सकता है। (Potentiality of any particular (jth) practice from which e_j is calculated in that particular year (amount of land). Potentiality is conceived as the maximum degree to which the farmer can extend adoption, if the individual so wills, depending on maximum utilization of the resources the individual commands or can command)

The Adoption Quotient formula is suitable for measuring the level of adoption of farmers pursuing a wide range of technologies.

Computation of Adoption Quotient (Source: - G.I. Ray, 2016)

Name of farmer – Shi Chandi Charan Bhattacharya

Address - Village Simhat, District Nadia, West Bengal

(e and p calculated in hectare)

	1976-77	1977-78	1978-79	$\frac{\sum e}{p}$	Y_j	$Y_j X W_j$
Practice 1						
HYV (pre-kharif) rice						
Extent of adoption (e)	0.20	0.25	0.30			

Potentiality (p)	0.30	0.30	0.30			
e / p	0.67	0.83	1.00	2.50	0.83	0.83
Practice 2						
HYV (Kharif) rice						
Extent of adoption (e)	0.10	0.10	0.19			
Potentiality (p)	0.40	0.40	0.40			
e / p	0.25	0.25	0.48	0.98	0.33	0.33
Practice 3						
HYV potato						
Extent of adoption (e)	0.10	0.10	0.15			
Potentiality (p)	0.15	0.20	0.20			
e / p	0.67	0.50	0.75	1.92	0.64	0.64
Total						1.80

$$\text{Adoption Quotient} = \frac{1.80}{3} \times 100 = 60.00 \text{ per cent}$$

अभ्यास प्रश्न 1

अ) रिक्त स्थान भरिये

1. जानकारी प्राप्त करना _____ का प्रथम चरण है।
2. आवश्यकता-जागरूकता- रुचि- डेलीब्रेसन- परीक्षण-मूल्यांकन-अभिग्रहण की संस्तुति _____ ने की है।

3. _____ को मापने के लिए मुख्यतः एक निश्चित प्रतिशत तथा आवश्यक समय की लंबाई जिसे सामाजिक प्रणाली के सदस्यों ने नयी खोज को अपनाने में लगाया से मापा जाता है।

ब) सही/ गलत बताइए

1. अभिग्रहण प्रक्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है।
2. समाज में नवप्रवर्तक अभिग्रहणकर्ताओं का प्रतिशत 13.5 प्रतिशत होता है।
3. शीघ्र बहुसंख्यक प्रायः रूढ़िवादी व परम्परागत विचार वाले होते हैं।

2.12 सारांश

ग्रामीण विकास के लिए केवल पद्धतियों का विकास करना, अत्याधुनिक उपकरणों/ यंत्रों का निर्माण करना ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि उसे जन-जन तक पहुँचाना भी जरूरी होता है। सामाजिक प्रणाली के साथ नवप्रवर्तन का विसरण किसी व्यक्ति या समूहों द्वारा इसके अभिग्रहण के माध्यम से होता है। अभिग्रहण प्रक्रिया एक प्रकार की निर्णयन प्रक्रिया है। नवप्रवर्तन को स्वीकार करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया में काफी लम्बा समय लगता है जिस दौरान व्यक्ति नवप्रवर्तन को स्वीकार करने संबंधी अंतिम निर्णय लेने से पहले कई बौद्धिक स्तरों से गुजरता है। जब ग्रहणकर्ता को नयी तकनीकी अपनाने से संतुष्टि प्राप्त हो जाती है तभी वह पुराने विचार/ पुरानी कार्यशैली/ पुरानी तकनीक को छोड़कर स्थायी रूप से नयी तकनीक को ग्रहण कर लेता है। सभी व्यक्ति नयी पद्धति को एक ही समय में ग्रहण नहीं करते हैं बल्कि वे इसे एक सुव्यवस्थित समयानुक्रम में ग्रहण करते हैं और उन्हें इस आधार पर अभिग्रहणकर्ता श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है कि उन्होंने नए विचार को पहले कब से प्रयोग करना शुरू किया।

2.13 पारिभाषिक शब्दावली

अभिग्रहण- नवीन प्रक्रिया, नई पद्धति, नई खोज या नई विकसित तकनीक को अपनाने के लिए विचार करना और सोच-विचारकर उसे अपनाना ही अभिग्रहण कहलाता है।

अभिग्रहण की दर- आपेक्षिक गति जो एक सामाजिक व्यवस्था या पद्धति में सदस्यों द्वारा किसी नए विचार को अपनाने में लगी है।

नवाचार/ नवप्रवर्तन- प्रसार शिक्षा में नया परिवर्तन, नयी विधि, नयी तकनीक, नयी पद्धति, नया प्रयोग नवाचार कहलाते हैं। इस प्रकार नयी पद्धति प्राप्तकर्ता हेतु एक नयी खोज है।

2.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अ) रिक्त स्थान भरिये

1. अभिग्रहण
2. सिंह एंड पारीक ने
3. अभिग्रहण की दर

ब) सही/ गलत बताइए

1. सही
2. गलत
3. गलत

2.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1) डॉ बृन्दा सिंह, २०१६, प्रसार शिक्षा. पंचशील प्रकाशन, जयपुर
- 2) डॉ जीतेन्द्र चौहान, २०१०, प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र, ईशा पब्लिकेशन्स, आगरा
- 3) डॉ बी.डी. त्यागी एवं डॉ एस. के. अरुण, २०१८, मौलिक कृषि प्रसार शिक्षा, रामा पब्लिसिंग हाउस, मेरठ
- 4) कृषि नवप्रवर्तन का सम्प्रेषण, MANAGE Study Material.
- 5) Ray GI, 2016, Extension Communication and Management. kalyani Publishers, New Delhi, pp. 187-211.
- 6) Singh AK, Singh I and Burman R.Roy, 2006. Dimensions of Agricultural Extension, Aman Publishing House, Meerut, pp. 115-128.

2.16 निबंधात्मक प्रश्न

1. अभिग्रहण प्रक्रिया क्या है? इसके कोण-कोण से चरण हैं?
2. अभिग्रहणकर्ताओं का वर्गीकरण देते हुए उनका उल्लेख कीजिये?
3. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

i) परीक्षण	ii) अभिग्रहण की दर
iii) अभिग्रहण को प्रभावित करने वाले पारिस्थितिकीय कारक	iv) अतिअभिग्रहण
v) अभिग्रहण का माप	vi) अभिग्रहण अनुपात

खण्ड 2:

प्रसार कार्यक्रम तथा कार्यक्रम प्रबंधन

इकाई 3: कार्यक्रम नियोजन

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3 कार्यक्रम नियोजन
 - 3.3.1 प्रसार कार्यक्रम की परिभाषा
 - 3.3.2 कार्यक्रम नियोजन की परिभाषा
 - 3.3.3 कार्यक्रम नियोजन का अर्थ
 - 3.3.4 कार्यक्रम नियोजन के उद्देश्य
- 3.4 कार्यक्रम नियोजन- आवश्यकता एवं लाभ
 - 3.4.1 आवश्यकता
 - 3.4.2 लाभ
- 3.5 कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत
- 3.6 कार्यक्रम नियोजन के चरण
- 3.7 स्वोट विश्लेषण (SWOT analysis)
 - 3.7.1 SWOT विश्लेषण के लाभ
 - 3.7.2 SWOT विश्लेषण की सीमाएं
- 3.8 सारांश
- 3.9 शब्दावली
- 3.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 3.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 3.12 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था है जो लोगों के स्वयं के प्रयास के माध्यम से बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। परन्तु यह तभी संभव है जब कार्य को नियोजित ढंग से किया जाए। प्रसार कार्य के अंतर्गत कार्यक्रम नियोजन का विशेष महत्व है। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता व ग्रामोत्थान में लगे व्यक्तियों, चाहे वह किसी भी स्तर पर कार्य कर रहा हो, कार्यक्रम नियोजन का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है।

कार्यक्रम नियोजन एक अथक प्रयास है जो ग्रामीणों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं इच्छाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि वे जिस स्थिति में रह रहे हैं उससे भी बेहतर स्थिति में रहें तथा अपने जीवन स्तर एवं रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठायें।

कार्यक्रम नियोजन के लिए लक्ष्यों और उद्देश्यों को विकसित करने या संगठनात्मक रणनीति को लागू करने से पहले यदि स्वोत विश्लेषण का उपयोग प्रारम्भिक संसाधन के रूप में किया जाता है तो कार्यक्रम के सफल होने की संभावनाएं और समुदाय के लोगों में उस कार्यक्रम के प्रति रुचि बढ़ जाती है।

3.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- 5) कार्यक्रम नियोजन को समझ पायेंगे।
- 6) कार्यक्रम नियोजन के महत्वता, आवश्यकता एवं लाभ को जानेंगे।
- 7) कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत तथा चरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
- 8) प्रसार कार्यकर्ता के लिए कार्यक्रम नियोजन की महत्वता को जानेंगे।
- 9) SWOT analysis की महत्वता और उपयोगिता को समझ पाएंगे।

आइये इकाई की शुरुआत कार्यक्रम नियोजन को समझते हुए करते हैं।

3.3 कार्यक्रम नियोजन (Program Planning)

गांवों का विकास होने पर ही राष्ट्र का विकास संभव है और गांवों का विकास तभी संभव है जब गांवों में रहने वाले व्यक्ति का विकास हो। इसलिए ग्रामोत्थान में लगे हुए व्यक्तियों, चाहे वह किसी भी स्तर पर कार्य कर रहा हो, कार्यक्रम नियोजन का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है।

कार्यक्रम नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना है। कार्यक्रम शब्द विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का सूचक है तथा नियोजन के अंतर्गत कार्यक्रम में क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है तथा क्यों किया जाना है, का स्पष्ट उल्लेख होता है ताकि जिन लोगों के लिए यह बनाया जा रहा है वह उसे स्पष्ट रूप से समझ सके और उस कार्यक्रम में सहभागी होकर लाभान्वित हो सकें। इस आधार पर कहा जा सकता है की वर्तमान स्थिति का ज्ञान, उसका विश्लेषण करना, वैज्ञानिक आधार पर उनका

उपचार करना तथा वह कार्य कैसे, कब और कहाँ, किसके द्वारा करना है आदि समस्त क्रियाओं को कार्यक्रम नियोजन कहते हैं।

प्रसार शिक्षाविदों ने प्रसार कार्यक्रम तथा कार्यक्रम नियोजन की भिन्न-भिन्न परिभाषाएं दी हैं

3.3.1 प्रसार कार्यक्रम की परिभाषा

1. प्रसार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्य, समस्याओं तथा सुझावों की एक विस्तृत व्याख्या है।

-Kelsey and
Hearne

2. एक प्रसार कार्यक्रम काउंटी प्रसार सेवाओं की समस्त क्रियाओं तथा समझ का कुल योग है जिसके अंतर्गत (i) कार्यक्रम नियोजन विधियाँ (ii) कार्यक्रम का लिखित विवरण (iii) कार्य की योजना (iv) कार्यक्रम क्रियान्वयन (v) परिणाम तथा (vi) मूल्यांकन आते हैं।

-Lawrence

(1965)

3. प्रसार कार्यक्रम स्पष्ट परिभाषित, उपयुक्त एवं चेतनापूर्ण अनुमानित उद्देश्यों का वर्णन है जो स्थिति का पर्याप्त विश्लेषण करने से प्राप्त होता है।

-J.P. Leagans

4. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कृषि विभाग (USDA) ने प्रसार कार्यक्रम की निम्न परिभाषा दी है-

प्रसार कार्यक्रम स्थानीय व्यक्तियों और प्रसार कार्यकर्ताओं के सहयोग का परिणाम है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विवरण निहित रहता है-

1. सम्बंधित लोगों की परिस्थितियां
2. स्थानीय समस्याएं
3. इन समस्याओं से सम्बंधित स्थानीय लोगों के उद्देश्य
4. उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन संस्तुतियों और समाधान।

3.3.2 कार्यक्रम नियोजन की परिभाषा

1. कार्यक्रम नियोजन, प्रसार कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नेताओं द्वारा सहकारी वातावरण में उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनायी गयी योजना है जो वास्तविक परिस्थिति और समस्याओं, उद्देश्यों और सुझावों के विस्तृत व्याख्या करने के पश्चात् तैयार की जाती है।

-Mathews

2. कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है, जिससे कार्य, कुशलता से संचालित हो सके। **-J.S. Garg**
3. कार्यक्रम नियोजन, गाँव वालों के व्यवहारों के आधार पर उनकी आवश्यकतों की पूर्ति हेतु सावधानीपूर्वक विकसित तथा सावधानीपूर्वक परिभाषित उचित परिवर्तनों का एक संकलन है जो प्रसार कार्यकर्ता को कार्य करने के लिए आधार तथा लिखित निर्देशन देने में सहायता करता है। **-J.P. leagans**
4. **व्यायल्स के अनुसार-** कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है इसके अंतर्गत निम्नलिखित चार क्रियाओं में लोगों के प्रतिनिधि, प्रसार कार्यकर्ता व अन्य विषय विशेषज्ञ घनिष्ठ रूप से संलग्न रहते हैं:
 - (i) तथ्यों एवं लोगों की प्रवृत्ति का अध्ययन।
 - (ii) तथ्यों एवं प्रवृत्ति के आधार पर समस्याओं एवं अवसरों को पहचानना।
 - (iii) समस्याओं एवं प्राथमिकता का निर्धारण करना।
 - (iv) शैक्षिक कार्यक्रम के द्वारा समुदाय के भावी, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु उद्देश्यों का निर्धारण करना।

सारांश में:

गाँव वालों की मौजूदा स्थिति का अध्ययन करके उनका विश्लेषण करना, उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं के आधार पर व्यक्तियों या उनके नेताओं के पारस्परिक वार्तालाप द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, प्रस्तावित सुझावों तथा कार्य करने की विस्तृत योजना की रूपरेखा को ही कार्यक्रम नियोजन कहते हैं।

3.3.3 कार्यक्रम नियोजन का अर्थ

नियोजन का अर्थ है की उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान करना है, इसके लिए आवश्यक निति तैयार करना एवं लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करना है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिन्तन करना नियोजन (Planning) कहलाता है।

1. नियोजन का अर्थ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यविधि का ढांचा बनाना है।

–पियर्सन

एवं बेलफील्ड

2. लक्ष्यों तथा इनकी प्राप्ति के लिए कार्य-पथ के निर्धारण की प्रक्रिया को नियोजन कहा जाता है।

–मोन्डे एवं

फिलपो

3. एम. ई. हर्ले के शब्दों में, 'क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण नियोजन है। इसमें विभिन्न वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, पद्धतियों एवं कार्यक्रमों में से चयन करना निहित है।

कार्यक्रम नियोजन का अर्थ

उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि वर्तमान परिस्थिति का ज्ञान, उसका विश्लेषण करना, समस्याओं को ज्ञात करना, आवश्यकताओं के अनुसार क्रम बनाना, उद्देश्य निर्धारित करना, वैज्ञानिक आधार पर उसका समाधान निकलना तथा कोनसा कार्य किस समय, कहाँ, और किसके द्वारा किया जाना है आदि समस्त क्रियाओं को निश्चित करने को कार्यक्रम नियोजन कहते हैं।

3.3.4 कार्यक्रम नियोजन के उद्देश्य

प्रसार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। यह परिवर्तन वास्तव में उसके ज्ञान, मनोवृत्ति, सोच तथा कार्यक्षमता में परिवर्तन लेन से है। कैलसे व् हर्ने ने अपनी पुस्तक “Cooperative Extension Work” में प्रसार कार्यक्रम नियोजन के निम्न उद्देश्य व्यक्त किये हैं-

1. क्या करना है और क्यों करना है पर उचित निर्णय लेना।
2. कार्यों का लिखित विवरण तैयार करना ताकि जन-साधारण को सूचित किया जा सके।
3. मूल्यांकन एवं कार्यक्रम की निश्चितता हेतु लक्ष्य निर्धारित करना।
4. अनुभूत तथा विस्मृत आवश्यकताओं का चयन करने के पश्चात् साधनों को दुरुपयोग से बचाना।
5. समस्याओं को उनकी आवश्यकताओं तथा स्थायित्व के आधार पर चुनने के लिए आवश्यक रूपरेखा बनाना।
6. नेतृत्व का विकास करना।
7. समय तथा धन के अपव्यय को रोकना तथा सामान्य कुशलता बढ़ाना।
8. परिवर्तन प्रक्रिया को सतत् बनाये रखना।
9. सुनियोजित कार्यक्रम द्वारा निश्चित समय में लक्ष्य प्राप्त करना।

10. विभिन्न लोगों को ग्रामीण विकास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रयास करना ।

3.4 कार्यक्रम नियोजन- आवश्यकता एवं लाभ

कार्यक्रम नियोजन करते समय आवश्यकताओं का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सफल कार्यक्रम नियोजन तभी संभव है जब ग्रामीण आवश्यकताओं का ठीक ज्ञान हो । कार्यक्रम नियोजन विकास की एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । ये आवश्यकतायें विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होती हैं और नियोजन के लिए न केवल इनका अध्ययन बल्कि उनकी पूर्ति की प्राथमिकताओं का भी अध्ययन करना पड़ता है।


आवश्यकता क्या है?

कार्यक्रम नियोजन के सन्दर्भ में आवश्यकता का अर्थ व्यक्ति की वह इच्छा है जिसकी पूर्ति हेतु व्यक्ति समर्थ व तत्पर हो और उसकी पूर्ति होने पर उसे संतोष प्राप्त होता हो ।

क्या है तथा क्या होना चाहिए के मध्य के अंतर को आवश्यकता कहते हैं । (Need is a gap between what is and what ought to be).

दूसरे शब्दों में वर्तमान एवं भविष्य के लक्ष्य के अंतर को आवश्यकता कहते हैं ।

- क्या है? (वर्तमान)
- अंतर (आवश्यकता)
- क्या होना चाहिए? (भविष्य)



आवश्यकता के प्रकार

(i) मनोवैज्ञानिक आधार

- **अनुभूत/ आवश्यक आवश्यकताएं (Felt needs):** ये वे आवश्यकतायें हैं जिन्हें व्यक्ति स्वयं प्राथमिकता के रूप में अनुभव करे तथा उनको पूरा करने के लिए तत्पर हो।
- **अ-अनुभूत/ अनावश्यक आवश्यकताएं (Unfelt needs):** ये वे आवश्यकतायें हैं जिन्हें व्यक्ति अपने संकुचित ज्ञान के कारण अनुभव नहीं करता, परन्तु एक स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक होती हैं।
या हम कह सकते हैं कि मनुष्य की कुछ आवश्यकतायें सुषुप्त अवस्था में रहती हैं एवं इनकी पूर्ति कुछ समय बाद भी हो सकती है।

(ii) सामान्य वर्गीकरण

सामान्य रूप से आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं –

- (i) **भौतिक आवश्यकताएं:** ये वे आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति से मनुष्य शारीरिक व मानसिक दृष्टि से सुखी रहता है। जैसे भोजन, वस्त्र और मकान।
- (ii) **सामाजिक आवश्यकताएं:** वे आवश्यकताएं जो समाज में मानव स्तर (status), लगाव (attraction) तथा हम की भावना (we feeling) की पूर्ति करती हैं। जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रेम आदि।
- (iii) **दार्शनिक आवश्यकताएं:** वे आवश्यकताएं जो मनुष्य की आदर्शवादी भावनाओं की पूर्ति करती हैं।

आवश्यकताओं को जानने की विधियाँ

किसी व्यक्ति या समुदाय की आवश्यकताओं को निम्नलिखित विधियों द्वारा जाना जा सकता है।

- | | |
|---|--|
| (1) सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा | (6) व्यक्तिगत संपर्क द्वारा |
| (2) सामूहिक वार्तालाप द्वारा | (7) स्थानीय नेताओं से संपर्क द्वारा |
| (3) निरीक्षण विधि द्वारा | (8) कार्य के मूल्यांकन द्वारा |
| (4) स्थानीय समस्याओं और संगठनों द्वारा | (9) समाज सुधारकों तथा साहित्य (पत्र) सहायता से |
| (5) मनोवैज्ञानिक विधियों को प्रयोग करके | |

लाभ

1. कार्यक्रम नियोजन द्वारा व्यक्तियों एवं समुदायों को अपनी समस्याओं के स्वयं हल ढूंढ निकालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
2. स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहन मिलता है।
3. स्थानीय जीवन तथा कार्यों की एक विधि प्रस्तुत करता है।
4. उपलब्ध साधनों का समुचित प्रयोग संभव हो जाता है।
5. समय, धन एवं शक्ति का दुरुपयोग होने से बचता है तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करता है।
6. स्थानीय व्यक्तियों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करता है।
7. प्रसार कार्यक्रमों में व्यक्तियों का सक्रीय सहयोग सुनिश्चित करता है।
8. भविष्य में अन्य योजनाओं को तैयार एवं कार्यन्वयन करने हेतु आधार प्रदान करता है।
9. प्रसार कार्य श्रंखलाबद्ध चलता है।
10. अनिश्चितता का निवारण करता है।
11. स्थानीय ग्रामीण संस्थाओं एवं संगठनों को सक्रीय करता है।

3.5 कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत

कार्यक्रम नियोजित करते समय कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि सिद्धांत ही नीतियों को स्पष्ट करते हैं और कार्य सम्पादन को परिनियोजित करते हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर प्रभावशाली एवं सक्षम प्रसार कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। जिससे कि इनके द्वारा ग्रामीण समाज का सर्वांगीण विकास किया जा सके। प्रसार कार्यक्रम नियोजन के प्रमुख सिद्धांत निम्नानुसार हैं –

1. **कार्यक्रम का चयन अनुभूत आवश्यकताओं एवं रुचियों पर आधारित होना चाहिए-**
कार्यक्रम बनाते समय लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं, वातावरण तथा अभिरुचियों को

ध्यान रखना आवश्यक है। यह निश्चित नहीं की समाज के सभी समस्याओं का समाधान एक बार ही कर दिया जायेगा। इसलिए आवश्यक आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की योजना बनानी चाहिए जिससे कि अधिकतम व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और वह कार्यक्रम को सफल बनाने में रूचि लेंगे।


2. **प्रसार कार्यक्रम नियोजन वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए-** किसी भी कार्यक्रम का नियोजन तभी प्रभावशाली सिद्ध होगा जब वह वहां की स्थिति के वास्तविक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित होगा। कार्यक्रम के नियोजन से पूर्व उस क्षेत्र की स्थिति (जैसे कि भूमि, सामाजिक रीति-रिवाज, स्थानीय संगठन एवं ग्रामीण व सामाजिक संस्थाएं इत्यादि) को भलीभाँति परख लेना चाहिए।
3. **प्रसार कार्यक्रम ग्रामीण व्यक्तियों के अनुकूल होना चाहिए-** कार्यक्रम नियोजन करते समय स्मरण रहना चाहिए कि जिन व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम बनाया जा रहा है उनकी शैक्षिक योग्यता, तकनीकी ज्ञान, उनके रीति-रिवाज, कार्य कुशलता, उनकी कार्य करने की मनोवृत्ति कैसी है। कार्यक्रम बनाते समय उपलब्ध साधनों के उपयोग का समुचित ध्यान रखना चाहिए ताकि कार्यक्रम में निहित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त समस्याओं के समाधान, उपलब्ध नवीनतम तकनीकी के आधार पर करना चाहिए।
4. **कार्यक्रम के उद्देश्य स्पष्ट तथा महत्वपूर्ण होने चाहिए-** कार्यक्रम नियोजन किसलिए, क्यों, कब, कहाँ, कैसे किया जाना चाहिए, यह स्पष्ट होना चाहिए। जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक लोगों को न तो कार्यक्रम की जानकारी हो पायेगी और न ही उन्हें उसका लाभ ही मिलेगा। इसलिए ये उद्देश्य तथा निर्देश स्पष्ट होने चाहिए जिससे की वहां के व्यक्ति उनको देखकर कार्यक्रमों में रूचि ले सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। तथा एक निश्चित समय के बाद उन कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी होना चाहिए, ताकि ज्ञात हो सके कि किस स्तर तक उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है।
5. **कार्यक्रम व्यवहारिक व् शैक्षिक होना चाहिए-** कार्यक्रम जितना अधिक व्यावहारिक व शिक्षात्मक होगा उसकी सफलता उतनी ही अधिक होगी। कार्यक्रम नियोजन करते समय इसकी व्यवहारिकता के पक्ष पर अमल करना चाहिए जिससे की स्थानीय स्तर पर व्यक्तियों के ज्ञान, कार्य कुशलता एवं मनोवृत्ति में वांछित परिवर्तन लाया जा सके।

- 6. कार्यक्रम नियोजन एक शैक्षिक प्रक्रिया है-** कार्यक्रम नियोजन एक शैक्षिक प्रक्रिया है क्योंकि प्रसार कार्यक्रमों में निरंतर भाग लेने से ग्रामीण जनता में वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने, तथ्यों के विश्लेषण करने, समस्या का चयन करने, कार्यक्रम को कार्यान्वित करने तथा मूल्यांकन करने की योग्यता विकसित हो जाती है। इससे उनके व्यवहार में एक परिवर्तन होता है।
- 7. प्रसार कार्यक्रम का संचालन कुशल निरीक्षण में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा होना चाहिए-** कार्यक्रम की सफलता जनता के सहयोग पर निर्भर करती है और जनता का सहयोग तभी प्राप्त हो सकता है जब उन्हें अपने प्रसार कार्यकर्ता के ज्ञान पर विश्वास हो और समय-समय पर वह लोगों की कठिनाईयों का सही हल बताता रहे। यह तभी संभव है, जब प्रसार कार्यकर्ता को नवीन शोध व ज्ञान की सही जानकारी हो। इसके अतिरिक्त एक सफल कार्यक्रम के निर्माण एवं संचालन के लिए प्रसार कार्यकर्ता को तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्रामीण मनोविज्ञान तथा प्रसार की विभिन्न शैक्षिक विधियों का पर्याप्त ज्ञान हो। इसके लिए आवश्यक है कि उसे समय-समय पर प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त हो और उपयोगी प्रसार साहित्य उपलब्ध होता रहे।
- 8. नियोजित कार्यक्रम व्यापक होना चाहिए-** कार्यक्रम इतना व्यापक होना चाहिए कि समाज के प्रत्येक स्तर के व्यक्ति को उससे लाभ हो तथा कार्यक्रम प्रत्येक समूह के व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए।
- 9. कार्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए-** कार्यक्रम नियोजन करते समय लचीलापन के सिद्धांत को ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम दृढ़ तथा कठोर होने के साथ-साथ लचीले भी होने चाहिए जिससे कि उन कार्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित किया जा सके।
- 10. नेतृत्व का विकास होना चाहिए-** कार्यक्रम की सफलता उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ स्थानीय लोगों की सहभागिता पर निर्भर करती है। कोई भी कार्यक्रम चाहे कितना ही अच्छा, लाभदायी एवं उपयोगी क्यों नहीं हो, जब तक स्थानीय नेताओं की भागीदारी नहीं होगी तब तक सफल हो ही नहीं सकता। जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए वहां के स्थानीय नेता का सदुपयोग आवश्यक है अर्थात् समाज के विकास के लिए सक्षम नेतृत्व आवश्यक है। इसलिए कार्यक्रम में नेता के विकास का कार्यक्रम भी समावेशित करना चाहिए।

3.6 कार्यक्रम नियोजन के चरण

प्रसार कार्य को सफलतापूर्वक चलने के लिए कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता होती है. कार्यक्रम चाहे बड़ा हो अथवा छोटा, व्यक्तिगत स्तर पर हो अथवा सामूहिक स्तर पर, उसकी योजना बनाये बिना लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होता है। इसलिए कार्यक्रम का नियोजन करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कार्यक्रम नियोजन के लिए विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं:

- 1) तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना
- 2) स्थितियों का विश्लेषण
- 3) समस्याओं तथा अनुभूत आवश्यकताओं को पहचानना
- 4) उद्देश्यों का निर्धारण
- 5) कार्य योजना तैयार करना
- 6) कार्यक्रम क्रियान्वयन
- 7) प्रगति का मूल्यांकन
- 8) पुनर्विचार



- 1) **तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना (Collection of facts)**- कार्यक्रम नियोजन का सबसे पहला चरण है- “तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना” । तथ्यों की जानकारी गाँव में जाकर व्यक्तिगत रूप से, सर्वेक्षण, वार्तालाप, अवलोकन, पत्र-पत्रिकाओं, पंचायत समिति के रिकॉर्ड आदि विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है ।
- 2) **स्थितियों का विश्लेषण (Analysis of situation)**- उपलब्ध तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर “स्थितियों का विश्लेषण करना” कार्यक्रम नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण चरण है । कार्यक्रम नियोजन के क्रियान्वयन को अनेक कारक प्रभावित करते हैं जैसे- उपलब्ध संसाधन, स्थानीय परिस्थितियाँ, स्थानीय लोगों की आवश्यकताएँ/ अभिरुचियाँ, मूल्य एवं संस्कृति इत्यादि । इन सभी कारकों को अध्ययन करने के बाद ही कार्यक्रम नियोजित करना चाहिए । स्थिति के विश्लेषण के लिए प्रसार कार्यकर्ता को विषय विशेषज्ञों, तकनीशियन, योजना समिति आदि के अनुभवी सदस्यों की सहायता लेनी पड़ सकती है । यदि उस क्षेत्र में अन्य कोई कार्यक्रम चलाये गए हैं तो उनके सफल या असफल होने के कारणों का भी अध्ययन करना चाहिए ।

उदहारण- यदि हम कृषि से सम्बंधित कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं तो हमें विभिन्न आंकड़ों का संकलन करना होगा:-

- a) प्राकृतिक वस्तुओं जैसे मौसम, भूमि, वर्षा, वनस्पति आदि
- b) मनुष्यों के प्रति जाति, लोगों का जीवन-स्तर, जनसंख्या, निर्णय लेने वाले, लोगों के कार्य करने की क्षमताएं, सामाजिक संरचना, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, उद्योग धंधे, परिवार आदि से सम्बंधित सूचनाएं,
- c) फसल प्रणाली, मुख्य एवं गौण व्यवसाय, कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल, उगाई जाने वाली फसलों की किस्में, कृषि विधियाँ, औसत उपज, पशुधन, कृषि यंत्र तथा उनकी उपलब्धता, सिंचाई के साधन, कृषि श्रम,स्थानीय संस्थाएं तथा संगठनों की जानकारी, यातायात, विपणन एवं ऋण की सुविधाएं, मनोवृत्ति आदि से सम्बंधित आंकड़ों का एकत्रीकरण।

- 3) **समस्याओं तथा अनुभूत आवश्यकताओं को पहचानना (Identification of problems and felt needs)**- स्थिति की समयक जानकारी के पश्चात् प्रसार कार्यकर्ता को स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं का अध्ययन करना चाहिए, और इन्ही आवश्यकताओं के आधार पर ही कार्यक्रम नियोजन करना चाहिए। यदि कार्यक्रम, स्थानीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं एवं अनुभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्यक्रम नियोजित किया जाता है तो वहां के लोगों की कार्यक्रम में रूचि पैदा होगी और लोग बढ़-चढ़कर उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।

समस्या का चयन करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए-

- (i) समस्या सर्वव्यापी हो।
- (ii) समस्या के समाधान से एक बड़े समुदाय को लाभ पहुँचता हो।
- (iii) समस्या समाधान हेतु लोग तत्पर हों।
- (iv) स्थानीय संसाधनों के सहयोग से कार्यक्रम चलाया जा सके।
- (v) सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आर्थिक एवं तकनीकी सहायता मिल सके।
- (vi) विषय विशेषज्ञों तथा तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं आसानी से प्राप्त हो सके।
- (vii) लोगों की अभिरुचियाँ समस्या को निपटाने में हो।

- 4) **उद्देश्यों का निर्धारण (Decide on objectives)**- कार्यक्रम नियोजन करते समय “उद्देश्यों का निर्धारण करना” अत्यावश्यक है। यह निश्चित है की एक बार में ही समस्त अनुभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए अनुभूत आवश्यकताओं में से प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पूरा करने के लिए अपनी योजना के उद्देश्य निर्धारित

करने चाहिए। कार्यक्रम नियोजन में उद्देश्यों को निर्धारित करते समय वहां के विकास खंड अधिकारियों से, स्थानीय नेता, प्रगतिशील कृषकों, जिला-स्तर के विषय विशेषज्ञों, निकटतम कृषि विश्वविद्यालयों व शोध संस्थाओं के विशेषज्ञों से सहयोग लेना चाहिए। उद्देश्य निर्धारित करते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

(i) उद्देश्य स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां की प्रमुख समस्याओं, लोगों की आवश्यकताओं और लोगों की रूचि को ध्यान में रखकर निर्धारित करना चाहिए।

(ii) दीर्घकालीन व अल्पकालीन दोनों ही तरह के उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए।

- 5) **कार्य योजना तैयार करना (Developing a plan of work)**- कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना कार्य योजना के विकास के अंतर्गत आता है। कार्यक्रम की प्राथमिकता के निर्धारण के बाद, पूरा कार्यक्रम चलाने की योजना बनानी चाहिए, जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। कार्य योजना में यह स्पष्ट को की कार्यक्रम को कब, कैसे, कहाँ, किस प्रकार, किन माध्यम से, किसके द्वारा, किनके लिए तैयार करें। कार्यक्रम बनाते समय उपलब्ध संसाधनों को भी ध्यान में रखना चाहिए, आदि बातों का विस्तृत विवरण होना चाहिए। इससे कार्यक्रम के मूल्यांकन में सुविधा रहती है।
- 6) **कार्यक्रम क्रियान्वयन (Execution of the plan)**- कार्यक्रम की सफलता के लिए यह जरूरी है कि उसे अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया जाए। स्थानीय नेताओं, सहयोगी संस्थाओं, प्रसार कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय लोगों को चाहिए कि वे सभी मिलकर जिम्मेदारी के साथ कार्य को सम्पादित करें। लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करें। उनका उत्साहवर्द्धन करें। प्रसार कार्यकर्ता को कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में सतर्क, सजग एवं सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।
- 7) **प्रगति का मूल्यांकन (Evaluation of progress)**- कार्यक्रम नियोजन में प्रगति का मूल्यांकन अतिआवश्यक है। मूल्यांकन से यह पता चल जाता है की कार्यक्रम के जो उद्देश्य थे वे पूरे हुए या नहीं।

कार्यक्रम की प्रगति का पूर्ण विवरण होना चाहिए, इससे भविष्य में कार्यक्रम नियोजन करते समय सुविधा रहती है। कार्यक्रम को क्षेत्र में प्रारम्भ कर देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस कार्यक्रम को योजनाबद्ध तरीका से पूरा करने के साथ उसका निरीक्षण, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन तथा जिन कमजोरी के कारण कार्यकर्ता ठीक कार्य नहीं कर पा रहे, उन्हें दूर करना, यह सब तभी सम्भव होगा जब इसका मूल्यांकन किया जायेगा।

कार्यक्रम नियोजन के प्रत्येक चरण में मूल्यांकन करना चाहिए ताकि कार्यक्रम की सफलता-असफलता का पता चल सके। यदि कार्यक्रम असफल हुआ है तो क्या कारण

रहें हैं, उन कारणों को दूर किया जा सकता है। यदि कार्यक्रम सफल रहा तो उसकी सफलता में कौन-कौन से तत्व सहायक रहे हैं।

- 8) **पुनर्विचार (Reconsideration)**- कार्यक्रम नियोजन का एक अति महत्वपूर्ण चरण है 'पुनर्विचार'। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात् उसकी प्रगति की एक रिपोर्ट तैयार करना ताकि यह पता चल जाये की निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। रिपोर्ट में कार्यक्रम के सफल तथा असफल होने के कारणों का भी उल्लेख होना चाहिए। मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों की रोशनी में सभी सूचनाओं, तथ्यों तथा परिणामों पर पुनर्विचार किया जाता है। मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों को सम्बंधित लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा पुनर्विचार द्वारा सुझाव प्राप्त किये जा सकता है। जिससे कि आगामी कार्यक्रम ठीक प्रकार नियोजित होकर सफल हो सकें।

3.7 SWOT विश्लेषण (SWOT Analysis)

किसी भी काम को करने के पश्चात् यदि वांछित सफलता नहीं मिलती तो हमारी मेहनत, संसाधन और समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने के पहले हमारी उसमें सफलता या विफलता की क्या संभावनाएं हैं जान लेना काफी फायदेमंद होता है।

किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उस कार्य के बारे में हमारी जितनी अधिक जानकारी होगी या जितना अधिक अनुभव होगा उतना ही सही तरीके से हम उस कार्य की सफलता या विफलता का अंदाजा लगा सकते हैं।

इस प्रकार किसी कंपनी या व्यक्ति के किसी प्रोजेक्ट या कार्य में सफलता का अनुमान लगाने के लिए एक तकनीकी इस्तेमाल होती है जिसे हम स्वोट (SWOT) एनालिसिस कहते हैं।

3.7.1 SWOT एनालिसिस क्या है?

SWOT अंग्रेजी के चार शब्दों के प्रथमाक्षरों (initial letters) से मिल कर बना है। ये शब्द हैं:-

- **Strength (शक्तियों)**
- **Weakness (कमजोरियों),**
- **Opportunities (अवसर/मौके) और**
- **Threats (खतरे)**

स्वोट (SWOT) विश्लेषण एक प्रकल्प या एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल शक्तियों (Strength), कमजोरियों (Weakness), अवसरों (Opportunities) और खतरों (Threats) के मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया गया एक सामरिक योजना क्रम है। इसमें कार्यक्रम या परियोजना

का लक्ष्य उल्लेखित करना और आंतरिक और बाह्य कारक, जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल हैं, उनको पहचानना शामिल है।

इस तकनीक का श्रेय अल्बर्ट हम्फ्री को जाता है, जिसने प्रभावशाली 500 कंपनियों से डाटा प्रयोग करके 1960 और 1970 के दशक में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन का नेतृत्व किया था।

स्वोट (SWOT) विश्लेषण पहले एक वांछित उद्देश्य को परिभाषित करने के साथ प्रारंभ होना चाहिए। स्वोट (SWOT) विश्लेषण एक रणनीतिक योजना मॉडल में शामिल किया जा सकता है।

- शक्तियां: व्यक्ति या कार्यक्रम के गुण/ विशेषताएं जो लक्ष्य(ओं) को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं।
- कमजोरियां: व्यक्ति या कार्यक्रम के गुण/ विशेषताएं जो लक्ष्य(ओं) को प्राप्त करने के लिए हानिकारक होते हैं।
- अवसर: बाहरी स्थितियां जो उद्देश्य (ओं) को प्राप्त करने के लिए उपयोगी होती हैं।
- खतरे/ आशंका: बाहरी परिस्थितियां जो उद्देश्य (ओं) को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

स्वोटस (SWOTs) की पहचान करना जरूरी है क्योंकि चयनित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में उत्तरगामी कदम स्वोटस (SWOTs) से प्राप्त किए जा सकते हैं।

3.7.2 आंतरिक एवं बाह्य कारक

किसी भी स्वोट (SWOT) विश्लेषण का उद्देश्य, मूल आंतरिक और बाह्य कारकों की पहचान करना है जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्वोट (SWOT) विश्लेषण समूह सूचना के टुकड़े दो मुख्य श्रेणियों में डालते हैं:

- आंतरिक कारक - शक्तियां और कमजोरियां जो एक संगठन के लिए आंतरिक है।
- बाह्य कारक- संगठन के लिए बाहरी वातावरण द्वारा प्रस्तुत अवसर और खतरे ।

स्वोट विश्लेषण रुपरेखा

उद्देश्य प्राप्ति में	उद्देश्य प्राप्ति में
मददगार	नुकसान

आंतरिक उत्पत्ति	आपके गुण	Strength शक्ति	Weakness कमजोरी
		Opportunity मौके	Threats खतरे
बाह्य उत्पत्ति	जातावरण के गुण		

स्वोट (SWOT) विश्लेषण विकास के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में विशेष रूप से उपयोगी है।

3.7.3 सामुदायिक संगठन में SWOT एनालिसिस

- SWOT विश्लेषण समुदाय के कार्य में संगठनों, समुदायों और व्यापक समाज के भीतर सकारात्मक और नकारात्मक कारकों की पहचान करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है जो सामाजिक सेवाओं और सामाजिक परिवर्तन प्रयासों के सफल कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है या रोकता है।
- इसका उपयोग प्रारंभिक संसाधन के रूप में किया जाता है, गैर-लाभकारी या सामुदायिक संगठन द्वारा प्रदत्त समुदाय में ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों का आकलन किया जाता है।
- कार्यक्रम आयोजन के लिए लक्ष्यों और उद्देश्यों को विकसित करने या संगठनात्मक रणनीति को लागू करने से पहले इस आयोजन उपकरण का उपयोग समुदाय श्रमिकों और / या समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया जाता है।
- SWOT विश्लेषण सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया की योजना का एक हिस्सा है और यदि स्वयं ही उपयोग किया जाता है तो रणनीतिक योजना प्रदान नहीं करेगा। एक SWOT विश्लेषण पूरा होने के बाद, एक सामाजिक परिवर्तन संगठन एक रणनीतिक योजना विकसित करने से पहले विचार करने के लिए अनुशंसाओं की एक श्रृंखला में SWOT सूची को बदल सकता है।

ताकत और कमजोरियों (एक संगठन के भीतर आंतरिक कारक)

- मानव संसाधन - कर्मचारी, स्वयंसेवक, बोर्ड के सदस्य, लक्षित आबादी
- भौतिक संसाधन - आपका स्थान, भवन, उपकरण
- वित्तीय - अनुदान, वित्त पोषण एजेंसियां, आय के अन्य स्रोत
- गतिविधियां और प्रक्रियाएं - आपके द्वारा चलाए जाने वाले प्रोग्राम, आपके द्वारा नियोजित सिस्टम
- पिछले अनुभव - सीखने और सफलता के लिए ब्लॉक बनाना, समुदाय में आपकी प्रतिष्ठा

अवसर और खतरे (समुदाय या सामाजिक ताकतों से उत्पन्न बाहरी कारक):

- आपके क्षेत्र या संस्कृति में भविष्य के रुझान
- अर्थव्यवस्था - स्थानीय, राष्ट्रीय, या अंतरराष्ट्रीय
- फंडिंग स्रोत - नींव, दाताओं, विधायिकाओं
- जनसांख्यिकी - आपके द्वारा सेवा या आपके क्षेत्र में आयु, जाति, लिंग, संस्कृति में परिवर्तन
- भौतिक माहौल - क्या आपकी इमारत शहर के बढ़ते हिस्से में है? क्या बस कंपनी मार्गों काटने वाली है?
- विधान - क्या नई संघीय आवश्यकताओं को अपना काम कठिन बनाते हैं ... या आसान?
- स्थानीय, राष्ट्रीय, या अंतरराष्ट्रीय घटनायें

हालांकि SWOT विश्लेषण मूल रूप से व्यापार और उद्योगों के लिए एक संगठनात्मक विधि के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन इसे आंतरिक और बाहरी विपक्ष से निपटने के लिए बाहरी और आंतरिक समर्थन की पहचान के लिए विभिन्न समुदाय कार्य में एक उपकरण के रूप में दोहराया गया है।

3.7.3.1 सामुदायिक संगठन में उपयोग

परियोजना की सफलता का निर्धारण करने के लिए SWOT महत्वपूर्ण हो सकता है। परिवर्तन प्रक्रिया के अगले चरणों को दिशा प्रदान करने के लिए SWOT विश्लेषण आवश्यक है। इसका इस्तेमाल सामाजिक कार्य अभ्यास के संदर्भ में सामुदायिक आयोजकों और समुदाय के सदस्यों द्वारा सामाजिक न्याय के लिए किया गया है।

3.7.3.2 विचार करने के लिए तत्व

- 1) SWOT विश्लेषण में विचार करने के तत्वों में समुदाय को समझना शामिल है कि एक विशेष संगठन काम कर रहा है। यह सार्वजनिक मंचों, सुनवाई अभियानों और सूचनात्मक साक्षात्कारों के माध्यम से किया जा सकता है।
- 2) डेटा संग्रह, SWOT विश्लेषण के विकास के दौरान समुदाय के सदस्यों और श्रमिकों को सूचित करने में मदद करेगा।
- 3) आवश्यकता और संपत्ति मूल्यांकन एक माध्यम है जिसका उपयोग समुदाय की जरूरतों और मौजूदा संसाधनों की पहचान के लिए किया जा सकता है।
- 4) जब ये आकलन किए जाते हैं और डेटा एकत्रित किया जाता है, तो समुदाय का विश्लेषण किया जा सकता है जो SWOT विश्लेषण को सूचित करता है।

3.7.3.3 SWOT विश्लेषण का उपयोग कब करें

एक समुदाय संगठन द्वारा एक SWOT विश्लेषण के उपयोग निम्नानुसार हैं:

- जानकारी व्यवस्थित करने के लिए,
- बाधाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करना;

जो सामाजिक परिवर्तन प्रक्रियाओं में शामिल होने के दौरान उपस्थित हो सकता है, और इन बाधाओं का सामना करने के लिए उपलब्ध शक्तियों की पहचान कर सकते हैं।

SWOT विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है:-

- समस्याओं के नए समाधान का पता लगाने के लिए
- उन बाधाओं की पहचान करने के लिए जो लक्ष्यों / उद्देश्यों को सीमित करें
- सबसे प्रभावी दिशा पर फैसला करने के लिए
- परिवर्तन के लिए संभावनाओं और सीमाओं को प्रकट करने के लिए
- प्रणालियों, समुदायों और संगठनों के प्रभावित संचालन के लिए योजनाओं को संशोधित करना
- एक बुद्धिशीलता (brainstorming) और रिकॉर्डिंग डिवाइस के रूप में संचार के माध्यम के रूप में

- नेताओं या प्रमुख समर्थकों को प्रस्तुति में उपयोग की जाने वाली "व्याख्या की विश्वसनीयता" को बढ़ाने के लिए।

3.7.4 लाभ और फायदे

- सामाजिक कार्य अभ्यास ढांचे में SWOT विश्लेषण फायदेमंद है क्योंकि यह संगठनों को यह तय करने में सहायता करता है कि कोई उद्देश्य उपलब्ध है या नहीं, इसलिए संगठनों को सामाजिक परिवर्तन या सामुदायिक विकास प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य प्राप्त करने, उद्देश्यों और कदम निर्धारित करने में सक्षम बनाता है।
- यह आयोजकों को दृष्टि लेने और व्यावहारिक और कुशल परिणामों का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है जो दीर्घकालिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, और यह संगठनों को उनकी क्षमता को अधिकतम करने के लिए सार्थक जानकारी एकत्र करने में सहायता करता है।

SWOT विश्लेषण के लाभ

SWOT विश्लेषण रणनीति तैयार करने और चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक मजबूत उपकरण है, लेकिन इसमें एक महान व्यक्तिपरक तत्व शामिल है। गाइड के रूप में उपयोग किए जाने पर यह सबसे अच्छा होता है, न कि एक नुस्खे के रूप में। सफल व्यवसाय अपनी ताकत पर निर्माण करते हैं, अपनी कमजोरी को सही करते हैं और आंतरिक कमजोरियों और बाहरी खतरों से रक्षा करते हैं। वे अपने समग्र कारोबारी माहौल पर भी नजर रखते हैं और अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में नए अवसरों को तेजी से पहचानते हैं और उनका फायदा उठाते हैं।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण रणनीतिक योजना में निम्नलिखित तरीके से मदद करता है-

- यह रणनीतिक योजना के लिए जानकारी का स्रोत है।
- संगठन की ताकत बनाता है।
- इसकी कमजोरियों को उलट दें।
- अवसरों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को अधिकतम करें।
- संगठन के खतरों को खत्म करो।
- यह फर्म की मूल दक्षताओं की पहचान करने में मदद करता है।
- यह रणनीतिक योजना के उद्देश्यों को स्थापित करने में मदद करता है।

- यह अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने में मदद करता है ताकि पिछले और वर्तमान डेटा का उपयोग करके भविष्य की योजनाओं को तैयार किया जा सके।

3.7.5 SWOT विश्लेषण की सीमाएं

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण इसकी सीमाओं से मुक्त नहीं है। यह संगठनों को परिस्थितियों को बहुत सरलता से देखने का कारण बन सकता है जिसके कारण संगठन कुछ महत्वपूर्ण रणनीतिक संपर्कों को अनदेखा कर सकते हैं। इसके अलावा, ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों के रूप में पहलुओं को वर्गीकृत करना बहुत ही व्यक्तिपरक हो सकता है क्योंकि बाजार में अनिश्चितता की बड़ी स्थिति है। **SWOT** विश्लेषण इन चार पहलुओं के महत्व पर जोर देता है, लेकिन यह नहीं बताता कि एक संगठन अपने लिए इन पहलुओं की पहचान कैसे कर सकता है।

SWOT विश्लेषण की कुछ सीमाएं हैं जो प्रबंधन के नियंत्रण में नहीं हैं। इसमें शामिल है-

- मूल्य वृद्धि;
- इनपुट / कच्चे माल;
- सरकारी कानून;
- आर्थिक माहौल;
- आयात प्रतिबंधों के कारण विदेशी बाजार नहीं होने वाले उत्पाद के लिए एक नया बाजार खोजना; आदि।
- आंतरिक सीमाओं में शामिल हो सकते हैं-
- अपर्याप्त अनुसंधान और विकास सुविधाएं;
- खराब गुणवत्ता नियंत्रण के कारण दोषपूर्ण उत्पाद;
- गरीब औद्योगिक संबंध;
- कुशल और कुशल श्रम की कमी; आदि

अभ्यास प्रश्न १

अ) सही/ गलत बताइए

- 3 भौतिक आवश्यकतायें मनुष्य की आदर्शवादी भावनाओं की पूर्ति करती हैं।
- 4 कार्यक्रम का क्रियान्वयन, कार्यक्रम नियोजन का अंतिम चरण है।
- 5 नियोजन का अर्थ उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यविधि का ढांचा बनाना है।

- 6 शक्तियां और कमजोरियां एक संगठन के लिए बाह्य कारक हैं जबकि प्रस्तुत अवसर और खतरे संगठन के लिए आंतरिक हैं।

ब) रिक्त स्थान भरिये

4. क्या है तथा क्या होना चाहिए के मध्य के अंतर को _____ कहते हैं।
5. वर्तमान स्थिति का ज्ञान, उसका विश्लेषण करना, वैज्ञानिक आधार पर उनका उपचार करना तथा वह कार्य कैसे, कब और कहाँ, किसके द्वारा करना है आदि समस्त क्रियाओं को _____ कहते हैं।
6. कार्यक्रम नियोजन एक _____ प्रक्रिया है।
7. _____ सुषुप्त अवस्था में रहती हैं एवं इनकी पूर्ति कुछ समय बाद भी हो सकती है।

3.8 सारांश

प्रसार कार्य के अंतर्गत कार्यक्रम नियोजन का विशेष महत्व है। यदि किसी भी कार्यक्रम को बिना नियोजन किये ही चलाया जाता है तो उसके सफल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। क्योंकि नियोजन ही कार्य की दिशा एवं उद्देश्य का ज्ञान कराता है। लक्ष्य निर्धारण तथा उस तक पहुँचने तक का मार्ग निश्चित किये बिना संगठन, अभिप्रेरण, समन्वय तथा नियन्त्रण का कोई भी महत्व नहीं रह पायेगा। जब नियोजन के अभाव में क्रियाओं का पूर्वनिर्धारण नहीं होगा तो न तो कुछ कार्य संगठन को करने को ही होगा, न समन्वय को और न ही अभिप्रेरण और नियन्त्रण को। किसी भी काम को करने के पश्चात् यदि वांछित सफलता नहीं मिलती तो हमारी मेहनत, संसाधन और समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने के पहले हमारी उसमें सफलता या विफलता की क्या संभावनाएं हैं जान लेना काफी फायदेमंद होता है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उस कार्य के बारे में हमारी जितनी अधिक जानकारी होगी या जितना अधिक अनुभव होगा उतना ही सही तरीके से हम उस कार्य की सफलता या विफलता का अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्रकार किसी कंपनी या व्यक्ति के किसी प्रोजेक्ट या कार्य में सफलता का अनुमान लगाने के लिए (SWOT एनालिसिस) स्वोत विश्लेषण का इस्तेमाल किया जाता है।

3.9 पारिभाषिक शब्दावली

कार्यक्रम: योजनाबद्ध रूप से किया जानेवाला क्रमिक कार्य।

नियोजन: वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिन्तन करना नियोजन कहलाता है।

कार्यक्रम नियोजन: कार्यक्रम नियोजन, उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनायी गयी योजना है जो वास्तविक परिस्थिति और समस्याओं, उद्देश्यों और सुझावों के विस्तृत व्याख्या करने के पश्चात् तैयार की जाती है।

कार्य योजना: निर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रियाकलापों की सूची तैयार करना कार्य योजना कहलाता है।

3.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

(अ) सही अथवा गलत बताइए

- 1) गलत
- 2) गलत
- 3) सही
- 4) गलत

(ब) रिक्त स्थान भरिये

- 1) आवश्यकता
- 2) कार्यक्रम नियोजन
- 3) शैक्षिक
- 4) अनुभूत आवश्यकतायें

3.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 7) डॉ बृन्दा सिंह, २०१६, प्रसार शिक्षा. पंचशील प्रकाशन, जयपुर
- 8) डॉ जीतेन्द्र चौहान, २०१०, प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र, ईशा पब्लिकेशन्स, आगरा
- 9) डॉ बी.डी. त्यागी एवं डॉ एस. के. अरुण, २०१८, मौलिक कृषि प्रसार शिक्षा, रामा पब्लिसिंग हाउस, मेरठ

3.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. कार्यक्रम नियोजन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए स्वयं की परिभाषा दीजिये।
2. कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिये।

3. कार्यक्रम नियोजन के विभिन्न चरणों का विवरण दीजिये ।
4. स्वोट (SWOT) विश्लेषण क्या है ? सामुदायिक संगठन में स्वोट विश्लेषण पर चर्चा कीजिये ?

इकाई 4: प्रसार शिक्षा की विकास में भूमिका

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 उद्देश्य
- 4.3 प्रसार शिक्षा
 - 4.3.1 प्रसार शिक्षा की परिभाषा
 - 4.3.2 उद्देश्य
 - 4.3.3 दर्शन
 - 4.3.4 सिद्धांत
 - 4.3.5 प्रसार शिक्षा एवं कृषि विकास
 - 4.3.6 प्रसार शिक्षा एवं गृह विज्ञान
- 4.4 सामुदायिक विकास कार्यक्रम
- 4.5 सारांश
- 4.6 पारिभाषिक शब्दावली
- 4.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 4.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 4.9 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

भारत गांवों का देश है। यहाँ की 70 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। ग्रामीण जीवन मुख्य रूप से कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योग धंधों पर निर्भर है। अतः कृषि तथा कृषि से सम्बंधित उद्योग धंधों को विकसित करना, कुटीर उद्योगों को स्थापित करना, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।

प्रसार शिक्षा का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक व विस्तृत है। प्रसार शिक्षा का सीधा संबंध मानव विकास से विशेषकर ग्रामीण लोगों के विकास से है। इस कारण ग्रामीण विकास से सम्बंधित सभी क्षेत्रों से इसका गहरा सम्बन्ध है तथा सभी पक्षों के विकास में सहायता करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से तो ग्रामीणों के विकास से सम्बंधित है, परन्तु परोक्ष रूप से राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ है। प्रसार शिक्षा द्वारा कृषकों को उनके घर या खेत में ही उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। खेती के अलावा कृषक कृषि पर आधारित उद्योग धंधों को विकसित कर सकते हैं। प्रसार शिक्षा का कार्यक्षेत्र न केवल कृषकों के लिए है बल्कि गृहिणियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देश

की आधी आबादी महिलाओं की है। घर- परिवार के सदस्यों के लिए भोजन-पानी की व्यवस्था करना, बच्चों की देखभाल करना, महिलाओं को समय तथा संसधानों को सही इस्तेमाल करना आना इत्यादि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है। राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महिलाओं के योगदान को कदापि नाकारा नहीं जा सकता है। ग्रामीण समाज के उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत की गयी जिसमें महिलाओं का भी सहयोग लिया गया। इस इकाई के अंतर्गत हम प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा की कृषि विकास तथा गृह विज्ञान में उपयोगिता के बारे में जानेंगे। साथ से यह भी जानेंगे की सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं, सिद्धान्त तथा मूलदर्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे।

4.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- प्रसार शिक्षा को समझ पायेंगे।
- प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन, तथा सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
- प्रसार शिक्षा के कृषि में महत्वता को जानेंगे।
- प्रसार शिक्षा की गृह गृह विज्ञान में भूमिका तथा गृह विज्ञान के सन्दर्भ में प्रसार शिक्षा के उद्देश्य को समझेंगे
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं सिद्धांत तथा मूलदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

आइये इकाई की शुरुआत प्रसार शिक्षा से करते हैं।

4.3 प्रसार शिक्षा

प्रसार शिक्षा के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं की प्रसार और शिक्षा से क्या आशय है।

प्रसार

प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है- प्रसार तथा शिक्षा. प्रसार अंग्रेजी के शब्द ‘Extension’ का ही हिंदी रूपांतर है. Extension शब्द लैटिन भाषा के शब्द ‘Ex’ तथा ‘Tensio’ से मिलकर बना है. ‘Ex’ का अर्थ है ‘out’ (बाहर) तथा ‘Tensio’ का अर्थ है ‘फैलाना’ (To spread), विस्तार करना (To extend), विस्तृत करना (To disseminate).

प्रसार का अर्थ शाब्दिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। शाब्दिक अर्थ से तात्पर्य है फैलाना अर्थात् अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करना या अधिक से अधिक लोगों तक किसी जानकारी को पहुँचाना।

व्यवहारिक रूप से तात्पर्य है की कृषि, घर और मनुष्यों के जीवन का विकास करने के लिए जो भी कार्य सरकार और जनता के सहयोग से किया जाए उसे प्रसार कार्य कहते हैं।

प्रसार के लक्ष्य

- 1) जनता के ज्ञान में परिवर्तन
- 2) कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन
- 3) कार्य करने के ढंग में परिवर्तन
- 4) जनता की मनोवृत्ति में परिवर्तन इत्यादि

The word education comes from the latin word e-ducere meaning “to lead out”. Education is the process of bringing desirable change into the behavior of human beings.

शिक्षा

शिक्षा शब्द की लैटिन शब्द “ई-डूसेरे” (e-ducere) से होती है जिसका अर्थ है "बाहर निकलना". शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है।

फ्रॉब्रेल के अनुसार, “शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है।”

स्वामी विवेकानंद के अनुसार, “मनुष्य में अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।”

धामा और भटनागर (Dhama and Bhatnagar) अनुदेश के अनुसार, “शिक्षा या अध्ययन के माध्यम से ज्ञान और आदतों को प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया है।

रॉय: शिक्षा व्यक्तियों की क्षमताओं को विकसित करने की प्रक्रिया है ताकि वे अपनी परिस्थिति पर पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया दे सकें।

गी. एच. थॉमसन: शिक्षा से मेरा आशय वातावरण के उस प्रभाव से है जो कि व्यक्ति में उसके व्यवहार, विचार तथा आचरणों की आदतों में स्थायी परिवर्तन लाता है.

लोके (Locke) ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है की पौधे खेतों द्वारा विकसित किये जाते हैं और मनुष्य शिक्षा द्वारा। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पौधों के उचित बढ़ाव के लिए उपजाऊ

खेत, खाद, सिंचाई इत्यादि समय पर चाहिए वैसे ही मनुष्य के विकास के लिए भी अच्छी एवं उचित शिक्षा अति आवश्यक है।

4.3.1 प्रसार शिक्षा की परिभाषा

प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्थान की सीमाओं से बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाती है। यह शिक्षा अत्यंत ही गत्यात्मक एवं लचीली है जो मुख्य रूप से ग्रामीणों को दी जाती है। यह शिक्षा निरंतर चलने वाली शिक्षा है जिसका कहीं कोई अंत नहीं है। यह शिक्षा किसी विशेष पाठ्यक्रम से जुड़ी नहीं है और न ही किसी विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान के नियमों में बंधकर दी जाती है। यह शिक्षा द्वारा ग्रामीण अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन-स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं। ग्रामीण लोगों के लिए विस्तार का अर्थ है कृषि और गृह-अर्थव्यवस्था में शिक्षा। यह शिक्षा व्यावहारिक है जिसका लक्ष्य फार्म और घर में सुधार लाना है।

दी. एन्स्मिंगेर (D. Ensminger)

प्रसार एक प्रकार का वह कार्यक्रम एवं पद्धति है, जिसके द्वारा ग्रामीण जनता की सहायता इस उद्देश्य से की जाती है की वे अपनी सहायता स्वयं कर सकें, अपना कृषि उत्पादन बढ़ा सकें तथा अपना जीवन स्तर ऊँचा उठाने में सफल हो सकें।

खाद्य और कृषि संगठन (F.A.O.)

प्रसार शिक्षा ग्रामीण जनता के लिए एक प्रकार की शैक्षिक सहायता है, जिससे वे अपने रहन-सहन के स्तर में विकास लाने के उन्नतिशील तरीकों को समझ सकें तथा उन्हें अपना सकें।

केल्से और हर्ने (Kelsay and Hearne)

प्रसार स्कूल के बाहर की शिक्षा पद्धति है, जिसमें व्यस्क तथा युवा पुरुष कार्य करके सीखते हैं। यह सरकार, लैंड ग्रांट कॉलेज तथा जनता के बीच सहयोगात्मक सम्बन्ध है, जो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सेवाओं और शिक्षा की व्यवस्था करती हैं। इसका मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है।

लीगन्स के अनुसार

प्रसार शिक्षा एक व्यावहारिक विज्ञान है जिसमें अनुसन्धान से विषय सामग्री ली गयी है, क्षेत्र अनुभव और सम्बंधित व्यावहारिक सिद्धान्तों को सम्मिलित करके एक ऐसी विधि को निकाला गया है

जिससे वयस्कों और युवापुरुषों की स्कूल से बहार की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है।

धामा (Dhama) के अनुसार

धामा के अनुसार प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, सामुदायिक और व्यक्तिगत प्रयासों से शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक खुशहाली के क्षेत्र में निरंतर विकास की दिशा में काम करना। इसकी सहायता से ग्रामीण और शहरी पिछड़े क्षेत्रों के लोगों में वैज्ञानिक तथ्यात्मक और तात्विक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं और उन्हें अपने-अपने कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिससे वह अपनी विशेष स्थानीय स्थिति में उचित निर्णय ले सकें।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि “प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है जो ग्रामीण मनुष्य के ज्ञान, कार्य करने की क्षमता, एवं मनोवृत्ति में एक वांछित परिवर्तन लाती है जिससे की वह अपना सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक स्तर ऊँचा कर सकें.”

4.3.2 उद्देश्य

प्रसार शिक्षा का उद्देश्य:

नवीन कृषि तकनीकों तथा पद्धतियों का प्रयोग करके ग्रामीण लोगों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि करके उनका सर्वांगीण विकास करना ही प्रसार शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है।

प्रसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- 1) अधिक उत्पादन और उचित बिक्री व्यवस्था के द्वारा किसानों की वास्तविक आय को बढ़ाना।
- 2) ग्रामीण मनुष्यों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना।
- 3) ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना।
- 4) ग्रामीण मनुष्यों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्यक्रमों की सुविधा बढ़ाना।
- 5) ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना।
- 6) ग्रामीण मनुष्यों में स्वयं पर निर्भर होने की भावना का विकास करना।
- 7) ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना।
- 8) ग्रामीण मनुष्यों को सामुदायिक कार्यों में भाग लेने के लिए उत्साहित करना।
- 9) ग्रामीण मनुष्यों में नागरिकता की भावना विकसित करते हुए अपने देश व समाज के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।
- 10) ग्रामीण युवकों को विकास कार्यों के लिए प्रशिक्षण देना।

4.3.3 दर्शन

प्रसार दर्शन का केंद्र बिंदु 'मानव' है। इसका उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास है। व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर रहन-सहन के स्तर तथा जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। प्रसार शिक्षा की शिक्षण विधियाँ, दर्शन सभी कुछ मानव के चहुमुखी विकास के लिए हैं।

केल्यसे और हर्ने (Kelsey and Hearne) ने दर्शन की परिभाषा निम्नानुसार दी है, "प्रसार शिक्षा का दर्शन व्यक्ति के महत्व पर आधारित है जिसमें ग्रामीण जनता तथा राष्ट्र की उन्नति के लिए उत्तरोत्तर तरक्की हेतु प्रेरित किया जाता है।

मिल्ड्रेड होर्टन (Mildred Horton) ने प्रसार के चार सिद्धांत बताये हैं जो इसका दर्शन कहलाता है। ये सिद्धांत हैं-

- 1) प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोच्च होता है।
- 2) किसी सभ्यता की मूलभूत इकाई घर है।
- 3) मानव जाति का पहला प्रशिक्षण समूह परिवार है।
- 4) किसी भी स्थायी सभ्यता के विकास के लिए मनुष्य तथा भूमि (खेत) के बीच साझेदारी आवश्यक है।

एसमिंजर (Ensminger) (1962) ने प्रसार शिक्षा के दर्शन को निम्नानुसार व्यक्त किया है।

- 1) यह एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। प्रसार मनुष्य के ज्ञान, अभिवृत्ति और कौशल में परिवर्तन किया जाता है।

- 2) प्रसार एक निरंतर चलने वाली शैक्षिक प्रक्रिया है।
- 3) प्रसार शिक्षा स्वयं की सहायता के सिद्धांत पर कार्य करता है।
- 4) प्रसार 'करके सीखो' व 'देखकर विश्वास करो' के आधार पर कार्य करता है।
- 5) प्रसार एक दोहरी प्रक्रिया है।
- 6) यह लोगों के संस्कृति के साथ तारतम्य बिठाकर काम करता है।
- 7) प्रसार लोगों के साथ मिलकर लोगों के कल्याण तथा खुशी के लिए कार्य करता है।
- 8) प्रसार शिक्षा पुरुष, स्त्री, युवा, प्रौढ़ सभी लोगों के साथ काम करता है तथा उनकी आवश्यकताओं एवं जरूरतों के मुताबिक कार्यक्रम बनता है। यह लोगों को शिक्षित करता है कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं तथा उनकी पूर्ति कैसे की जानी चाहिए।

ओ। पी। धामा (1965) के अनुसार प्रसार शिक्षा के दर्शन को निम्नानुसार व्यक्त किया है।

- 1) आत्मसहायता
- 2) मनुष्य सबसे बड़ा साधन है
- 3) यह एक सामुदायिक प्रयास है
- 4) यह गणतंत्र की आधारशिला पर आधारित है
- 5) इसमें ज्ञान एवं अनुभव के दो रास्ते हैं।
- 6) कार्यक्रम, देखने और करने द्वारा रूचि उत्पन्न करने पर आधारित है
- 7) कार्यक्रम में नेतृत्व की विकास तथा ऐच्छिक सहकारिता को आधार माना जाता है।
- 8) मनुष्यों को शिक्षित बनाना एवं समझाना
- 9) कार्यक्रम मनुष्यों की मनोवृत्ति और आस्थाओं पर आधारित है।
- 10) यह कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है।

4.3.4 सिद्धांत

प्रसार शिक्षा में सिद्धांत का तात्पर्य उन कार्यों को करने से है जो प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं। प्रसार सिद्धांत सरल, सरस, उपयोगी, शिक्षात्मक तथा नैतिक होते हैं। सामान्यतः प्रसार सिद्धांत निम्नांकित हैं

- 1) **रूचि तथा अनुभूत आवश्यकता का सिद्धांत:** प्रसार कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि यह लोगों की रुचियों तथा अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रसार कार्यकर्ता को स्थानीय लोगों की आवश्यकता का पता लगाना चाहिए, ऐसा करने से लोगों में रूचि पैदा होगी।
- 2) **सहभागिता एवं सहयोग का सिद्धांत:** किसी भी प्रसार कार्यक्रम की सफलता के लिए 'लोगों की सहभागिता' और 'सहयोग' अत्यावश्यक है। प्रसार शिक्षा दो तरफ़ा शिक्षण प्रणाली है जिसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी, दोनों को ही परस्पर मिल-जुलकर एक-दूसरे के सहयोग से

कार्य करना होता है। अकेला न तो ग्रामीण जनता समस्याओं का समाधान कर सकती है न ही प्रसार प्रशिक्षक उन्हें जबरदस्ती किसी चीज के बारे में बता सकता है। कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रसार कार्यकर्ता के साथ ही लोगों की सहभागिता एवं सहयोग भी आवश्यक है। लोगों को यह आभास होना चाहिए की यह हमारा कार्यक्रम है, हमारे लिए है, तथा इसे सफल बनाने के लिए हम सबकी भागीदारी जरूरी है।

- 3) **सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत:** भारत एक लोकतान्त्रिक देश है। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएँ, रीति- रिवाज, खान-पान, धर्म, परम्पराएं अर्थात् सांस्कृतिक भिन्नता देखने को मिलती है। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम को प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यक्षेत्र तथा वहाँ रहने वाले लोगों की सांस्कृतिक सांस्कृतिक विभिन्नता को जानना जरूरी है।
- 4) **व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रजातांत्रिक पहुँच का सिद्धांत:** प्रसार शिक्षा प्रजातांत्रिक सिद्धान्त तथा व्यावहारिक विज्ञान पर आधारित शिक्षा है। प्रसार शिक्षा दो तरफा शिक्षण प्रणाली है, जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी, दोनों ही सामान रूप से सीखने- सीखाने के क्रिया में भाग लेते हैं। वास्तविक स्थिति पर लोगों के साथ विचार किया जाता है जिसमें सभी लोगों की कार्य में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। प्रसार कार्यकर्ता वैज्ञानिक खोजों को नवीन रूप देता है जिससे ग्रामीण जनता उसे अपना सके और अपना जीवन- यापन बेहतर कर सके।
- 5) **करके सीखने का सिद्धांत:** इस सिद्धांत के अनुसार ग्रामीणों को स्वयं करके तथा स्वयं भाग लेकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब व्यक्ति किसी काम को स्वयं करता है तो उसका उसे व्यावहारिक ज्ञान भी होता है तथा उन्हें करने में होने वाली कठिनाइयों का भी अनुभव होता है। इन्हीं कठिनाइयों को प्रसार कार्यकर्ता उन्हें समझा सकता है इससे ग्रामीणों को सीधा अनुभव प्राप्त होता है।
- 6) **प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत:** ग्रामीणों की समस्या किसी एक विषय से जुड़ी हुई नहीं रहती है। ऐसी परिस्थिति में आवश्यक नहीं है की प्रसार कार्यकर्ता को सभी विषयों की पूर्ण जानकारी हो क्योंकि वह सभी विषयों का विशेषज्ञ नहीं होता। इसलिए वह आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित विशेषज्ञों को ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बुलवाता है।
- 7) **प्रसार शिक्षण विधि में अनुकूलन का सिद्धांत:** प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन किया जाना जरूरी है। एक शिक्षण विधि जो किसी खास लोगों के लिए उपयोगी है, वही शिक्षण विधि दूसरे लोगों के लिए अनुपयोगी सिद्ध हो सकती है। अतः प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार विधियों का ज्ञान होना चाहिए। जिससे वह स्थिति व ग्रामीण जनता की विशेषताओं के अनुसार प्रसार विधियों का चयन कर सके। शिक्षण विधियों में लचीलापन होना चाहिए ताकि विभिन्न आयु, शिक्षा, आर्थिक दशा, लिंग आदि के आधार पर लोगों के लिए उपयोग किये जा सके।

शोधों में यह भी सिद्ध हुआ है की लोगों को सीखाने के लिए केवल एक ही विधि का उपयोग अधिक लाभदायी नहीं है। बल्कि एक-से-अधिक विधि का चयन करना चाहिए। जब प्रसार कार्यकर्ता स्थानीय स्थितियों तथा ग्रामीणों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों का चयन करते हैं तो उन कार्यक्रमों की सफलता तथा उनमें दी गयी जानकारीयों को अपनाने की उम्मीद ज्यादा रहती है।

- 8) **नेतृत्व का सिद्धांत:** प्रसार शिक्षा की सफलता के लिए स्थानीय नेताओं का सहयोग व सहभागिता आवश्यक है। स्थानीय नेता गाँव में नये विचारों को फैलाने का सबसे उत्तम साधन हैं। ग्रामीण लोग अपने नेता पर पूरा विश्वास करता हैं। अतः प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा उचित नेता का चयन करना बहुत जरूरी है। प्रसार कार्यकर्ता गाँव के प्रभावशाली लोगों से चर्चा करके अच्छे नेता की पहचान करे और उन्हें प्रशिक्षित करें।
- 9) **पूर्ण परिवार का सिद्धांत:** प्रसार शिक्षा का सिद्धांत 'केवल एक व्यक्ति का विकास' करना नहीं है अपितु पूरे परिवार का विकास करना है क्योंकि परिवार ही मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना में परिवार 'केंद्र' में है। अतः केंद्र का ध्यान रखना जरूरी है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत यदि कार्यक्रम परिवार के सभी सदस्यों को ध्यान में रखकर बनाये गए हैं तो वे निश्चित ही सफल होंगे।
- 10) **संतुष्टि का सिद्धांत:** मनुष्य जीवित प्राणी है, उसमें भावनाएं हैं, सोच-समझ है, बुद्धि है। अतः वे दिल-दिमाग से संतुष्ट होंगे तभी कार्यक्रम में भाग लेंगे। नवीन जानकारीयों को अपनाएंगे। जब ग्रामीण लोग प्रसार कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे तभी वे अगली बार भी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे अन्यथा वे कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ देंगे।
- 11) **मूल्यांकन का सिद्धांत:** एक निश्चित समय के बाद प्रसार कार्य का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है इससे कार्यक्रम की अच्छाई व कमियों का पता चलता है जिससे समय सहते कार्यक्रम में बदलाव किया जा सके।
- 12) **तटस्थता का सिद्धांत:** प्रसार कार्यकर्ता को कभी भी स्थानीय राजनीति में समिलित नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता को तटस्थ रहना चाहिए अर्थात् उसे किसी के प्रति विशेष रूचि तथा द्वेष नहीं रखना चाहिए।
- 13) **प्रोत्साहन का सिद्धांत:** प्रसार कार्य में प्रोत्साहन के सिद्धांत का बहुत महत्व है। दबाव से कोई प्रसार कार्य नहीं हो सकता है। इसके लिए कार्य में सक्रिय लोगों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे की वे उत्साह से प्रसार कार्य में निरंतर सक्रिय रहें।

4.3.5 प्रसार शिक्षा एवं कृषि विकास

कृषि प्रसार शिक्षा में किसानों, पशुपालकों इत्यादि को समय-समय पर कृषि में होने वाले बदलावों, उन्नत बीजों, प्रभावी कीटनाशकों, उर्वरकों, कम्पोस्ट खाद, उन्नत कृषि उपकरणों, पशुओं की

देखभाल, पशुओं की मौसमी बीमारियों से बचाओ के तरीके आदि के बारे में बताया जाता है तथा अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कृषि विस्तार सामान्यतः ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कृषि पद्धतियों से सम्बंधित सूचना, ज्ञान और कौशल किसानों को विभिन्न चैनलों के माध्यम से संप्रेषित किए जाते हैं। कृषि विस्तार का प्राथमिक लक्ष्य कृषक परिवारों को तेजी से परिवर्तित होती सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके उत्पादन और विपणन सम्बंधित रणनीतियों को उनके अनुकूल बनाने में सहायता करना है ताकि वे आगे चलकर अपनी निजी तथा समुदाय की प्राथमिकताओं के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें।

कृषि क्षेत्र में, ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता यह अवधारित करती है कि किस प्रकार उत्पादन कारकों अर्थात् मृदा, जल और पूंजी का उपयोग किया जा सकता है। ज्ञान का सृजन करने और उसका प्रसार करने, तथा कृषकों को निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए कृषि विस्तार केन्द्रीय भूमिका निभाता है। अतः विस्तार अधिकांश विकास परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

4.3.6 प्रसार शिक्षा एवं गृह विज्ञान

गृह विज्ञान

गृह विज्ञान कलात्मक विज्ञान का विषय है जिसमें विज्ञान के साथ-साथ कला की पढ़ाई करवायी जाती है। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आहार विज्ञान एवं पोषण, गृह प्रबंध, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, बाल विकास एवं पारिवारिक संबंध, गृह विज्ञान तथा प्रसार शिक्षा के बारे में सिखाया जाता है। जहाँ आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान वैज्ञानिक विषय हैं वहीं मातृ कला एवं शिशु कल्याण, वस्त्र सिलाई- कटाई एवं कढ़ाई, गृह प्रबंध कला का विषय है।

राष्ट्र के विकास में गृह विज्ञान की भी अहम भूमिका है। भारत देश की आधी आबादी महिलाओं की है और जब महिलाएं सुशिक्षित, समझदार, दूरदर्शी, व्यवस्थित, कर्तव्यनिष्ठ होंगी तो राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र के विकास में गृह विज्ञान का योगदान निम्नानुसार है:

- 1) स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में
- 2) पोषण के क्षेत्र में
- 3) स्वास्थ्य के क्षेत्र में
- 4) भोज्य पदार्थ के परिक्षण एवं संचयन में
- 5) रहन- सहन के स्तर को ऊँचा उठाने में
- 6) बाल शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के विकास में

- 7) रोजगार के क्षेत्र में
- 8) पर्यावरण संरक्षण में
- 9) जनसंख्या नियंत्रण में

गृह विज्ञान के सन्दर्भ में प्रसार शिक्षा का उद्देश्य

गृह विज्ञान के सन्दर्भ में प्रसार शिक्षा का उद्देश्य ग्रामीण स्त्रियों को इस योग्य बनाना है की वे घर तथा परिवार की स्थिति में सुधार लायें, जिससे उनका जीवन- स्तर एवं रहन- सहन के स्तर को ऊँचा उठाया जा सके.

गृह विज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य:

- १) गृहिणियों के सर्वांगीण विकास में मदद करना: प्रसार शिक्षा द्वारा गृहिणियों को घर के कार्यों को बेहतर तथा वैज्ञानिक तरीके से करना सिखाया जाता है। ग्रामीण महिलाओं को अर्थोपार्जन के लिए खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिसके अंतर्गत उन्हें पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खीपालन, इत्यादि के बारे में बताया जाता है। घर में ही छोटे उद्योगों को स्थापित करने में भी उनकी मदद की जाती है जिसके अंतर्गत उन्हें बड़ी, पापड़, मंगोड़ी, मोमबत्ती, विभिन्न प्रकार के शरबत, आलू चिप्स आदि बनाना सिखाया जाता है।
- २) गृहिणियों को उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करना सिखाना: ग्रामीण महिलाओं को उनके आस-पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी दी जाती है। उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके धनोपार्जन के तरीके बताये जाते हैं।
- ३) वैज्ञानिक तरीकों से घेरलू कार्यों को करना।
- ४) कम से कम धन व्यय करके एवं अल्प संसाधनों में जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सहयोग करना।
- ५) ग्रामीण महिलाओं का सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं तथा संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करवाना: गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न संस्थाओं तथा संगठनों से संपर्क स्थापित करवाने में मदद करवाते हैं। जिससे ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संस्थाओं से मदद ले सकें।
- ६) ग्रामीणों की पुरानी सोच, रूढ़िगत कार्यप्रणालियों एवं कार्यकुशलता में सुधार लाकर, नवीन अविष्कारों/ उपकरणों/ विचारों/ तथ्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना।

आगे बढ़ने से पहले आइये कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें।

अभ्यास प्रश्न 1

सही/ गलत बताइए

१. Extension शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है.
२. प्रसार शिक्षा स्कूल के बहार दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा है.
३. प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को केवल शिक्षा प्रदान करना है.
४. प्रसार शिक्षा और गृह विज्ञान का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है.
५. ग्रामीणों को प्रशिक्षण देना भी प्रसार शिक्षा का हिस्सा है.

4.4 सामुदायिक विकास कार्यक्रम

देश और विदेशों के अनुभवों तथा वित्तीय आयोग (1949) की सिफारिशों और अधिक खाद्य जांच समिति (1952) की सिफारिशों के आधार पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत २ अक्टूबर 1952 को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जन्म दिवस में उनकी स्मृति में राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से हुआ.

1952 में प्रारंभिक चरण में 3 ब्लॉकों में 55 सामुदायिक परियोजनाएं थीं। प्रत्येक सामुदायिक विकास परियोजनाओं में लगभग 300 गांवों, 450-500 वर्ग मीटर के क्षेत्र और लगभग 2 लाख की आबादी को शामिल किया गया। प्रत्येक परियोजना क्षेत्र को तीन विकास खंडों में विभाजित किया गया।

एक विकास ब्लॉक में लगभग 150-170 वर्ग मीटर के लगभग 100 गांव शामिल थे और लगभग 60-70 हजार की आबादी होती है। प्रत्येक ब्लॉक को प्रत्येक 5-10 गांवों के समूह में विभाजित किया गया था। प्रत्येक ऐसे समूह ने ग्राम स्तर के कार्यकर्ता (ग्राम सेवक) के लिए संचालन के क्षेत्र का निर्माण किया जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में बुनियादी स्तर का विस्तार पदाधिकारी था।

सामुदायिक विकास का अर्थ

सामुदायिक विकास दो शब्दों से मिलकर बना है: (१) समुदाय तथा (२) विकास

4.4.1 समुदाय

एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं जिनका खान-पान, रहन- सहन, रीति रिवाज, धार्मिक आस्थाएं एवं लोकाचार में समानता दिखाई देती है. वे परस्पर एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे की मदद करके सामुदायिक भावना से आत्म- निर्भर होकर जीवन व्यतीत करते हैं. इस प्रकार एक समुदाय में निम्नांकित बातें दृष्टिगोचर होती हैं.

- 1) एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र
- 2) व्यक्ति का समूह

- 3) सामुदायिक भावना
- 4) आत्म-निर्भरता

इसे निम्न- बॉक्स में दर्शाया गया है-

निश्चित भूभाग- लोगों का समूह- सामुदायिक भावना- आत्म निर्भरता = समुदाय

धामा और भटनागर: समुदाय उन लोगों का एक समूह है जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और एक जीवित रहने के उद्देश्य के लिए एक-दूसरे में रुचि रखते हैं।

धामा के अनुसार एक समुदाय की चार विशेषताएं हैं:

- 1) समुदाय सामाजिक अंतरंग द्वारा एक साथ बाध्य संस्थाएं हैं. (Communities are close-knit entities.
- 2) उनके रिवाज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. (Their customs are inter-related)
- 3) इन समुदायों में मिश्रित उप-समूह संबंध होते हैं. (These communities are complexes of sub-group relationship)
- 4) समुदाय के भीतर एक स्पष्ट नेतृत्व होता है (There is a discernible leadership within the community)

4.4.2 विकास

सामान्यतः वृद्धि एवं परिपक्वता को ही विकास कहते हैं। विकास धीरे- धीरे परन्तु क्रमिक होता है। समुदाय की दृष्टि से देखें तो विकास का अर्थ है- सामाजिक संबंधों के उन निश्चित दशाओं में वृद्धि लाना जिससे समाज की योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि हो। अर्थात् "निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर कदम-दर-कदम बढ़ाना ही विकास कहलाता है।

इ। बी। हुर्लोक (E.I.B.I Hurlock) ने विकास की परिभाषा निम्नानुसार दी है-

विकास क्रमिक और सुसंगत परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला को संदर्भित करता है। प्रगति दर्शाती है कि परिवर्तन दिशात्मक हैं और पिछे की बजाय आगे की तफफ होता है। "क्रमशः" और "सुसंगत" से पता चलता है कि हो गये या होने वाले बदलावों के बीच एक निश्चित संबंध है।

इस परिभाषा में मुख्य रूप से तीन शब्दों पर बल दिया गया है- (1) Progressive (प्रगतिशील), (2) Orderly (क्रमिक- कदम-दर-कदम), (3) Coherent (समनुगत)

- (१) Progressive (प्रगतिशील): प्रगतिशील से तात्पर्य है की विकास सदैव आगे की तरफ होता है न की पीछे की तरफ। अर्थात विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निर्धारित स्वरूप में बदलते हुए परिवेश में परिपक्वता के लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता है।
- (२) Orderly (क्रमिक): क्रमिक का अर्थ है की विकास प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में अवश्य ही कोई-न-कोई क्रम रहता है।
- (३) Coherent (समनुगत): समनुगत से आशय है की परिवर्तन कभी भी संबंधहीन नहीं होता। अपितु हरेक परिवर्तन के बीच कोई-न-कोई सम्बन्ध अवश्य ही रहता है।

4।4।3 सामुदायिक विकास की परिभाषा

धामा और भटनागर:

सामुदायिक विकास एक समान क्षेत्र में एक साथ रहने वाले लोगों के समूह जिनके एक दूसरे के साथ एक स्वतंत्र संबंध है की संभावित क्षमताओं और गुणों को आगे लाता है।

कार्ल टेलर

सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण जनता अपने सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तथा इस प्रकार वे राष्ट्रीय विकास में एक प्रभावशाली कार्यक्रम समूह की तरह कार्य करते हैं।

मैमोरिया के अनुसार

सामुदायिक विकास का कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के नैतिक विचार में परिवर्तन लाना है, ताकि वे रूढ़िगत परम्परागत जीवन से आधुनिक जीवन में ढल सकें, तथा अपने जीवन को जीने योग्य बना सकें।

योजना आयोग

सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन की प्रगतिशील पद्धतियों के परिवर्तन की प्रक्रिया है जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक विकास हो सके। यह ग्रामीण लोगों के कल्याण से सम्बंधित कार्यक्रम के लिए प्रगति का आन्दोलन है।

संयुक्त राष्ट्र (1956) United Nations (1956)

सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के प्रयास खुद सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर एकजुट हो जाते हैं ताकि सरकारी समुदायों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों में सुधार हो सके, तथा इन समुदायों को एकीकृत कर उन्हें राष्ट्रीय प्रगति के लिए पूरी तरह योगदान करने के लिए सक्षम किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रशासन (1957) The International Cooperation Administration

सामुदायिक विकास सामाजिक क्रिया की एक प्रक्रिया है जिसमें एक समुदाय के लोग खुद को नियोजन और कार्रवाई के लिए संगठित करते हैं, उनकी आम और व्यक्तिगत जरूरतों और समस्याओं को परिभाषित करते हैं, उनकी सामूहिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी समस्याओं को हल करने की योजना बनाते हैं, इन योजनाओं को अंजाम देने हेतु सामुदायिक संसाधनों पर अधिकतम निर्भरता रखते हुये आवश्यक होने पर समुदाय के बाहर सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों से सेवाओं और सामग्रियों के रूप में सहायता लेते हैं।

मुखर्जी (1967)

सामुदायिक विकास change की वह प्रक्रिया है जिसमे ग्रामीण समुदाय के लोग परम्परागत एवं रूढ़िगत जीवन से उपर उठकर उन्नत व प्रगतिशील जीवन जीने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से समुदाय के लोगों को अपने संसाधनों तथा योग्यताओं के उपयोग द्वारा अपने विकास हेतु अपनाये गए कार्यक्रमों में सहायता प्रदान की जाती है तथा विकास किया जाता है।

संक्षेप में:

सामुदायिक विकास परिभाषा: एक नज़र

- ✓ एक प्रक्रिया
- ✓ ग्रामीणों के कल्याण के लिए
- ✓ जनता तथा सरकार का साझा प्रयास
- ✓ सरकार से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करना
- ✓ आवश्यकताओं का स्वयं निर्धारण करना
- ✓ संगठित होकर समस्याओं का समाधान करना
- ✓ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग
- ✓ आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्या के समाधान हेतु योजनायें बनाना तथा क्रियान्वयन करना

4.4.4 उद्देश्य

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य “ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना” है। इसके द्वारा ग्रामीण जनता के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षणिक आदि के क्षेत्र में विकास किया जाता है।

योजना आयोग के अनुसार:

- i कृषि और ग्रामीण उद्योग में सुधार करके रोजगार प्रदान करना
- ii बेहतर जीवन की इच्छा विकसित करना
- iii उन कार्यक्रमों को विकसित करना जिसमें पारस्परिक सहयोग और आत्म-भावना होती है
- iv सामग्री व्यवस्था के साथ तकनीकी सलाह उपलब्ध करना
- v विभिन्न विभागों में समन्वय बनाना

पंडित जवाहर लाल नेहरु ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य तीन उद्देश्य बताए हैं:

- i ग्रामीणों का बहुमुखी विकास करना
- ii लोगों में सामुदायिक जीवन जीने की भावना पैदा करना
- iii ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना

बी.टी. कृष्णामचारी के अनुसार:

- i सहकारिता का विकास करना
- ii बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करना
- iii परम्परागत तथा पिछड़े हुए तरीके से खेती करने के ढंग में परिवर्तन लाकर आधुनिक ढंग से खेती करने के लिए प्रेरित करना तथा आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना ताकि फसल उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके.
- iv सामुदायिक हितों के लिए प्राकृतिक उपलब्ध संसाधनों को अधिक से अधिक जुटाना.

सामुदायिक विकास के सामान्य उद्देश्य:

- 1) विकास गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित करना
- 2) स्वयं सहायता और आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करना
- 3) ग्रामीण लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना
- 4) सामुदायिक विकास में भागीदारी द्वारा ग्रामीण लोगों का विकास
- 5) 9) सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में सुधार के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार लाना
- 6) सामाजिक संस्थाओं और संगठनों का विकास
- 7) नेतृत्व का विकास करना
- 8) आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को विकसित करना
- 9) पिछड़े वर्गों को विकसित करने के लिए प्रयास करना
- 10) सामाजिक न्याय प्रदान करना

विशिष्ट उद्देश्य (Specific objectives):

The Ministry of Community Development Cooperation, Govt. of India (1952) state the specific objectives of Community Development

सामुदायिक विकास सहयोग मंत्रालय, भारत सरकार (1952) के अनुसार समुदाय विकास के विशिष्ट उद्देश्य इसप्रकार है,

- 1) प्रभावी पंचायत में प्रत्येक गांव, सहकारी समितियों और स्कूलों की सहायता करना; तथा
- 2) To assist each village in having effective Panchayat, Cooperatives and Schools; and
- 3) परिवार, गांव, ब्लॉक और जिले के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में विकास योजना तैयार करना:

- कृषि उत्पादन में वृद्धि
- मौजूदा ग्राम शिल्प और उद्योगों में सुधार
- न्यूनतम बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों को प्रदान करना
- बच्चों और वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों के लिए बुनियादी शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना
- मनोरंजन के लिये सुविधाएं उपलब्ध करना
- ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

4.4.5 विशेषताएं

- 1) **ग्रामीण नेतृत्व का विकास:-** सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीणों के लिए तथा ग्रामीणों के द्वारा किया जाने वाला कार्यक्रम है। ग्रामीण जनता अपने कल्याण के लिए, अपनी समस्याओं से निपटने के लिए मिल- जुलकर कार्य करते हैं। जिससे उनमें आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है तथा ग्रामीण नेताओं की पहचान होती है।
- 2) **सभी लोगों के लिए:-** सामुदायिक विकास कार्यक्रम सभी जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, धर्म, लिंग, इत्यादि के लिए चलाया जाता है।
- 3) **प्रजातान्त्रिक विधि:-** सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सभी लोगों की आवाज सुनी जाती है, सभी की भावनाओं की कद्र होती है तथा सभी के कल्याण हेतु विकास कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सभी के विचारों को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनायीं व क्रियान्वित की जाती हैं।
- 4) **स्थानीय संसाधनों का प्रयोग:-** सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ग्रामीणों के आस-पास उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाता है।
- 5) **मानसिक तथा सामाजिक विकास पर बल:-** सामुदायिक विकास कार्यक्रम में आर्थिक विकास के साथ-साथ मनुष्य के मानसिक तथा सामाजिक विकास पर भी बल दिया जाता है ताकि वे खुशहाल जीवन जी सकें। जब मनुष्य में अच्छे नैतिक गुण होंगे तभी वह अपने परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के कल्याण के बारे में सोच सकता है।
- 6) **आत्म-निर्भरता की भावना का विकास:-** सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लोगों को यह सिखाया जाता है कि वे अपनी मदद स्वयं करना सीखें, अपनी समस्याओं को समझें, अपनी आवश्यकताओं को समझें और उन्हें हल करने का प्रयत्न करें। सामुदायिक कार्यक्रम में लोगों को आत्म-निर्भर तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया जाता है।

4.1.6 सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य सिद्धान्त

- 1) सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कार्य योजना, समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित होगी।
- 2) सामुदायिक विकास की पूर्ण एवं संतुलित आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहूउद्देशीय कार्यक्रम स्थापित किये जायेंगे।
- 3) विकास के प्रारंभ में उपलब्धियों के साथ व्यक्ति की अभिव्यक्ति में परिवर्तन करना आवश्यक होगा।
- 4) सामुदायिक विकास कार्यक्रम में स्थानीय व्यक्ति एवं नेतृत्व की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी तथा निष्क्रिय स्थानीय प्रशासन को सक्रीय करना होगा।
- 5) प्रत्येक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नेतृत्व की पहचान करना, उनका उत्साहवर्धन एवं प्रशिक्षण देना होना चाहिए।
- 6) सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण युवक एवं युवतियों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- 7) सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को पूर्ण प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय सहायता उपलब्ध कराना।
- 8) राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए (i) अनरूप नीतियों का अधिग्रहण, (ii) विशेष प्रशासन व्यवस्था, (iii) कार्यकर्ताओं की भर्ती एवं प्रशिक्षण, (iv) स्थानीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग, (v) अनुसन्धान, प्रायोगिक एवं मूल्यांकन संगठन की आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जनि चाहिए।
- 9) सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अशासकीय संगठनों का पूर्ण सहयोग लेना चाहिए।
- 10) राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक प्रगति करना आवश्यक है।

4.4.7 मूलदर्शन (philosophy)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूलदर्शन निम्नलिखित है:

- (i) व्यक्ति का विकास, (ii) परिवार का विकास, (iii) व्यक्ति में जिम्मेदारी एवं स्वयं प्रेरणा का विकास, (iv) सामुदायिक विकास, (v) व्यक्ति में सहकारिता का विकास, (vi) विज्ञान के प्रति विश्वास पैदा करना, (vii) ग्रामीण नेतृत्व का विकास, (viii) ग्रामीण संस्थाओं का विकास, (ix) सामुदायिक विकास के लिए अन्य संसाधनों का विकास, (x) ग्रामीण समाज का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास, आदि।

4.4.8 सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सुझाव:

1. ग्रामीण नेतृत्व के विकास पर बल देना
2. सरकारी तथा गैर- सरकारी विभागों में समन्वय स्थापित करना
3. प्रशिक्षित प्रसार कार्यकर्ताओं की अधिकाधिक संख्या में नियुक्ति करना
4. स्थानीय समस्याओं पर विस्तृत अध्ययन करना तथा उनके समाधान हेतु उपाय करना
5. युवा संगठनों की स्थापना करना तथा उनका सहयोग प्राप्त करना
6. युवकों को स्वावलंबी बनाने हेतु प्रशिक्षण देना
7. सभी लोगों के साथ- साथ, महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना
8. समय- समय पर कार्यक्रम का मूल्यांकन करना

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थान भरिये:

१. एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को _____ कहते हैं।
२. सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत _____ को डॉ राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गयी थी।
३. सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य “ग्रामीणों का _____ विकास” करना है।

4.5 सारांश

प्रसार शिक्षा का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक व विस्तृत है ग्रामीण विकास से सम्बंधित सभी क्षेत्रों से इसका गहरा सम्बन्ध है। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, सामुदायिक और व्यक्तिगत प्रयासों से शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक खुशहाली के क्षेत्र में निरंतर विकास की दिशा में काम करना। नवीन कृषि तकनीकों तथा पद्धतियों का प्रयोग करके ग्रामीण लोगों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि करके उनका सर्वांगीण विकास करना ही प्रसार शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। इसकी सहायता से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों में वैज्ञानिक तथ्यात्मक और तात्विक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं और उन्हें अपने-अपने कार्य क्षेत्र में प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिससे वह अपनी विशेष स्थानीय स्थिति में उचित निर्णय ले सकें। कृषि प्रसार शिक्षा में किसानों, पशुपालकों इत्यादि को समय-समय पर कृषि में होने वाले बदलावों, उन्नत बीजों, प्रभावी कीटनाशकों, उर्वरकों, कम्पोस्ट खाद, उन्नत कृषि उपकरणों, पशुओं की देखभाल, पशुओं की मौसमी बीमारियों से बचाओ के तरीके आदि के बारे में बताया जाता है तथा अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। गृह विज्ञान के सन्दर्भ में प्रसार शिक्षा का

उद्देश्य ग्रामीण स्त्रियों को इस योग्य बनाना है की वे घर तथा परिवार की स्थिति में सुधार लायें, जिससे उनका जीवन- स्तर एवं रहन- सहन के स्तर को ऊँचा उठाया जा सके। सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा ग्रामीण जीवन की प्रगतिशील पद्धतियों के परिवर्तन की प्रक्रिया है जिससे ग्रामीण जनता के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षणिक आदि के क्षेत्र में विकास किया जाता है।

4.6 पारिभाषिक शब्दावली

प्रसार शिक्षा: प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है जो ग्रामीण मनुष्य के ज्ञान, कार्य करने की क्षमता, एवं मनोवृत्ति में एक वांछित परिवर्तन लाती है जिससे की वह अपना सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक स्तर ऊँचा कर सकें।

समुदाय: एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह।

विकास: सामान्यतः वृद्धि एवं परिपक्वता को ही विकास कहते हैं।

4.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

सही अथवा गलत बताइए

१. गलत
२. सही
३. गलत
४. गलत
५. सही

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थान भरिये

१. समुदाय
२. 2 अक्टूबर 1952
३. सर्वांगीण

4.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- डॉ बृन्दा सिंह, प्रसार शिक्षा. पंचशील प्रकाशन, जयपुर

-
- डॉ अलका अग्रवाल, प्रसार तथा संचार, ज्योति प्रकाशन, आगरा
 - डॉ जीतेन्द्र चौहान, २०१०, प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र, ईशा पब्लिकेशन्स, आगरा
-

4.10 निबंधात्मक प्रश्न

- 1) गृह विज्ञान के सन्दर्भ में प्रसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं।
- 2) सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं और सिद्धान्तों के बारे में बताइए।
- 3) प्रसार शिक्षा की विभिन्न परिभाषाओं पर टिप्पणी करते हुए स्वयं की परिभाषा दीजिए।
- 4) प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन, तथा सिद्धान्त के बारे में बताएं।

इकाई 5: भारत में राष्ट्रीय प्रसार तंत्र की रूपरेखा

5.1 प्रस्तावना

5.2 उद्देश्य

5.3 सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Program)

5.3.1 सामुदायिक विकास प्रशासनिक संगठन

5.3.2 सामुदायिक विकास की विधियाँ

5.3.3 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

5.4 भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

5.4.1 अग्रणी प्रसार शिक्षा तंत्र (First Line Extension System)

5.4.2 राज्य कृषि विश्वविद्यालय (State Agricultural Universities)

5.5 सामुदायिक स्वास्थ्य और अन्य नीतियों से संबंधित विस्तार कार्यक्रम में राज्य सरकारों की भूमिका

5.6 केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (Central Social Welfare Board)

5.7 पंचायती राज तंत्र (Panchayati Raj System)

5.7.1 पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली

5.8 सारांश

5.9 शब्दावली

5.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

5.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

5.12 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

भारत देश में आंतरिक भौगोलिक संरचना में बहुत विभिन्नताएं हैं ऐसे विभिन्नता भरे देश में प्रसार तंत्र की भूमिका अहम् और चुनौतीपूर्ण है. प्रसार शिक्षा का एक मात्र लक्ष्य है- 'ग्रामीण व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना'.

5.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- प्रसार शिक्षा को समझ पायेंगे.
- प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन, तथा सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे.
- प्रसार शिक्षा के कृषि में महत्वता को जानेगें.
- प्रसार शिक्षा की गृह गृह विज्ञान में भूमिका तथा गृह विज्ञान के सन्दर्भ में प्रसार शिक्षा के उद्देश्य को समझेंगे
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं सिद्धांत तथा मूलदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे.

आइये इकाई की शुरुआत प्रसार शिक्षा से करते हैं.

5.3 सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Program)

इकाई 4 में हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में चर्चा की. जिसमें हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं, सिद्धान्त, मूलदर्शन और कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाने के बारे जाना. यहाँ हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासनिक संगठन, विधियाँ, उपलब्धियों और बाधाओं के बारे में जानेगें.

5.3.1 सामुदायिक विकास प्रशासनिक संगठन

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पांच स्तरीय प्रशासनिक संगठन बनाया गया। सामुदायिक विकास कार्यों का संचालन एवं प्रबंधन केंद्र, राज्य, जिला, प्रखंड तथा गाँव के स्तर पर अलग-अलग सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है।

१. **प्रथम स्तर- केन्द्रीय स्तर-** केन्द्रीय स्तर पर योजना आयोग ही सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रमों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन तथा धन उपलब्ध करवाने का कार्य करता था। गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय समिति होती थी जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद् कहते थे। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग के सदस्य, खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री, सामुदायिक मंत्री तथा सहकारिता मंत्री इनके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा लोक सभा के सदस्यों एवं मंत्रियों के सलाह के आधार पर प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् को समय-समय पर सलाह देने के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष मुख्यतया कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालयों के मंत्री एवं सचिव होते हैं।

२. **द्वितीय स्तर- राज्य स्तर-** गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती है जिसे राज्य विकास परिषद् कहते हैं जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इसके सदस्य कृषि, शिक्षा, सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग, सहकारी तथा वित्त मंत्रालय के मंत्री होते हैं। सचिव के रूप में विकास आयुक्त होते हैं। विधान सभा के सदस्यों द्वारा इस परिषद् को समय-समय पर सलाह-मशविरा दिया जाता है।
३. **तृतीय स्तर- जिला स्तर-** गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला परिषद् होती है जिसका अध्यक्ष कलक्टर अथवा जिला विकास अधिकारी होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए जिला नियोजन समिति होती है। इसका अध्यक्ष जिला कलक्टर तथा सचिव जिला नियोजन अधिकारी होता है। जिले के अन्य अधिकारी जैसे जिला सहकारी अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला पशुपालन एम चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी आदि इसके अध्यक्ष होते हैं और मिलकर विकास कार्यों का प्रबंधन एवं संचालन करते हैं।
४. **चतुर्थ स्तर- प्रखंड स्तर-** गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति/ प्रखंड विकास समिति होती है। इस समिति का अध्यक्ष प्रखंड प्रमुख होता है। प्रखंड विकास अधिकारी प्रखंड समिति के सचिव एवं समन्वयक होते हैं जो प्रखंड स्तर पर विकास कार्यों को देखते हैं।

पंचम स्तर- ग्राम स्तर- गैर सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।

5.3.2 सामुदायिक विकास की विधियाँ

सामुदायिक विकास को सफल बनाने के लिए प्रमुख विधियाँ हैं;

- 1) प्रसार शिक्षा एवं 2) सामुदायिक संगठन
- 1) प्रसार शिक्षा- लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में प्रसार शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ग्रामीण जनता कृषि तथा कृषि सम्बंधित क्षेत्रों में नवीन तकनीक अपनाकर अपने रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठा सकते हैं।
- 2) सामुदायिक संगठन- सामुदायिक संगठन के लिए ग्रामीण जीवन से सम्बंधित तीन आधारीय संस्थाओं- पंचायत, सहकारी समितियाँ व स्कूल की जरूरत होती है। गांवों में मौजूद

विभिन्न संगठनों को भी सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में तेजी लायी जा सकी.

अन्य विधियाँ-

- 1) सामुदायिक आवश्यकताओं एवं कार्य करने के लिए प्रेरकों का पता लगाना
- 2) संचार विधियों का विकास
- 3) स्वयं की सहायता से सामुदायिक सुविधा उपलब्ध कराने की विधि
- 4) बाह्य सहायता एवं बहुउद्देशीय विकास कार्य योजना की विधि
- 5) सामुदायिक विकास गतिविधियों का समन्वय करने की विधि

5.3.3 सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- ✓ कृषि क्षेत्र में विकास
- ✓ पशुपालन का विकास
- ✓ यातायात को विकास
- ✓ भूमि सुधार
- ✓ लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास
- ✓ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
- ✓ शिक्षा का विकास
- ✓ सांस्कृतिक विकास
- ✓ हरिजन, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम
- ✓ सम्पूर्ण विकास कार्यक्रम

यद्यपि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से काफी हद तक ग्रामीणों की उन्नति एवं विकास हुआ मगर इससे जितनी अपेक्षा की गई थी उतना सफलता नहीं मिल पायी. सामुदायिक विकास कार्यक्रम की वांछित सफलता में निम्नांकित करक बाधा रहे-

- 1) कार्यक्रम की रूपरेखा सही ढंग से नहीं तैयार करना
- 2) ब्यूरोक्रट्स की मनमानी
- 3) कार्यक्रम में भ्रष्टाचार का होना
- 4) प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का अभाव
- 5) जन सहभागिता का अभाव
- 6) ग्रामीण नेतृत्व का अभाव
- 7) प्रभावशाली लोगों तक ही कार्यक्रम का लाभ पहुंचना

- 8) दलित एवं पीड़ित किसानों पर अधिक ध्यान देने देना
- 9) सरकारी अधिकारियों एवं जनता के प्रतिनिधियों के बीच तालमेल की कमी
- 10) गरीब तथा जरूरतमंदों की अनदेखी

5.4 भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

अंग्रेज सरकार ने जून 1871 में भारत सरकार के अधीन कृषि विभाग की स्थापना की, इसके पश्चात् 1882 में सभी राज्य सरकारों के अधीन कृषि विभागों की स्थापना की गई. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (ICAR) की स्थापना 16 जुलाई, 1929 में हुई थी, लेकिन शिक्षा, अनुसन्धान और प्रसार शिक्षा को कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन के लिए इसे सन 1963 व 1975 में पुनर्गठित किया गया. इसके दो आधिकारिक कार्यक्षेत्र हैं, (१) कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन शिक्षा, अनुसन्धान एवं क्रियान्वयन को आधिपत्य सहायता से आगे बढ़ाना और संयोजित करना, (२) कृषि एवं पशुचिकित्सा के क्षेत्र में अनुसन्धान को प्रोत्साहित करना. आई. सी. ए. आर. अध्ययन समिति (1988) ने इसके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की सिफारिश की, जिसमें कहा गया कि निर्धारित कार्यक्रमों के अतिरिक्त तकनीकी स्थानांतरण, प्रकाशन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी इसको सहायता करनी चाहिये.

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के उद्देश्य

- 1) किसानों, प्रसार कार्यकर्ताओं और राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा अशासकीय संगठन की आवश्यकता को शीघ्र पूरा करने व तकनीकी के उत्पादन व गृहण करने में समय कम करने के लिए नवीनतम तकनीकी के प्रदर्शन आयोजित करना.
- 2) भारतीय परिस्थितियों में कृषि तकनीकी के प्रदर्शन आयोजित करना.
- 3) कृषि की समस्याओं और तकनीकी के लिए प्रमुख वैज्ञानिकों के द्वारा फीड बैक करना और आवश्यकतानुसार शिक्षा, अनुसन्धान व प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में परिवर्तन करना.
- 4) राज्य के कृषि विभागों व अन्य अशासकीय संगठनों के प्रशिक्षण एवं संचार के क्षेत्र में सहायता करना.
- 5) राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार कार्य को प्रोत्साहन देने, नीति निर्धारण तथा कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं को वित्तीय सहायता एवं मार्गदर्शन देना है.
- 6) विश्व भर के विभिन्न देशों से अपने देश के प्रसार संगठन के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रसार में अनुसन्धान को सहायता करना.

5.4.1 अग्रणी प्रसार शिक्षा तंत्र (First Line Extension System)

1963 में प्रसार विभाग की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के मुख्यालय में प्रसार कार्यों के मूल्यांकन व प्रोत्साहित करने के लिए स्थापना की गयी. 1965 में कृषि मंत्रालय ने “राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना” को आई. सी. ए. आर. के कृषि प्रसार विभाग को स्थानांतरित कर दिया. 1974 में व्यावहारिक अनुसंधान परियोजना (Operational Research Project), 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र और 1979 में प्रयोगशाला से खेतों तक परियोजना (Lab to Land Project) को आई.सी.ए.आर. ने तकनीकी स्थानांतरण योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया.

राष्ट्रीय प्रदर्शन (National Demonstration)

प्रसार विधियों में प्रदर्शन एक सशक्त माध्यम के रूप में विख्यात है. इसमें कृषक समुदाय कृषि विधियों, उन्नत यंत्रों, बीजों और फसल सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी की जानकारी प्राप्त करता है. सामान्य प्रदर्शन विधि को प्रभावशाली और योजनाबद्ध ढंग से प्रयोग करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा सन 1965 में राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना प्रारम्भ की गई. ये प्रदर्शन विषय-विशेषज्ञों द्वारा लगभग एक एकड़ भूमि पर किया जाता है. इनके द्वारा उत्पादन बढ़ाने में वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक क्षमता का पता चलता है तथा किसान को अधिक उपज देने के लिए नई विधियों का प्रशिक्षण भी मिल जाता है. साथ ही साथ लगत व आय का पूरा ब्यौरा कृषकों के सम्मुख रखकर उन्हें कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

राष्ट्रीय प्रदर्शन ने 1965 से कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया. प्रथम चरण (1965) में अधिक उपज देने वाली फसलों की क्षमता को प्रदर्शित किया. द्वितीय चरण (1967) में निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय में अधिक उपज वाली कई फसलें लेकर उपज बढ़ाना रहा. तीसरे चरण (1969) में सघन रूप से राष्ट्रीय प्रदर्शनों को जिलों में फैलाया. चौथे चरण (1970) में प्रदर्शनी ने किसानों को नई तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करायी गयी.

प्रयोगशाला से खेतों तक (Lab to Land Programme)

यह कार्यक्रम जून 1979 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शुरू किया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य कार्य साधन रहित किसान परिवारों को खेती की नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे खेती की पैदावार बढ़े और अंतिम रूप से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाये. ग्रामीण परिवार ही इस कार्यक्रम के केंद्र हैं. केवल सीमान्त किसान, बटाई पर बोनो वाले किसान, भूमिहीन मजदूर तथा शिल्पी कारीगर ही इसके अंतर्गत शामिल किये जाते हैं. यह कार्यक्रम चुने हुए कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थान, स्वयं सेवी संस्थाएं तथा राज्य के विकास विभागों के माध्यम से शुरू हुआ.

मुख्य उद्देश्य:

- 1) कृषक परिवारों की पैदावार को बढ़ाना. उन्हें पूरा रोजगार उपलब्ध कराना तथा रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाना

- 2) प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों के लिए ऐसा तरीका निकालना जिससे वे किसानों की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझ सकें तथा यह भी जान सकें कि किसान को नई तकनीकी को अपनाने में कौन सी कठिनाइयाँ हैं.

कार्यक्रम:

- 1) चुने हुए किसानों के लिए फसलों तथा पशुओं पर आधारित कार्यक्रम/ योजना बनवाना.
- 2) भूमिहीन मजदूरों के लिए पशुपालन, मुर्गीपालन, मछलीपालन आदि कार्यों में सहायता करना.
- 3) शिल्पी कारीगरों के लिए कृषि यंत्रों को बनाने तथा उन्हें ठीक करने के काम में प्रशिक्षण द्वारा उनके कौशल को बढ़ाना.
- 4) ग्रामीण महिलाओं का सम्बंधित कार्यों में प्रशिक्षण द्वारा कौशल बढ़ाना.

व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना (Operational Research project)

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर एक नयी धारणा बंधी, जिसमें एक क्षेत्र अथवा जलाशय के आधार पर राष्ट्रीय प्रदर्शन आयोजित करना बेहतर समझा गया और पाँचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना 1974 में प्रारंभ की. इस परियोजना में समान दृष्टिकोण रखा गया है, ताकि स्थानीय एजेन्सियों, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य विकास विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य सम्बंधित संस्थाओं के सहयोग से ग्रामीण समुदाय की समस्याओं को सुलझाया जा सके. इस परियोजना द्वारा ग्रामीण विकास के सामाजिक पहलुओं को प्रौद्योगिकी के पहलुओं से प्रभावपूर्ण ढंग से जोड़ा जा सके.

ये परियोजनाएं भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विस्तार एजेन्सियों के सहयोग से चलायी जाती है.

मुख्य उद्देश्य

- 1) वैज्ञानिक ढंग से भूमि और जल प्रबंध योजनाओं को शुरू करना, जिनमे किसी क्षेत्र की परिस्थिति की क्षमताओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करना.
- 2) जिस कार्य- पद्धति को सुधारने के लिए चुना गया हो, उसकी अस्थिरता और हानि के खतरों को न्यूनतम करना.
- 3) मिटटी, जल, पौधे, खनिज और मानव श्रम के उपलब्ध साधनों का समाकलित रूप से उपयोग करना.

विशेषताएं:

- 1) वैज्ञानिकों का किसानों से उनके खेत पर सीधा सम्बन्ध
- 2) कृषि उत्पादन में समन्वित तकनीकी का उपयोग

- 3) छोटे क्षेत्रों में बहुफसली कार्यक्रम के विषय में शिक्षित करना.
- 4) स्थानीय साधनों जैसे भूमि, जल, पशु, मनुष्यों तथा पेड़ों का पूर्ण उपयोग.

कृषि विज्ञान केंद्र

कृषि विज्ञान केन्द्र एक नवीनतम विज्ञान आधारित संस्था है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाते हैं जो कि किसानों को स्वावलम्बी बनने में सहायता प्रदान करता है। ये किसानों को स्वावलम्बी बनाने के साथ उनको ज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान भी प्रदान करता है। अगस्त 1973 में डॉ. मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें किसानों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान करने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। समिति ने 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहला कृषि विज्ञान केन्द्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पुदुच्चेरी (पौण्डीचेरी) में 1974 में स्थापित किया गया था।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 18 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई थी। सन 1984 में 44 और कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये थे। 1 अप्रैल 1992 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत एक बैठक में 'नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन' (48 जिलों में), 'ऑपरेशनल अनुसंधान कार्यक्रम' (152 केन्द्र) तथा 'लैब टू लैड' को कृषि विज्ञान केन्द्र में समाहित कर दिया गया था।

अगस्त 2005 में कृषि विज्ञान केन्द्र राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 2007 तक प्रत्येक ग्रामीण जिलों में एक-एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने की घोषणा की थी। वर्तमान में देश में कुल 680 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं जो किसानों के विकास हेतु कार्यरत हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र का संगठन एवं प्रबंधन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। कृषि विज्ञान केंद्र की सलाहकार समिति के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्रों के संचालन में निम्नलिखित संस्थाएं उत्तरदायित्व निभा सकते हैं:

- a) कृषि विश्वविद्यालय
- b) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थान
- c) ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिए विख्यात स्वयं सेवी संगठन
- d) विज्ञान और तकनीकी संस्थान
- e) राज्य सरकार तथा संघीय क्षेत्र (यदि उपरोक्त संस्थाएं उपलब्ध न हों).

कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए प्राथमिकता निम्नानुसार दी जाती है-

- 1) पहाड़ी क्षेत्र

- 2) बारानी क्षेत्र
- 3) वन क्षेत्र
- 4) तटीय क्षेत्र
- 5) बाढ़ वाले क्षेत्र तथा
- 6) जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जिसमें लघु कृषकों तथा कृषक मजदूरों की संख्या अधिक हो.

कृषि विज्ञान केन्द्र जिलास्तर पर कृषि संबंधी विभागों के साथ मिलकर विभिन्न कृषि कार्यक्रमों व योजनाओं को लागू करने में तकनीकी समर्थन और सामयिक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत है। कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसान मेला, किसान गोष्ठी, खेत दिवस आदि सम्पर्क कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं। जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र अग्रिम पंक्ति प्रसार के द्वारा किसानों को तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है।

कृषि विज्ञान केन्द्र की बुनियादी अवधारणायें

कृषि विज्ञान केन्द्र निम्नलिखित तीन बुनियादी अवधारणाओं पर कार्य करता है-

1. कृषि विज्ञान केन्द्र “कार्य अनुभव” के माध्यम से प्रशिक्षण देगा और इस प्रकार इसका सम्बन्ध तकनीकी साक्षरता से होगा, जिसे प्राप्त करने हेतु साक्षर होना अनिवार्य नहीं है।
2. केन्द्र केवल ऐसे विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण देगा जोकि पहले से ही कार्यरत है या अभ्यासरत किसानों और मछुआरों को. दूसरे शब्दों में केंद्र उन लोगों की जरूरतों को पूरी करेगा जो की नौकरी पर हैं या स्वयं अपने ही किसी व्यवसाय में लगना चाहते हैं।
3. कृषि विज्ञान केन्द्र के लिये कोई समान पाठ्यक्रम नहीं होगा। पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, आवश्यकता के आधार पर, प्राकृतिक संसाधनों और कृषि के विकास के लिए उस क्षेत्र की विशेष क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाया जायेगा.

कृषि विज्ञान केंद्र के सिद्धांत

कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख सिद्धांत निम्नानुसार हैं:

- 1) कृषि कार्यो को बढ़ावा देना.
- 2) लोगों को शिक्षण- प्रशिक्षण देते समय ‘करके सिखने’ के सिद्धांत पर जोर देना अर्थात कम भी और सीखे भी.
- 3) निर्धन, जरूरतमंदों तथा कमजोर वर्गों के लोगों पर अधिक ध्यान देना.
- 4) उत्पादक प्रणाली में सामाजिक न्याय से तथा इसकी शुरुआत सबसे कमजोर वर्ग से की जाए. अनुसूचित जाती, जनजाति, लघु कृषक, कृषि मजदुर तथा सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त किसानों को प्राथमिकता दे जाए.
- 5) कृषि विज्ञान केंद्र का कार्यक्रम सभी के लिए है.

- 6) केन्द्रों का क्षेत्र तथा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या समिति हो. इसमें गुणात्मकता को प्राथमिकता देनी चाहिए न की संख्यात्मकता को.
- 7) प्रशिक्षण का आधार शिक्षार्थी की आवश्यकता एवं रुचि होनी चाहिये.
- 8) उपलब्ध संसाधनों, तकनीकों आदि के आधार पर अनुभूत आवश्यकता की पहचान करके तत्पश्चात उसके आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए.
- 9) पाठ्यक्रम लोगों की कार्यकुशलता में वृद्धि लेन की दृष्टी से बनाये जाए.

अधिदेश (Mandates)

मूल्यांकन, परिष्करण और निरूपण के माध्यम से प्रौद्योगिक उत्पादों का अंगीकरण ही कृषि विज्ञान केन्द्र का मूल्य अधिदेश है। इस अधिदेश को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिये तथा किसानों के उन्नयन एवं विकास हेतु निम्नलिखित गतिविधियाँ प्रत्येक कृषि विज्ञान के द्वारा संचालित की जाती है।

1. कृषि प्रौद्योगिकियों की स्थानीय विशिष्टता की पहचान करने के लिये विभिन्न खेती प्रणालियों का खेत पर परीक्षण किया जाता है।
2. उत्पादन क्षमता प्रमाणन हेतु किसानों के खेतों पर अग्रवर्ती प्रदर्शन किया जाता है।
3. किसानों और प्रसार कर्मियों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी में अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है।
4. जिले की कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र की पहल के समर्थन से कृषि प्रौद्योगिकी के ज्ञान केन्द्र के रूप में कार्य करता है।
5. प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे बीज, रोपण सामग्री, जैविक घटकों, नवजात और युवा पशुधन आदि को किसानों को उपलब्ध कराता है तथा उनका उत्पादन भी करवाता है।
6. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के तेजी से वितरण और तकनीक के अंगीकरण के लिये जागरूकता पैदा करने हेतु प्रसार गतिविधियों का आयोजन करता है।

कृषि विज्ञान केन्द्र के उद्देश्य

कृषि विज्ञान केन्द्र खेती किसानी तथा ग्रामीण विकास हेतु प्रतिपल कार्यरत है। इनके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- 1) खेती- बाड़ी करने वाले किसानों, पुरुषों और महिला तथा विस्तार कर्मचारियों के लिए उनकी तात्कालिक समस्याओं पर परिसर और इसके बहार बाहर दक्षता और उत्पादन सम्बन्धी अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन.

- 2) युवा किसानों, विशेष रूप से ऐसे लड़कों जिन्होंने बीच में ही स्कूल की शिक्षा छोड़ दी हो उन लोगों की लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और गैर सरकारी स्तर पर अपने ही रोजगार करने में खेती की आधुनिक प्रणाली के प्रति विश्वास और योग्यता पैदा हो सके.
- 3) किसानों को अधिक वैज्ञानिक सूचनाएं देकर उन्हें जागरूक बनाने के उद्देश्य से कृषक दिवस, किसान मेले, रेडियो परिचर्चा, सूचना केंद्र, किसान गोष्ठी आदि कार्यक्रमों का आयोजन
- 4) सम्बंधित स्थानीय एजेंसियों से मिलकर किसानों के लिए क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन.
- 5) किसानों तथा विस्तार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण तथा सूचना देने की दशा में आवश्यक अनुवर्ती कदम उठाना.

कृषि विज्ञान केन्द्र, इस प्रकार कृषि शोध में खेत पर प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नवीनतम तकनीकों के हस्तान्तरण के साथ जिले में समग्र ग्रामीण विकास के लिये प्रतिबद्ध आधार स्तर पर कार्य करने वाली अग्रणी संस्थान है। कृषि विज्ञान केन्द्र की गतिविधियों में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, शोधन और हस्तान्तरण प्रमुख हैं। जोकि अनुसंधान संस्थानों और ग्रामीणों के बीच की खाई को पाटने में सहयोग करता है, यह संस्था नई विकसित प्रौद्योगिकी उत्पादों आदि को प्रदर्शन और किसानों, ग्रामीण युवाओं और प्रसार कर्मियों के बीच प्रशिक्षण के माध्यम से क्षेत्र स्तर पर अंगीकृत करने में सहायता प्रदान करती है।

कृषि विज्ञान केन्द्र से किसानों को लाभ

1. **प्रशिक्षण :** कृषि विज्ञान केन्द्र किसान भाईयों, बहनों एवं ग्रामीण युवाओं के लिये एक वर्ष में 30-50 आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। यह केन्द्र की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। प्रशिक्षण खास कर उन लोगों के लिये आवश्यक है जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है तथा बेरोजगार है। केन्द्र इन लोगों को स्वरोजगार देने के लिये मुर्गी पालन, बकरी पालन, डेयरी और मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देता है और महिलाओं को सशक्त करने के लिये गृह विज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण जैसे- सिलाई, बुनाई, अचार बनाना, पापड़ बनाना आदि दिया जाता है।
2. **खेत पर परीक्षण :** कृषि विज्ञान केन्द्र इसके माध्यम से किसानों की प्रमुख समस्या का उपचार करते हैं। कृषि वैज्ञानिक, किसानों को बताते हैं कि कौन सा बीज उत्कृष्ट है और कौन सी तकनीक सर्वश्रेष्ठ है, इसमें तुलनात्मकता को स्थान दिया जाता है। यहाँ किसानों की भागीदारी अध्ययन का एक रूप है।

3. **अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन :** इसके माध्यम से केन्द्र किसानों को नई तकनीक के बारे में बताते हैं जोकि उत्पादन की लागत को कम करने कीट व रोगों को नियंत्रित करने के लिये, पैदावार को बढ़ाने के लिये तथा महिलाओं के परिश्रम को कम करने के लिये, कृषि औजार तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी उपकरण के उपयोग के बारे में बताया जाता है।
4. **अन्य विस्तार गतिविधियाँ :** कृषि विज्ञान केन्द्र अन्य विस्तार गतिविधियों जैसे किसान मेला, प्रक्षेत्र भ्रमण, किसान गोष्ठी, सेमिनार, कृषि प्रदर्शनी, साहित्य प्रकाशन, मोबाइल द्वारा वॉइस (Voice) मैसेज आदि द्वारा किसानों को नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान कर उनकी कार्यक्षमता तथा कौशल को बढ़ाता है।


निष्कर्ष

कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों के लिये ज्ञान का केन्द्र है जिसमें किसान प्रशिक्षण खेत पर परीक्षण, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन तथा अन्य विस्तार गतिविधियों के माध्यम से कृषि के आधुनिक तकनीकियों की जानकारी प्राप्त करता है। कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों को परम्परागत खेती के साथ वैज्ञानिक खेती की जानकारी भी प्रदान करता है जिसका उपयोग करके किसान अपनी

राज्य कृषि विश्वविद्यालय (State Agricultural Universities)

डॉ। एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1949) ने भारत में 'ग्रामीण विश्वविद्यालयों' की स्थापना की सिफारिश की। 1958 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अमेरिका के लैंड ग्रांट कॉलेज की शिक्षण पद्धति के आधार पर कृषि शिक्षा, अनुसंधान व प्रसार की पद्धति को अपनाना प्रारंभ किया। 1960 में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर (उत्तर प्रदेश) वर्तमान उत्तराखंड में हुई, जिसमें तीनों प्रकार की गतिविधियों (शिक्षा, अनुसंधान व प्रसार) को समावेशित किया गया। डॉ. एम.एस. रंधवा (1978) की अध्यक्षता वाली कृषि विश्वविद्यालयों की समीक्षा समिति की रिपोर्ट के बाद कृषि विश्वविद्यालयों की विस्तार भूमिका प्रस्तुत की गई। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस.ए.यू.) ने आई.सी.ए.आर. प्रायोजित विस्तार कार्यक्रमों को लागू करने में सहायता देने के अलावा किसानों तक प्रभावी तरीके से पहुंचने के लिए कई अभिनव विस्तार मॉडल विकसित किए हैं। एस.ए.यू. द्वारा किए गए विस्तार गतिविधियों का प्रकार राज्य से भिन्न होता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के अंतर्गत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के विकास में प्रमुख सहभागी हैं।

वर्तमान में भारत में 62 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। ये कृषि विश्वविद्यालय राज्य में कृषि से संबंधित सूचना के अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं। वे उत्पाद बढ़ाने, कृषि में डिग्री एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रम की व्यवस्था करने एवं स्थानीय कृषि संस्थाओं द्वारा आयोजित कृषक प्रशिक्षण कक्षाओं में भाग लेकर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में सहायता प्रदान करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का सृजन करते हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालय विभिन्न कृषि जलवायु जोनों की स्थिति विशिष्ट समस्याओं के निपटाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम करते हैं। अनुसंधान कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों की नियमित एवं अनिवार्य रूप से समीक्षा की जाती है एवं कृषि, पशुपालन, गृह विज्ञान एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करना इन विश्वविद्यालयों का एक प्रमुख कार्य है।



राज्य कृषि विश्वविद्यालय विस्तार प्रणाली

अभ्यास प्रश्न १

1. जोड़े मिलाएं

	परियोजना		संचालन वर्ष
अ	व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना	1	1979
ब	राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना	2	1972
क	प्रयोगशाला से खेतों तक परियोजना	3	1965
ड	पहला कृषि विज्ञान केन्द्र	4	1974

2 रिक्त स्थान भरिये

- I) भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए _____ स्तरीय प्रशासनिक संगठन बनाया गया.
- II) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (ICAR) की स्थापना सन _____ में हुई

5.5 सामुदायिक स्वास्थ्य और अन्य नीतियों से संबंधित विस्तार कार्यक्रम में राज्य सरकारों की भूमिका

ग्रामीण विकास को हमेशा कृषि विकास के साथ जोड़ा गया और यह मान लिया गया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आ जाएगी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के एक दशक बाद वैचारिक परिवर्तन हुआ। अधिक अन्न उपजाओ जाँच समिति 1952 ने केवल कृषि या कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों जैसे पशुपालन आदि को ही नहीं अपितु इसके साथग्रामीणों के लिए शिक्षा साथ-, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिकआर्थिक जरूरतों के समन्वित कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया।-

सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजना इसी सिफारिश के तहत शुरू किए गए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 से 120 गाँवों का एक ब्लॉक योजना और समन्वित ग्राम विकास की मूल इकाई बना दिया गया। इसमें कृषि और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज-कल्याण, संचार, अनुपूरक रोजगार आदि भी शामिल किए गए और स्वावलम्बन तथा आम आदमी की भागीदारी पर विशेष बल दिया गया। राज्यों द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम कार्यक्रम लागू करने की जिम्मेदारी ब्लॉक विकास अधिकारी की है। उसकी मदद के लिए अलग-अलग विभागों के

तकनीकी अधिकारी और ग्राम सेवक-सेविकाएँ होते हैं। इस कार्यक्रम के तहत राज्य और जिला स्तर पर भी संगठन बनाए गए।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के संसाधनों और मानव संसाधनों का भरपूर विकास करना तथा स्थानीय नेतृत्व और स्वशासित संस्थान विकसित करना ताकि ग्रामीण लोग अपने बलबूते पर अपना जीवन-स्तर ऊँचा कर सकें। इस कार्यक्रम की शुरुआत अच्छी रही। इसके परिणामस्वरूप देश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक व्यावहारिक ढाँचागत बुनियाद तैयार हो गई।

1970 के दशक के शुरू में सरकार के स्तर पर यह महसूस कर लिया गया था कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं होना चाहिए बल्कि ग्रामीण लोगों की अन्य सामाजिक- आर्थिक जरूरतों पर ध्यान देना भी जरूरी है लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम फिर से शुरू करने के बजाय नई योजनाएँ शुरू कर दी गई। इनमें यूनिसेफ की मदद से व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य कुछ चुने हुए विकास खंडों में ग्रामीणों के पोषण-स्तर को सुधारना और स्वास्थ्य-सम्बन्धी देखभाल, टीकाकरण, पेयजल और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना था। इनके अलावा जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के जरिए आय सम्बन्धी असमानता दूर करने का सामाजिक उद्देश्य हासिल करना और ग्रामीण समुदायों में रोजगार के अवसर बढ़ाना था।

भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी (ASHA) : मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) नामक महिला कार्यकर्ता हैं। 2005 से सुरु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में आशा कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने में चार मुख्य भूमिकाएं पूरी करते हैं:

- न्यूनतम स्तर पर मातृ शिशु देखभाल प्रदान करते हैं।
- स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देते हैं, खासकर गर्भवती महिलाओं और नई मां को स्वास्थ्य केंद्र में नियमित जांच करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- रोगियों को स्वास्थ्य केंद्र में जांच करने के लिए भेजते हैं।
- गांवों की महिलाओं के साथ बैठक बुलाकर समुदायों को एकजुट करते हैं और गांव के उन परिवारों का रिकॉर्ड रखते हैं जिनके लिए वे जिम्मेदार हैं।

5.6 केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (Central Social Welfare Board)

समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना तथा इस कार्य के लिए ऐसे अधिक से अधिक संगठनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 अगस्त 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। यह एक अर्द्ध-सरकारी स्वायत्तशासी संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर-सरकारी/ स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है ताकि वे महिलाओं में शिक्षा, प्रशिक्षण, आश्रय, परामर्श सेवा तथा सहायक सेवाएँ उपलब्ध कराकर समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ बना सकें और उन्हें सशक्त कर सकें।

5.6.1 उद्देश्य


- 1) स्वैच्छिक प्रयासों की भावना को और सुदृढ़ करते हुए मानवीय दृष्टिकोण के साथ परिवर्तन के वाहक की भूमिका निभाए।
- 2) महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करने के लिए संचालन-तंत्र बनाए।
- 3) समानता, न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए महिलाओं के प्रति संवेदनशील प्रोफेशनलों का संवर्ग तैयार करे।
- 4) नए उभरते क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के समक्ष आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने के लिए महिलाओं पर केंद्रित नीतिगत पहल की सिफारिश करे।
- 5) अब तक अछूते रहे क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों को मजबूत करना और महिलाओं से संबंधित योजनाओं का दायरा बढ़ाना।
- 6) सामाजिक जांचकर्ता के रूप में अपनी अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) की भूमिका को और सुदृढ़ करना तथा स्वैच्छिक क्षेत्र को मार्गदर्शन देना ताकि उसकी अपेक्षित सरकारी राशि तक पहुंच कायम हो सके।
- 7) परिवर्तनशील समाज की चुनौतियों के बारे में जागरूकता लाना, जहां महिलाओं और बच्चों की खुशहाली पर प्रौद्योगिकी और पेशे का बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

5.6.2 कार्य

जुलाई 1960 में किये गए मूल्यांकन के आधार पर समिति के कार्य में कई नए आयाम जोड़े गए. 1968 में ग्रामीण महिलाओं एवं बालकों के कल्याण हेतु 'परिवार व शिशु कल्याण सेवाएं' का आयोजन किया गया. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य निम्नांकित है.

1. स्वयं सेवी संगठनों की आवश्यकताओं एवं मांगों का सर्वेक्षण करना.
2. अयोग्य संस्थानों एवं संगठनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना.
3. महिला मंडल कार्यक्रम आयोजित करना.
4. **कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था-** बड़े-बड़े शहरों, महानगरों आदि में जहाँ कामकाजी महिलाएं अधिक हैं तथा आवास सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, वहां समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यरत महिलाओं के लिए स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से हॉस्टल की व्यवस्था की जाती है.
5. **अनुपूरक पोषण कार्यक्रम-** शिशु कल्याण हेतु सन 1970 में समिति द्वारा अनुपूरक पोषण कार्यक्रम चलाया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिशु की पोषण-न्यूनता-जन्य-बीमारियों से रक्षा करना है. इसके लिए बोर्ड द्वारा तीन से पांच वर्ष की आयु के बच्चों को पौष्टिक आहार का वितरण किया जाता है.
6. **शिशुगृह/ पालनाघर (Creche)-** महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों तथा पारिवारिक आय में योगदान करने की आवश्यकता में वृद्धि के कारण अधिकाधिक महिलाएं रोजगार के लिए घर से बाहर जाती हैं. संयुक्त परिवार के टूटने तथा एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण महिलाओं को कामकाज पर जाने के समय अपने छोटे बच्चों की गुणवत्ता देखभाल की आवश्यकता होती है. इस को ध्यान में रखते हुए सन 1977 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पालनाघर की व्यवस्था गई.
7. **परिवार परामर्श केंद्र-** वर्तमान समय में परिवार के लोगों में बीच आपस में कई मनमुटाव हैं जिनके कारण परिवार टूट रहे हैं. परिवार परामर्श केंद्रों द्वारा परिवार या समाज में अत्याचारों की शिकार एवं अन्य सामाजिक समस्याओं, पारिवारिक विवादों और कलह से ग्रस्त महिलाओं को परामर्श, सहायता और पुनर्वास सेवा प्रदान की जाती है.
8. **शहरी महिलाओं हेतु कार्यक्रम-** यह योजना उन शहरी महिलाओं के लिए चलायी गई जिनकी आर्थिक आय कम है. इस योजना के अंतर्गत उन निम्न माध्यम वर्गीय महिलाओं हेतु रोजगार मुहैया कराना ताकि वे धन आर्जित कर अपने परिवार की आय में वृद्धि करके उन्हें खुशहाल बना सकें.

- 9. महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम-** केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 1958 में शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम की योजना प्रारम्भ की गयी. इसका उद्देश्य उन व्यस्क लड़कियों/ महिलाओं की जरूरतों को पूरा करना है जो शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो सकीं या जिन्होंने स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी हो. योजना का लक्ष्य 15 वर्ष से अधिक आयु के लड़कियों/ महिलाओं को पढ़ाई- लिखाई के अवसर प्रदान करना तथा हुनर-विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता में विस्तार करना है. कार्यक्रम का लक्ष्य प्रौढ़ महिलाओं में आत्म-विश्वास जगाना है ताकि वे सशक्त और समर्थ हो सकें.
- 10. ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं के लिए जागरूकता प्रसार परियोजना-** केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिलाओं की स्थिति, अधिकार और समस्याओं से सम्बंधित मुद्दों पर समुदाय में जागरूकता लाने के लिए जागरूकता प्रसार परियोजना कार्यक्रम चलाता है जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं के जरूरतों का पता लगाना, परिवार और समुदाय में निर्णय-प्रक्रिया में उनकी सक्रीय भागीदारी बढ़ाना. इनमे महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार सहित विकास के मुद्दे शामिल है.
- 11. महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अल्पावास गृह-** इस योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अल्पावास गृह चलाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है. इसका उद्देश्य उन महिलाओं एवं बालिकाओं को संरक्षण एवं पुनर्वास सेवा प्रदान करना है, जो पारिवारिक कलह के कारण सामाजिक-आर्थिक समस्याओं, भावनात्मक अशांति, मानसिक समस्याओं, सामाजिक उत्पीड़न, शोषण का शिकार हों, या जिन्हें वेश्यावृत्ति के लिए विवश किया गया हो. इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए छह महीने से तीन वर्ष तक अस्थायी आश्रय और अन्य सेवाएँ/ सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, जैसे (१) मामले की पड़ताल एवं परामर्श सेवाएँ, (२) स्वास्थ्य रक्षा एवं मानसिक चिकित्सा उपचार, (३) व्यवसाय सम्बन्धी सहायता, हुनर विकास हेतु प्रशिक्षण तथा पुनर्वास सेवाएँ एवं (४) शिक्षा, व्यवसाय एवं मनोरंजन सम्बन्धी गतिविधियाँ



5.7 पंचायती राज प्रणाली

पंचायती राज शासन तंत्र का ही एक हिस्सा है जिसमें ग्राम पंचायत प्रशासन के लिए आधारीय ईकाई की तरह कार्य करती है। 'पंचायती राज में पंचायती से आशय है पंच का फैसला तथा राज से तात्पर्य है शासन, अर्थात् पंचों का शासन ही पंचायती राज्य कहलाता है। महात्मा गांधी ने भारत के राजनैतिक प्रणाली के रूप में पंचायती राज को महत्वपूर्ण बताया है। यह सरकार के विकेन्द्रीकरण का ही एक रूप है जिसमें प्रत्येक गाँव अपने उत्थान के लिए स्वतः ही प्रयत्नशील रहता है। इसी दृष्टि को ग्राम स्वराज्य कहा गया है। ग्राम स्वराज्य का अर्थ है गाँव का राज (गाँव का अपना राज)।

भारत सरकार ने बलवन्त राय मेहता कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण अथवा पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में की गयी। 1950-60 के दशक में राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न राज्यों में पंचायती राज की स्थापना के लिए कानून बनाया गया। पंचायती राज की त्रिसूत्रीय प्रणाली के अंतर्गत तीन लोकतन्त्रीय संस्थाओं की स्थापना की है -

1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

2. विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति

3. जिला स्तर पर जिला परिषद

वर्तमान में, भारत के सभी राज्यों में तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में त्रिस्तरीय प्रणाली, 5 राज्यों में द्विस्तरीय प्रणाली तथा 8 राज्यों में एक स्तरीय प्रणाली कार्य कर रही है। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड ही अब तक पंचायती राज शासन से वंचित हैं।

भारत में, पंचायती राज के इतिहास में 24 अप्रैल 1993 एक यादगार दिवस के रूप में स्थापित हो गया है। इस दिन भारतीय संविधान की 73 वीं संशोधित धारा लागू किया गया है जिसमें पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्टेट्स की संज्ञा दी गई है। इस धारा का विस्तार आदिवासी क्षेत्रों के 8 राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान) तक किया गया। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली उन सभी राज्यों में कार्य कर रही है जिसकी जनसंख्या 2 मिलियन या उससे भी अधिक है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में पंचायत का चुनाव होता है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित है।

5.7.1 पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली

पंचायती राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था के अर्न्तगत तीन लोकतन्त्रीय एवं लोकप्रिय संस्थायें स्थापित की गयीं। प्रथम-ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, द्वितीय-विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति, क्षेत्र समिति तथा तृतीय-जिला स्तर पर जिला परिषद् के रूप में स्थापित कीं।

ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

यह पंचायत राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था की पहली संस्था है जो एक ग्राम स्तर पर कार्य करती है। ग्राम पंचायत एक संवैधानिक संस्था है जो एक या अधिक गाँव को मिलाकर जिनकी आबादी 1000 हो बनायी जाती है। ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रधान कहते हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या ग्राम की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव गाँव के सभी व्यस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। प्रधान का साक्षर होना अनिवार्य है। इन निर्वाचित सदस्यों में एक तिहाई सीट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाते हैं।

आय

ग्राम पंचायत की सरकारी सहायता के अलावा कुछ स्थानीय जगहों से आय प्राप्त होती है, जैसे पशुबाड़ा, तालाब, पोखर, मत्स्य पालन, सिंचाई आदि।

कार्य

1. गाँव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उनकी उन्नति हेतु विकास कार्यक्रम बनाना।
2. गाँव की मुख्य व्यवस्था जैसे - कृषि, पशुपालन, लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे आदि से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करना।
3. सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना।
4. गाँव को शहर से कच्ची-पक्की सड़कों द्वारा जोड़ने हेतु सड़कों का निर्माण करना।
5. स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए तालाब, कुआँ, बाबड़ी, हैंडपम्प, नलकूप आदि का निर्माण करना।
6. पुराने तालाबों, पोखरों की साफ-सफाई करना।
7. देहाती मेलों, बाजारों, साप्ताहिक हाटों से प्रसार कार्यकर्ताओं तथा सरकार के परिवार नियोजन कार्य में सहयोग देना।

प्रशासनिक कार्य के अन्तर्गत

1. प्रधान, पंचायत सचिव के कार्यों, व्यवहारों तथा चरित्र का विवरण देना।
2. प्रधान, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
3. ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों के साथ आवश्यकता पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
4. प्रधान पंचायत के कर्मचारियों को दंडित कर सकता है, मगर उसे सेवा से नहीं हटा सकता।

विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति

पंचायत समिति, पंचायती राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था की दूसरी संस्था है। यह संस्था सामुदायिक विकास खण्ड की एक चुनी गई परिषद है जो गाँवों के तहसील या तालुका के लिए कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत तथा जिला प्रशासन के मध्य मध्यस्थ की तरह भी कार्य करता है। विभिन्न राज्यों में इस संस्था में अनेक तरह के विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आंध्र प्रदेश में इसे 'मण्डल प्रजा परिषद, आसाम में 'आंचलिक पंचायत, मध्यप्रदेश में जनपद पंचायत, गुजरात में तालुका पंचायत, उत्तर प्रदेश में इसे 'क्षेत्र पंचायत तथा पश्चिम बंगाल में आंचलिक पंचायत कहते हैं।

खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है। क्षेत्र के पंचायत समिति का चुनाव क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश में 2000 की जनसंख्या पर क्षेत्र पंचायत समिति सदस्य का चुनाव मतदान द्वारा जनता करती है। क्षेत्र के एम.पी. तथा एम.एल.ए. भी इसके सदस्य होते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्य भी होते हैं।

पंचायत समिति का चुनाव प्रायः ग्राम पंचायतों के प्रधानों द्वारा किया जाता है तथा सभी राज्यों में पंचायत समिति का कार्य गाँव का सर्वांगीण विकास करना है। इस कार्य को विकास खण्ड अधिकारी

एवं प्रसार कर्ताओं द्वारा कार्यान्वित करते हैं। ग्राम पंचायतों के कार्यक्रमों की देख-रेख, समुचित साधनों का प्रबन्ध करना तकनीकी ज्ञान प्रदान करना आदि पंचायत समिति के प्रमुख कार्य हैं। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा आवागमन के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाना पंचायत समिति की विशेषता है। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। चेयरमैन अथवा प्रखंड प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है। किन्हीं-किन्हीं पंचायत समिति में डिप्टी चेयरमैन भी होता है।

विभाग- पंचायत समिति में निम्न विभाग होते हैं -

1. सामान्य प्रशासन
2. वित्त विभाग
3. जन कार्य विभाग
4. कृषि
5. स्वास्थ्य
6. शिक्षा
7. समाज कल्याण

प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी होता है। प्रशासन का प्रमुख तथा समिति का कार्यकारी अधिकारी होता है।

कार्य

1. कृषि के विकास हेतु योजनाएं चलाना।
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना।
3. पीने के पानी की व्यवस्था करना।
4. नालियों का निर्माण करना। सड़क निर्माण कार्य करना
5. लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करना।
6. सहकारी समितियाँ चलाना।
7. युवा संगठनों की स्थापना करना।
8. तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाना।
9. ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख करना।
10. आवागमन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना।

जिला स्तर पर जिला परिषद

जिला स्तर पर जिला परिषद् का गठन किया जाता है। यह पंचायत राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था की अंतिम एवं उच्चतम संस्था है जो जिला स्तर पर कार्य करती है। प्रायः सभी राज्यों में इसे जिला

पंचायत कहते हैं। जिला पंचायत के गठन के लिए 50,000 की आबादी पर एक जिला पंचायत सदस्य को चुना जाता है जिसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा करती है।

जिला परिषद में पंचायत समिति से चुने हुए प्रतिनिधि व पंचायत समिति के प्रमुख सदस्य होते हैं जो जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला परिषद का वित्त प्रबन्धन मुख्यतः राज्य सरकारों के अनुदान तथा कुछ स्थानीय स्तर पर कर लगाने से होता है। जिला परिषद के मुख्यतः पंचायत समितियों के कार्यों व आय- व्यय की देख-रेख, पंचायत समिति के बजट की स्वीकृति राज्य सरकार को विकास कार्यक्रमों पर सुझाव देना तथा सरकार के विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित कराना आदि प्रमुख कार्य होते हैं।

कार्य

1. ग्रामीण जनता को आवश्यक सेवाएं एवं सुविधायें प्रदान करना।
2. किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाना। कृषि के नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करवाना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों तथा पुस्तकालयों की स्थापना करवाना तथा इसे चलाना।
4. गाँवों में अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाना। संक्रामक रोग फैलने पर वैक्सीन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाना।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए योजनाएं बनाना तथा इन्हें क्रियान्वित करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पढ़ने के लिए होटल की व्यवस्था करना।
6. लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करना जिससे ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हो सके।
7. सड़क, पुल तथा अन्य जन सुविधाओं का निर्माण करना। क्षतिग्रस्त सड़क, पुल, पार्क एवं अन्य जन सुविधाओं की मरम्मत करना।
8. युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना।

आय के स्रोत

1. बाजार, तीर्थस्थल, जल आदि पर कर लगाना।
2. जिला परिषद् द्वारा पास किये गये कार्यों से कुछ राशि उपलब्ध करवाना।
3. राज्य सरकार से सहायता मिलना।
4. जमीन से कुछ राशि रेवेन्यू के रूप में प्राप्त करना।

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थान भरिये

1. लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीयकरण अथवा पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर, 1959 कोराज्य के..... जिले में की गयी।
2. केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड अर्द्ध-सरकारी स्वायत्तशासी संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण _____ मंत्रालय के अधीन होता है।
3. पंचायती राज की त्रिसूत्रीय प्रणाली के अंतर्गत पहली संस्था है जो एक ग्राम स्तर पर कार्य करती है।

5.8 सारांश

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रशासनिक संगठन पांच स्तरीय बनाया गया है। केन्द्रीय, राज्य, जिला, प्रखंड एवं ग्राम स्तर पर विकास कार्यों का प्रबंधन एवं संचालन किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् अग्रणी प्रसार शिक्षा तंत्र, राष्ट्रीय प्रदर्शन, प्रयोगशाला से खेतों तक, 3 व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों तक नवीतम जानकारी पहुंचने के लिए कार्यरत है। जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों के लिये ज्ञान का केन्द्र है जिसमें किसान प्रशिक्षण खेत पर परीक्षण, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन तथा अन्य विस्तार गतिविधियों के माध्यम से कृषि के आधुनिक तकनीकियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस.ए.यू.) किसानों तक प्रभावी तरीके से पहुंचने के लिए कई अभिनव विस्तार मॉडल विकसित किए हैं। वे प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में सहायता प्रदान करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का सृजन करते हैं। कृषि, पशुपालन, गृह विज्ञान एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करना इन विश्वविद्यालयों का एक प्रमुख कार्य है। ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिकआर्थिक जरूरतों के समन्वित कार्यक्रम को भी बढ़ावा- देने हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक व्यावहारिक ढाँचागत बुनियाद तैयार की गयी। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक अर्द्ध-सरकारी स्वायत्तशासी संस्था है जो विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर-सरकारी/ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता उपलब्ध करता है ताकि वे महिलाओं में शिक्षा, प्रशिक्षण, आश्रय, परामर्श सेवा तथा सहायक सेवाएँ उपलब्ध कर सके। पंचायती राज शासन तंत्र का ही एक हिस्सा है जिसमें ग्राम पंचायत प्रशासन के लिए आधारीय ईकाई की तरह कार्य करती है। पंचायती राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था के अर्न्तगत तीन लोकतन्त्रीय एवं लोकप्रिय संस्थायें स्थापित की गयीं। प्रथम-ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, द्वितीय-विकास खण्ड स्तर पर पंचायत समिति, क्षेत्र समिति तथा तृतीय-जिला स्तर पर जिला परिषद् के रूप में स्थापित कीं।

5.9 पारिभाषिक शब्दावली

कृषि विज्ञान केन्द्र: विज्ञान आधारित संस्था जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिये जाते हैं जो कि किसानों को स्वावलम्बी बनने में सहायता प्रदान करता है।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड: यह एक अर्द्ध-सरकारी स्वायत्तशासी संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है।

5.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1 जोड़े मिलाएं

परियोजना	(संचालन वर्ष)
व्यावहारिक अनुसन्धान परियोजना	(1972)
राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना	(1965)
प्रयोगशाला से खेतों तक परियोजना	(1979)
पहला कृषि विज्ञान केन्द्र	(1974)

2 रिक्त स्थान भरिये

- i पाच
- ii 1929

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थान भरिये

- I) राजस्थान राज्य के नागौर जिले
- II) ग्राम पंचायत
- III) केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय
- IV) ग्राम पंचायत

5.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 10) डॉ अलका अग्रवाल, प्रसार तथा संचार, ज्योति प्रकाशन, आगरा

11) डॉ जीतेन्द्र चौहान, २०१०, प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र, ईशा पब्लिकेशन्स, आगरा

5.12 सहायक पाठ्य सामग्री

<http://www.cswb.gov.in/>

<http://www.panchayat.gov.in/home>

5.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) द्वारा संचालित विस्तार प्रणाली का विस्तृत विवरण दीजिये।
 2. पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का वर्णन कीजिए।
-

खंड 3: सतत् विकास

इकाई 6: ग्रामीण विकास कार्यक्रम

- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 उद्देश्य
- 6.3 ग्रामीण विकास कार्यक्रम
 - 6.3.1 महत्व (Significance)
 - 6.3.2 उद्देश्य (Objectives)
 - 6.3.3 ग्रामीण विकास के लाभार्थी
- 6.4 हरित क्रांति
- 6.5 अन्त्योदय कार्यक्रम
- 6.6 ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
- 6.7 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ICDS)
- 6.8 ग्रामीण महिलाओं तथा बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम
- 6.9 महिलाओं तथा बालकों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं
 - 6.9.1 राष्ट्रीय संस्थाएं
 - 6.9.2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थायें
- 6.10 सारांश
- 6.11 शब्दावली
- 6.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 6.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 6.14 सहायक पाठ्य सामग्री
- 6.15 निबंधात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना

भारत ग्रामप्रधान देश है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना- राष्ट्रीय विकास सम्भव नहीं है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के बावजूद हमारी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आज भी गाँवों में रह रहा है। प्रतिशत के हिसाब से हो सकता है ग्रामीण जनसंख्या में कुछ कमी आई हो लेकिन आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के लिए ग्रामीणों की कुल संख्या अब भी काफी है।

'ग्रामीण विकास' का अभिप्राय एक ओर जहाँ लोगों का बेहतर आर्थिक विकास करना है, वहीं दूसरी ओर वृहत सामाजिक कायाकल्प भी करना है। ग्रामीण लोगों को आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएँ मुहैया कराने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की उत्तरोत्तर भागीदारी सुनिश्चित करने, योजना का विकेन्द्रीकरण करने, भूमि सुधार को बेहतर ढंग से लागू करने और ऋण प्राप्ति का दायरा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण ग्रामीण भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाना भारत सरकार का मुख्य दायित्व रहा है। इसलिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलाओं के योगदान का भी प्रावधान किया गया है, ताकि समाज के इस वर्ग के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की जा सके।

इस इकाई के अंतर्गत हम ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं तथा बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, महिलाओं तथा बालकों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आदी के बारे में भी चर्चा करेंगे।

6.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात आप निम्न को समझ पायेंगे

1. ग्रामीण विकास कार्यक्रम (महत्व एवं उद्देश्य)
2. हरित क्रांति
3. ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
4. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा)
6. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
7. ग्रामीण महिलाओं तथा बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम
8. महिलाओं तथा बालकों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं

आइये इकाई की शुरुआत ग्रामीण विकास कार्यक्रम से करते हैं।

6.3 ग्रामीण विकास कार्यक्रम

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हम देश का विकास चाहते हैं, तो हमें गांवों का विकास करना होगा। सही मायने में देखें तो गांवों की खुशहाली में ही देश की खुशहाली है। आजादी के बाद से ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए ठोस प्रयास किये गए हैं,

परिभाषा

ग्रामीण विकास को ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक एकीकृत प्रक्रिया है, जिसमें समाज के गरीब वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास शामिल है।

रॉबर्ट चैंबर्स के मुताबिक, ग्रामीण विकास एक विशिष्ट रणनीति है जो कि लोगों के एक विशिष्ट समूह, गरीब ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को खुद के लिए, और उनके बच्चों को जो वे चाहते हैं और जिसकी जरूरत है उसे हासिल करने के लिए उन्हें सक्षम करना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की मांग करने वाले ग्रामीणों के लिए गरीबों की मदद करने और उनका विकास करने में मदद करना शामिल है। इन समूहों में छोटे किसान, मजदूर और भूमिहीन शामिल हैं

प्रारंभ में, विकास के लिए मुख्य जोर कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संबंधित क्षेत्रों पर दिया गया था। बाद में यह समझने पर कि त्वरित विकास केवल तभी संभव है जब सरकारी प्रयासों के साथ साथ पर्याप्त रूप से जमीनी स्तर पर लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागीदारी हो।

ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों का बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है।

इस प्रकार, ग्रामीण विकास शब्द का इस्तेमाल उपर्युक्त अर्थों में से किसी एक को इंगित करने के लिए किया जा सकता है। असंख्य परिभाषाओं में अप्रभावी असंतुलन से बचने के लिए, हम ग्रामीण विकास को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करेंगे जो ग्रामीणों विशेष रूप से वंचित एवं गरीब लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सतत सुधार के लिए अग्रणी है,

ग्रामीण विकास के मुख्य उद्देश्य

ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्य उद्देश्यों का इस प्रकार है:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं जैसे स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़क, पेयजल, विद्युतीकरण आदि का प्रावधान
2. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का विकास

3. सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सामाजिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रावधान
4. सामाजिक-आर्थिक आधारभूत संरचना का विकास, जिसमें ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों, स्कूल आदि की स्थापना शामिल है
5. ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्पों का विकास
6. कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को लागू करना
7. ऋण और सब्सिडी के माध्यम से उत्पादक संसाधन उपलब्ध कराकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तिगत परिवारों और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के लिए सहायता
8. ग्रामीण विकास के लाभार्थियों का कौशल विकास प्रशिक्षण द्वारा मानव संसाधन विकास गतिमान करना।

6.4 हरित क्रांति

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के निर्देशक डॉ विलियम एस. गैड हरित क्रांति के अग्रदूत थे. यह क्रांति 1968 में प्रारंभ हुई. इस क्रांति के द्वारा अन्य विकासशील देशों की भांति भारत के खाद्यान उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा. इस क्रांति का सीधा प्रभाव गेहूं व चावल के उत्पादन पर बहुत अधिक पड़ा. विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश दुनिया के नक्शे में गेहूं उत्पादन के लिए उभर कर आये. वैसे हरित क्रांति के विशेष उत्प्रेरक मेक्सिको निवासी डॉ नार्मन बोरलॉग हैं जिन्होंने बोनी गेहूं व चावल की जातियों को जन्म दिया. भारत में लरमा रोजो व सोनोरा- 64 गेहूं की ही किस्में मेक्सिको से आयात की गईं. इन्ही किस्मों से भारत के डॉ एम. एस. स्वामीनाथन ने शरबती सोनोरा, पूसा लरमा, कल्याण सोना व सोनालिका चार किस्में विकसित की. इन किस्मों ने देश में वास्तव में क्रांति ला दी थी. जहाँ हरित क्रांति से पहले देश में 12.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि में 8.51 कुंतल प्रति हेक्टेयर के दर से 11.1 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता था वहां हरित क्रांति के पश्चात् 25.1 मिलियन हेक्टेयर में 24.9 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से 62.6 मिलियन टन का उत्पादन होने लगा. यह तीन गुनी वृद्धि भारत के लोगों की भूख को शांत करने में ही सहायक नहीं हुई बल्कि इसने देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया.

हरित क्रांति का भारतीय कृषि पर प्रभाव

- 1) गेहूं, चावल व मक्का के उत्पादन में लगभग क्रमशः 5.5, 2.3 व 2 गुनी वृद्धि हुई.
- 2) ज्वार, बाजरा, जौ एवं अन्य मोटे अनाजों के उत्पादन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो पायी.

- 3) हरित क्रांति का दलहन, तिलहन पर किसी प्रकार का अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा.
- 4) हरित क्रांति का जहाँ बड़े एवं माध्यम किसान पर धनात्मक प्रभाव रहा वहीं लघु व सीमान्त किसान पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा.
- 5) हरित क्रांति से क्षेत्रीय असंतुलन भी बढ़ा. इसका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में तो अच्छा रहा परन्तु अन्य क्षेत्र अछूते रहे.
- 6) इसके अतिरिक्त हरित क्रांति समूह उपजाऊ शक्ति, जल ताल, ऊसरपन, वनों की कमी, चारागाहों की कमी भी दर्ज की गई.

6.5 अन्त्योदय कार्यक्रम

ग्रामीणों के हित के लिए स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण द्वारा गाँधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर, 1977 को अन्त्योदय कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था - “भारत के सबसे निर्धन वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को राजस्थान सरकार ने लागू किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गावों के सबसे निर्धन परिवारों को चुनकर उनकी आर्थिक मदद करनी थी। आर्थिक मदद अग्र प्रकार से की जानी थी -

1. वृद्धावस्था पेंशन देकर।
2. रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर।
3. कृषि योग्य भूमि को आवंटित करके।

इस कार्यक्रम हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले कुछ परिवारों का चयन किया गया। उसमें वे परिवार शामिल थे जिनके यहाँ कमाने वाला कोई अन्य सदस्य नहीं था। वे स्वयं भी जीविकोपार्जन की स्थिति में नहीं थे। अक्षम थे या बीमार थे। उनके लिए भी सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की गई थी। स्वरोजगार विकसित करने हेतु सरकार द्वारा सिलाई मशीन, दुधारू पशु, बैलगाड़ी, हाथकरघा, मुर्गी के चूजे आदि निर्धन परिवारों को दिये गये। उन्हें खेती करने के लिए सरकार द्वारा कृषि योग्य भूमि का आवंटन भी किया गया साथ ही भूमि विकास के लिए कुल खर्च का 25 प्रतिशत से 33.5 प्रतिशत तक उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई।

अन्त्योदय कार्यक्रम काफी सफल रहा। मगर भारत में यह मात्र 2 वर्ष तक ही चल सका। सत्ता परिवर्तन के साथ ही इस कार्यक्रम को भी समाप्त कर दिया गया तथा इसके उद्देश्यों को ‘समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ के साथ जोड़ दिया गया।

6.6 ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

6.6.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (National Rural Employment Programme- NREP)

सन 1997 में गरीबों को रोजगार प्रदान करने के लिए तथा स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' चालू किया गया और बाद में सन 1980 से इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का नया रूप दिया गया। 1 अप्रैल 1981 से इस योजना को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 50 : 50 के आधार पर चलाया गया है। इस मजदूरी को केवल अनाज द्वारा ही नहीं दिया जाता है बल्कि प्रतिदिन/ प्रतिव्यक्ति १ किलोग्राम अनाज तथा शेष मजदूरी नगद दी जाती थी।

उद्देश्य

- 1) ग्रामीण क्षेत्र के अधिसंख्या बेरोजगार अथवा कम बेरोजगार प्राप्त स्त्री-पुरुषों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना जिससे उनकी आमदनी बढ़े तथा खान-पान का स्तर भी ऊपर उठे।
- 2) ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक हित की ऐसी वस्तुएं बनाना जिससे उत्पादन बढ़े और साथ-साथ उनके रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठ सके।
- 3) मनुष्यों के विकास के लिए अतिरिक्त सुरक्षा भंडार का सदुपयोग करना।

6.6.2 ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training of Rural Youth for Self-Employment- TRYSEM)

स्वतः रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए यह कार्यक्रम सन् 1970-1980 में केंद्र सरकार द्वारा लागू है। यह समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ही एक अंग है।

इस योजना के अर्तगत ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण शिल्पकारों के परिवारों के ऐसे नवयुवकों एवं नवयुवतियों को जिनकी आयु 18-35 वर्ष के मध्य है तथा जो गरीबी की निर्धारित सीमा से नीचे रह रहे हैं, उनको प्रशिक्षण देकर स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग-धन्धे तथा व्यवसाय सेवा में स्थापित किया जा रहा है।

उद्देश्य

TRYSEM का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले ग्रामीण युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर इस योग्य बनाना कि वे स्वरोजगार होकर अर्थोपार्जन कर

सके। अपनी आजीविका चलाने के साथ ही परिवार का भरण.पोषण कर सके। वर्ष 1983 से इस कार्यक्रम में स्वरोजगार के साथ.साथ मजदूरी हेतु प्रशिक्षण को भी सम्मिलित कर लिया गया।

विशेषताएँ

1. व्यवसाय के अनुरूप शैक्षिक योग्यता होना
2. ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 18.35 वर्ष के आयु वर्ग के निर्धन परिवारों के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना।
3. विधवाओं बंधुआ मजदूरों तलाकशुदा औरतों तथा स्वस्थ कुष्ठ रोगियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष है।
4. चयनित युवाओं में 40 प्रशिक्षार्थी लिए जाते हैं जिसमें 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति / जनजाति तथा 20 प्रतिशत महिलाओं का होना अनिवार्य है।
5. इसमें प्रशिक्षण पाने वाला प्रत्येक लाभार्थी **TRYSEM** का संभावित लाभार्थी होता है।
6. चयनित सीमा से बाहर के लाभार्थियों का प्रवेश शुल्क 50 रु प्रतिमाह।

प्रशिक्षण अवधि

इस योजना के अन्तर्गत चयनित युवाओं को 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है, परन्तु राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस अवधि में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। प्रशिक्षण काल में युवाओं को 200-500 रुपये के बीच छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। उन्हें उपयुक्त औजार/उपकरण/यंत्र को खरीदने हेतु धन भी उपलब्ध करवाया जाता है।

प्रदत्त सुविधाएं

- छात्रवृत्ति की सुविधा (200 रुपये से 500 रुपये तक प्रति माह)।
- व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण की सुविधा।
- पाँच सौ रुपये मूल्य तक के टूलकिट की विशेष सुविधा।
- उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी मार्गदर्शन एवं परामर्श।

प्रशिक्षण के क्षेत्र

- १) कृषि आधारित- उद्योग जैसे जूट, ट्रैक्टर रिपेयरिंग, पंप सेट रिपेयरिंग आदि.
- २) पशुपालन- बकरी, भेड़, मछली, दुग्ध उत्पादन आदि.

- ३) वन सम्पदा पर आधारित- रेशम के कीड़े पालन, मधुमक्खी पालन, लकड़ी का सामान बनाना.
- ४) फल संरक्षण.
- ५) सेवा सम्बन्धी- दर्जी, ढ़ लोहारगीरी चमड़ा रैग्जीन का निर्माण टिन-स्मिथ पत्थर मूर्ति निर्माण सइकिल एवं रिक्शा मरम्मत मोटर बाइंडिंग इलैक्ट्रीशियन हिन्दी टंकण फोटोग्राफी कम्प्युटर प्लम्बरिंग
- ६) कुटीर उद्योग धंधे- बुनाई, छपाई, रंगाई, हाथ चरखा आदि.

6.6.3 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (Rural Landless Employment Guarantee Programme- RLEGP)

यह योजना भारत सरकार की शत- प्रतिशत सहायता से सितम्बर 1983 में ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन मजदूरों के परिवारों में से कम-से-कम एक सदस्य को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सहायक स्थायी परिस्थितियों के सृजन के उद्देश्य से चलायी गयी।

इस योजना के अन्तर्गत अभी तक श्रमिकों को प्रति मानव दिवस 1 किग्रा. गेहूं 1.50 रूपये प्रति किग्रा की सस्ती दर पर दिया गया। वर्ष 1987-88 से भारत सरकार ने प्रदेश को 135750 मीट्रिक टन गेहूं सस्ती दर पर वितरण हेतु उपलब्ध कराकर न्यूनतम 40 प्रतिशत मजदूरी गेहूं के रूप में देने का निर्देश दिया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भी सड़क निर्माण, सिंचाई तथा अन्य कार्यों में लगे मजदूरों की दर में वृद्धि दर 11.50 रूपये प्रतिदिन कर दी गयी। अपरिपक्वता के रूप में भारत सरकार से प्राप्त गेहू से जहाँ एक ओर कार्यरत श्रमिकों को आर्थिक लाभ पहुंचा वहीं दूसरी ओर बाजार से खाद्यान्न के भाव को स्थायित्व तथा प्रदेश को लगभग 21 करोड़ रूपये के अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हुए।

6.6.4 जवाहर रोजगार योजना (Jawahar Rozgar Yojana- JRY)

इस योजना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व. श्री जवाहर लाल नेहरु की जन्म शताब्दी वर्ष में 1989 में लागू किया गया. जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत भौतिक परिसम्पत्तियों का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में किया गया, जिनमें पेयजल कुएँ, सिंचाई कुएँ, ग्रामीण सड़कें, लघु-सिंचाई, भूमि सुधार, भूमि विकास, पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय भवन आदि सम्मिलित हैं।

उद्देश्य:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के बेरोजगार तथा अर्द्ध बरोजगार सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराना.

2. गरीब समूह को लाभान्वित करने के लिए सामुदायिक आवश्यक सुविधाओं को उत्पन्न करना तथा
3. ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार करना.

जवाहर रोजगार योजना में कुछ नये प्रयास सम्मिलित किये गए-

- केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया कि उन बाल श्रमिकों के माता-पिता को इस योजना के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध करवाये जाएं जिन्हे खतरनाक उद्योगों से काम करने से मना किया गया था।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को एक किलोग्राम अनाज प्रतिदिन की दर से दिया जाए।
- कुल धन राशि का 3 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले विकलांगों को लाभान्वित करने वाली परिसम्पत्तियों के निर्माण में व्यय किया जाए।

6.6.5 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (Jawahar Gram Samridhi Yojana)

जवाहर रोजगार योजना के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1999 से इस योजना की शुरुआत की. इस योजना के अंतर्गत ग्राम्य विकास की वार्षिक कार्य योजना बनाना, तथा उसका ग्राम्य पंचायत के माध्यम से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना मुख्य है. इस योजना में JRY, NREP, RLEGP आदि कार्यक्रमों को समाहित कर दिया गया.

उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्र में गाँव की आवश्यकता के अनुरूप इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना ताकि गाँवों में निवास करने वाले ग्रामीणों को रोजगार का अवसर मिले। वे गाँवों में रहकर ही रोजगार करके धनार्जन करें तथा अपने एवं अपने परिवार के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाये, इससे शहरों की तरफ पलायन कम होगा।

विशेषताएं

1. वार्षिक आवंटन का 22.5 प्रतिशत धन अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों पर खर्च किया जाएगा।
2. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों (बी.पी.एल. परिवारों) को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना।

कार्य

1. सेनेट्री लैट्रिन (स्वच्छ शौचालय) तथा धूमरहित चूल्हा लगाना।
2. लाभार्थी की स्वयं की भूमि पर लकड़ी तथा घास हेतु पौध रोपण करना।
3. सिंचाई के लिए खुला कुआँ तथा बोरेवेल की सुविधा प्रदान करना।
4. मछली पालन के लिए तालाब की खुदाई/पुनः खुदाई का कार्य करना।
5. लाभार्थी की उपजाऊ भूमि पर फूल तथा फलदार पौधे लगाना।
6. सरकारी भूमि/भूदान भूमि/सिलिंग सरप्लस भूमि के आवंटियों की भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्य करना।
7. लाभार्थियों को रहने हेतु आवास की व्यवस्था करना। इस हेतु आवास का निर्माण कार्य करना।

6.6.6 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarnjayanti Gram Swarozgaar Yojana- SGSY)

ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निर्धनता, गरीबी तथा भूखमरी से मुक्त कराने तथा ग्रामीण विकास को मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार द्वारा यह योजना आरम्भ की गयी। गरीबी उन्मूलन हेतु पूर्व में प्रचलित छः योजनाओं (TRYSEM, IRDP, SITRA, जीवनधारा (Million Wells Scheme), गंगा कल्याण योजना और (DWCRA) को समाप्त कर, नवीन योजना “स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना” लागू की गई है उसमें सभी योजनाओं के महत्वपूर्ण बिन्दुओं एवं उद्देश्यों को शामिल किया गया है। गंगा कल्याण योजना और (DWCRA) को समाप्त कर, नवीन योजना “स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना” लागू की गई है उसमें सभी योजनाओं के महत्वपूर्ण बिन्दुओं एवं उद्देश्यों को शामिल किया गया है। साथ ही पूर्व की कमियों को दूर करने का एक सार्थक प्रयास किया गया है। इस योजना के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया की प्रत्येक विकास खंड में पांच वर्षों में 30 प्रतिशत तक निर्धन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाए तथा उनके उत्थान हेतु आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाए।

जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में स्वयं सहायता समूह की अवधारणा एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा नाबार्ड (National Bank of Agriculture and Rural Development, NABARD) तथा अन्य संस्थाओं के प्रयासों से सन 1999 से तेजी से विकसित होना प्रारम्भ हुआ। ये स्वयं सहायता समूह न केवल एक सशक्त संगठन के रूप में देश के पटल पर उभरकर सामने आये हैं, अपितु लघु बचत के माध्यम से अल्प आय वर्गीय लोगों में स्वाभिमान, स्वयं सहायता, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता में भी वृद्धि करते हैं। इसी उद्देश्य से जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं संचालन किया जा रहा है।

उद्देश्य-

जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को बैंक ऋण तथा सरकारी अनुदान के माध्यम से उन्ही की क्षमताओं का उपयोग करके, बड़ी संख्या में लघु उद्योग स्थापित कर स्वरोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें तीन वर्ष के अन्दर गरीबी रेखा से ऊपर लाना.

योजना की विशेषताएं

1. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के कार्यक्षमता पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना करना.
2. सहायता प्राप्त परिवार (स्वरोजगारी) या तो कोई अकेला व्यक्ति अथवा समूह (स्वयं-सहायता समूह) हो सकता है.
3. प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को तीन वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर लाना.
4. यह योजना लघु उद्योगों का एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलु शामिल होंगे, जैसे- गरीबों का स्वयं-सहायता समूहों का गठन, उनकी क्षमता का विकास, सामूहिक क्रिया कलापों की योजना, ढांचा निर्माण, तकनीकी, ऋण तथा विपणन.
5. योजना की प्रत्येक गतिविधि के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का निकट का सम्बन्ध रहेगा.
6. योजना के अंतर्गत पांच वर्षों में प्रत्येक खंड में 30 प्रतिशत गरीबों को एक सक्षम कार्यक्रम के माध्यम से सम्मिलित करने का प्रयास किया जायेगा.
7. स्वरोजगारियों द्वारा उत्पादित सामानों की विपणन को बढ़ावा दिया जायेगा.
8. सामान्य स्वरोजगारियों को 30 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जायेगा.
9. योजना का कार्यन्वयन पंचायत समितियों के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा किया जायेगा. योजना के कार्यन्वयन तथा निगरानी में जिले के बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं, पंचायती संस्थाएं, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन तथा तकनीकी संस्था शामिल होंगी.
10. योजना के अंतर्गत निधियों में केंद्र तथा राज्य सरकारों का अंश 75 : 25 के अनुपात में होगा.
11. योजना के अंतर्गत एक बार ऋण के बजाय अनेक चरणों में ऋण को बढ़ावा दिया जायेगा.

स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह एक समान आर्थिक तथा सामाजिक स्तर के व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो नियमबद्ध तरीके से संचालित हो और आपसी सहयोग व संसाधनों से विकास के लिए प्रयासरत हो, जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा वे अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण कर सकें। सामान्यतया समूह में 15-20 सदस्य होते हैं। समूह के लिए निम्नांकित पैटर्न का होना जरूरी है-

1. समूह की एकरूपता - समूह में शामिल सभी सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक पृष्ठभूमि एक समान होना चाहिए।
2. समूह के सभी सदस्य अपनी स्वयं की सहायता करने की मानसिकता रखते हों। अर्थात् उनमें स्वयं के प्रयासों से गरीबी को दूर भगाने का दृढ़ संकल्प हो।
3. समूह के सभी सदस्यों में सामाजिक, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए सम्मिलित रूप से संगठित होकर प्रयास करने की भावना होनी चाहिए।
4. समूह के सभी सदस्य एक ही गाँव के निवासी होने चाहिए।

सदस्यों द्वारा हर महीने छोटी-छोटी बचत करके धनराशी इकट्ठा की जाती है। समूह का बैंक में एक बचत खाता खोला जाता है जिसका संचालन स्वयं सदस्यों द्वारा किया जाता है। सदस्यों द्वारा बचत की जाने वाली धनराशी, इसकी अवधि तथा सदस्यों के किन उद्देश्यों हेतु ऋण दिया जा सकता है, इसका निर्णय स्वयं समूह के सदस्य करते हैं। समूह के सदस्यों की नियमित बैठक होती है, जहाँ वे अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। समूह के सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। निर्णय सबकी सहमति से लिए जाते हैं।

स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य

- 1) लक्षित क्षेत्र की महिलाओं एवं पुरुषों को स्वयं सहायता समूह की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना।
- 2) सशक्तिकरण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए समूह के माध्यम से उन्हें संगठित करना अनुर उनके अन्दर समूह-भावना जागृत करना।
- 3) समूह में आत्मविश्वास और क्षमताओं को विकसित करना।
- 4) समूह के सदस्यों के अन्दर बचत की भावना को विकसित करना और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए आय संवर्धन कक्रम चलाने के लिए तैयार करना।

- 5) समाज में लैंगिक भेदभाव को धीरे-धीरे खत्म करना और सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से महिला-पुरुष के बीच समानता लाना.
- 6) महिला सदस्यों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए उन्हें परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, संतुलित आहार, टीकाकरण आदि के बारे में जानकारी देना व जागरूक करना.

स्वयं सहायता समूह की विशेषताएं

स्वयं सहायता समूह की निम्नांकित विशेषताएं हैं -

1. स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 लोगों, जिसमें केवल महिला, केवल पुरुष अथवा महिला व पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। यह अनौपचारिक अथवा अपंजीकृत संगठन भी हो सकता है।
2. सदस्य गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए।
3. एक परिवार से एक समूह में एक ही सदस्य हो सकता है।
4. समूह के सदस्यों में जरूरतमंद सदस्यों की आवश्यकता को प्राथमिकता देने की भावना होनी चाहिए।
5. एक व्यक्ति केवल एक ही स्वयं सहायता समूह का सदस्य हो सकता है।
6. समूह के सभी सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक स्थिति एक जैसी होनी चाहिए।
7. समूह के सभी सदस्यों को गरीबी उन्मूलन हेतु एक जुट होकर प्रयास करना चाहिए उनमें स्वयं अपनी मदद करने की भावना होनी चाहिए।
8. समूह में कोई भी निर्णय लेना हो, तो सदस्यों के सर्व सम्मति से लिया जाना चाहिए।
9. समूह के अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष इन तीनों पदों लिए अलग-अलग परिवार के सदस्य होने चाहिए।
10. समूह के नियम किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा थोपे हुए नहीं होने चाहिए। बल्कि आपसी सहमति से समूह द्वारा ही नियम एवं शर्तें बनायी जानी चाहिए।
11. समूह की कार्य प्रणाली लचीली होनी चाहिए। मगर समूह में अनुशासन होना जरूरी है जो भी नियम एवं शर्तें समूह द्वारा बनायी गई हैं, उनकी पालना सख्ती से किया जाना चाहिए।

6.6.7 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (Sampoorn Gramin Rozgar Yojana-SGSY)

सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, दोनों का 25 दिसम्बर, 2001 को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में विलय कर दिया गया. योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है. कार्यक्रम का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति/ जनजाति व खतरनाक व्यवसायों से हटाये गए बच्चों के अभिभावकों को विशेष सुरक्षा प्रदान करना है. योजना के तहत रोजगार देने में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को प्रमुखता दी जाएगी. इस योजना में कोई भी काम ठेकेदारों से काम कराने की अनुमति नहीं है और न ही किसी माध्यम या बिचौलिया एजेंसी को शामिल करने का प्रावधान है.

यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों से क्रियान्वित होता है. पंचायत का प्रत्येक स्तर कार्ययोजना बनाने तथा इसे लागू करने के मामले में एक स्वतंत्र इकाई होता है. जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच संसाधनों का वितरण 20:30:50 के अनुपात में किया जाता है. केंद्र व राज्य सरकार इस कार्यक्रम का मूल्यांकन प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा प्रभाव-अध्ययनों के जरिये करवाती हैं.

6.6.8 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act – MGNREGA)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य, ग्राम पंचायत के पास एक तस्वीर के साथ अपना नाम, उम्र और पता जमा करते हैं। जांच के बाद पंचायत, घरों को पंजीकृत करता है और एक जॉब कार्ड प्रदान करता है। जॉब कार्ड में, पंजीकृत वयस्क सदस्य का ब्यौरा और उसकी फोटो शामिल होती है। एक पंजीकृत व्यक्ति, या तो पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से (निरंतर काम के कम से कम चौदह दिनों के लिए) काम करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन दैनिक बेरोजगारी भत्ता आवेदक को भुगतान किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसलिए, पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतान किया जाना चाहिए। सभी वयस्क रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना के प्रमुख प्रावधान हैं-

- NREGA अधिनियम रोजगार की कानूनी (2008-09) गारंटी प्रदान करता है।

- प्रत्येक विकास खण्ड पर इस कार्यक्रम की गतिविधियों का चयन पंचायत समितियों द्वारा करने का प्रावधान है।
- पंचायत समितियों द्वारा लोगों को, कार्यक्रम की पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामाजिक सहभागिता का पूर्ण आश्वासन दिया जाएगा।
- कष्ट निवारण समितियां हर जगह उपलब्ध होंगी।
- 33 प्रतिशत लाभ महिलाओं को होगा तथा उन्हें पुरुषों के बराबर पारिश्रमिक की व्यवस्था।
- रोजगार का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, ग्राम पंचायत समिति में पंजीकरण करा सकता है। पंजीकृत होने वाले व्यक्तियों को ग्राम पंचायत द्वारा जॉब गारंटी कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड के अंतर्गत वैधानिक मान्यता है कि 15 दिनों के अंदर व्यक्ति को रोजगार मिले।
- पंजीकरण कार्यालय वर्षभर खुला रहेगा।
- व्यक्ति को रोजगार उसके घर से 5 किमी. के दायरे में मिलेगा तथा साथ में मजदूरी भत्ता भी उपलब्ध कराया जायेगा।

6.7 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

ग्रामीणों के विकास हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये गये परंतु इन्हें अलग-अलग चलाये जाने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा तथा आशानुरूप सफलता नहीं मिली। अतः उपरोक्त सभी कार्यक्रमों को एक बड़ी छतरी के रूप में सम्मिलित करके, एक नए कार्यक्रम को चलाया गया तथा इसका नाम दिया गया - 'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम'।

समन्वित अथवा समग्र परीक्षण विकास कार्यक्रम स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व तथा पश्चात् में चलाये गये अनेक कार्यक्रमों की सफलता और असफलता को ध्यान में रखकर बनाया गया। यह कार्यक्रम 1978-79 में देश के 2300 विकास खण्डों में प्रारम्भ किया गया और बाद में 2 अक्टूबर, 1980 से देश के सभी विकास खण्डों में प्रारम्भ कर दिया गया।

उद्देश्य

1. ग्रामीण निर्धनों को आय सृजित करने वाली परिसम्पत्तियों प्रदान करके स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध करवाना ही इस कार्यक्रम का पहला एवं प्रमुख उद्देश्य है।
2. विज्ञान तथा तकनीक का सहारा लेकर स्थानीय उपलब्ध संसाधनों, जैसे - जल, जंगल, जमीन, पहाड़, नदियाँ आदि का अधिकतम उपयोग करना।

3. भूमिहीन श्रमिकों, सीमान्त कृषकों, महिलाओं तथा काश्तकारों के लिए लाभदायी योजनाएं बनाना।
4. बालकों को शिक्षा प्रदान करना, विशेषकर उन्हें जिन्होंने स्कूली शिक्षा या तो प्राप्त ही नहीं की है अथवा पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है।
5. कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में आत्म विश्वास पैदा करना।

कार्य प्रणाली- इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जिला स्तर पर एक जिला ग्रामीण एजेन्सी की स्थापना की गयी। इसका कार्य सभी सरकारी विभागों तथा बैंकों में समपर्दा कारण का है। लीड बैंक भी इस कार्य में सहयोग करने के लिए बाध्य किये गये हैं।

कार्यक्रम- इस कार्यक्रम में सावधानी से जरूरतमन्द परिवारों को चयनित किया जाता है। प्रत्येक परिवार को 25 से 33.3 सब्सिडी प्रदान की जाती है तथा शेष सहायता ऋण के रूप में बैंकों से दिलायी जाती है। इस प्रकार प्रत्येक परिवार की आर्थिक आवश्यकता को पूरा करके आमदनी बढ़ाने का प्रयास होता है।

कार्यक्रम की उपलब्धियाँ- यह कार्यक्रम मुख्य रूप से दो सिद्धान्तों पर आधारित है।

1. स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम प्रयोग।
2. सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा विकास एजेन्सियों द्वारा सहयोग।

सन् 1980 में IRDP योजना को सम्पूर्ण देश भर में लागू कर दिया गया। जिला कलेक्टर को इस कार्यक्रम के सफल संचालन की जिम्मेदारी दी गई। छठी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के माध्यम से 150 लाख परिवारों को सहायता दी गई। विकास की दृष्टि से यह उस समय का एक बड़ा कार्यक्रम था। इस पर 4730 करोड़ खर्च किये गये। एक अध्ययन के अनुसार केरल, कर्नाटक तथा गुजरात राज्य में इस कार्यक्रम से अधिक लोग लाभान्वित हुए तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि तथा उद्योग धन्धे के क्षेत्र में लोगों को काफी लाभ हुआ। परिणामतः उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी तथा आर्थिक दशा में सुधार हुआ।

6.8 ग्रामीण महिलाओं तथा बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों पर भी काफी हद तक निर्भर करती है. हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकतर जनता का मुख्य व्यवसाय है खेती तथा खेती पर आधारित उद्योग-धंधे. हमारे देश की महिलाएं का भी कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है. परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति ज्यादा संतोषजनक नहीं है. वे अशिक्षा, कुपोषण, रूढ़िगत परम्पराओं इत्यादि का शिकार हैं

जिस कारण असमय ही कई नवजात शिशुओं और गर्भवती माताओं की मृत्यु तक हो जाती है। ग्रामीण स्त्रियों तथा बच्चों के उच्चतम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रही है।

6.8.1 महिला तथा बाल विकास विभाग के प्रसार कार्यक्रम (Extension activities of department of women and child development)

- महिला और बाल कल्याण और अन्य मंत्रालयों और संगठनों की गतिविधियों का समन्वय
- एकीकृत बाल संरक्षण योजना: पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं, पूर्व-विद्यालय की अनौपचारिक शिक्षा शामिल सेवाओं के पैकेज प्रदान करना
- महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता
- विभाग को आवंटित विषयों पर स्वैच्छिक प्रयासों का प्रचार और विकास
- किशोरी शक्ति योजना,
- किशोरी लड़कियों के लिए पोषण कार्यक्रम

6.8.2 प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RCH)

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम अक्टूबर 1997 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिशु, बच्चे और मातृ मृत्यु दर को कम करना है। इसके पहले चरण में कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे:

सहभागीता योजना के दृष्टिकोण द्वारा नीति के कार्यान्वयन और प्रबंधन में सुधार लाना लिए और संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए परियोजना संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना।

मौजूदा परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता, कवरेज और प्रभावशीलता में सुधार लाना।

धीरे-धीरे परिवार कल्याण सेवाओं के दायरे और कवरेज को विस्तारित करने के लिए अंततः आवश्यक आरसीएच सेवाओं के एक परिभाषित पैकेज में लाना।

मौजूदा परिवार कल्याण सेवाओं के दायरे और सामग्री का आवधिक रूप से विस्तार करने के लिए परिभाषित पैकेज के जरूरी में अधिक तत्वों को शामिल करना।

परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर जिलों या शहरों के वंचित क्षेत्रों को महत्व देना।

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अब इसका दूसरा चरण है: आरसीएच-द्वितीय कार्यक्रम 1 अप्रैल, 2005 से शुरू किया गया है।

आरसीएच -2 का उद्देश्य मिलेनियम विकास लक्ष्यों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, और दसवीं योजना दस्तावेज, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 और भारत विजन 2020 में अनुमानित परिणामों को पूरा करने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकों अर्थात् कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में बदलाव लाने का है।

6.8.3 ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास (Development of Women & Children in Rural Areas- DWCRA)

भारत सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों की स्थिति में रचनात्मक सुधार के लिए 1982 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत यह योजना आरम्भ की गई। शुरुआत में इस योजना को देश के 50 जिलों में चलाया गया था मगर 1994.95 तक देश के सभी जिलों में इसका विस्तार कर दिया गया ताकि भारत की निर्धन ग्रामीण स्त्रियों का कल्याण हो। इसका प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार का साधन उपलब्ध करवाना है जिससे वे अर्थोपार्जन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें एवं राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें।

उद्देश्य- इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है, ग्रामीण स्त्रियों का सर्वांगीण विकास करना। उन्हें शिक्षित करना, रोजगार उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण देना, उत्तम स्वास्थ्य हेतु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना, धूम्ररहित चूल्हे पर खाना पकाने के लिए प्रेरित करना, शौचालय की व्यवस्था करना आदि।

DWCRA कार्यक्रम हेतु चयन का आधार -

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली महिलाओं का चयन किया जाता है।
2. उस परिवार की स्त्रियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें मातृ-शिशु मृत्यु दर अधिक होती है।
3. कार्यक्रम हेतु 15-20 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है जो एक-दूसरे की सहायता से व्यक्तित्व के विकास में बाधक बनने वाली सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर आत्म-विकास की ओर बढ़ती है। जिले के प्रत्येक प्रखण्ड में 30 समूह गठित किये जाते हैं। इन समूहों का पुनः विभाजन किया जाता है तथा 6-6 के हिसाब से 5 चयनित पंचायतों में गठित किया जाता है। पंचायत के चयन का आधार क्षेत्र का पिछड़ापन होता है, जहाँ पेयजल व्यवस्था, सड़क, अस्पताल आदि मूलभूत भौतिक सुविधायें भी नहीं होती हैं तथा जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति की बहुलता होती है, जिन क्षेत्रों के निवासी निरक्षर होते हैं तथा जहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होती है। इस प्रकार पंचायत का चयन किया जाता है।

धन

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme) की कर्ज सहायता सुविधा के साथ-साथ समूह के सभी सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (Development ऑफ़ Women and Children in Rural Areas) के तहत 15000 रु. की राशि, एक साथ सहायता परिक्रामी निधि (Revolving Fund) के रूप में निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दी जाती है

1. कच्चे माल के क्रय तथा तैयार उत्पाद के विक्रय के लिए.
2. समूह आयोजक के एक साल का 50 रु. प्रतिमाह के दर से मेहनताने के लिए.
3. बुनियादी सुविधाओं, आय उत्पादन तथा समूह के अन्य गतिविधियों में सहायता के लिए.
4. बच्चों की देखभाल सम्बन्धी गतिविधियों के खर्च के लिए.
5. अधिकतम एक बार 500 रु., समूह के सदस्यों के बैंक आने-जाने के लिए, यात्रा भत्ते के रूप में दिया जाता है.

यह राशि भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा बराबर मात्र में वहन की जाती है.

DWCRA का प्रशासनिक ढांचा - चूंकि यह योजना 'समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' की ही एक उपयोजना है। इस योजना को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है। 'यूनिसेफ' भी इस कार्यक्रम को चलाने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक इसका मुख्य कर्ता-धर्ता होता है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। जिला स्तर पर 'जिला क्षेत्र विकास अभिकरण' में 'सहायक परियोजना पदाधिकारी' होते हैं। ये भी प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते हैं। प्रखंड स्तर पर महिला प्रसार अधिकारी होती हैं जो अपनी सेवायें देती हैं। सामुदायिक विकास के अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में दो 'ग्राम सेविकायें' होती हैं जो कार्यक्रम को चलाने में सहयोग देती हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ग्राम सेविका का पद भी सृजित किया जाता है। इनका वेतन तथा भत्ते यूनिसेफ द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार परियोजना निदेशक तथा सहायक परियोजना पदाधिकारी का वेतन भी 'यूनिसेफ' द्वारा दिया जाता है। यूनिसेफ पद के सृजन की तिथि से लेकर केवल 5 वर्ष की अवधि तक के लिए ही कर्मचारियों को वेतन देगा।

6.8.4 समन्वित बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme- ICDS)

वर्ष 1974 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति (National Policy for Children) बनाई गयी थी। समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना (संक्षिप्त में आई सी डी एस) 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण

एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में प्रारंभ की गयी योजना के द्वारा आँगनबाड़ी भवनों, सीडीपीओ कार्यालयों एवं गोदामों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। प्रारंभ में यह योजना देश के 33 खंड (ब्लाक) में ही चलाई गयी थी और 31 मार्च 2004 तक 5,652 ICDS project देश के सभी (5291) विकास खण्डों एवं 310 शहरों के गरीब क्षेत्रों में यह पहुँच गई। निपसिड (National Institute of Public Coordination & Child Development- NIPCCD) इस योजना के संचालन में पूरा-पूरा सहयोग कर रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों तथा उनकी माँ तक ICDS की सेवाओं को पहुँचाया गया जिसके अंतर्गत संतुलित पालन-पोषण आहार पहुँचाना भी शामिल है।

उद्देश्य

1. 0-6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना।
2. बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना तथा बच्चों को छः जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना।
3. बच्चों की मृत्यु, कुपोषण तथा रोग से बचाने के लिए पूरक आहार की व्यवस्था करना।
4. बालकों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना।

कार्य

समन्वित बाल विकास परियोजना के कार्य निम्नानुसार है -

- टीकाकरण
- पूरक आहार
- स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
- प्रशिक्षण

6.8.5 राष्ट्रीय महिला कोष

राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1992-93 में रु. 31 करोड़ के कोष के साथ की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग की महिलाओं को क्रेडिट के रूप में आर्थिक सहायता करना है। इसका पंजीयन एक सोसायटी के रूप में सोसायटी एक्ट 1860 के अंतर्गत किया गया। इस कोष का

संचालन एक बोर्ड द्वारा किया जाता है. राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास, इस बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं.

6.8.6 महिला समृद्धि योजना

इस योजना का शुभारम्भ 2 अक्टूबर, 1993 को किया गया. यह योजना देशभर के लगभग 1.32 लाख ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित डाकघरों के माध्यम से चलाई जा रही है. इस योजना के अंतर्गत प्रौढ़ महिलाओं को आय की बचत के लिए प्रेरित किया जाता है. इसके अंतर्गत सभी प्रौढ़ ग्रामीण महिलाओं को अपने निकटतम डाकघर में खता खोलकर उसमें अपनी आय को जमा कराया जाता है, और एक वर्ष के लिए अधिकतम रु. 300 जमा किये जाते हैं, जिस पर केंद्र सरकार एक वर्ष बाद 25 प्रतिशत आंतरिक सहायता प्रदान करती है.

अभ्यास प्रश्न 1

2. जोड़े मिलाएं

	परियोजना		संचालन वर्ष
अ	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (RLEGP)	1	अगस्त 2005
ब	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	2	सितम्बर 1983
क	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	3	दिसम्बर 2001
ड	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मनरेगा	4	अप्रैल 1999

सही/ गलत बताइए

1. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरसीएच) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास (DWCRA) कार्यक्रम का हिस्सा है।
2. समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत बच्चों तथा उनकी माँ तक की सेवाओं ICDS पोषण आहार पहुँचाना भी शामिल है।-को पहुँचाया गया जिसके अंतर्गत संतुलित पालन
3. राष्ट्रीय महिला कोष बोर्ड के अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री होते हैं।
4. महिला समृद्धि योजना डाकघरों के माध्यम से चलाई जा रही है।

6.9 महिलाओं तथा बालकों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं

6.9.1 राष्ट्रीय संस्थाएं

भारतीय शिशु कल्याण समिति

भारतीय शिशु कल्याण समिति की स्थापना सन् 1952 में हुई थी। इस संस्था के मुख्य उद्देश्य हैं - भारतीय बालकों के सर्वांगीण विकास (शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक) के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर व क्रियान्वयन करके सदैव बच्चों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना।

यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से संबंधित है। प्रत्येक राज्य व जिले में इस समिति की शाखाएं हैं। भारतीय शिशु कल्याण समिति का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।

भारतीय शिशु कल्याण समिति के कार्य

1. प्रकाशन करना - शिशु कल्याण से संबंधित पुस्तकें, पत्रिकाएं, बुलेटिन, रिपोर्ट साहित्य व शोध कार्य इस समिति द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
2. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना - यह समिति राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, जिनका उद्देश्य शिशु कल्याण एवं स्वास्थ्य की उन्नति है, उनसे सहयोग करके समन्वय स्थापित करना है। इस प्रकार यह समिति उन संगठनों से ज्ञानार्जन भी करता है तथा ज्ञान की पुस्तकें व अन्य आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है।
3. केन्द्रीय व्यूरो की स्थापना करना - इस समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य है, केन्द्रीय व्यूरो की स्थापना करना। यह व्यूरो शिशु से संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है तथा उपलब्ध आंकड़े के आधार पर मूल्यांकन करता है।
4. योजनाएं बनाना व क्रियान्वयन करना - 'भारतीय शिशु कल्याण समिति शिशु कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाती है तथा उन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हर संभव प्रयास करती है।
5. वित्तीय सहायता प्रदान करना - यह संस्था शिशु कल्याण हेतु विभिन्न शाखाओं एवं संस्थानों से जुड़े संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
6. शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना - इस समिति के द्वारा शिक्षा का प्रचार-प्रसार विविध माध्यमों (चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, फिल्म, प्रोजेक्टर) के द्वारा जन-साधारण तक किया जाता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

यह भारत का एक शीर्ष संगठन है जो ग्रामीण युवक-युवतियों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता प्रदान करता है। यह उन्हें विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण देता है ताकि वे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि को पूर्ण दक्षता तथा कुशलता से कर सकें।

उद्देश्य

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्य तीन उद्देश्य हैं -

1. कृषि संबंधी शोध करना।
2. ग्रामीण युवकों/युवतियों के लिए लाभदायक कार्यक्रम आयोजित करना।
3. ग्रामीणों को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि से संबंधित प्रशिक्षण देना।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। यह संस्थान कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, गृह विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी की पढ़ाई करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है। कृषि विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान केन्द्रों द्वारा कुछ गाँवों को चयनित किया जाता है फिर उस गाँव में ग्रामीणों के विकास हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। उन्हें खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि से संबंधित प्रशिक्षण दिये जाते हैं। वर्ष 1973 में प्ब्लूत् ने एक समिति का गठन किया जिसकी सिफारिश पर देश भर में 'कृषि विज्ञान केन्द्रों' की स्थापना की गई। इसक उद्देश्य प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा कृषकों को तकनीकी ज्ञान देना है ताकि वे उनका प्रयोग करके अधिक से अधिक अन्न उगायें। ग्रामीण स्त्रियों तथा युवतियों के उत्थान के लिए भी कृषि विज्ञान केन्द्र वचनबद्ध है तथा उनके विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् समूचे देश में चिकित्सा संबंधी अनुसंधान कार्य को प्रारंभ करने, उनका विकास करने तथा उनका संयोजन करने के लिए कटिबद्ध है। यह संस्थान मुख्य रूप से शोधकार्य को बढ़ावा देता है। इसके लिए इसे भारत सरकार से शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता मिलती है। इस संस्थान के अंतर्गत भारत में कई शोध संस्थान कार्यरत हैं जो पोषण तथा चिकित्सा के क्षेत्र में अमूल्य भूमिका निभा रहे हैं। इन संस्थानों में राष्ट्रीय पोषण संस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा भी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् पोषण से संबंधित अनेक शोध पत्रों तथा पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है।

राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद

राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना सबसे पहले कुनूर में 'कुनूर शोध प्रयोगशाला' के नाम से हुआ था। सन् 1959 में इस संस्थान को हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसका नाम 'राष्ट्रीय पोषण संस्थान' रखा गया। तब से लेकर आज तक यह संस्थान इसी नाम से जाना जाता है।

राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्य उद्देश्य है - "पोषण संबंधी शोध करना, भोज्य पदार्थों के पोषक मूल्यों का विश्लेषण करना तथा उनके परिणामों को प्रकाशित करना। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के प्रमुख विभाग हैं -

1. रोग संबंधी पोषण
2. शिक्षा एवं प्रशिक्षण
3. जीवरसायन
4. आहार एवं पोषण विज्ञान

केन्द्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान (Central Food Technological Research Institute- CFTRI)

CFTRI की स्थापना सन् 1950 में मैसूर में हुई। यह संस्था विभिन्न पदार्थों जैसे - अनाजों, दालों, फलों, सब्जियों आदि को लम्बे काल तक सुरक्षित रखने के लिए शोध करता है। साथ ही यह परिष्कृत सस्ते तथा पौष्टिक आहार भी तैयार करता है। बालकों के पोषण के लिए कई 'पूरक आहार' इस परिष्कृत ने तैयार किये हैं। परिष्कृत के कई विभाग हैं जो शोधकार्य में संलग्न हैं। इनमें से प्रमुख हैं -

1. चावल-दालों का तकनीकी अनुसंधान।
2. बेकिंग एवं कन्फेक्शनरी।
3. जीव रसायन विज्ञान एवं व्यावहारिक पोषण।
4. जीवाणु विज्ञान
5. प्रोटीन टेक्नोलॉजी
6. फल-सब्जियों का तकनीकी अनुसंधान

ये सभी विभाग मिलकर आहार तथा पोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा अनेक आहार तैयार किये जाते हैं, जैसे - स्तन्य त्याग आहार, भैंस के दूध से शिशु दुग्ध आहार, उच्च प्रोटीन युक्त आहार, वनस्पति प्रोटीन से निर्मित शिशु दुग्ध आहार आदि। इसके अलावा यह संस्थान अनाजों को सड़ने-गलने से रोकने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा अनाज भण्डारण, फलों पर मोम

की परत चढ़ाने, मछली सुखाने आदि का भी तकनीक विकसित किया है। इतना ही नहीं, यह संस्थान मूंगफली तथा सोयाबीन से दूध बनाने की विधि भी विकसित किया है।

CFTRI मैसूर ने कई पूरक पोषक आहार तैयार किये हैं, जिनमें प्रमुख हैं -

1. बाल आहार - इस आहार में गेहूँ का आटा 70 भाग, मूंगफली का आटा 20 भाग, भुने चने का आटा 10 भाग तथा विटामिन एवं कैल्शियम मिला होता है। इससे 20 प्रतिशत प्रोटीन प्राप्त होता है।
2. मास्टरयुक्त भोज्य पदार्थ - इसमें अनाज का माल्ट 40 भाग, कम वसायुक्त, मूंगफली का आटा 40 भाग तथा भुने चने का आटा 20 भाग होता है। इसमें ऊपर से विटामिन तथा कैल्शियम भी मिलाया जाता है। इस आहार से 28 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है।
3. बहुउद्देशीय आटा - इसका लोकप्रिय नाम MPF हैं। इसमें 75 भाग मूंगफली की खली (तेल निकालने के बाद बचे हुए मूंगफली का प्रोटीन अवशेष) तथा 25 भाग भुने चने के आटे को मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। फिर उसमें अलग से विटामिन A,D, थायमिन, राइबोफ्लेविन तथा कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। यह आहार सादे तथा मसालेदार मिश्रण के रूप में तैयार किया जाता है। सादे आटे का प्रयोग बेसन, मैदा, पीसी दाल या आटे में मिलाकर स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने में किया जाता है। इससे मिठाइयों तथा दही भी तैयार किये जाते हैं। मसालेदार आटा से विविध प्रकार के चटपटे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किये जाते हैं। इसकी 25 ग्राम मात्रा से 10 ग्राम प्रोटीन तथा विटामिन A, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन की आधी मात्रा प्राप्त होती है।

उपर्युक्त संस्थानों के अलावा गृह विज्ञान महाविद्यालय के आहार एवं पोषण विज्ञान विभाग केन्द्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य विभाग के पोषण संबंधी खण्ड तथा चिकित्सा महाविद्यालय के पोषण विभाग भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन, जिसका संक्षिप्त नाम 'निपसिड' है, की स्थापना 4 जुलाई, 1975 को हुई थी। यह एक स्वायत्तशासी संगठन है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। यह संस्थान 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' के अधीन कार्य करता है। इसका संचालन 'महिला एवं बाल विकास विभाग' के द्वारा होता है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य - स्वैच्छिक कार्यो एवं गतिविधियों के द्वारा बाल विकास एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना एवं उन्नत बनाना है।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन, जिसका संक्षिप्त नाम 'निपसिड' है, की स्थापना 4 जुलाई, 1975 को हुई थी। यह एक स्वायत्तशासी संगठन है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। यह संस्थान 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' के अधीन कार्य करता है। इसका संचालन 'महिला एवं बाल विकास विभाग' के द्वारा होता है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य - स्वैच्छिक कार्यों एवं गतिविधियों के द्वारा बाल विकास एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहन देना एवं उन्नत बनाना है।

निपसिड के मुख्य कार्य

1. सामाजिक विकास को उन्नत बनाना - निपसिड सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने एवं उन्नत बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इसके लिए यह संस्थान स्वैच्छिक संस्थानों/संगठनों को सहयोग एवं सहायता प्रदान करता है।
2. बाल विकास कार्यक्रम के लिए प्रारूप तैयार करना - निपसिड सरकारी नीति एवं उनकी सहायता से तथा स्वैच्छिक संस्थानों के प्रयासों के द्वारा बाल विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रारूप एवं ढाँचा तैयार करता है।
3. सरकारी नीति एवं स्वैच्छिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना - निपसिड सामाजिक विकास को उन्नत बनाने के लिए सरकारी नीति एवं स्वैच्छिक गतिविधियों में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करता है।
4. प्रकाशन - निपसिड द्वारा प्रकाशन का कार्य भी किया जाता है। पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, बाल विकास एवं सामाजिक विकास से संबंधित शोध कार्य, रिपोर्ट, बुलेटिन आदि प्रकाशित किए जाते हैं।
5. प्रशिक्षण - निपसिड एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कार्यों के सफलतापूर्वक संचालन हेतु उसमें कार्यरत ऑफिसर, अनुदेशक, सुपरवाइजर, सहायक कार्यकर्ता आदि को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से नवीनतम ज्ञान की जानकारी दी जाती है। बाल विकास कार्यक्रमों को कैसे उन्नत बनाया जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास करता है। इसके लिए सेमिनार, कार्यशाला, कान्फ्रेंस आदि आयोजित करता है। यह प्रशिक्षण देने का एक प्रमुख संस्थान है।
6. सरकारी एवं स्वैच्छिक संस्थानों को सहायता देना - यह संस्थान जन-सहयोग एवं बाल विकास के कार्यक्रमों के उचित ढंग से संचालन हेतु तकनीकी जानकारी, सलाह, मार्गदर्शन आदि के साथ-साथ ही वित्तीय सहयोग भी प्रदान करता है।
7. अन्य संगठनों के साथ सम्पर्क करना - निपसिड अन्य संगठनों (राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, विश्वविद्यालय, तकनीकी विभाग) आदि से सम्पर्क व सहयोग करके बाल विकास एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जी-जान से प्रयत्न करता है।

प्रशासकीय ढाँचा - निपसिड की संपूर्ण गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए छः मुख्य इकाइयों गठित की गई हैं, जो अग्रलिखित हैं -

1. बाल विकास प्रकोष्ठ
2. महिला विकास प्रकोष्ठ
3. नियंत्रण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ
4. जन सहयोग प्रकोष्ठ
5. सामान्य सेवा प्रकोष्ठ
6. प्रशिक्षण विभाग

1. बाल विकास प्रकोष्ठ - मातृ एवं बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों के लिए योजनाएं तैयार करना इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही इस प्रकोष्ठ के द्वार शोध कार्य किए जाते हैं व बाल विकास से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से ऑकड़े एकत्रित किए जाते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवाओं में कार्यरत ऑफिसर व अन्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार आदि का आयोजन करता है।

2. महिला विकास प्रकोष्ठ - इस प्रकोष्ठ के उद्देश्य हैं - महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार करना तथा वे स्वैच्छिक संगठन/संस्थान जो महिला विकास के कार्य में जुड़े हुए हैं व कार्य कर रहे हैं, उन्हें सहयोग प्रदान करना है। इसके साथ-ही-साथ यह प्रकोष्ठ शोध कार्य, पुस्तकें, प्रशिक्षण, लेखन कार्य आदि के लिए बड़े पैमाने पर योजना प्रबंधन का कार्य किया जाता है। इस तरह यह विभाग महिला विकास में राष्ट्रीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों में एक पूरक की भाँति कार्य करता है।

3. नियंत्रण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ - नियंत्रण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ द्वारा समन्वित बाल विकास सेवाओं के लिए मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। इन्हीं मूल्यांकन से प्राप्त रिजल्ट के आधार पर समन्वित या एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रमों में आवश्यक सुधार किए जाते हैं, जिसमें एकीकृत बाल विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालन करने में सहायता मिलती है।

4. जन सहयोग प्रकोष्ठ - इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य जन सहयोग एवं सामुदायिक जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। यह शोध कार्य हेतु सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थानों/संगठनों को आवश्यक साधन, तकनीकी उपकरण, अन्य सहयोग एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बच्चों की देखभाल करना, स्वायत्त कार्यों का प्रबंध, सामुदायिक सहयोग एवं सामाजिक कार्यों में रुचि जागृत करना इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालन हेतु जन-सहयोग प्राप्त करता है।

5. सामान्य सेवा विभाग - इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्य कार्यालय में समन्वय स्थापित करना है। साथ ही साथ पत्र-पत्रिकाएं, बुलेटिन, पुस्तकें, शोध कार्य आदि का प्रकाशन भी करना है। इसी प्रकोष्ठ द्वारा वित्तीय प्रबंध, कर्मचारी प्रबंध व अन्य कार्य प्रणाली का संचालन किया जाता है। यह संस्थान राष्ट्रीय बाल निधि का भी कार्य करती है। इस निधि का उपयोग उन संस्थानों, जो बाल विकास कार्यक्रम को संचालित करते हैं, सहायता दीया जाता है।

6. प्रशिक्षण प्रकोष्ठ - एकीकृत बाल विकास सेवाओं में कार्यरत ऑफिसर, सुपरवाइजर, अनुदेशक कार्यकर्ताओं आदि को समय-समय पर नवीन तकनीकी जानकारी एवं ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण का आयोजन, क्रियान्वयन, समन्वय व वित्तीय प्रबंध भी इसी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण हेतु सामग्री, जैसे - पोस्टर, चार्ट, बुलेटिन, फिल्म, स्लाइडर, प्रोजेक्टर, श्रव्य-दृश्य उपकरण आदि सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। वे संस्थाएं जो मातृ एवं बाल विकास कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, उन्हें भी प्रशिक्षण चलाने हेतु सहयोग, साधन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य है - देशभर में एकीकृत बाल विकास सेवाओं में कार्यरत ऑफिसर एवं कार्यकर्ताओं के लिए योजना का प्रारूप, रूप एवं ढाँचा तैयार करना।

अंतर्राष्ट्रीय संस्थायें

विश्व स्वास्थ्य संगठन (world health organization, WHO)

विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा स्विट्जरलैण्ड में है। चूंकि इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, अतः इसी कारण 7 अप्रैल को विश्वभर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक विशेष एजेन्सी हैं, जो अपने विधान के अंतर्गत मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्रभावशाली योगदान देती हैं।

सदस्यता - संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई भी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन सकता है। वे देश जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य नहीं हैं, वे भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हो सकते हैं। वे क्षेत्र, जिनका अन्तर्राष्ट्रीय संबंध नहीं हैं, वे भी इसके सहयोगी सदस्य बनकर इस संगठन से लाभ एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

उद्देश्य . विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह संस्था निरन्तर अथक प्रयास कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है - “केवल बीमारियों का नहीं होना या बीमारियों की अनुपस्थिति मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है बल्कि सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कुशलता भी है।”

विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त करना है, जिससे सभी व्यक्ति सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उत्पादक जीवन व्यतीत कर सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है तथा इन गतिविधियों पर पूर्णतः अमल किया जाता है -

विश्व स्वास्थ्य संगठन की गतिविधियाँ

1. विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण
2. पर्यावरणीय स्वास्थ्य
3. व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास
4. मानव-शक्ति का विकास
5. जैव-चिकित्सीय और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण
6. स्वास्थ्य सूचनाएं व ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं प्रकाशित करना
7. स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन

खाद्य एवं कृषि संगठन

खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना सन् 1945 ई. में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम में है। इसका मुख्य कार्य है विश्वभर में खाद्य पदार्थों के उत्पादन से संबंधित आँकड़ों को संगठन कर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर “सभी के लिए स्वास्थ्य” प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है।

उद्देश्य - विश्व की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खाद्य पदार्थों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद करना ताकि सभी लोगों को खाने के लिए अनाज, दाल, दूध आदि मिल सकें।

कार्य- अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रारंभ से ही खाद्य एवं कृषि संगठन संघर्षशील है। इसका प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं -

1. विश्वभर के सभी देशों के पोषण स्तर में अपेक्षित सुधार लाना।
2. ग्रामीणों की पोषण स्थिति में सुधार लाना।

3. जनता में पोषण शिक्षा का प्रसार करना।
4. व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम में सहायता प्रदान करना।
5. कृषि, मछली पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन तथा वन सम्पदा को बढ़ावा देना।
6. लोगों के पोषणात्मक स्तर में सुधार लाना।
7. विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर “सभी के लिए स्वास्थ्य” लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना।
8. शिशु एवं माताओं के पोषण स्तर को सुधारने में सहयोग करना।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (UNICEF)

यूनिसेफ एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट शाखा है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसम्बर 1946 को हुई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका को देखते हुए बालकों की आपात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वसम्मति से एक कोष का अधिदेश स्वीकृत किया गया था, जिसे यूनिसेफ नाम दिया गया।

यूनिसेफ प्रारंभ में चीन, यूरोप आदि देशों में युद्ध की विभीषिका से ग्रसित बालकों को वस्त्र, भोजन, औषधियाँ व अन्य उपयोगी सामान वितरित करने का कार्य करती रही है। इस संगठन द्वारा किया गया यह कार्य अत्यन्त ही सराहनीय, प्रशंसनीय एवं प्रभावी रहा। इस संगठन की कार्य-कुशलता एवं उपयोगिता को देखते हुए दिसम्बर 1950 में यूनिसेफ अधिदेश में आवश्यक परिवर्तन किया गया, जिसका उद्देश्य था - उन अविकसित एवं विकासशील देशों में जहाँ अनगिनत बालक आवश्यकता के अभाव में असमय ही दम तोड़ देते हैं, उनके हित के लिए कार्य करना। सन् 1953 में यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक स्थायी अंग बना दिया गया तथा ‘अन्तर्राष्ट्रीय’ एवं ‘आपातकालीन’ शब्दों को हटा दिया गया, परंतु ‘यूनिसेफ’ संक्षिप्त नाम की लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए इसका नाम ‘यूनिसेफ’ ही रखा गया।

यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयार्क में है, परंतु यूनिसेफ की अधिकांश प्रदाय व्यवस्था का संचालन कोपेनहेगन द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिनेवा, टोकियो और सिडनी में भी यूनिसेफ के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। यूनिसेफ की भारत की राष्ट्रीय शाखा नई दिल्ली में है।

यूनिसेफ का उद्देश्य - यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य उन देशों को आर्थिक सहायता एवं सहयोग देना है जो मातृ एवं शिशु रोग के निवारणार्थ तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संघर्षशील हैं।

यूनिसेफ आहार एवं कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर तथा उनके सहयोग से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करती है। वर्तमान में यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन

के सहयोग से मलेरिया, क्षयरोग एवं यौन रोग के उन्मूलन के लिए कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह विभिन्न देशों के मातृ एवं शिशु रोग के उन्मूलन, बाल स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य शिक्षा आदि के लिए कई कार्यक्रमों को चलाने में सहयोग देता है।

यूनिसेफ के कार्य - यूनिसेफ भारत सरकार के साथ मिलकर बालकों के स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है।

यूनिसेफ के कार्य

1. शिशु पोषण
2. शिशु स्वास्थ्य
3. बाल विकास एवं जीवितता
4. प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण
5. जल और स्वच्छता
6. शिक्षा
7. सार्वभौमिक प्रतिरक्षण
8. परिवार और शिशु कल्याण
9. आपातकालीन सहायता एवं पुनर्वास व्यवस्था

वर्तमान में यूनिसेफ द्वारा शिशु ओर बालकों में मृत्यु दर को कम करने के लिए एक अभियान 'गोबी' के नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें इन चार कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है -

1. वृद्धि आवेक्षण
2. मौखिक पुनर्जलीकरण
3. स्तनपान को प्रोत्साहन
4. प्रतिरक्षण कार्यक्रम

संयुक्त राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण

प्रारंभ में इस संस्था का नाम TCM (Technical Co-Operative Mission) रखा गया परंतु बाद में इसका नाम बदलकर यू.एस.ए.आई.डी. हो गया है। इसकी स्थापना अमेरिका द्वारा की गई थी।

उद्देश्य - इस संगठन का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य रक्षा के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में आर्थिक सहयोग एवं तकनीकी सहायता तथा सुझाव देना है।

कार्य - अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह संस्था निम्नलिखित कार्य करता है -

- स्वच्छ वातावरण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- परिवार नियोजन हेतु सुझाव देना तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाना।
- सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करने में सहयोग देना। इसके लिए गहरे नलकूपों को खोदने के लिए आवश्यक मशीनें उपलब्ध करवाता है। पथरीली भूमि वाले क्षेत्रों में जहाँ स्वच्छ जल का अभाव है, वहाँ जलापूर्ति के लिए स्थान-स्थान पर हैण्डपम्प लगवाना।
- शिशु एवं माताओं को उत्तम पोषण प्रदान करने के लिए आर्थिक सहयोग देना।
- मलेरिया उन्मूलन अभियान में, मलेरिया के मच्छरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए क्वक् तथा क्वक् के छिड़काव के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति करना।
- शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना। विशेषकर मेडिकल एवं नर्सिंग शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा अस्पतालों के विस्तार हेतु कार्य करना।
- स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।

अभ्यास प्रश्न 2

1 रिक्त स्थान भरिये:

1. भारतीय शिशु कल्याण समिति का मुख्य कार्यालय _____ शहर में है।
2. राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद _____ नामक पत्रिका का भी प्रकाशन करता है।
3. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPPCID) _____ मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
4. विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रधान कार्यालय _____ देश में है।

2 सही/ गलत बताइए

१. वे देश जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य नहीं हैं, वे भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हो सकते हैं
२. खाद्य एवं कृषि संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर “सभी के लिए स्वास्थ्य, प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है।
३. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान इसका संचालन ‘ग्रामीण विकास मंत्रालय’ के द्वारा होता है।
४. यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य उन देशों को आर्थिक सहायता एवं सहयोग देना है जो मातृ एवं शिशु रोग के निवारणार्थ तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संघर्षशील हैं।

6.10 सारांश

ग्रामीण विकास को ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक एकीकृत प्रक्रिया है, जिसमें समाज के गरीब वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास शामिल है। ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव दोनों ही है।

सन 1968 में प्रारंभ हुई हरित क्रांति का भारत के खाद्यान्न उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। इस क्रांति का सीधा प्रभाव गेहूं व चावल के उत्पादन पर बहुत अधिक पड़ा। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश दुनिया के नक्शे में गेहूं उत्पादन के लिए उभर कर आये।

ग्रामीणों के हित के लिए गाँधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर, 1977 से अन्त्योदय कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था - “भारत के सबसे निर्धन वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना है। सन 1997 में गरीबों को रोजगार प्रदान करने के लिए तथा स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु ‘काम के बदले अनाज कार्यक्रम’ चालू किया गया और बाद में सन 1980 से इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का नया रूप दिया गया। ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम सन् 1970-1980 में केंद्र सरकार द्वारा लागू है। यह समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम का ही एक अंग है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम सितम्बर 1983 में ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन मजदूरों के परिवारों में से कम-से-कम एक सदस्य को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सहायक स्थायी परिस्थितियों के सृजन के उद्देश्य से चलाया गया। जवाहर रोजगार योजना (1989) के अन्तर्गत भौतिक परिसम्पत्तियों का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में किया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना) 1999 (JRY, NREP, RLEGP आदि कार्यक्रमों को समाहित कर दिया गया। गरीबी उन्मूलन हेतु पूर्व में प्रचलित छः योजनाओं (TRYSEM, IRDP, SITRA, जीवनधारा, गंगा कल्याण योजना और DWCRA) को समाप्त

कर, नवीन योजना “स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना” लागू की गई है उसमें सभी योजनाओं के महत्वपूर्ण बिन्दुओं एवं उद्देश्यों को शामिल किया गया है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2001) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार न्यूनतम मजदूरी पर उपलब्ध कराती है। उपरोक्त सभी कार्यक्रमों को एक बड़ी छतरी के रूप में सम्मिलित करके समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 से देश के सभी विकास खण्डों में प्रारम्भ कर दिया गया।

ग्रामीण महिलाओं तथा बालकों के लिए महिला तथा बाल विकास विभाग के प्रसार कार्यक्रम , ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास ,समन्वित बाल विकास योजना, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे कल्याणकारी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय महिला कोष एवं महिला समृद्धि योजना आदी कार्यक्रम चलाये जा रहे है। महिलाओं तथा बालकों के कल्याणार्थ भारतीय शिशु कल्याण समिति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, केन्द्रीय आहार तकनीकी अनुसंधान परिषद्, जैसी राष्ट्रीय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, संयुक्त राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कार्यरत है।

6.11 शब्दावली

ग्रामीण विकास: ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

स्वयं सहायता समूह: एक समान आर्थिक तथा सामाजिक स्तर के व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो नियमबद्ध तरीके से संचालित हो और आपसी सहयोग व संसाधनों से विकास के लिए प्रयासरत हो, जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा वे अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण कर सकें।

राष्ट्रीय महिला कोष: कमजोर वर्ग की महिलाओं को क्रेडिट के रूप में आर्थिक सहायता करना है।

महिला समृद्धि योजना: प्रौढ़ महिलाओं को आय की बचत के लिए प्रेरित किया जाता है।

6.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

3 जोड़े मिलाएं

परियोजना (संचालन वर्ष)
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (RLEGP) (सितम्बर 1983)
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (अप्रैल 1999)
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (दिसम्बर 2001)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मनरेगा (अगस्त 2005)

2. सही अथवा गलत बताइए

1. गलत
2. सही
3. गलत
4. सही

अभ्यास प्रश्न 2

1. रिक्त स्थान भरिये:

- 1 दिल्ली
- 2 पोषण
- 3 मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- 4 स्विट्जरलैण्ड

3. सही अथवा गलत बताइए

- 1 सही
- 2 सही
- 3 गलत
- 4 सही

6.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1) डॉ बृन्दा सिंह, प्रसार शिक्षा. पंचशील प्रकाशन, जयपुर
- 2) डॉ अलका अग्रवाल, प्रसार तथा संचार, ज्योति प्रकाशन, आगरा
- 3) डॉ जीतेन्द्र चौहान, २०१०, प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र, ईशा पब्लिकेशन्स, आगरा
- 4) डॉ जीतेन्द्र चौहान, 20 ग्रामीण समाज शास्त्र एवं शिक्षा मनोविज्ञान, श्री कृष्णा पब्लिशर्स, आगरा.
- 5) डॉ बी.डी. त्यागी. सामाजिक मनोविज्ञान एवं ग्रामीण परिवर्तन. रामा पब्लिशिंग हाउस, मेरठ.
- 6) डॉ बी.डी. त्यागी. ग्रामीण समाजशास्त्र.

6.14 सहायक पाठ्य सामग्री

<http://rural.nic.in/>

<http://www.fao.org/home/en/>

<http://nipccd.nic.in/>

<http://unicef.in/>

6.15 निबंधात्मक प्रश्न

1. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के महत्व एवं उद्देश्य के बारे में बताइए
2. ग्रामीण महिलाओं तथा बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम के बारे में बताइए
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के बारे में विस्तृत में लिखे

इकाई 7: प्रसार प्रबंधन एवं मूल्यांकन

- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 उद्देश्य
- 7.3 क्रियान्वयन के पहलू (Aspects of Execution)
- 7.4 कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए महत्पूर्ण घटक
- 7.5 कार्यक्रम कार्यान्वयन में समस्याएं
- 7.6 मूल्यांकन
- 7.7 अनुवर्ती तरीके एवं आवश्यकता (Need and Methods of follow up)
- 7.8 सारांश
- 7.9 पारिभाषिक शब्दावली
- 7.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 7.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 7.12 सहायक पाठ्य सामग्री
- 7.13 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

कई लेखकों ने प्रबंध की परिभाषा दी है। प्रबंधन शब्द एक बहुप्रचलित शब्द है जिसे सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया गया है। वैसे यह किसी भी उद्यम की विभिन्न क्रियाओं के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ है। उपरोक्त उदाहरण एवं वस्तुस्थिति के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रबंधन वह क्रिया है जो हर उस संगठन में आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं। संगठन में लोग अलग-अलग प्रकार के कार्य करते हैं लेकिन वह अभी समान उद्देश्य को पाने के लिए कार्य करते हैं। प्रबंध लोगों के प्रयत्नों एवं समान उद्देश्य को प्राप्त करने में दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार से प्रबंध यह देखता है कि कार्य पूरे हों एवं लक्ष्य प्राप्त किए जाएँ (अर्थात् प्रभाव पूर्णता) कम-से-कम साधन एवं न्यूनतम लागत (अर्थात् कार्य क्षमता) पर हो।

अतः प्रबंध को परिभाषित किया जा सकता है कि यह उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराने की प्रक्रिया है। हमें इस परिभाषा के विश्लेषण की आवश्यकता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका वर्णन करना आवश्यक है। ये शब्द हैं-

(क) प्रक्रिया (ख) प्रभावी ढंग से एवं (ग) पूर्ण क्षमता से।

व्यवसाय एवं संगठन के सन्दर्भ में प्रबन्धन (Management) का अर्थ है - उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। प्रबन्धन के अन्तर्गत आयोजन (planning), संगठन-निर्माण (organizing), स्टाफिंग (staffing), नेतृत्व करना (leading या directing), तथा संगठन अथवा पहल का नियंत्रण करना आदि आते हैं।

संगठन भले ही बड़ा हो या छोटा, लाभ के लिए हो अथवा गैर-लाभ वाला, सेवा प्रदान करता हो अथवा विनिर्माणकर्ता, प्रबंध सभी के लिए आवश्यक है। प्रबंध इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सकें।

7.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्धयन के पश्चात् आप:

1. क्रियान्वयन के पहलू
2. कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण घटक एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन में समस्याएं
3. मूल्यांकन, मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के चरण, मूल्यांकन के लिए मापदंड
4. मूल्यांकन के उपकरण
5. अनुवर्ती तरीके एवं आवश्यकता

7.3 क्रियान्वयन के पहलू (Aspects of Execution)

कार्यक्रम का क्रियान्वयन कार्यक्रम नियोजन का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता किस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने अच्छे ढंग से निष्कासित किया गया है। चाहे कार्यक्रम का नियोजन कितना ही अच्छा क्यों न हो कार्य योजना का कितना ही बेहतर ढंग से क्यों नहीं विकास किया गया हो कार्यक्रम कोई ठोस परिणाम नहीं देते जब तक कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया जाए। अतः प्रसार कार्यकर्ता को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर कार्यक्रम नियोजन के प्रत्येक चरण में सतर्क सजग एवं सचेत रहने की आवश्यकता है।


एस वी सुपे के अनुसार कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिस में लक्ष्य निर्धारण हेतु लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसमें कार्यक्रम का संचालन सर्वसम्मति से होता है और सभी अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के प्रति आश्वस्त रहते हैं।

कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के चरण

वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि कार्य का निष्पादन सही ढंग से किया जाये। बिना ठीक ढंग से नियोजित किए कार्यों में सफलता नहीं मिलती। वह तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। इसलिए यह जरूरी है कि कार्यक्रम नियोजन के प्रत्येक चरण पर दृष्टि रखी जाए। कार्यक्रम नियोजन के मुख्य रूप से आठ चरण हैं प्रथम चार चरण योजना बनाने में तथा शेष :4 चरण में क्रियान्वित करने में सहयोग देते हैं। चूँकि कार्यक्रम नियोजन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए यह जरूरी है कि इसके प्रत्येक चरण पर बल दिया जाए क्योंकि हर एक चरण का अपना विशेष महत्व होता है। यदि एक भी चरण पर ध्यान नहीं दिया गया, लापरवाही बरती गई तो वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए किसी भी चरण को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद ही वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इसमें धैर्य एवं सहिष्णुता की आवश्यकता भी होती है यह उक्ति सदैव स्मरण रखना चाहिए।

कार्यक्रम नियोजन के चरण निम्नानुसार हैं

1. तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना (Collection of facts)
2. स्थितियों का विश्लेषण (Analysis of situation)
3. समस्याओं तथा अनुभूत आवश्यकताओं को पहचानना (Identification of problems and felt needs)
4. उद्देश्यों का निर्धारण करना (Decide on objectives)
5. कार्य योजना तैयार करना (Develop plan of work)
6. कार्यक्रम का क्रियान्वयन (Execution of plan)
7. प्रगति का मूल्यांकन (Evaluation of progress)
8. पुनर्विचार (Reconsideration)



कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरण


कार्यक्रम निष्पादन (विधि)

- काम की एक योजना सेटअप करें
- गतिविधियों का कैलेंडर (समय)
- गतिविधियों का शेड्यूल
- जिम्मेदारी का विभाजन
- विधियों का चयन
- कार्यक्रम क्रियान्वयन

कार्य योजना जांचने की कसौटी

- क्या प्रसार कार्यकर्ता प्रखंड कार्यक्रम योजना समिति के सदस्यों के समक्ष कार्य योजना की सार्थकता की पुष्टि कर सकता है कि उसने जो कार्यक्रम बनाया है वह वर्तमान समय की आवश्यक मांग है।
- क्या क्रियाशील उद्देश्यों के साक्ष्य है जो यह सिद्ध कर सके कि इससे कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति होगी।

- क्या कार्य योजना का संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया है।
- क्या कार्य योजना के क्रियाशील उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या की गई है।
- वर्ष के अंत में योजना समाप्ति के पश्चात क्या कार्य क्रियाशील उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है।
- क्या कार्य योजना पर विचार विमर्श तथा निर्णय प्रखंड के सभी स्टाफ के सदस्यों की उपस्थिति में किया गया है।
- क्या कार्य योजना स्टाफ के सदस्यों तथा ग्रामीण जनता के लिए कोई महत्व एवं अर्थ रखता है।



कार्य योजना : एक नजर में

कार्य योजना का मॉडल

- **कौन (Who)** - कार्यक्रम कौन क्रियान्वित करेगा संसाधन व्यक्ति के रूप में कौन कौन भाग लेंगे कार्यक्रम निष्पादन के लिए कौन जिम्मेदार होगा।

- **कहा (Where)** - कार्यक्रम कहाँ आयोजित किए जाएंगे जिस गांव में आयोजित करना है उस जगह या गांव का नाम।
- **कब (When)** – शिक्षण, प्रसार एवं विकास कार्य कब किए जाएंगे।
- **कैसे (How)** – कार्यक्रम क्रियान्वयन में कोनसी विधियों का प्रयोग कैसे किया जाए कि वह अधिक प्रभावशाली हो।
- **क्या (What)** – कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है (जैसे शिक्षण, प्रसार या विकास कार्य) कार्यक्रम उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्या किया जाने वाला है।
- **किसके लिए (For Whom)** – कार्यक्रम किसके लिए आयोजित किए जाएंगे जैसे गृहिणी, ग्रामीण युवा, किसान कारीगर, विद्यार्थी, माली, व्यापारी, मजदूर आदी।
- **किसके द्वारा (By Whom)** – कार्यक्रम का निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा जैसे सरकारी संगठन, अर्ध सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वायत्त संस्था।
- **मूल्यांकन (Evaluation):** कार्यक्रम क्रियान्वयन वर्तमान स्थिति का अवलोकन कर रिपोर्ट तैयार करना।

7.4 कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए महत्वपूर्ण घटक

कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए निम्न लिखित घटक महत्वपूर्ण है:

- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट और महत्वपूर्ण उद्देश्यों चिन्हित करना चाहिए जो लोगों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।
- कार्यक्रम का नियोजन अतीत के अनुभवों, वर्तमान स्थिति और भविष्य की आवश्यकताओं के विश्लेषण के आधार पर होना चाहिए।
- उपलब्ध संसाधनों और समय के आधार पर कार्यक्रम की प्राथमिकता का निर्धारण करना चाहिए।
- कार्यक्रम के गांव से राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न स्तरों पर समन्वय होना चाहिए। कार्यक्रम नियोजन में स्पष्ट रूप से संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग का संकेत देना चाहिए।

- विस्तार कार्यक्रम में निश्चित कार्य की योजना होनी चाहिए। इसके कार्यक्रम क्रियान्वयन में कोई बाधा आती है तो उसे तत्काल दूर किया जा सकता है। कार्यक्रम की सफलता के लिए यह जरूरी है कि कार्य योजना को सही ढंग से क्रियान्वित किए जाए।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम तैयार करने से स्थानीय स्तर पर लोगों को शामिल करना चाहिए। स्थानीय नेताओं, सहयोगी संस्थाओं, प्रसार कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय लोगों को चाहिए कि वे सब मिलकर जिम्मेदारी पूर्वक कार्य को संपादित करें।
- कार्यक्रम समुदाय के सदस्यों या लाभार्थियों के बीच लाभ का समान वितरण करना चाहिए।
- विस्तार कार्यक्रम को मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर परिणाम के मूल्यांकन और पुनर्विचार के लिए कार्यक्रम में निर्धारित समय के भीतर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

7.5 कार्यक्रम कार्यान्वयन में समस्याएं (Problems in Implementation)

- योजना निष्पादन में प्रासंगिक हितधारकों की कार्य योजना में सहभागिता न होना।
- विस्तार प्रशासन एवं अन्य संगठनों से समर्थन तथा सहयोग का अभाव।
- दाता एजेंसियों से धन का अभाव
- हितधारकों द्वारा भागीदारी का अभाव।
- अन्य संगठनों के एजेंटों के साथ काम करने के लिए कौशल का अभाव।
- प्रसार साधनों की अनुपलब्धता।
- अपर्याप्त निगरानी और मूल्यांकन कार्यक्रम की सफलता को प्रभावित करता है।
- लाभार्थी रिकॉर्ड बनाए रखने में लापरवाही
- विस्तार कार्यक्रम अलगाव में लागू नहीं किए जा सकते हैं। कार्यक्रम की सफलता के लिए कई संस्थानों और संगठनों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
- संसाधन संपन्न अमीर व्यक्ति संसाधनहीन गरीबों के की तुलना में अधिक लाभान्वित होते हैं। कार्यक्रम क्रियान्वयन में समाज के कमजोर वर्ग पर पर्याप्त जोर देने की आवश्यकता है।

अभ्यास प्रश्न 1

1. सही अथवा गलत बताइए

- i) कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया के प्रथम चार चरण कार्यक्रम क्रियान्वयन का हिस्सा होते हैं
- ii) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम तैयार करने से स्थानीय स्तर पर लोगों को शामिल करना चाहिए।

2. जोड़े मिलाएं

चरण	कार्यक्रम निष्पादन (विधि)
अ पहला	1 कार्यक्रम क्रियान्वयन
ब दुसरा	2 काम की एक योजना सेटअप करें
क तीसरा	3 गतिविधियों का कैलेंडर (समय)
ड चौथा	4 जिम्मेदारी का विभाजन
ई पाचवा	5 गतिविधियों का शेड्यूल
फ छठा	6 विधियों का चयन

7.6 मूल्यांकन

किसी भी कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चालने या कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मूल्यांकन अति आवश्यक है। हम नित्य प्रतिदिन अपने कार्यों, व्यवहारों तथा चीजों का मूल्यांकन करते हैं। प्रसार कार्यक्रमों एवं शिक्षण में मूल्यांकन का व्यापक अर्थ एवं महत्व है। इसलिए यह जरूरी है कि सरकारी, गैर- सरकारी, निजी संगठनों इत्यादि द्वारा जो भी कार्यक्रम जनता के हित के लिए, जनता के उत्थान के लिए चलाये जा रहे हैं, वे सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं, निर्धारित किये गए उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ तक हो पाई है इत्यादि, प्रश्नों का क्रमशः अध्ययन मूल्यांकन से हो पाता है। अतः स्पष्ट है कि मूल्यांकन से किसी कार्यक्रम, व्यक्ति या स्थिति का ‘विश्लेषणात्मक अध्ययन’ हो जाता है।

मूल्यांकन का अर्थ

मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अनुमान करना, मूल्य आँकना जैसे अर्थ मूल्यांकन, चरित्र का मूल्यांकन इत्यादि।

मूल्यांकन का सामान्य अर्थ है- मूल्य का आंकलन। मूल्यांकन अंग्रेजी भाषा Evaluation का हिंदी रूपान्तर है। Evaluation का उद्गम लैटिन भाषा के शब्द “Valere” से हुआ है जिसका अर्थ है ‘To be strong’ या “Valiant”। मूल्यांकन का डिक्शनरी अर्थ है मूल्य का निर्धारण करना (determination of values), किसी चीज का निर्णय करना (Making a judgement of something)।

मूल्यांकन की परिभाषा

क्लाइनबर्गर (Klineberger) के शब्दों में-

मूल्यांकन वह प्रयास है जिसके द्वारा यह जाना जाता कि कार्यक्रम चलाये जाने तथा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कौन-कौन से परिवर्तन हुए तथा इन परिवर्तनों का श्रेय कार्यक्रम को कहाँ तक दिया जा सकता है।

बिगलहोल्ड के अनुसार

मूल्यांकन अनुभवों की एक क्रमवार प्रक्रिया है जो लोगों को उनके द्वारा भविष्य में किये जाने वाले प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होती है।

जे. के. मैथ्यू

पूर्व निर्धारित समय में संपन्न विकासोन्मुख कार्यक्रम के पूर्व एवं बाद की परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन ही मूल्यांकन है।

शर्मा और सिंह के अनुसार -

मूल्यांकन से तात्पर्य है किसी व्यक्ति, कार्य या स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना जिससे त्रुटि तथा लाभ का ज्ञान हो सके।

एस. वी. सुपे ds vuqlkj -

मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे यह पता चलता है की उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है।

जाहोता और बर्नित -

मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रशासन को अपने कार्यक्रम के प्रभाव का विवरण देने तथा अपने लक्ष्य को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने, प्रगति की व्याख्या करने तथा उत्तरोत्तर समायोजन करने में सहायता मिलती है।

अतः स्पष्ट है कि मूल्यांकन द्वारा कार्यक्रमों की सफलताओं एवं विफलताओं का पता चल जाता है। इसका उपयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों को दिशा-निर्देश प्रदान करने में किया जा सकता है।

मूल्यांकन के महत्व

प्रसार कार्यक्रमों एवं प्रसार शिक्षण विधियों में मूल्यांकन का अति महत्वपूर्ण स्थान है। मूल्यांकन से हमें पता चलता है कि कार्यक्रम कहाँ तक सफल हुआ, असफलताओं के क्या कारण रहे, इत्यादि। मूल्यांकन द्वारा प्रसार कार्यकर्ता किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुँचता है, जिससे कार्यक्रम से सम्बंधित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। मूल्यांकन के महत्व निम्नानुसार हैं-

- 1) प्रत्येक कार्यक्रम को समझने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। इसके आधार पर भविष्य की योजनाएं तैयार की जा सकती है तथा दिशा-निर्देश प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 2) मूल्यांकन से सभी अच्छे एवं कमजोर कारकों का पता लगता है। इस प्रकार कार्यक्रम को मजबूत बनाने में सहयोग देता है।
- 3) मूल्यांकन से कार्यक्रम की सफलता में आने वाली बाधाओं का पता चल जाता है।
- 4) मूल्यांकन से कार्यक्रम में प्रयुक्त किये जाने वाली शिक्षण विधियों तथा तकनीकों के सम्बन्ध में निर्णय लेने में सुविधा मिलती है।
- 5) मूल्यांकन से वास्तविक तथ्यों के प्रस्तुतीकरण द्वारा लोगों में आत्मविश्वास तथा आत्म संतुष्टि मिलती है।
- 6) मूल्यांकन कार्यक्रम नियोजन में बेंच मार्क (**Bench Mark**) निश्चित करने में सहायक होता है। जैसे कार्यक्रम कब, कहाँ, कैसे, किसके लिए, किसकी मदद से आयोजित करना है।
- 7) मूल्यांकन से फालतू के खर्चों में कमी आती है क्योंकि अनावश्यक चीजों को हटा दिया जाता है।
- 8) मूल्यांकन द्वारा कार्यकर्ता को अपने कार्यकलापों की समीक्षा करने में सहायता मिलती है। वह जान जाता है कि वह अपने काम में कहाँ तक सफल हो पाया है।
- 9) कार्यक्रम की उपयोगिता उसके मूल्यांकन से ही पता कर सकते हैं। अधिक उपयोगी कार्यक्रम को अधिकता के साथ चलाया जा सकता है।

मूल्यांकन के उद्देश्य

- 1) कार्यक्रम के मूल्यांकन द्वारा प्रसार कार्य से सम्बन्धित लोगों को अपना भागीदारी बढ़ाने के अवसर देना ताकि वे अपने स्तर से प्रतिपादित कार्यक्रम के लक्ष्यों का परीक्षण कर सकें।
- 2) नियोजित कार्यक्रम के मजबूत व कमजोर पक्षों को समझना ताकि भविष्य में नियोजित किये जाने कार्यक्रम में उनका ध्यान रखा जा सके।

- 3) कार्यक्रम की सफलता एवं असफलता के कारणों को जानना, साथ ही उन कारणों को जानना जो कार्यक्रम की सफलता में बाधक हैं।
- 4) मूल्यांकन से प्रसार कार्यकर्ता को अपनी बात कहने में, कार्यक्रम के लाभ को बताने में, कार्यक्रम की उपयोगिता तथा लक्ष्य को जनता व स्थानीय नेता के समक्ष स्पष्ट करने में सुविधा होती है।
- 5) प्रसार कार्यकर्ता को यह पता चल जाता है कि उसकी कार्यक्षमता कितनी है और वह किन-किन क्षेत्रों में, कौन-कौन से कार्यक्रम नियोजित कर सकता है।
- 6) मूल्यांकन से कार्यक्रम की प्रगति का पता चलता है। इससे सभी संलग्न व्यक्तियों को कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है।
- 7) मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों को पूरे समुदाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अतः यह एक तरह से जन सम्पर्क का काम करता है। तथा लोगों को यह अवसर प्रदान करता है कि वे कार्यक्रम के सम्बन्ध में अपने विचारों का आदान-प्रदान करें।
- 8) इससे लोगों में सहयोग, समन्वय, सहभागिता का विकास होता है।
- 9) व्यक्ति, समाज तथा समुदाय में आये परिवर्तनों का स्पष्टीकरण प्राप्त होना।
- 10) कार्यक्रमान्तर्गत तथा कार्यक्रमोपरान्त मूल्यांकन द्वारा लोगों को सीखने की नई पद्धतियों तथा नई कार्यप्रणालियों को अपनाने में मदद करना।
- 11) प्रसार कार्य से जुड़े लोगों को अपनी कार्य पद्धति सुधारने तथा गुणावत्ता बढ़ाने में सहायक होना।
- 12) मूल्यांकन द्वारा प्रशिक्षकों का मनोबल ऊँचा उठना, आत्म विश्वास जागृत होना तथा कार्यक्रम के प्रति मन में विश्वास पैदा होना।

मूल्यांकन के प्रकार

विकास की प्रगति को जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है जिससे यह पता चल सके कि जो कार्यक्रम चलाये गए हैं, उससे कितना लाभ पहुंचा है। मूल्यांकन एक वैज्ञानिक विधि है जिसे अपनाकर हम पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुरूप चल रहे कार्यक्रमों की उपलब्धियों तथा कमियों का आंकलन कर सकते हैं तथा भविष्य के लिए सही दिशा का चुनाव कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधि के आधार पर मूल्यांकन निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है:

स्वमूल्यांकन

आंतरिक मूल्यांकन

बाह्य मूल्यांकन

स्वमूल्यांकन (Self evaluation)

इस प्रकार के मूल्यांकन प्रसार कार्यकर्ता स्वयं के द्वारा करता है। मूलरूप से दिन प्रतिदिन के कार्यक्रम क्रियान्वयन, अपनायी गयी शिक्षा प्रणाली इत्यादि की आलोचना स्वयं ही करता है। इसका उद्देश्य स्वयं की कार्य-प्रणाली में सुधार करना है। ऐसा करने के लिए पूर्व निर्धारित आधार को भी अपनाया जा सकता है।

आंतरिक मूल्यांकन (Internal evaluation)

किसी एजेंसी या संस्था द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसका मूल्यांकन यदि उन्ही संस्थाओं द्वारा किया जाता है तो उसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन हेतु किन्ही विशेष विधियों/ तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप विभाग में एक ऐसे उपविभाग की स्थापना की जाए जो मूल्यांकन करे। इसके लिए दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों को डायरी में नोट किया जाता है। संस्था द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा कार्यस्थल पर जाकर अचानक ही निरीक्षण किया जाता है। प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, साक्षत्कार आदि विधियाँ मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं।

बाह्य मूल्यांकन (External evaluation)

जब किसी कार्यक्रम का मूल्यांकन उस विभाग के कर्मचारियों या विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा न करके बाहरी व्यक्ति, संस्था या विभाग द्वारा किया जाता है उसे बाह्य मूल्यांकन कहते हैं। उदाहरणार्थ- भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही मूल्यांकन हेतु केंद्र सरकार की ओर से कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की भी स्थापना की गयी। यह संगठन एक स्वतंत्र एजेंसी है जो समय- समय पर प्रसार कार्यक्रम की प्रगति की सूचना सरकार को देती है।

मूल्यांकन के अन्य प्रकार:

- 1) कार्यक्रम करते समय मूल्यांकन (Ongoing evaluation) / विकासकालिक मूल्यांकन (Formative evaluation) - इसे कार्यक्रमान्तर्गत मूल्यांकन भी कहते हैं। इस तरह के मूल्यांकन में पूरे कार्यक्रम के दौरान मूल्यांकनकर्ता की नजर रहती है। वह कार्यक्रम के दौरान यह सुनिश्चित करता है की कार्यक्रम अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप चल रहे हैं या


नहीं, यदि कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलने में कोई परेशानी आ रही है तो क्यों और उसे कैसे दूर किया जा सकता है आदि अनेकानेक बातों की जानकारी इस प्रकार के मूल्यांकन से होती है।

2) **कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात् मूल्यांकन (Expost evaluation)/ समाहारिक मूल्यांकन (Summative evaluation)** - कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो मूल्यांकन किये जाते हैं, उसे कार्यक्रमोत्तर मूल्यांकन कहते हैं। इससे कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम की सफलता-असफलता का पता चलता है। लक्ष्य की पूर्ति कहाँ तक हुई, लक्ष्य प्राप्त करने में क्या बाधाएं आयीं आदि की जानकारी मिल जाती है जिससे भविष्य में संपन्न किये जाने वाले कार्यक्रमों के नियोजन में सहायता मिलती है।

मूल्यांकन के चरण

डॉ. जे. पी. चितम्बर ने मूल्यांकन के लिए निम्न चरणों का उल्लेख किया है:

- 1) मुख्य उद्देश्यों का निर्धारण
- 2) उद्देश्यों को स्पष्ट करना तथा अधिक विशिष्ट बनाना
- 3) पहचान सूचक बनाना
- 4) नापने की विधि तथा पद्धति का चुनाव एवं विकास
- 5) मूल्यांकन की रूपरेखा
- 6) प्रमाण हेतु आवश्यक आंकड़ों का विचार करना
- 7) आंकड़ों को एकत्र करना
- 8) वर्गीकरण
- 9) विश्लेषण और व्याख्या
- 10) मूल्यांकन तैयार करना



- 1) मुख्य उद्देश्यों का निर्धारण- मूल्यांकन का पहला महत्वपूर्ण चरण है “मुख्य उद्देश्यों का निर्धारण करना। ग्रामीण विकास कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ग्रामीण विकास हेतु उद्देश्यों का निर्धारण अल्प समय व अधिक समय दोनों ही प्रकार से ही किया जा सकता है।

जब उद्देश्यों का निर्धारण कम समय के लिए किया जाता है तो उसे ‘अल्पकालिक उद्देश्य’ कहते हैं तथा जब उद्देश्यों का निर्धारण लम्बे समय के लिए किया जाता है तो उसे ‘दीर्घकालिक उद्देश्य’ कहते हैं।

- 2) उद्देश्यों को स्पष्ट करना तथा अधिक विशिष्ट बनाना- जब मुख्य उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है तो मुख्य उद्देश्यों को और भी अधिक स्पष्ट किया जाता है तथा विशिष्ट बनाया जाता है। इसमें मुख्य उद्देश्यों माध्यमिक/ द्वितीय उद्देश्य में विभाजित करने के बाद इन माध्यमिक उद्देश्यों को अधिक स्पष्ट करने के बाद विशिष्ट बनाया जाता है जिससे ये विशिष्ट उद्देश्य मुख्य उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।

उदहारण-

मुख्य उद्देश्य- ग्रामवासियों का आर्थिक स्तर ऊँचा उठाना

माध्यमिक उद्देश्य- १. फसल की पैदावार बढ़ाना, २. गेहूँ की पैदावार बढ़ाना

विशिष्ट उद्देश्य- किसानों को उन्नत बीज व हरी खाद का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना।

- 3) पहचान सूचक बनाना- किसी भी कार्यक्रम को चलाने का मुख्य उद्देश्य है “लोगों के जीवन-स्तर में सुधार लाना”। उनके ज्ञान, व्यवहार, कार्यकौशल तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना। परिवर्तनों को मालूम करने के लिए आवश्यक है की वर्तमान प्रमाणों को एकत्र किया जाए। इसके लिए पहचान सूचक बनाये जाते हैं। तत्पश्चात कार्यक्रम बनाया व चलाया जाता है तथा कार्यक्रम समाप्ति के बाद उनके जीवन-स्तर व रहन-सहन, उनके ज्ञान, व्यवहार, कार्यकौशल इत्यादि को जाना जाता है। फिर इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तथा उनमें हुए परिवर्तन को देखा जाता है। कार्यक्रम चलाये जाने के बाद उनकी स्थिति कैसी है, इनमें अंतर पहचान सूचक के द्वारा ही होता है। अतः पहचान सूचक निर्धारित करने से मूल्यांकनकर्ता का कार्य आसान हो जाता है तथा उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचने में आसानी रहती है। उदाहरण- यदि हमारा उद्देश्य किसानों की गेहूँ की उपज को उन्नत बीज तथा खाद के प्रयोग से बढ़ाना है तो इसके लिए हमें पहले किसानों द्वारा गेहूँ की उपज को नोट करना होगा जो पारंपरिक बीज तथा बिना खाद के प्रयोग से खेती करते हैं। फिर जिन किसानों ने उन्नत बीज तथा खाद का प्रयोग किया है, उसे नोट करना होगा। तभी यह ज्ञात हो सकेगा की उन्नत बीज तथा खाद के प्रयोग से गेहूँ की फसल में बढ़ोतरी हुई है। अतः यहाँ उन्नत बीज एवं खाद पहचान सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- 4) नापने की विधि तथा पद्धति का चुनाव एवं विकास- पहचान सूचक बनाने के बाद उचित विधि एवं पद्धति का चुनाव एवं विकास मूल्यांकन का चोथा चरण है। प्रसार कार्यकर्ता प्रसार कार्यक्रम के पश्चात् उपलब्धियों को नापने के लिए उचित विधियों एवं पद्धति का विकास करता है। उदाहरण-

उद्देश्य	पहचान सूचक	विधियाँ/ पद्धति
ग्रामीणों का रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाना	फसल की पैदावार बढ़ाना, कृषि सम्बंधित व्यवसाय की स्थापना करके रोजगार उपलब्ध कराना	कार्यक्रम चलाये जाने से पहले तथा कार्यक्रम चलाए जाने के बाद फसल की पैदावार की तुलना तथा उनकी आय को नोट करना।
ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना	महिलाओं द्वारा आय सृजन गतिविधियों एवं लघु उद्योग द्वारा आत्मनिर्भर बनाना तथा महिलाओं की घर अन्य कार्यों से सम्बंधित	आय सृजन गतिविधियों एवं लघु उद्योग पशिक्षक कार्यक्रमों की उपयोगिता जाचना। आय सृजन गतिविधियों से महिलाओं

	निर्णय लेने में भागीदारी बढ़ाना	की आय में वृद्धि को दर्ज करना > घर अन्य कार्यों
--	---------------------------------	---

- 5) मूल्यांकन की रूपरेखा- कार्यक्रम के चलाने से ग्रामीण लोगों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार में क्या परिवर्तन आये, इसके लिए कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। हालांकि लोगों के ज्ञान, व्यवहार इत्यादि में परिवर्तन अन्य कारणों से भी आ सकते हैं जैसे रेडियो सुनकर, अखबार पढ़कर, टी।वी। देखकर, आस-पड़ोस के लोगों से पूछकर आदि। अतः यदि प्रसार कार्यकर्ता यह जानना चाहता है कि लोगों के ज्ञान, व्यवहार, कौशल में परिवर्तन उसके द्वारा चलाये गए कार्यक्रम के कारण है तो वह एक निमंत्रित समूह को कार्यक्रम की सम्पूर्ण जानकारी देने के बाद प्रशिक्षित करे तथा दूसरे समूह को कार्यक्रम से सम्बंधित कोई भी जानकारी न दे। उसके बाद दोनों समूहों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। इस तुलनात्मक अध्ययन के लिए कार्यकर्ता अको रूपरेखा तैयार करनी होगी जिससे उएह पता चल जायेगा की कार्यक्रम चलाने से लोगों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार इत्यादि में क्या- क्या परिवर्तन आये तथा उन्हें कितना फायदा हुआ।
- 6) प्रमाण हेतु आवश्यक आंकड़ों का विचार करना- कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रमाणित करने वाले आवश्यक आंकड़ों के सम्बन्ध में निर्णय लेना मूल्यांकन का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। प्रमाण हेतु आंकड़ों को एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार किया जाए जैसे प्रश्नावली या अंकसूची इत्यादि। आंकड़ों का चयन कार्यक्रम की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रसार कार्यक्रम के उद्देश्य तथा प्रकृति को ध्यान में रखकर ही आंकड़ों का चयन करना चाहिए।
उदाहरणार्थ- यदि हमारा उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल महिलाओं के खाध्य संरक्षण से सम्बंधित ज्ञान स्तर को जानना है, तो इसके लिए यह जरूरी है की प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व महिलाओं के ज्ञान स्तर की जाँच की जाए। ज्ञान स्तर को जानने के लिए प्रसार कार्यकर्ता प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली जानकारी से सम्बंधित प्रश्नावली तैयार करे ले। उसके पश्चात् प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये तथा कार्यक्रम समाप्ति के पहेल पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पुनः प्राप्त करे। इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे।
- 7) आंकड़ों को एकत्र करना- इस चरण में कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुसार आंकड़े एकत्र करते हैं। मूल्यांकन हेतु आंकड़े सही होने चाहिए। यदि आंकड़े सही होंगे तभी परिणाम भी सही होगा। इसलिए आंकड़ों को एकत्रित करते समय पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए जिसके

लिए यह जरूरी है कि आंकड़े एकत्रित करने की विधि का चुनाव परिस्थिति तथा कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाए।

- 8) वर्गीकरण- एकत्रित आंकड़ों को उनके प्रकार को ध्यान में रखते हुए सही प्रकार से क्रमबद्ध करते हुए वर्गीकृत करना चाहिए। इस प्रकार आंकड़ों को व्यवस्थित करने से विश्लेषण एवं व्याख्या में सहायता मिलती है।
- 9) विश्लेषण और व्याख्या- एकत्र किये गए आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद, आंकड़ों को उद्देश्यों की आवश्यकतानुसार विश्लेषण काना चाहिए। तत्पश्चात आंकड़ों से प्राप्त जानकारी की व्याख्या की जाती है की कार्यक्रम जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर चलाया गया उनकी पूर्ति हुई या नहीं। व्याख्या से विवरणात्मक संबंधों की स्थापना होती है इसलिए आंकड़ों की व्याख्या सावधानीपूर्वक करनी चाहिए।
- 10) मूल्यांकन तैयार करना- आंकड़ों का विश्लेषण तथा उनकी व्याख्या करने के बाद, मूल्यांकन के परिणामों में प्राप्त सफलताओं, असफलताओं, बाधाओं आदि का वर्णन होना चाहिए। अतः मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया जाए ताकि इसे सभी के समक्ष रखा जा सके।

मूल्यांकन के लिए कसौटी (Criteria for evaluation)

- 1) स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य (Clear and well defined objectives)
- 2) पैमाइश के लिए वैध साधन (Valid instrument for measurement)
- 3) वस्तुनिष्ठता (Objectivity)
- 4) विश्वसनीयता (Reliability)
- 5) परिवर्तन के सटीक प्रमाण (Accurate evidence of change)
- 6) व्यावहारिकता (Practicability)

मूल्यांकन विधियाँ (Tools of evaluation)

मूल्यांकन के साधन में निम्नलिखित विशेषताओं होना चाहिए

- 1) मूल्यांकन किया जा रहा है कार्य के लिए उपयुक्तता (Appropriate for what is being evaluated)
- 2) मूल्यांकन किये जा रहा है अनुक्षेत्र के लिए उपयुक्तता (Appropriate for the domain being evaluated)
- 3) व्यापक (Comprehensive)
- 4) प्रयोग करने में आसान (Easy to use)

- 5) किफायती (Cost effective)
- 6) समय कुशल (Time efficient)
- 7) वैध और विश्वसनीय (Valid and reliable)

अवलोकन शीट (Observation sheet)

अवलोकन शीट - इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली ताक्षणिक व्यवहारगत घटनाओं तथा व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेखों पर तैयार किया जाता है।

साक्षात्कार अनुसूची (Interview schedule)

साक्षात्कार अनुसूची (Interview schedule) :- साक्षात्कार की विधि में परीक्षणकर्ता आदमी से बातचीत करके सूचनाएं एकत्र करता है। उदाहरण – एक विक्रेता घरकर किसी विशिष्ट घर जा-उत्पाद की उपयोगिता के संबंध में सर्वेक्षण करता है।

- इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्र की जाती हैं।
- इसमें निश्चित प्रश्न अथवा खाली सारिणी दी हुई होती है जिन्हें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से पूछकर भरता है। यह उत्तर उसके लिए तथ्य का कार्य करते हैं जिनका वह समस्या के संदर्भ में विश्लेषण एवं वर्गीकरण करता है।
- इसके द्वारा विश्वसनीय एवं प्रमाणित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। व्यक्तिगत संपर्क के कारण इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को सूचना देने के लिए प्रेरित कर सकता है।

क्रम निर्धारण मान (Rating scale)

क्रम निर्धारण मान (Rating Scale) :- योग्यताओं व उपलब्धि को इस तरह जांचना कि वह किस स्तर की है। इस बात का निर्धारण करने के लिए निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ – ग्रेड देना।

जांचसूची (Checklist)

जांचसूची का प्रयोजन मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ताओं को निर्देशित करने तथा मूल्यांकन के लिए गुणात्मक विधियों के उचित चुनाव के लिए किया जाता है। मूल्यांकन के प्रयोजनों और इच्छित उपयोगों के अनुसार आवश्यक गुणात्मक विधियों की उपयोगिता निर्धारित करना होता है।

जहां फील्डवर्क मूल्यांकन का हिस्सा है, वहां जांचसूची क्षेत्रीय कामकाज के बारे में जानने का प्रभावी तरीका है। अच्छी जाच सूची यथावत्, किफ़ायती एवं व्यावहारिक होनी चाहिए।

जांचसूची के फायदे

- कार्यप्रदर्शन में सुधार
- संसाधन के उपयोग को कम करना
- स्मृति में सुधार
- प्रक्रिया में न्यूनतम आवश्यक स्तर तय करने में उपयोगिता

संकेतको का मैट्रिक्स (Matrix of Indicators):

संकेतक	उद्देश्य: उन्नत किस्मों द्वारा उत्पादन में वृद्धि
मानदंड	लघु एवं सीमांत किसानों की वर्तमान उत्पादन एवं आय
घटक	उन्नत किस्मों की उपलब्धता, सिंचाई की सुविधा, खाद की उपलब्धता
क्रियाएँ	उन्नत किस्मों का प्रसार, उन्नत किस्मों, खाद एवं सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करना
प्रभाव	उन्नत किस्मों के उपयोग से उत्पादन एवं आय में वृद्धि

7.7 अनुवर्ती की प्रणाली एवं आवश्यकता Need and Methods of follow up

अनुवर्ती फॉलो-अप यद्यपि बेहद जरूरी है परन्तु कार्यक्रम क्रियान्वयन के इस चरण को अक्सर उपेक्षित किया जाता है। अनुवर्ती चरण के दौरान, सब कुछ व्यवस्थित किया जाता है जो कार्यक्रम को सफल समापन के लिए लाने के लिए आवश्यक है। अनुवर्ती चरण में गतिविधियों के उदाहरणों के सन्दर्भ में पुस्तिकाओं को लिखना, उपयोगकर्ताओं के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, परिणाम की रिपोर्ट संबंधि जानकारी जुटाना, परियोजना रिपोर्ट लिखना शामिल हैं। अनुवर्ती चरण में कार्यक्रम कब और कैसे समाप्त होगा यह केंद्रीय प्रश्न है जब कार्यक्रम। कार्यक्रम के योजनाकार अक्सर कहते हैं कि एक नब्बे प्रतिशत परियोजना जल्दी से निकलती है और अंतिम दस प्रतिशत के लिए कई साल लगते हैं। परियोजना की सीमाओं को कार्यक्रम की शुरुआत में चिन्हित किया जाना चाहिए, ताकि उद्देश्य पूर्ति के पश्चात कार्यक्रम को बंद किया जा सके।

‘आपके द्वारा कार्य करने से पहले सोचें’ कार्यक्रम क्रियान्वयन के आदर्श वाक्य है। कार्यक्रम क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण का कार्ययोजना का अपना पैकेज तथा प्रत्येक कार्य पैकेज का अपना पहलू होता है जिसपर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इसलिए कार्यान्वयन के चरण के दौरान क्या किया जाना है, इस पर चर्चा जारी रखना अनावश्यक है। कार्यक्रम क्रियान्वयन में अगर सब कुछ अच्छी तरह से पूर्ण गया है, यह पहले से ही परिभाषा चरण और डिजाइन चरण में निर्धारित किया गया था।

अनुवर्ती की प्रणाली

अनुवर्ती कार्रवाई लंबे समय तक प्रभाव, निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन के निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है। अनुवर्ती कार्रवाई का लक्ष्य विकास पर ध्यान केंद्रित करना तथा आगे आने वाले महीनों और वर्षों में प्रासंगिक नीतियों और व्यावहारिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ठोस आधार प्रदान करना है।

1. अनुवर्ती रणनीति को आकार देने और कार्यान्वित करने में उन संस्थानों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्होंने कार्यक्रम में योगदान दिया है।
2. सांख्यिकी उपयोगकर्ताओं के साथ मिलकर संकेतकों के प्रकार और असंगति को जानने के लिये डेटा के संग्रह को संस्थागत बनाने के तरीकों की पहचान की जानी चाहिए जो जनसंख्या समूहों में विकास असमानताओं सहित प्रगति पर नजर रखने के लिए आवश्यक होंगे।

3. नीतियों के प्रभाव को मापने और सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रगति को ट्रैक करने के लिए - संकेतक डेटाका विश्लेषण कर उसे नियमित रूप से प्रकाशित करना चाहिए।
4. कार्यक्रमों और परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिये तथा प्रभावों और प्रगति की समीक्षा करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी और अन्य हितधारकों की अर्ध वार्षिक और वार्षिक बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।
5. कार्यक्रमों और परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों एवं रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने या इन मुद्दों से संबंधित अन्य पहलुओं को प्रभावित करने के अवसरों पर सरकारी, गैर सरकारी-माध्यमों और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने के प्रयास करने चाहिए।
6. नियमित रूप से प्रभाव निगरानी, प्रभाव मूल्यांकन और दीर्घकालिक अनुवर्ती के सभी परिणामों की रिपोर्ट कार्यक्रम के संचालको दी जानी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न 2

2. सही अथवा गलत बताइए

- i) विकासकालिक मूल्यांकन (Formative evaluation) में कार्यक्रम के अंत में मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाता है।
- ii) जहां फीडबैक मूल्यांकन का हिस्सा है, वहां जांचसूची क्षेत्रीय कामकाज के बारे में जानने का प्रभावी यथावत्, किफ़ायती एवं व्यावहारिक तरीका है।

2. जोड़े मिलाएं

मूल्यांकन प्रकार	कार्यक्रम निष्पादन (विधि)
अ स्वमूल्यांकन	1 कार्यक्रम चलाने वाली एजेंसी या संस्था द्वारा किया जाता है
ब आंतरिक मूल्यांकन	2 बाहरी व्यक्ति, संस्था या विभाग द्वारा किया जाता है
क बाह्य मूल्यांकन	3 प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा करता है

7.8 सारांश

उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराने की प्रक्रिया के रूप में प्रबंध को परिभाषित किया जा सकता है। व्यवसाय एवं संगठन के सन्दर्भ में प्रबन्धन (Management) का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा - प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। किसी भी कार्यक्रम की सफलता किस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने अच्छे ढंग से निष्कासित किया गया है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन कार्यक्रम नियोजन का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। विस्तार कार्यक्रम को मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर परिणाम के मूल्यांकन और पुनर्विचार के लिए कार्यक्रम में निर्धारित समय के भीतर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

प्रसार कार्यक्रमों एवं प्रसार शिक्षण विधियों में मूल्यांकन का अति महत्वपूर्ण स्थान है। मूल्यांकन से हमें पता चलता है की कार्यक्रम कहाँ तक सफल हुआ, असफलताओं के क्या कारण रहे, इत्यादि। किसी भी कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चालने या कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मूल्यांकन अति आवश्यक है। मूल्यांकन वह प्रयास है जिसके द्वारा यह जाना जाता कि कार्यक्रम चलाये जाने तथा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कौन-कौन से परिवर्तन हुए तथा इन परिवर्तनों का श्रेय कार्यक्रम को कहाँ तक दिया जा सकता है। वैज्ञानिक विधि के आधार पर स्वमूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन कार्यक्रम की सफलता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कार्यक्रम की कमियों को पता करने के किये कार्यक्रम के दौरान विकासकालिक मूल्यांकन (Formative evaluation) किया जाता है तथा कार्यक्रमोत्तर मूल्यांकन (Summative evaluation) कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लक्ष्य की पूर्ति कहाँ तक हुई, लक्ष्य प्राप्त करने में क्या बाधाएं आयीं आदि की जानकारी के लिये किया जाता है।

7.9 पारिभाषिक शब्दावली

प्रबन्धन: उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना

मूल्यांकन: मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे यह पता चलता है की उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है।

7.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1. सही अथवा गलत बताइए

- i) गलत
- ii) सही

2. जोड़े मिलाएं

चरण	कार्यक्रम निष्पादन (विधि)
अ पहला	1 काम की एक योजना सेटअप करें
ब दुसरा	2 गतिविधियों का कैलेंडर (समय)
क तीसरा	3 गतिविधियों का शेड्यूल
ड चौथा	4 जिम्मेदारी का विभाजन
ई पाचवा	5 विधियों का चयन
फ छठा	6 कार्यक्रम क्रियान्वयन

अभ्यास प्रश्न 2

1 सही अथवा गलत बताइए

- i) गलत
- ii) सही

1. जोड़े मिलाएं

मूल्यांकन प्रकार	कार्यक्रम निष्पादन (विधि)
अ स्वमूल्यांकन	1 कार्यक्रम चलाने वाली एजेंसी या संस्था द्वारा किया जाता है
ब आंतरिक मूल्यांकन	2 बाहरी व्यक्ति, संस्था या विभाग द्वारा किया जाता है
क बाह्य मूल्यांकन	3 प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा करता है

7.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- डॉ बृन्दा सिंह, प्रसार शिक्षा। पंचशील प्रकाशन, जयपुर
- डॉ अलका अग्रवाल, प्रसार तथा संचार, ज्योति प्रकाशन, आगरा
- डॉ जीतेन्द्र चौहान, प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र, ईशा पब्लिकेशन्स, आगरा

-
- डॉ ए एस संधू, विस्तार कार्यक्रम नियोजन (Extension Programme Planning) ऑक्सफोर्ड और IBH पब्लिकेशन्स, दिल्ली
-

7.12 सहायक पाठ्य सामग्री

<http://www.fao.org/docrep/W5830E/w5830e0d.htm>

<https://managementhelp.org/evaluation/program-evaluation-guide.htm>

<https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/47069197.pdf>

http://siteresources.worldbank.org/EXTPOVERTY/Resources/ME_ToolsMethodsNov.2pdf

7.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों के बारे में विवरण दे
2. मूल्यांकन विभिन्न विधियों के बारे में विस्तृत में बताये

इकाई 8: सामुदायिक संगठन एवं विकास

- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 उद्देश्य
- 8.3 समुदाय
- 8.4 सामुदायिक संगठन
- 8.5 सामुदायिक विकास
- 8.6 सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में समानताएं और अंतर
- 8.7 सारांश
- 8.8 पारिभाषिक शब्दावली
- 8.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 8.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 8.11 सहायक पाठ्य सामग्री
- 8.12 निबंधात्मक प्रश्न

8.1 प्रस्तावना

समाज में अलग-अलग प्रकार के समूह होते हैं और इन अलग-अलग प्रकार के समूहों को अलग-अलग नाम दिए गए हैं, समुदाय उनमें से एक है। समुदाय अपने आप में एक समाज है जो एक निश्चित क्षेत्र में होता है जैसे की एक गाँव और शहर। जब से मनुष्य ने एक निश्चित भूगोलिक क्षेत्र में रहना शुरू किया है तब से ही वह समुदाय में रहता आया है। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार एक समय में कई समूहों का सदस्य बना रहता है। इन समूहों में व्यक्ति सम्बन्ध निकटता के आधार पर कई प्रकार से रखता है। इस प्रकार एक निश्चित भू-क्षेत्र व सामाजिक समूह में रहने वाले व्यक्ति समुदाय का निर्माण करते हैं। समुदाय, निवास की इकाई, सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया, समुदाय के विभिन्न चरणों तथा निपुणताओं के द्वारा विकास की ओर ले जाने में कार्य करते हैं। सामुदायिक संगठन समाज कार्य के प्रमुख तरीकों में से एक है। सामुदायिक संगठन के क्षेत्र सामाजिक सेवाओं के संगठन तथा उसके प्रशासन से सम्बंधित है, जबकि सामुदायिक विकास समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक दोनों के विकास से सम्बंधित है।

आइये इकाई की शुरुआत समुदाय के बारे में जानते हुए करते हैं।

8.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात्:

- 1) हम समुदाय की तत्व और विशेषताओं के बारे में जानेंगे ।
- 2) सामुदायिक संगठन का अर्थ, उद्देश्य, सिद्धांत व कार्यों के बारे में जानेंगे ।
- 3) सामुदायिक विकास की परिभाषा, उद्देश्य, मूल तत्व, विशेषताएं, सिद्धांत एवं संगठन के बारे में जानेंगे ।
- 4) सामुदायिक संगठन के सामुदायिक विकास में महत्व को समझेंगे ।
- 5) सामुदायिक विकास और सामुदायिक संगठन में समानता और अंतर को जानेंगे ।

8.3 समुदाय

8.3.1 समुदाय की परिभाषा

ग्रीन के अनुसार समुदाय व्यक्तियों का संग्रह है जो समीपस्थ छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं एवं सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं ।

एच.टी. मजूमदार- समुदाय किसी निश्चित भू-क्षेत्र, क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो परन्तु उसमें निवास करने वाले व्यक्ति समूह के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं ।

समुदाय उन लोगों का समूह है जो एक विशिष्ट क्षेत्र या इलाके में एक साथ रहते हैं और आम जीवन साझा करते हैं। समुदाय के लोगों के पास समुदाय की भावनाएं भी होती हैं।

समुदाय समाज का हिस्सा है और समाज के भीतर मौजूद है और इसकी विशिष्ट संरचना है जो इसे अन्य समुदायों से अलग करता है।

समुदाय का तात्पर्य

निश्चित भौगोलिक क्षेत्र

सामाजिक अंतःक्रिया

सामान्य सम्बन्ध

साझी भावनाएं

Community is the group of people who live together in a specific area or locality and share common life. The community people also have community sentiments.

Community is the part of society and exists within society and possesses its distinguishable structure which differentiates it from other communities.

8.3.2 समुदाय के तत्व तथा विशेषताएं

निम्न विशेषताओं के आधार पर समुदाय की पहचान की जाती है –

- 1) व्यक्तियों का समूह- व्यक्ति का समाज में एकांत में रहना सम्भव नहीं लगता है। वह अन्य व्यक्तियों के साथ विभिन्न तरीकों से सम्बद्ध रहता है जो मिलकर समूह का निर्माण करते हैं।
- 2) निश्चित स्थान- एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं जिनका खान-पान, रहन-सहन, रीति रिवाज, धार्मिक आस्थाएं एवं लोकाचार में समानता दिखाई देती है।
- 3) स्थायित्व- समुदाय में स्थायीपन पाया जाता है।
- 4) व्यक्तिगत नाम- प्रत्येक समुदाय की अलग पहचान व अपना एक नाम होता है।
- 5) सामुदायिक भावना- वे परस्पर एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे की मदद करके सामुदायिक भावना से आत्म- निर्भर होकर जीवन व्यतीत करते हैं।
- 6) व्यापक लक्ष्य- समुदाय के व्यक्तियों के हित व्यापक होते हैं।

8.4 सामुदायिक संगठन

8.4.1 अर्थ

सामुदायिक संगठन की अवधारणा, संयुक्त राज्य अमेरिका में समुदाय के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न संगठनों और संस्थानों को शामिल करने के लिए की गयी थी। (The concept of community organization was developed in the United States to involve various organization and institutions to meet the basic needs of the community people.)

सामुदायिक संगठन का तात्पर्य किसी निश्चित क्षेत्र में वहां के निवासी समूहों की आवश्यकताओं, कार्यों एवं उपलब्ध संसाधनों के बीच प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करने से है। इसका अर्थ किसी

भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों के समूहों का परस्पर मिलकर अपनी समाज कल्याण की अनुभूत आवश्यकताओं को निर्धारित करना तथा उसके कार्यन्वयन के उपाय तथा साधनों को सुनिश्चित करना है। इस प्रकार सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा समुदाय की शक्ति और योग्यता का विकास किया जाता है।

सामुदायिक संगठन, समुदाय के भीतर एकीकरण विकसित करता है और लोगों को एक दूसरे का सहयोग करने में मदद करता है। यह समुदाय में अपने संसाधनों और गतिविधियों के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को विकसित करने के लिए काम करता है।

8.4.2 परिभाषा

सामुदायिक संगठन में समुदाय स्तर पर व्यक्तियों, समूहों और पड़ोस के सामाजिक कल्याण में वांछित सुधार लाने के उद्देश्य से की गई गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है। (Community organization covers a series of activities at the community level aimed at bringing about desired improvement in the social well-being of individuals, groups and neighborhoods)

सामुदायिक संगठन एक समूह के लोगों की उनकी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानने तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने के रूप उत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है।

- पैटिट (1925)

समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन का अर्थ एक भौगोलिक क्षेत्र या कार्यक्षेत्र के समाज कल्याण संसाधनों में समायोजन लाने तथा बनाये रखने की प्रक्रिया से है। - डनहम (1948)

वाल्टर के अनुसार सामुदायिक संगठन लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पहचानने और समुदाय के भीतर इन जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करने में मदद करता है।

मुर्रे जी. रॉस (1967) के अनुसार, "सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय अपनी जरूरतों या उद्देश्यों की पहचान करता है और उन जरूरतों/ उद्देश्यों पर कार्य करने के लिए सहकारी और सहयोगी दृष्टिकोण को विकसित करता है।

बृन्दा सिंह के अनुसार सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय की आवश्यकताओं, समस्याओं, उद्देश्यों, उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों आदि को पहचाना जाता है ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके। लोगों की अभिवृत्तियों, सोच एवं विचार में परिवर्तन लाकर नवीन तकनीकों, अनुसंधानों एवं खोजों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। लोगों के विचारों में परिवर्तन लाकर परस्पर सहयोग से जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

Community organization is the process of dealing with individuals and groups, who are or may become concerned with social welfare services or objectives,

for the purpose of influencing the volume of such services, improving the quality or distribution or furthering the attainment of such objectives – National Conference on Community Organization, USA.

सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने प्रयासों को समुदाय की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाते हैं। (Community organization is a process by which the people are directed to use their efforts for the community in order to meet their basic needs).

सामुदायिक संगठन, समुदाय की समाज कल्याण आवश्यकताओं तथा उपलब्ध साधनों के बीच समायोजन है।

अतः सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें समुदाय उपलब्ध साधनों के बीच एक ऐसा क्रम बनाता है अथवा समुदाय की संरचना में कुछ आवश्यक अवयव को जोड़ देता है जिससे समुदाय की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके जिनसे व्याप्त अभाव दूर हो सके।

8.4.3 उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य: समुदाय की समस्याओं का समाधान करना तथा आत्म-निर्भर बनाना है।

हार्पर एवं डनहम ने 1939 में नेशनल काँग्रेस ऑफ़ सोशल वर्क द्वारा नियुक्त लेन कमेटी द्वारा प्रतिवेदन में दिए गए सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया है-

- i) आवश्यकताओं की परिभाषा एवं खोज
- ii) सामाजिक आवश्यकताओं और अयोग्यताओं की रोकथाम और समाप्ति
- iii) साधनों और आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण और बदलती हुई आवश्यकतों को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए साधनों का पुनः समायोजन।

सैंडरसन व पाल्सन के अनुसार, सामुदायिक संगठन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- i) सामुदायिक पहचान की चेतना जाग्रत करना।
- ii) सम्पूर्ण आवश्यकताओं की संतुष्टि करना।
- iii) समाजीकरण के साधन के रूप में सामाजिक सम्मिलन की वृद्धि करना।
- iv) सामुदायिक आत्मा और भक्ति भावना द्वारा सामाजिक नियंत्रण को प्राप्त करना।

- v) संघर्ष को रोकने तथा कुशलता एवं सहयोग की वृद्धि के लिए समूह और क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना ।
- vi) समुदाय की अवांछनीय प्रभावों अथवा परिस्थितियों से रक्षा करना ।
- vii) सामान्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए अन्य संस्थाओं तथा समुदायों से सहयोग करना ।
- viii) एकमतता प्राप्त करने के साधनों का विकास करना ।
- ix) नेतृत्व को विकसित करना ।

त्यागी एवं अरुण, 2018 ने सामुदायिक संगठन के निम्न उद्देश्य बताए हैं:

- i) समुदाय की भावना उत्पन्न करना ।
- ii) आदान-प्रदान की भावना उत्पन्न करना ।
- iii) अंतःक्रिया का उत्पन्न होना ।
- iv) व्यक्ति द्वारा अपनी सहायता स्वयं करना ।
- v) सामूहिक जीवन, मूल्य एवं मान्यताएं स्थापित करना ।
- vi) सामुदायिक मूल्य व मान्यताओं को जन्म देना ।
- vii) सामुदायिक संगठन हेतु कार्यक्रम बनाना एवं उनका कार्यान्वयन ।
- viii) दूरदर्शिता उत्पन्न करना ।

सरल शब्दों में

समुदाय में रहने वाले लोगों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना तथा उसके समाधान के तरीकों को ढूँढना जिससे लोग संगठित रहें तथा स्वालम्बी बनें ।

8.4.4 दर्शनशास्त्र

- 1) सामुदायिक संगठनों का मौलिक पहलू "सहकारी भावना" का सिद्धांत है जो लोगों को किसी मुद्दे को हल करने के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- 2) सामुदायिक संगठन लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों की भावना को पहचानता है । सामुदायिक संगठन लोकतांत्रिक भागीदारी बनाने के बारे में है।

- 3) संगठित करना सशक्तिकरण के बारे में है। जब लोग एक साथ एकजुट होते हैं, सभी भेदभाव को छोड़कर समुदाय संगठनों में शामिल होते हैं, तो वे आत्मविश्वास विकसित करते हैं। यह सशक्तिकरण तब आता है जब लोग स्वयं और दूसरों की मदद करने के लिए कौशल सीखते हैं। सामूहिक कार्रवाई सामुदायिक भवन में मदद करता है।
- 4) समुदाय संगठन, व्यक्ति की शक्ति को पहचानता है। यह मानता है कि, लोगों की सामूहिक शक्ति के माध्यम से, बेहतर सामूहिक कार्य और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने से व्यापक सामाजिक समस्याएं हल हो सकती हैं।
- 5) एक और दर्शन है- सामंजस्य का। इसलिए समुदाय संगठन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सामुदायिक जीवन की बदलती स्थितियों के साथ तालमेल रखने के लिए सामंजस्य/ समायोजन किए जाते हैं।

8.4.5 सिद्धांत

1958 में आर्थर डनहम ने समुदाय संगठन के 28 सिद्धांतों का एक बयान तैयार किया और सात शीर्षकों के तहत समूहित किया। वो हैं:

- 1) लोकतंत्र और सामाजिक कल्याण
- 2) सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए समुदाय की जड़ों
- 3) नागरिक समझ, समर्थन, और भागीदारी और पेशेवर सेवा
- 4) सहयोग
- 5) सामाजिक कल्याण कार्यक्रम
- 6) सामाजिक कल्याण सेवाओं की पर्याप्तता, वितरण और संगठन तथा
- 7) रोकथाम

भारत में वास्तविक अभ्यास स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिद्दीकी (1997) ने 8 सिद्धांतों का एक समूह तैयार किया है। ये सिद्धांत हैं-

- 1) विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत
- 2) योजना का सिद्धांत
- 3) लोगों की भागीदारी का सिद्धांत
- 4) अंतर-समूह दृष्टिकोण का सिद्धांत

- 5) लोकतांत्रिक कार्य का सिद्धांत
- 6) लचीला संगठन का सिद्धांत
- 7) उपलब्ध संसाधनों का सिद्धांत
- 8) सांस्कृतिक उन्मुखीकरण का सिद्धांत

त्यागी एवं अरुण ने अपनी किताब मौलिक कृषि प्रसार शिक्षा (2018) में निम्न सिद्धान्तों का उल्लेख किया है-

1) व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रति समाज का सिद्धांत: सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के लिए वैयक्तिक कार्य तथा सामूहिक कार्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व की जानकारी आवश्यक है। वैयक्तिक कार्यकर्ता को अपने सेवार्थी की सहायता के लिए सामूहिक व सामुदायिक कार्यों का ज्ञान आवश्यक है। समुदाय में अपने तीनों वर्गों (व्यक्ति, समूह, समुदाय) का समन्वय अति आवश्यक है। यह समुदाय के प्रत्येक के व्यक्ति के व्यक्तित्व से पूर्व परिचित होने पर ही सम्भव है।

2) समस्याओं से सम्बंधित सभी लोगों का प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग: समुदाय में समस्याओं की उत्पत्ति प्राकृतिक सत्य है। विभिन्न समस्याओं का सम्बन्ध समुदाय के अलग-अलग व्यक्तियों से सम्बंधित होता है। सामुदायिक संगठन को समुदाय से सम्बंधित समस्या के हल में रूचि लेनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों का इसमें योगदान हो।

3) आत्म निर्णय का सिद्धांत: सामुदायिक संगठन कार्यकर्ताओं को अपना कोई निर्णय समुदाय के सदस्यों पर थोपना नहीं चाहिए बल्कि निर्णय समुदायवासियों पर ही छोड़ देना चाहिए। वे अपने आत्म-निर्णय द्वारा ही किसी प्रकार का निर्णय लें।

एम. जी. रॉस ने अपनी पुस्तक 'community organisation theory, principles and practice' में सामुदायिक संगठन के निम्नलिखित सिद्धान्तों का उल्लेख किया है:-

1. समुदाय में विद्यमान दशाओं के प्रति असंतोष के कारण संगठन का विकास। Discontent with existing conditions in the community must initiate and/or nourish the development of the association.

2. विशेष समस्याओं के सन्दर्भ में इस असंतोष का केन्द्रित किया जाना और इसे संगठन, नियोजन और प्रयासों में बदलना। Discontent must be focused and channelled into organisation, planning and action in respect to specific problems.

3. असंतोष, जो सामुदायिक संगठन को आरम्भ करता है या जो इसे सजीव रखता है, समुदाय के अधिक से अधिक सदस्यों द्वारा अनुभव किया जाता है। The discontent which initiates or sustains community organisation must be widely shared in the community

4. संगठनको ऐसे औपचारिक एवं अनौपचारिक नेताओं को अपने कार्यों में सम्मिलित करना जिनको समुदाय के अधिकतर लोगों द्वारा पहचाना व् स्वीकार किया जाता हो। The organisation must involve leaders (both formal and informal) identified with and accepted by major subgroups in the community.

5. संगठनके उद्देश्य एवं कार्यविधियां ऐसी हो जो सदस्यों को मान्य हो। The organisation must have goals and methods of procedure of high acceptability.

6. संगठन के कार्यक्रमों में कुछ ऐसे भी क्रियाकलाप होने चाहिए जो संवेगात्मक दृष्टिकोण विषय वस्तु लिए हो। The program of organisation should include some activities with emotional content.

7. संगठन को समुदाय में विद्यमान सद्भाव का प्रयोग करना चाहिए।

The organisation should seek to utilise the manifest and latent good will which exists in the community.

8. संगठन के अन्दर और समुदाय के बीच अच्छे संस्कारों को विकसित करना चाहिए। The organisation must develop active and effective lines of communication both within the organization and between the organization and the community.

9. संगठन को समूहों में सहकारिता की भावना का विकास करना चाहिए। The organization should seek to support and strengthen the groups which it brings together in cooperative work.

10. संगठनको अपने संगठन और कार्यरितियों को लचीला रखना चाहिए। The organization should be flexible in its organizational procedures without disrupting its regular decision making routines.

11. संगठन को अपने कार्यों की गति को समुदाय की विद्यमान दशाओं के अनुरूप रखना चाहिए। The organization should develop a pace for its work relative to existing conditions in the community.

12. संगठनको प्रभावशाली नेताओं का विकास करना चाहिए।The organization should seek to develop effective leaders.

13. संगठनको समुदाय में अपनी सक्रियता, स्थिरता और सम्मान को विकसित करना चाहिए।The organization must develop strength, salability and prestige in the community.

8.4.6 व्यापकता क्षेत्र (Scope)

सामुदायिक संगठन का क्षेत्र सामाजिक सेवाओं के संगठन तथा उसके प्रशासन से सम्बंधित हैं। सामुदायिक संगठन के व्यापक क्षेत्र है:

- समाज कल्याण संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करना।
- समन्वय स्थापित करने हेतु धन एकत्रित करना।
- समाज से सम्बंधित विधानों को बनाना।
- समुदाय के ढांचे में सामाजिक संस्थान, रीती-रिवाजों, सामाजिक मान्यताएं, सांस्कृतिक स्तर इत्यादि।

8.4.7 सामुदायिक संगठन के कार्य

भारत में सामुदायिक संगठन के अंतर्गत तीन प्रकार की क्रियाएं कार्यरत हैं-

- (1) समुदाय की समस्याओं का निदान करना-
- (2) समुदाय के सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार
- (3) समाज कल्याण

सामुदायिक संगठन किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे महिलाओं का संगठन, पुरुषों का संगठन, युवाओं का संगठन, व्यापारियों का संगठन आदि। जब सामुदायिक कार्य संगठन के माध्यम से किया जाता है तब निश्चित ही विकास कार्यक्रमों को एक गति मिलेगी तथा कार्यक्रम सफल होंगे।

8.4.7 सामुदायिक संगठन के अंग

सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रणाली है, जिसके द्वारा कार्यकर्ता, व्यक्ति को समुदाय के माध्यम से किसी संस्था अथवा सामुदायिक केन्द्र में सेवा प्रदान करता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का सन्तुलित विकास सम्भव होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण सामुदायिक संगठन के कार्य तीन स्तम्भों पर आधारित है :- (i) कार्यकर्ता, (ii) समुदाय, (iii) संस्था

(i) कार्यकर्ता - सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता अपनी सेवाओं द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह व्यक्ति को स्वतंत्र विकास एवं उन्नति के लिए अवसर प्रदान करता है तथा व्यक्ति को सामान्य निर्माण के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। वह सामाजिक सम्बन्धों को आधार मानकर, शिक्षात्मक तथा विकासात्मक क्रियाओं का आयोजन व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए करता है। कार्यकर्ता को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है:-

1. सामुदायिक स्थापना।
2. संस्था के कार्य तथा उद्देश्य।
3. संस्था के कार्यक्रम तथा सुविधायें।
4. समुदाय की विशेषतायें।
5. सदस्यों की संधियाँ, आवश्यक कार्य एवं योग्यतायें।
6. अपनी स्वयं की निपुणतायें तथा क्षमतायें।
7. समुदाय की कार्यकर्ता से सहायता प्राप्त करने की इच्छा।

(ii) समुदाय- सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता अपने कार्य का प्रारम्भ समुदाय के साथ करता है और समुदाय के माध्यम से ही उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। वह व्यक्ति को समुदाय सदस्य के रूप में जानता है तथा उसकी विशेषताओं को पहचानता है। समुदाय एक आवश्यक साधन तथा यन्त्र होता है जिसको उपयोग में लाकर सदस्य अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। जिस प्रकार का समुदाय होता है कार्यकर्ता को उसी प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है। सामुदायिक कार्य का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक सदस्य का समुदाय में अच्छी प्रकार से समायोजन करना है।

(iii) संस्था- सामाजिक सामुदायिक कार्य में संस्था का विशेष महत्व होता है क्योंकि सामुदायिक कार्य का उत्पत्ति ही संस्थाओं के माध्यम से हुई है। संस्था की प्रकृति एवं कार्य, कार्यकर्ता की भूमिका को निश्चित करते हैं। समुदाय के साथ कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्यकर्ता को निम्न बातों को भली-भांति समझना चाहिए-

1. कार्यकर्ता को संस्था के उद्देश्यों तथा कार्यों का ज्ञान होना चाहिए।
2. संस्था की सामान्य विशेषताओं से अवगत होना तथा उसके कार्य क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए।
3. उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार संस्था समुदाय की सहायता करती है तथा सहायता के क्या-2 साधन के स्रोत हैं।

4. संस्था में सामुदायिक संबंध स्थापना की दशाओं का ज्ञान होना चाहिए।
5. संस्था के कर्मचारियों से अपने संबंध के प्रकारों की जानकारी होनी चाहिए।
6. उसको जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी संस्थायें तथा समुदाय कितने हैं जिनमें किसी समस्याग्रस्त सदस्य को सन्दर्भित किया जा सकता है।
7. संस्था द्वारा समुदाय के मुल्यांकन की पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। सामुदायिक एवं संस्था के माध्यम से ही समुदाय अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं तथा विकास की ओर बढ़ते हैं।

आगे बढ़ने से पहले आइये कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें।

अभ्यास प्रश्न 1

रिक्त स्थान भरिये :

1. समुदाय के व्यक्तियों के हित होते हैं।
2. सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य समुदाय की समस्याओं का समाधान करना तथा बनाना है।
3. सामुदायिक संगठनों का मौलिक पहलू का सिद्धांत है जो लोगों को किसी मुद्दे को हल करने के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित करता है।
4. एक में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं।
5. सामुदायिक संगठन के कार्य तीन स्तम्भों पर आधारित है
6. समुदाय की समाज कल्याण आवश्यकताओं तथा उपलब्ध साधनों के बीच समायोजन है।

8.5 सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास की अवधारणा - सामुदायिक विकास का उपयोग विशेष रूप से 1950 से 1960 के दशक में जीवन स्तर बढ़ाने के व्यापक तरीके का वर्णन करने के लिए किया गया है जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों की सहायता से लोगों की भागीदारी पर जोर दिया गया है इस दृष्टिकोण के तहत किए गए सड़कों और बांधों के निर्माण के काम एवं सामुदायिक केंद्रों और साक्षरता वर्गों के चलने के लिए एक व्यापक दायरे को कवर किया है (कुएंस्टलर, 1961)

Concept of Community Development-Community development has been used especially in the decade from 1950 to 1960 to describe a comprehensive method of raising standard of living in which the emphasis is on the participation of people themselves albeit with the assistance of both governmental and non-governmental organization work carried out under this approach has covered an immensely wide scope, for building of roads and dams to the running of community centers and literacy classes (Kuenstler, 1961)

8.5.1 अर्थ

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामुदायिक विकास एक योजना मात्र नहीं है बल्कि यह स्वयं में एक विचारधारा तथा संरचना है। इसका तात्पर्य है कि एक विचारधारा के रूप में यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो व्यक्तियों को उनके उत्तरदायित्वों का बोध कराता है तथा एक संरचना के रूप में यह विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक सम्बन्धों और उनके पारस्परिक प्रभावों को स्पष्ट करता है।

भारतीय सन्दर्भ में, सामुदायिक विकास का तात्पर्य एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा ग्रामीण समाज की संरचना, आर्थिक साधनों, नेतृत्व के स्वरूप तथा जनसहभाग के बीच सामंजस्य- स्थापित करते हुए समाज का चतुर्दिक विकास करने का प्रयास किया जाता है।

सामुदायिक विकास सम्पूर्ण समुदाय के चतुर्दिक विकास की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जन-समुदाय के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है।

8.5.2 परिभाषा

संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामुदायिक विकास को मोटे तौर पर "एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जहां समुदाय के सदस्य सामूहिक कार्रवाई करने और आम समस्याओं के समाधान के लिए एक साथ आते हैं।"

The United Nations defines community development broadly as "a process where community members come together to take collective action and generate solutions to common problems."

Sunders (1958) describes community development as the process of 'change from a condition where one or two people or a small elite within or without the local community make decision for the rest of the people, to a condition where

people themselves make decisions about matters of common concern, form a state of minimum to one of maximum cooperation, form a condition where all resources and specialists come from outside to one where local people make the most of their resources.'सुंदरर्स (1958) सामुदायिक विकास को 'एक ऐसी स्थिति से परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है जहां जहां लोग खुद आम चिंता के विषयसंबंधित मामलों के बारे में निर्णय लेते हैं तथा न्यूनतम से अधिकतम सहयोग के लिए कार्य करते हैं, एक ऐसी स्थिति बनाएं जहां सभी संसाधन और विशेषज्ञ बाहर से आए हों।

योजना आयोग- जनता द्वारा स्वयं ही अपने प्रयासों से ग्रामीण जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास सामुदायिक विकास है।

प्रो. ए. आर. देसाई- 'सामुदायिक विकास योजना एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित ग्रामों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में रूपान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया जाता है।'

Community development in fact was seen as a movement designed promote better living for the whole community, with active participation if possible at the community initiatives, but if this initiatives is not forthcoming spontaneously, then by making use of techniques to arouse and stimulate it, in order to secure its active and enthusiastic response to the movement (Mukerji, 1961)

आई0सी0 जैकसन के अनुसार-सामुदायिक विकास किसी समुदाय को अपने आप काम करने के लिए प्रोत्साहित करने तथा भौतिक और आध्यात्मिक रूप से सामुदायिक जीवन का समृद्ध बनाने के लिए कदम उठाने को प्रेरित करता है।

रैना के अनुसार- 'सामुदायिक विकास एक ऐसा समन्वित कार्यक्रम है जो ग्रामीण जीवन से सभी पहलुओं से सम्बंधित है तथा धर्म, जाति सामाजिक अथवा आर्थिक असमानताओं को बिना कोई महत्व दिये, एक सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय पर लागू होता है।

8.5.3 उद्देश्य

सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय की प्रगति एवं श्रेष्ठतर जीवन-स्तर के लिए पथ प्रदर्शन करना है।

प्रो. ए. आर. देसाई- सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीणों में एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उत्पन्न करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ग्रामीणों की नवीन आकांक्षाओं, प्रेरणाओं, प्रविधियों एवं

विश्वासों को ध्यान में रखते हुए मानव शक्ति के विशाल भण्डार को देश के आर्थिक विकास में लगाना है।

डॉ दुबेने सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य को भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है: (1) देश का कृषि उत्पादक प्रचुर मात्रा में बढ़ाने का प्रयत्न करना, संचार की सुविधाओं में वृद्धि करना, शिक्षा का प्रसार करना तथा ग्रामीण स्वास्थ्य और सफाई की दशा में सुधार करना, (2) गाँवों में सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को बदलने के लिए सुव्यवस्थित रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया का आरम्भ करना।

भारत सरकार के सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा सामुदायिक विकास योजना के 8 उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं: -

1. ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना।
2. गाँवों में उत्तरदायी तथा कुशल नेतृत्व का विकास करना।
3. सम्पूर्ण ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील बनाना।
4. ग्रामीण जनता के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए एक ओर कृषि का आधुनिकीकरण करना तथा दूसरी ओर ग्रामीण उद्योगों को विकसित करना।
5. इन सुधारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए ग्रामीण स्त्रियों एवं परिवारों की दशा में सुधार करना।
6. राष्ट्र के भावी नागरिकों के रूप में युवकों के समुचित व्यक्तित्व का विकास करना।
7. ग्रामीण शिक्षकों के हितों को सुरक्षित रखना।
8. ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करना।

8.5.4 सामुदायिक विकास के मूल तत्व

सामुदायिक विकास के चार मूल तत्व निम्नलिखित हैं-

1. नियोजित कार्यक्रम जिसे समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
2. विकास कार्यों में ग्रामीणों की सहभागिता और पहल।
3. विशेषज्ञ, सामग्री और साधन के रूप में सहायता।
4. समुदाय के सहायता के लिए विभिन्न विशेषज्ञों व संस्थानों (सरकारी अथवा गैर- सरकारी) का सामंजस्य जैसे कृषि पशुपालन, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग -इत्यादि।

8.5.5 सामुदायिक विकास की विशेषताएँ

सामुदायिक विकास जो समुदाय के जीवन को बेहतर बनाता है उसकी कई विशेषताएँ हैं जो सार्वभौमिक हैं। इन विशेषताओं में से कुछ हैं:

- परिवर्तन से प्रभावित सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए।
- स्थानीय ज्ञान का सम्मान करें और स्थानीय प्रतिभा का उपयोग करें।
- स्थिरता - लोग एक ऐसी परियोजना से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं जिसकी उन्होंने मदद की है। इसलिए वे इसे बेहतर तरीके से प्रबंधित और बनाए रखेंगे।
- स्थानीय क्षमता का निर्माण करना - दीर्घकालिक सामुदायिक स्थिरता मानव और सामाजिक क्षमताओं के विकास पर निर्भर करता है।
- प्रभावी, पारदर्शी संचार।

8.5.6 सामुदायिक विकास के सिद्धांत

सफल सामुदायिक विकास कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर निर्भर करता है। जैसे घर बनाने के साथ आपको एक मजबूत नींव स्थापित करनी चाहिए अन्यथा घर ध्वस्त हो सकता है। वैसे सामुदायिक विकास को भी एक मजबूत नींव की भी जरूरत है। नीचे वर्णित सिद्धांत किसी भी समुदाय और संदर्भ में सामुदायिक विकास पर लागू होते हैं। नीचे वर्णित सिद्धांत किसी भी समुदाय और किसी भी संदर्भ में सामुदायिक विकास पर लागू होते हैं।

1. भागीदारी सामुदायिक विकास का पहला मूल सिद्धांत है। इसका मतलब है लोगों की आवाज सुनना और उन्हें अपने समुदाय को विकसित करने में सहायता करना, इस तरह से कि वे इसे विकसित करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि लोगों को शामिल करने के लिए उपयुक्त तरीके खोजना। सतत सामुदायिक विकास अंततः प्रारंभिक योजना के चरणों से पूरा होने तक अपने स्वयं के विकास में भाग लेने वाले लोगों पर निर्भर करता है। ऐसा करने से लोगों को अपने नए विकास को प्रबंधित करने और बनाए रखने की अधिक संभावना है।

2. स्थिरता या सतत विकास का सिद्धांत सामुदायिक विकास का एक मूल सिद्धांत है और अक्सर इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जब परिवर्तन एक समुदाय के लिए पेश किया जाता है, तो यह आशा की जाती है कि समुदाय इसे प्रबंधित या बनाए रखेगा। स्थिरता को बाहरी समर्थन के साथ या बाहरी समर्थन के बिना प्राप्त किया जा सकता है। स्थिरता के कुछ सिद्धांतों में शामिल हैं: - परियोजना के सभी पहलुओं में समुदाय के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी, समस्याओं / जरूरतों की

पहचान, योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग जिसे स्थानीय स्तर पर बनाए रखा जा सके।

3. समानता और सामाजिक न्याय सामुदायिक विकास का तीसरा सिद्धांत इक्विटी और सामाजिक न्याय है। सामुदायिक विकास के संदर्भ में इक्विटी और सामाजिक न्याय का अर्थ है: - सभी समुदाय के सदस्य, संस्कृति, धर्म, लिंग या उम्र की परवाह किए बिना, अपने समुदाय में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर रखते हैं। लोगों की पहुंच की जानकारी के लिए उपलब्धता, जो उन तरीकों से प्रस्तुत की जाती है, जिन्हें वे समझ सकते हैं, सामुदायिक संसाधनों के उपयोग और उपयोग में लोगों की निष्पक्षता। सामुदायिक विकास के किसी भी रूप से समुदाय के सदस्यों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है।

8.5.7 सामुदायिक विकास का संगठन

हमारे देश में सामुदायिक विकास सरकारी एवं जनता दोनों का संयुक्त प्रयास है। विभिन्न स्तरों पर यह संगठन निम्न प्रकार है:

क) केन्द्रीय स्तर (Central level)- राष्ट्रीय स्तर की समिति को राष्ट्रीय विकास परिषद् कहते हैं। इस समिति का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है तथा कृषि मंत्री, योजना मंत्री, खाद्य मंत्री और योजना आयोग के सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। देश भर के कार्यक्रम चलाने का उत्तरदायित्व इस समिति का होता है। एक सलाहकार आयोग अलग से इस समिति को परामर्श देता है। इस आयोग में वित्त मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालयों के मंत्री व सचिव सदस्य होते हैं।

ख) प्रान्त स्तर (State level)- इसे प्रांतीय विकास परिषद् कहते हैं। इस समिति का चेयरमैन मुख्यमंत्री होता है तथा कृषि, सहकारिता, सिंचाई, वित्त, शिक्षा मंत्री, इसके सदस्य होते हैं। राज्य विकास आयुक्त इसका सचिव होता है। यह समिति राज्य के विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है।

ग) जनपद स्तर (District level)- इस स्तर पर जनपद पंचायत समिति विकास के लिए उत्तरदायी होती है। इस समिति के चेयरमैन का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला विकास आयुक्त अथवा जिला नियोजन अधिकारी इस समिति के सचिव होते हैं। जिला कृषि अधिकारी, पशुधन अधिकारी, सहकारिता अधिकारी, पंचायत अधिकारी इसके सदस्य होते हैं।

घ) क्षेत्रीय स्तर (Block level)- विकास खंड स्तर क्षेत्रीय विकास समिति अथवा खण्ड पंचायत समिति विकास के लिए उत्तरदायी होती है। इसका अध्यक्ष जनता का प्रतिनिधि होता है जिसे प्रधान कहते हैं। क्षेत्र विकास अधिकारी (BDO) इस समिति का सचिव होता है। विकास

खंड के सभी सहायक विकास अधिकारी, सहायक उप-विद्यालय निरीक्षक, सिंचाई विभाग के जिम्मेदार इसके सदस्य होते हैं।

ड) ग्राम स्तर (Village level)- गाँव स्तर पर ग्राम स्तर विकास समिति विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करती है। ग्राम पंचायत का सरपंच अथवा प्रधान इसका अध्यक्ष एवं पंचायत मंत्री तथा ग्राम विकास अधिकारी इसके सचिव व सदस्य होते हैं।

8.5.8 प्रमुख कार्यक्रम

सामुदायिक विकास के प्रमुख कार्यक्रम हैं-

- (iv) कृषि सम्बन्धी जैसे भूमि सुधार, उन्नत बीज, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि,
- (v) रोजगार सम्बन्धी जैसे कुटीर उद्योग-धंधों को चलाने हेतु युवकों को प्रशिक्षण,
- (vi) स्वास्थ्य सम्बन्धी जैसे स्वच्छता कार्यक्रम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन आदि,
- (vii) वित्त सम्बन्धी जैसे ऋण की व्यवस्था एवं विकास कार्यों के लिए अनुदान,
- (viii) सहकारिता सम्बन्धी
- (ix) यातायात सम्बन्धी
- (x) गृह निर्माण कार्य,
- (xi) समाज कल्याण इत्यादि।

8.6 सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में समानताएं और अंतर

8.6.1 सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में समानताएं

- समुदाय संगठन और समुदाय विकास दोनों प्रक्रियाएं हैं।
- दोनों का उद्देश्य कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय का सामाजिक-आर्थिक विकास है।
- दोनों में कार्यवाही की इकाई समुदाय है।
- लोगों की भागीदारी दोनों की प्रक्रियाओं की कुंजी है।
- दोनों प्रक्रियाओं में संसाधनों का संग्रहण और उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।

- सामुदायिक विकास को एक लक्ष्य के रूप में माना जा सकता है और सामुदायिक संगठन को एक प्रक्रिया या विधि के रूप में जिसके द्वारा सामुदायिक विकास हासिल किया जा सकता है।

8.6.2 सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में अंतर

सामुदायिक संगठन	सामुदायिक विकास
सामुदायिक संगठन में लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है।	सामुदायिक विकास में लोगों का विकास महत्वपूर्ण है।
सामुदायिक संगठन में सरकारी या बाहरी एजेंसीज से सहायता की जरूरत नहीं होती है।	सामुदायिक विकास में सरकारी या बाहरी एजेंसीज से सहायता की जरूरत होती है।
सामुदायिक संगठन का उपयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है।	सामुदायिक विकास का ज्यादातर उपयोग लोगों के आर्थिक विकास और जीवन स्तर के विकास के लिए किया जाता है।
सामुदायिक संगठन में किसी भी योजना की शुरुआत लोगों द्वारा उनकी भागीदारी के माध्यम से की जाती है।	सामुदायिक विकास में कोई भी योजना बाहरी एजेंसी अधिकतर सरकार द्वारा चलायी जाती है।
सामुदायिक आयोजक ज्यादातर सामाजिक कार्यकर्ता अथवा सामाजिक परिवर्तन अभिकर्ता होते हैं।	सामुदायिक विकास में किसी भी व्यवसाय से सम्बंधित हो सकता है जैसे कृषि विशेषज्ञ, पशु-चिकित्सा विशेषज्ञ इत्यादि।
किसी भी समुदाय में सामुदायिक संगठन का अभ्यस्त किया जा सकता है।	सामुदायिक विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से कम विकसित या विकासशील समुदायों में चलाया जाता है।

अभ्यास प्रश्न 2

सही/ गलत बताइए।

1. भागीदारी, स्थिरता, समानता और सामाजिक न्याय; सामुदायिक विकास के सिद्धांत हैं।

2. रैना के अनुसार 'सामुदायिक विकास योजना एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित ग्रामों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में रूपान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया जाता है।'
3. सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास, दोनों में कार्यवाही की इकाई समुदाय है।
4. सामुदायिक विकास में सरकारी या बाहरी एजेंसीज से सहायता की जरूरत नहीं होती है।

8.7 सारांश

मनुष्य के सार्वजनिक जीवन में समुदाय का अत्यंत मत्व है। समुदाय को आधार मानकर ही विभिन्न विकास योजनाएं चलायी जाती हैं। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य समुदाय के लोगों का बहुमुखी विकास करना है। सामुदायिक विकास स्वयं जनता के प्रयत्नों द्वारा उनके जीवन का सामाजिक और आर्थिक रूपांतर करने का एक प्रयत्न है। जब समुदाय मिलकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यशील हो तो उन्हें संगठन की आवश्यकता होती है। सामुदायिक संगठन एक एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करने की समुदाय की क्षमता को विकसित करता है। समुदायिक संगठन, समुदाय को अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं और उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए नियोजित तथा सामुदायिक कार्यवाही करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे समुदाय की परिस्थितियों में बदलाव लाकर पूर्ण कल्याण किया जाता है।

8.8 पारिभाषिक शब्दावली

समुदाय: समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम भावना की कुछ मात्रा हो तथा एक निश्चित क्षेत्र में रहता हो।

सामुदायिक संगठन: सामुदायिक संगठन सामाजिक संगठन का वह चरण है जिसमें समुदाय द्वारा प्रजातांत्रिक तरीके से अपने मामलों या कार्यों को नियोजित करने से और अपने उच्चतम सेवा प्राप्त करने के सचेत प्रयास सम्मिलित है।

सामुदायिक विकास: जनता द्वारा स्वयं ही अपने प्रयासों से ग्रामीण जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास सामुदायिक विकास है।

8.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

रिक्त स्थान भरिये :

1. व्यापक
2. आत्म-निर्भर
3. सहकारी भावना
4. निश्चित भौगोलिक क्षेत्र
5. (i) कार्यकर्ता, (ii) समुदाय, (iii) संस्था
6. सामुदायिक संगठन

अभ्यास प्रश्न 2

सही/ गलत बताइए

1. सही
2. गलत
3. सही
4. गलत

8.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1) डॉ बृन्दा सिंह, प्रसार शिक्षा, पंचशील प्रकाशन, जयपुर
- 2) डॉ बी.डी. त्यागी एवं डॉ एस. के. अरुण, मौलिक कृषि प्रसार शिक्षा, रामा पब्लिशिंग हाउस, मेरठ

8.11 सहायक पाठ्य सामग्री

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Community_organization
2. <http://www.studylecturenotes.com/social-sciences/sociology/373-introduction-to-community-organization-meaning-a-definition>
3. <https://www.encyclopedia.com/education/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/community-organization>
4. <http://www.ohcc-ccso.ca/en/courses/community-development-for-health-promoters/module-one-concepts-values-and-principles/defini-0>

-
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Community_development
 6. [https:// christcollegegemsw.blogspot.com/2008/03/community-organsiation-notes.html](https://christcollegegemsw.blogspot.com/2008/03/community-organsiation-notes.html)
-

8.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. सामुदायिक संगठन की परिभाषा बताते हुए, उनके उद्देश्य, सिद्धांत व दर्शन-शास्त्र पर टिपणी कीजिये।
2. सामुदायिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों व उद्देश्यों के बारे में बताइए।
3. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विभिन्न संगठनों का उल्लेख कीजिये।
4. सामुदायिक संगठन एवं सामुदायिक विकास समानताएं व अंतर बताइए

इकाई 9: प्रसार व संचार विधियाँ

9.1 प्रस्तावना

9.2 उद्देश्य

9.3 प्रसार विधियाँ

9.3.1 प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण

9.4 विस्तार विधियों के चयन और उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक

9.5 प्रसार में श्रव्य-दृश्य साधन

9.6 सारांश

9.7 पारिभाषिक शब्दावली

9.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

9.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

9.10 सहायक पाठ्य सामग्री

9.11 निबंधात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना

प्रसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य लोगों के व्यवहार, अभिवृत्तियों, ज्ञान, कौशल तथा मूल्यों में इच्छित परिवर्तन लाना है। प्रसार शिक्षा विशेषतः ग्रामीण लोगों के ज्ञान, योग्यता, कुशलता, मनोवृत्ति एवं कार्य पद्धति में परिवर्तन के साथ उनका गुणात्मक विकास करने का कार्य करता है। प्रसार शिक्षा में संचार माध्यम तथा प्रसार विधियाँ एक औजार तथा उपकरण की तरह कार्य करते हैं, जिसके अभाव में प्रसार कार्य संभव ही नहीं होता। प्रसार कार्यकर्ता को विभिन्न शिक्षण विधियों के चयन और उपयोग, ग्रामीण लोगों की विशेषताओं के अनुसार करने की कुशलता होना नितांत आवश्यक है तभी वह अपना कार्य प्रभावशाली ढंग से कर सकता है। इन्समिंजर ने प्रसार शिक्षण विधियों के महत्व के सम्बन्ध में कहा है कि प्रसार विधियाँ प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि एक मैकेनिक के लिए उसके औजार या यंत्र, पेचकस, घन तथा हथोड़ा। जिस प्रकार मैकेनिक का कार्य बिना मशीन, रिंच, पेचकस आदि के नहीं चल सकता ठीक उसी प्रकार एक प्रसार कार्यकर्ता जिसका मुख्य कार्य, मनुष्यों को नए ज्ञान से परिचित कराकर उन्हें उनके विकास के लिए प्रेरित करना है बिना प्रसार की विधियों के नहीं चल सकता। मनुष्य को प्रेरित करने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्यों के साथ संपर्क स्थापित किया जाये, और फिर उनको नए ज्ञान से परिचित कराया जाये, फिर नए ज्ञान के अच्छे परिणाम उन्हें दिखाए जाये, और फिर उनका सहयोग प्राप्त करके

उन्हें कार्य करने के लिए उत्साहित किया जाए, क्योंकि जब तक मनुष्य कार्य स्वयं नहीं कर लेते तब तक उनका प्रेरित होना कठिन होता है। प्रसार कार्यकर्ताओं के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती है कि वह लोगों को कोई विषय ठीक से समझा सकें, उसे स्वीकार योग्य ढंग से प्रस्तुत कर सकें ताकि लोग उस ज्ञान का सही ढंग से उपयोग कर सकें। प्रसार शिक्षण के तरीकों की अच्छी जानकारी तथा विशेष तरीके का बुद्धिमत्ता पूर्ण चुनाव करना प्रसार कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है।

9.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप:

- 1) प्रसार व संचार में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विधियों को समझाने और परिभाषित करने में सक्षम होंगे।
- 2) प्रसार और संचार विधियों की भूमिका का वर्णन करने में सक्षम होंगे।
- 3) प्रसार विधियों के चयन और उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध करने में सक्षम होंगे।
- 4) विभिन्न श्रव्य-दृश्य साधनों का वर्गीकरण, चुनाव, फायदे और उनकी सीमाओं के बारे में जानेंगे।

तो आइए प्रस्तुत इकाई में हम प्रसार शिक्षण विधियों और प्रसार में श्रव्य-दृश्य साधन के बारे में जानते हैं।

9.3 प्रसार-शिक्षण विधियाँ

प्रसार शिक्षण विधियाँ वे साधन हैं जो प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी के बीच ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं, जिससे प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी के बीच संचार संभव हो जाता है। अर्थात् प्रसार कार्यकर्ता शिक्षण क्रिया को प्रभावशाली तरीके से प्रारम्भ करता है तथा शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रूचि पैदा करता है। क्योंकि प्रसार कार्य का प्रमुख उद्देश्य अधिक-से-अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचाना, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए उनके रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना है। ग्रामीण सामाजिक प्रणाली की स्थिति, सामाजिक आर्थिक प्रभाव की गतिशीलता के कारण शिक्षण विधियों का उपयोग भी जटिल हो गया है अतः प्रसार कार्यकर्ता को उचित परिणाम के लिए शिक्षण विधियों का उचित चुनाव करना आवश्यक है।

प्रसार कार्यक्रमों में ग्रामीण जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए, ध्यानाकर्षण से लेकर संतुष्ट होने व प्रेरित होने तक की प्रक्रिया में, अधिकतम उपयोगी प्रसार विधियों का चयन निम्न रूप से समझाया गया है –

1. आकर्षण (Attention)– पोस्टर, रेडियो आदि ।
2. रूचि (Interest)– समूह चर्चा, भ्रमण, फिल्म, प्रदर्शन आदि ।
3. इच्छा (Desire)– प्रदर्शन, श्रव्य-दृश्य सामग्री आदि ।
4. सहमती (Conviction)– समूह चर्चा, व्यक्तिगत संपर्क, भ्रमण आदि ।
5. क्रिया (Action)– व्यक्तिगत संपर्क, अधिकारियों से मिलना आदि ।
6. संतोष (Satisfaction)– व्यक्तिगत संपर्क ।

प्रसार शिक्षा के विभिन्न चरण: (AIDCAS)

- (1) A: Attention (आकर्षण)–लोगों के ध्यान को आकर्षित करना ।
- (2) I: Interest (रूचि)–लोगों में रूचि पैदा करना ।
- (3) D: Desire (इच्छा)–लोगों में सीखने के लिए इच्छा उत्पन्न करना ।
- (4) C: Conviction (सहमती)–लोगों को सीखने के लिए समझाना ।
- (5) A: Action (क्रिया)– करके सीखना अर्थात् लोगों से कार्य करवाना ।
- (6) S: Satisfaction (संतोष)–कार्य करने के बाद संतुष्टि का अनुभव होना ।

प्रसार शिक्षण विधियों के परिभाषा

लीगन्स (1961) के अनुसार, प्रसार शिक्षण विधियाँ वे उपकरण हैं जिनका उपयोग उन परिस्थितियों को बनाने के लिए किया जाता है जिनमें प्रशिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संचार हो सकता है। (Extension teaching methods are the devices used to create situations in which communication can take place between the instructor and the learner).

सिंह के अनुसार “प्रसार शिक्षण विधियाँ स्थिति निर्माण में उपयोगी पद्धतियाँ या युक्तियाँ हैं जिनसे प्रसार कार्यकर्ता और गांवों के लोगों के बीच तकनीकी ज्ञान का संचार होता है।”

प्रसाद के अनुसार, “प्रसार शिक्षण विधियाँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नूतन ज्ञान, नवाचार, तकनीकी आदि स्थानांतर करने की पद्धति है जिससे ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस ज्ञान का उपयोग कर सके।

बृन्दा सिंह (2016) के अनुसार “शिक्षण विधियाँ शैक्षणिक तकनीक अथवा उपकरण हैं जिससे लोगों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच संचार हो सके।

शिक्षण विधियाँ नए ज्ञान, विचार और कुशलता स्थानान्तर की पद्धतियाँ हैं जिनसे ग्रामीण लोगों का ध्यान तकनीकी ज्ञान की ओर आकर्षित कर उनकी अभिरुचि जागृत की जाती है जिससे इन विचारों से लोग सफलतापूर्वक अनुभव प्राप्त कर सके।

विस्तार विधियों के कार्य:

1. संचार प्रदान करने के लिए ताकि शिक्षार्थी सीखने की चीजों को देख, सुन और कर सके;
2. प्रेरणा प्रदान करने के लिए जो शिक्षार्थी के वांछित मानसिक और/या भौतिक कार्रवाई का कारण बनता है;
3. शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के एक या अधिक चरणों के माध्यम से शिक्षार्थी को ले जाना, अर्थात्, ध्यान, रुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास, क्रिया और संतुष्टि।

9.3.1 विस्तार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण

प्रसार विशेषज्ञों ने प्रसार तथा संचार हेतु शिक्षण विधियों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है। कोई भी दो स्थितियाँ बिल्कुल एक जैसी नहीं होती हैं और कोई भी दो व्यक्ति समान विशेषताओं वाले नहीं होते हैं। इसलिए, सभी परिस्थितियों में किसी एक विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से विस्तार विधियों के वर्गीकरण के आधार पर मानकीकरण करना बहुत मुश्किल लगता है जो सभी स्थितियों के अनुरूप हो। विस्तार के तरीकों में से प्रत्येक के अपने फायदे और सीमाएं हैं। कई विस्तार विधियाँ उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग विस्तार कार्यकर्ता लोगों को शिक्षित करने के लिए कर सकते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को स्थिति की जरूरतों के अनुसार किसी विशेष विधियाँ विधियों का संयोजन चुनना होता है। विल्सन और गैलप (1955) ने उपयोग और स्वरूप के अनुसार विस्तार शिक्षण विधियों को वर्गीकृत किया। बैस (1987) ने उनके उपयोग, रूप, सीखने की प्रक्रिया के चरणों, अंगीकृत की प्रक्रिया के चरणों, ग्रहण करने वालों की श्रेणियों, प्रारंभिक लागत सम्मिलित, प्राप्त परिणामों की प्रति इकाई लागत, उन्हें उपयोग करने में आवश्यक कौशल, के अनुसार वर्गीकृत करने का प्रयास किया। सबसे अधिक व्यापक रूप विस्तार शिक्षण विधियों का उपयोगी वर्गीकरण उपयोग के अनुसार है।

विलसन व गॉलप ने प्रसार शिक्षण विधियों को वर्गीकरण उनके उपयोग और स्वरूप के अनुसार निम्न बताया है –

(अ) **उपयोग के अनुसार शिक्षण विधियाँ**-वे शिक्षण विधियाँ जिनका उपयोग प्रसार कार्यकर्ता लोगों से सम्पर्क स्थापित कर तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए करते हैं, इस श्रेणी में आते हैं । अर्थात् ये तरीके लोगों से व्यक्तिगत, सामूहिक या सामुदायिक रूप से संपर्क स्थापित करने से सम्बंधित हैं । इसी आधार पर प्रसार शिक्षण विधियों को तीन श्रेणी में विभाजित किया गया है।

1. व्यक्तिगत सम्पर्क
2. समूहसंपर्क और
3. सामुदायिक संपर्क/ विराट जन-संपर्क

प्रसार विधियों का वर्गीकरण: उपयोग के अनुसार		
व्यक्तिगत सम्पर्क (Individual contact)	समूहसंपर्क (Group contact)	विराट जन-संपर्क (Mass contact)
<ul style="list-style-type: none"> ● फार्म एवं घर पर मिलना (Farm & Home Visit) ● कार्यालय में संपर्क (Office call) ● टेलीफोन वार्ता (Telephone call) ● व्यक्तिगत पत्र (Personal letters) 	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रदर्शन(Demonstration) ● सभाएं/ बैठक (Meetings) ● समूह चर्चा (Group Discussion) ● खेत भ्रमण/ भ्रमण (Field Trips / Tours /Exposure Visits) 	<ul style="list-style-type: none"> ● छपित एवं मुद्रित सामग्रियां (अखबार, पत्रिकाएँ, परिपत्र, फ़ोल्डर्स, बुलेटिन, समाचारकहानियां, आदि) ● प्रदर्शनियां ● अभियान ● प्रसारणमीडिया(रेडियो टेलीविज़न)

(ब) **स्वरूप/ प्रकृति के अनुसार**- प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण करने के आलावा प्रसार शिक्षा के तरीकों का स्वरूप के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है । इस वर्गीकरण में तरीकों को बोले जाने वाले शब्दों, लिखित रूप, दृश्य सामग्री के अनुसार वर्गीकृत किया गया है ।

1. **बोले जाने वाले शब्द/ बोलकर**- बोले जाने वाले शब्दों से तात्पर्य उन विशेष और आम सभाओं से है जिनमें प्रसार कार्यकर्ता भाग लेते हैं । इन अवसरों पर प्रसार कार्यकर्ता भाषा द्वारा विचार व्यक्त करता है । चलचित्र, स्लाइडों तथा अन्य दृश्य सहायताओं का उपयोग

स्वरूप के अनुसार प्रसार शिक्षण विधियाँ		
बोलकर	लिखकर	दृश्य के माध्यम से
<ul style="list-style-type: none"> ● खेतों तथा घरों में जाना ● कार्यालय तथा टेलीफोन पर वार्ता ● रेडियो ● सभी प्रकार की सभाएं 	<ul style="list-style-type: none"> ● व्यक्तिगत पत्र ● पत्रिकाएँ ● बुलेटिन ● प्रपत्र ● समाचार पत्र 	<ul style="list-style-type: none"> ● चित्र ● परिणाम प्रदर्शन ● पोस्टर ● प्रतिकृतियाँ ● चलचित्र ● चार्ट

लोगों के उपस्थिति बदने, इसमें रूचि उत्पन्न करने या सभाओं के शिक्षा सम्बन्धी प्रभावों को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

2. **लिखित रूप-** शब्दों का उपयोग लेख के रूप में भी किया जाता है। प्रसार कार्यकर्ता कई प्रकार के लेख ग्रामीण लोगों को सूचना देने, उन्हें कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए लिखते हैं। लिखित सूचना को बहुधा उपयुक्त चित्रों के साथ भी प्रस्तुत किया जाता है।
3. **दृश्य या चित्रण-** कई सूचना या विचार दृश्यों या चित्रों की सहायता से प्रदर्शित कर लोगों को बताये जाते हैं, जिससे वे देखकर स्पष्ट रूप से समझ सकें और उसके अनुसार कार्यशील हो जायें। दृश्य सहायता का उपयोग लिखित या मौखिक जानकारी की पुष्टि के लिए किया जाता है।

आइये उपयोग के अनुसार प्रसार शिक्षण

● फ्लेशकार्ड (चोकमात्र)

विधियाँ के बारे में विस्तृत से जानते हैं।

9.3.1.1 व्यक्तिगत संपर्क विधि:

प्रसार कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से गाँव के लोगों से मिलकर तकनीकी जानकारी प्रदान करता है तब उसे व्यक्तिगत संपर्क विधि कहते हैं। व्यक्तिगत संपर्क से प्रसार कार्यकर्ता स्वयं गाँव के लोगों के घर में, खेतों में जाकर या गाँव के लोगों को विकासखंड या अन्य कार्यालय में बुलाकर विभिन्न विषयों पर तकनीकी जानकारी देता है। ये तरीके नए कौशल सिखाने और किसानों और विस्तार श्रमिकों के बीच सद्भाव पैदा करने में बहुत प्रभावी हैं। निम्नलिखित तरीकों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

- 1) खेत एवं घर पर मिलना (Farm & Home visit)
- 2) कार्यालय में संपर्क (Office call)
- 3) टेलीफोन वार्ता (Tel ephone call)
- 4) व्यक्तिगत पत्र (Personall etters)

व्यक्तिगत संपर्क को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए।

1. प्रसार कार्यकर्ता को व्यक्तिगत संपर्क में शिष्टाचार का पालन करना चाहिये।
2. संपर्क के समय लोगों की रूचि के अनुसार बात करना चाहिये।
3. व्यक्तिगत संपर्क के समय बातचीत सरल और स्पष्ट रूप से करना चाहिये।
4. संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये।
5. व्यक्तिगत संपर्क में लोगों पर विश्वास स्थापित करना चाहिये।
6. संपर्क के समय गलत बातों का विरोध एकदम नहीं करना चाहिये। साथ ही साथ गलत बातों को मानना भी नहीं चाहिये। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से ही गलत बातों की काट करनी चाहिये।

लाभ: व्यक्तिगत संपर्क से निम्नलिखित लाभ हैं-

1. प्रसार कार्यकर्ता को प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं, क्षमताओं, अन्य व्यक्तियों से उसके सम्बन्ध आदि का ज्ञान होता है, जिनके उपयोग कार्यक्रम निर्माण में किया जा सकता है।
2. स्थानीय लोगों में नेतृत्व विकसित करने में सरलता होती है इससे प्रसार कार्य सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है।
3. लोगों की अभिरुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रारम्भ कर उसका प्रचार किया जाता है।
4. कार्यकर्ता और कार्यक्रम में लोगों का विश्वास प्राप्त किया जाता है।

5. व्यक्तियों के साधनों, क्षमताओं का पता लग जाता है जिससे कार्यक्रम बनाने में सरलता होती है।

सीमाएं: उपरोक्त लाभों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क की कुछ सीमाएं भी हैं-

1. इस प्रकार की विधि में प्रसार कार्यकर्ता का अधिक समय लगता है।
2. सभी व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करना कठिन होता है। अतः सभी लोगों की समस्याओं का पता नहीं लग पाता।
3. कुछ व्यक्तियों से निरंतर सम्पर्क करने से अन्य व्यक्तियों में द्वेष और कटुता की भावना बढ़ती है और वे कार्यक्रम का विरोध करते हैं।
4. कार्यकर्ता कुछ ही लोगों तक सम्पर्क सीमित रखकर लोगों के साथ पक्षपात करने लगते हैं।

9.3.1.1.1 खेत एवं घर पर मिलना (Farm & Home Visit)— जब प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों, कृषकों, युवकों, ग्रामीण स्त्रियों आदि से उनके घर या प्रक्षेत्र में किसी मुख्य उद्देश्य को लेकर मिलता है तो प्रसार के इस साधन को हम खेत व घर पर मिलना कहते हैं। प्रसार कार्यकर्ता का लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क करना एक उत्तम प्रसार विधि है। इस विधि में प्रसार कार्यकर्ता व कृषक को आमने-सामने एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातचीत का अवसर मिलता है।

प्रक्षेत्र या निवास में सम्पर्क कैसे करें :-

1. गाँव के लोगों के खेत या निवास में सम्पर्क निश्चित कार्य व उद्देश्य से होना चाहिये।
2. कृषक के खेत या निवास में मिलने के लिए समय का विशेष ध्यान देना चाहिये।
3. किन-किन लोगों से सम्पर्क करना है इसका ब्यौरा पहले ही तैयार कर लेना चाहिये।
4. सम्पर्क करते समय सभी गाँव वालों का ध्यान रखना चाहिये।
5. प्रसार कार्यकर्ता तभी बातचीत करें जबकि सुनने वाले सुनने को तैयार हो तथा दिलचस्पी लें। ग्रामीण की अभिरुचि के अनुसार बातचीत करनी चाहिये।
6. सम्पर्क की विधि, उद्देश्य और वार्ता का सारांश लिखें।
7. वार्ता के समय स्पष्ट और सही बात करें। तर्कपूर्ण बातें न करें।
8. सम्पर्क के समय जरूरी सामग्री प्रसार कर्ता अपने साथ ले जाये और वार्ता के समय दिखायें।
9. प्रक्षेत्र या घर में मित्र के तरह बैठें।
10. सम्पर्क वार्ता समाप्त होने पर शिष्टाचार पूर्वक विदाई लें।

लाभ:

1. प्रसार कार्यकर्ता को गाँव के लोगों की प्राथमिक समस्याओं का ज्ञान होता है।
2. लोगों के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक।
3. एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा होता है।
4. ग्रामीण नेतृत्व विकास में सहायता मिलती है।
5. ग्रामीण लोगों का विश्वास विस्तार कार्य के प्रति उत्पन्न होता है।
6. शासन और लोगों के बीच की कठिनाईयाँ दूर होती हैं।
7. लोग अधिक संख्या में उन्नत विधियाँ अंगीकार कर लेते हैं।
8. कार्यकर्ता का हौसला बढ़ता है।

सीमाएं:

1. प्रसार कार्यकर्ता कुछ ही लोगों से मिल पाता है।
2. कार्यकर्ता का लोगों से मिलने में अधिक समय व्यय होता है।
3. एक ही कृषक के घर या खेत में मिलने से अन्य कृषक द्वेष करने लगते हैं।
4. अन्य प्रसार विधियों की तुलना में यह अधिक खर्चीली है।

9.3.1.1.2 कार्यालय भेंट (Office call)

व्यक्तिगत सम्पर्क की यह एक अति महत्वपूर्ण शिक्षण पद्धति है जिसमें कृषक, महिलाएं, युवक, युवतियाँ अथवा अन्य जरूरतमंद ग्रामीण लोग प्रसार कार्यकर्ता से कार्यालय में जाकर भेंट करते हैं तथा अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। यह विधि व्यक्ति की अपनी समस्याओं के प्रति निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है, साथ ही व्यक्ति विशेष के मन में समस्या के हल करने की इच्छा तीव्र होती है।

कार्यालय बुलाने में कैसे संपर्क करें :-

1. कोई भी वार्तालाप शुरू करने से पहले, कार्यालय में बुलाये गए लोगों से उनकी कुशलक्षेम पूछना अनिवार्य है, ऐसा करने से लोगों में आत्मीयता उत्पन्न होती है।
2. ऐसी व्यवस्था की जाये कि ग्रामीण लोग आसानी से कार्यालय पहुँच सकें।
3. कार्यालय सुसज्जित हो एवं बैठने की व्यवस्था ठीक हो।
4. निश्चित दिन और समय पर मिलें।
5. कार्यालय पर मिलने आये ग्रामीणों का पूर्ण विवरण कार्यालय रजिस्टर में दर्ज करना चाहिये।

लाभ:

1. आगंतुक इच्छानुसार संतोष होने पर अनेक बार कार्यालय आते हैं।

2. प्रसार कर्ता का लोगों पर सम्मान बढ़ता है।
3. गाँव में विकास कार्यक्रम क्रियान्वय के लिये अनुकूल वातावरण तैयार होता है।
4. प्रसार कार्यकर्ता का अर्जित विश्वास ज्ञात होता है।
5. गाँव के समूहों के संरचना की जानकारी प्राप्त होती है।

सीमाएं:

1. प्रसार कार्यकर्ता का कार्यालय में न होने से कठिनाई उत्पन्न होती है।
2. लोगों को कार्यालय में आने पर उचित सलाह, मार्गदर्शन प्राप्त न होना।
3. प्रसार कार्यकर्ता से अनुचित लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करना।

9.3.1.1.3 टेलीफोन वार्ता (Tel ephone cal)

टेलीफोन प्रसार कार्यकर्ता और ग्रामीण लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने का एक अन्य साधन है। टेलीफोन का उपयोग लोगों को केवल प्रदान करने में ही नहीं बल्कि शिक्षण सम्बन्धी कार्यों को सुविधापूर्वक करने में भी है। यह अविलम्ब संपर्क स्थापित करने का एक सस्ता साधन है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास में मोबाइल की सहायता से संचारक तथा प्राप्तकर्ता के बीच हुई वार्ता को सचित्र देख व सुन सकते हैं। टेलीफोन का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करके इसे प्रसार शिक्षा के प्रभाव को बढ़ाने के काम में भी लाया जा सकता है। टेलीफोनवार्ता को प्रभावकारी ढंग से उपयोग में लाने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिये:-

1. तुरंत उत्तर दें। इससे वार्ता अच्छी तरह आरम्भ होकर शीघ्र पूर्ण होती है।
2. साफ और स्पष्ट आवाज में बोलें और नम्रता से बातचीत करें।
3. जो आपसे बात कर रहा है उसकी बात पर पूरा ध्यान दें।
4. टेलीफोन पर व्यक्ति से ऐसे बातचीत करें मानों आमने-सामने बात कर रहे हैं।

लाभ:

1. अल्प समय में घर बैठे ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं को प्रसार कार्यकर्ता को बता देते हैं तथा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में टेलीफोन, मोबाइल घर-घर में विद्यमान है, जिसका उपयोग प्रत्येक लोग करते हैं।
2. इससे समय व शक्ति की बचत होती है।
3. प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों से फ़ोन पर बातचीत करके आगामी कार्यक्रम तय कर सकता है। इससे उसे व्यक्तिगत रूप से घर-घर जाना नहीं पड़ता तथा काम हो जाता है।
4. यदि किन्हीं कारणों से प्रसार कार्यकर्ता कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा विषय विशेषज्ञ नहीं मिल पायेंगे तो उसकी सूचना पहले से ही ग्रामीणों को दे दी जाती है, जिससे उन्हें लाभ होता है। वे कार्यालय आकर परेशान नहीं होते हैं।

सीमाएं:

1. टेलीफोन खराब होने या मोबाइल चार्ज न होने की स्थिति में बातचीत नहीं हो पाती है। फलतः कभी-कभी महत्वपूर्ण जानकारी समय रहते लोगों तक नहीं पहुँच पाती।
2. कई बार टेलीफोन से आवाज़ साफ-साफ, स्पष्ट सुनाई नहीं देती है जिससे बातचीत में व्यवधान उत्पन्न होता है।
3. सर्वर डाउन होने, टावर खराब होना, बिजली न होना इत्यादि समस्याएं टेलीफोन वार्ता में व्यवधान का कारण हो सकते हैं।

9.3.1.1.4 व्यक्तिगत पत्र (Personal letters)

इसमें प्रसार कार्यकर्ता नवीन चीजों की जानकारी व्यक्तिगत पत्र लिखकर लोगों तक पहुंचाता है। आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि के बढ़ते चलन ने पत्र लिखने की परंपरा को लगभग बंद ही कर दिया है। आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से गाँव के लोग भी अपनी समस्याओं का विभिन्न समूहों से विचार-विमर्श करके हल जानने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में पत्र बिल्कुल पारंपरिक औपचारिक शिक्षण विधि ही बनकर रह गयी है।

इस तरीके को अच्छी तरह व्यवहार में लाने के लिए निम्न सिद्धांतों का पालन करना चाहिए:

1. शीघ्रता-पत्र में जो सूचना मांगी गयी हो उसे तुरंत देना चाहिये। याद रहे सूचना देने में विलम्ब करना सूचना देने से इनकार करना है।
2. दूसरे व्यक्तियों की रुचियों, दृष्टिकोण, सीमाओं और इच्छाओं पर उचित ध्यान दिया जाए।
 - लिखे गए पत्र में निम्न गुण होने चाहिए:
 - पूर्णता:- पत्र में चाही गयी जानकारी के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तर देना चाहिये।
 - संक्षिप्तता: जो कुछ भी आप कहना चाहें उसे संक्षेप में पूरा और स्पष्ट कहें।
 - स्पष्ट: पत्र में लिखी गयी बात संदिग्ध न हो।
 - औपचारिक: पत्र की भाषा औपचारिक होनी चाहिये।
 - स्वच्छ: पत्र में काट-छांट आदि न हो।
 - पठनीय: शब्द सरल और वाक्य छोटे हों, और पढ़ने में रुचिकर भी हों। आपूर्तियों के सम्बन्ध में प्रसार कार्यकर्ता को किसी वस्तु के उपलब्ध होने के स्थान का पता और लगभग मूल्य भी देना चाहिये।
 - पत्र के साथ-साथ प्रसार साहित्य भी भेजना चाहिये।

- पत्र लिखने वाले को उसके आसपास कार्य कर रहे कृषि कार्यकर्ता का पता भी देना चाहिये ।
- यदि पूछी गयी जानकारी, बुलेटिन या प्रपत्र के रूप में मौजूद हो तो लम्बा पत्र भेजने के बजाये छपा साहित्य पत्र के साथ नत्थी कर देना चाहिये ।

लाभ:

1. पत्र में मनोभाव होते है संवेग होते हैं तथा समस्याओं का विस्तार से वर्णन रहता है । जिसे बार-बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं ।
2. पत्र लिखने से प्रसार कार्यकर्ता तथा ग्रामीणों के बीच आत्मीय सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।

सीमाएं:

1. अधिक समय तथा उर्जा व्यय होती है ।
2. पत्राचार में विलम्ब होने से उसका महत्व स्वतः ही कम हो जाता है अर्थात् सूचनाएं अपना महत्व खो देती हैं ।
3. अशिक्षित लोगों से संपर्क करने का उचित माध्यम नहीं है ।

आगे बढ़ने से पहले आइये कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें ।

अभ्यासप्रश्न1

सही/ गलत बताइए ।

1. खेत एवं घर पर संपर्क के समय तर्कपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए ।
2. समूह चर्चा व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने की एक विधि है ।
3. लिखे गए पत्र में औपचारिक भाषा का प्रयोग होना चाहिये ।
4. कार्यालय बुलावा संपर्क विधि में जरूरतमंद ग्रामीण लोग प्रसार कार्यकर्ता से कार्यालय में जाकर भेंट करते हैं तथा अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं ।
5. खेत एवं घर पर संपर्क विधि में प्रसार कार्यकर्ता गाँव के सभी लोगों से मिलता है ।
6. पत्र लेखन अशिक्षित लोगों से संपर्क करने का उचित माध्यम नहीं है ।

9.3.1.2 सामूहिक संपर्क विधि

प्रसार कार्यकर्ता जब लोगों से समूह में बातचीत कर तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है या कोई सामूहिक कार्य के लिए लोगों को तैयार करता है, सामूहिक संपर्क कहलाता है । समूह में सामान्यतः 20

व्यक्ति जो एक ही तरह की विकास कार्यों में अभिरुचि रखते हैं समूह कहलाता है। समूह में प्रसार कार्यकर्ता व समूह के व्यक्तियों के बीच स्पष्ट विचारों का आदान प्रदान होता है। चूँकि सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करना प्रसार कार्यकर्ता के लिए कठिन कार्य है अतः प्रसार कार्यकर्ता समूह से मिलता है। समूह की कार्यप्रणाली के मूल में प्रजातंत्र का सिद्धांत है। लोगों के प्रतिनिधियों से विचार विनिमय करके लोगों की सामान्य आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जा सकता है।

बहुत सी महत्वपूर्ण समस्याओं का हल या आवश्यकताओं की पूर्ति सामूहिक विचार-विनिमय द्वारा की जा सकती है क्योंकि स्थानीय समस्याएं बहुधा सभी स्थानीय लोगों से सम्बंधित होती हैं। निम्नलिखित तरीकों से सामूहिक संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

1. प्रदर्शन(Demonstration)
2. सभाएं/ बैठक (Meetings)
3. समूह चर्चा (Group Discussion)
4. खेत भ्रमण/ भ्रमण (Field Trips /Tours /Exposure Visits)

सामूहिक संपर्क में प्रसार कार्यकर्ता को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिये-

1. समूह में लोगों की अभिरुचि के अनुसार बात प्रारम्भ करनी चाहिये।
2. समूह एक ही उद्देश्य के होना चाहिये जिससे सभी लोग बातों में सहयोग कर सकें।
3. समूह की व्यवस्था की भी जानकारी कर लेनी चाहिये तथा वार्तालाप सरल भाषा में की जाये एवं समूह के सभी सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिये।
4. समूह में नेता की पहचान कर उसे अपनी बात करने को प्रोत्साहित करना चाहिये और कार्य में पूर्ण सहयोग देना चाहिये।

लाभ: सामूहिक संपर्क से निम्नलिखित लाभ हैं-

1. एक साथ अधिक लोगों को प्रभावित किया जा सकता है।
2. समूह में चर्चा करते समय सभी की अनुभूत आवश्यकताओं का पता चल जाता है।
3. अनुभूत आवश्यकताओं को हल करने के लिए सुझावों का पता चल जाता है।
4. इससे समूह के समस्त सदस्य कार्यक्रम क्रियान्वय में सहायक होते हैं।
5. सभी की बातें सुनने से किसी में द्वेष तथा भेदभाव की भावना नहीं पनप पाती है।
6. इससे नैतिक दबाव उत्पन्न होता है जिससे सभी व्यक्ति क्रियाशील रहते हैं।

सीमाएं: सामूहिक समपर्क की कुछ सीमाएं भी हैं-

1. इससे प्रत्येक व्यक्ति की कठिनाई और अनुभवों का पता चल नहीं पाता ।
2. समूह के सदस्यों में विरोध हो जाने से कार्यक्रम क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है ।
3. समूह के सदस्यों का यथायोग्य सहयोग प्राप्त करना कठिन हो जाता है ।

9.3.1.2.1 प्रदर्शन (Demonstration)

प्रदर्शन से अभिप्राय है की किसी कार्य को कैसे करना चाहिये इसको करके दिखाना या प्रदर्शित करना । प्रदर्शन मुख्य रूप से 'देखकर विश्वास करना' (Seeing is believing) तथा करके सीखने (Learning by doing) के सिद्धांत पर आधारित है । जब लोग कार्य को करते हुए देखते हैं तो उनमें उस चीज के प्रति विश्वास उपजता है । इसलिये लोगों में विश्वास पैदा करने के लिये प्रदर्शन एक आवश्यक शिक्षण विधि है ।

लाभ:

1. सफल होने पर जनता का कार्यकर्ता तथा कार्यक्रम में विश्वास हो जाता है ।
2. देखकर कार्यक्रम की अच्छाई और बुराई को मनुष्य समझ सकता है ।
3. किसी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जो सुझाव होते हैं उनको स्थानीय दशा में प्रयोग किया जा सकता है ।
4. स्थानीय आंकड़े किसी कार्यक्रम को समझने के लिए मिल जाते हैं ।

प्रदर्शन करते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें:

1. प्रदर्शन से पूर्व लोगों के ज्ञान, साक्षरता, अभिवृत्ति, व्यवहार आदि की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिये ।
2. प्रदर्शन से पूर्व उपलब्ध संसाधनों के जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये ।
3. एक साथ ढेर सारी चीजों का प्रदर्शन नहो करना चाहिये । एक बार में एक या दो चीजों के बारे में बताना चाहिये ।
4. प्रदर्शन से पूर्व सभी आवश्यक सामग्रियों के बारे में श्रोता को सरल शब्दों में जानकारी देना चाहिये ।
5. जिस विषय से सम्बन्धित प्रदर्शन करना है, उसका पूर्वाभ्यास जरूरी है ताकि उसे पूर्ण कुशलता व दक्षतापूर्वक किया जा सके ।
6. प्रदर्शन के निश्चित समय से पूर्व, प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का

<p>निरीक्षण कर लेना चाहिये ।</p> <p>7. प्रदर्शन करते समय अन्य शिक्षण समाग्रियों जैसे चार्ट, पोस्टर इत्यादि का प्रयोग किया जाये तो वे अधिक प्रभावशाली होंगे ।</p> <p>8. प्रदर्शन निश्चित समय पर आरम्भ कर देना चाहिये ।</p> <p>9. प्रदर्शन के दौरान सरल एवं स्पष्ट भाषा में बोलकर संबोधित करें ।</p> <p>10. लोगों में उत्सुकता पैदा करने के लिये प्रश्न अवश्य पहुंचे । इससे द्वितरफा संचार होगा ।</p> <p>11. प्रदर्शन के लिये अपने साथ विश्वसनीय सहयोगी को साथ रखें, जो लोगों को समझाने-बुझाने का कार्य करे ।</p> <p>12. प्रदर्शन के बाद मूल्यांकन अवश्य करें । उसकी सफलता एवं असफलता पर विचार करें ।</p>

प्रदर्शन के प्रकार:

प्रदर्शन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं- (अ) विधि प्रदर्शन, (ब) परिणाम प्रदर्शन

9.3.1.2.1.1 विधि प्रदर्शन (Method demonstration)

यह एक अपेक्षाकृत कम समय का प्रदर्शन है, जो एक समूह के सामने दिया जाता है । यह कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है, जहां जोर दिया जाता है कि प्रभावी परिणाम के लिए किसी कार्य को बेहतर ढंग से किस प्रकार किया जाये । जब प्रसार कार्यकर्ता किसी विधि के सम्बन्ध में क्रमशः समझाता है तथा करके दिखता है और लोगों को उत्साहित होने का अवसर देता है तो उसे विधि प्रदर्शन कहते हैं। देखने वाले व्यक्ति कार्य को करते हुए देखते हैं तथा सीखते हैं। जब लोग देखकर कार्य करना सीख जाते हैं तो उनसे वही कार्य दोबारा करवाया जाता है। अतः विधि प्रदर्शन प्रयोगशाला में हुए नवीन आविष्कारों/अनुसंधानों/नवाचारों को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उद्देश्य :

1. लोगों को नयी विधि करके बताना ताकि वे सीखें और उसका प्रयोग अपने जीवन में करें ।
2. नयी तकनीक / नवीन उपकरण / नवाचार के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हो ।
3. जटिल क्रियाओं को चरण-दर-चरण अर्थात् सरल तरीके से एक-एक करके बताना ।
4. रोचक ढंग से प्रशिक्षण देना ।
5. लोगों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाना ।
6. नवाचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करना ।

प्रदर्शन का आधार

मनोवैज्ञानिक अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है की व्यक्ति विभिन्न इन्द्रियों से जुड़ी विधियों से निम्न प्रतिशत ज्ञान प्राप्त करता है :

सुनकर	10 प्रतिशत
पढ़कर	25 प्रतिशत
देखकर	35 प्रतिशत
सुनकर-पढ़कर	45 प्रतिशत
सुनकर-देखकर	65 प्रतिशत
सुनकर-पढ़कर-देखकर	85-90 प्रतिशत
क्रियाशील	

सुनकर और देखकर या कान और आँखों से वस्तु या विचार व्यक्ति के मस्तिष्क में पहुंचते हैं जिसका प्रभाव स्मृति पर होता है ।

लाभ :

1. यह तरीका बहुत से लोगों को सिखाने के लिए अपनाया जाता है ।
2. लोगों को वैज्ञानिक पद्धति अपनाने की लिये प्रभावित करती है क्योंकि इसमें देखना, सुनना और कार्य करना एक साथ होता है ।
3. लोगों में नई विधि के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है, क्योंकि वे करके सीखते हैं ।
4. लोगों में उन्नत विधि अपनाने की जानकारी मिलती है और उसके प्रति उत्साहित होते हैं ।
5. लोगों में नेतृत्व प्रदान करता है ।
6. प्रसार कार्यकर्ता और लोगों के बीच आपसी सम्बन्ध विकसित होते हैं ।
7. इसमें लोगों में नई पद्धति सीखने में मदद मिलती है ।

सीमाएं:

1. सभी प्रकार की उन्नत पद्धति के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है ।

2. इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता को काफी तैयारी और अभ्यास करना पड़ता है।

9.3.1.2.1.2 परिणाम प्रदर्शन (Result demonstration)

विशेषज्ञों के मत के अनुसार, परिणाम प्रदर्शन शिक्षण की वह विधि है जिसमें माने हुए तथ्यों के समूह का प्रयोग उदाहरण के रूप में करके दिखाया जाता है।

इस प्रदर्शन में उन्नतशील विधि से देशी विधि के साथ तुलनात्मक परिणाम दिखाकर जनता को समझाया जाता है। यह कार्य सर्वप्रथम टेक्सास (अमेरिका) में हुआ।

परिणाम प्रदर्शन किसी नयी विधि की महत्ता (value) को प्रदर्शित करता है। Value से अभिप्राय है किसी वस्तु के तुलनात्मक गुणों को व्यक्त करना या बताना। दूसरे शब्दों में कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से कितनी अच्छी व कितनी बुरी है, इस बात को प्रकट करना। परिणाम प्रदर्शन में दोनों ही विधियों (उन्नत विधि तथा परंपरागत विधि) का प्रदर्शन सामान परिस्थितियों में किया जाता है, तथा दोनों का परिणाम देखा जाता है। जब उन्नत विधि से किये गए कार्य का परिणाम बेहतर होता है, तब इसका काफी प्रचार-प्रसार किया जाता है।

परिणाम प्रदर्शन के सिद्धांत: इस पद्धति में अंतर्निहित दो सिद्धांत हैं।

1. एक व्यक्ति जो कार्य खुद से करता है या स्वयं अपनी आँखों से देखता है, वह उस पर विश्वास करेगा।
2. एक व्यक्ति के लिए जो अच्छा है, वह दूसरों के लिए भी समान परिस्थितियों में सामान्य अनुप्रयोग होगा।

लाभ:

1. परिणाम प्रदर्शन से उन्नत विधि का प्रचार स्थानीय प्रमाण के अनुसार होता है।
2. बहुत सी नई पद्धतियाँ सरलता से समझाई जा सकती हैं क्योंकि सुनने और देखने का कार्यक्रम साथ-साथ होता रहता है।
3. उन्नत विधियों का अंगीकरण शीघ्र और स्थाई होता है।
4. आर्थिक लाभ सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त होते हैं जिससे उन्नत विधि का महत्व समझाने में सरलता होती है।
5. प्रसार कार्यकर्ता को उन्नत विधि की सिफारिश करने में विश्वास होता है।
6. लोगों में विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि प्रसार कार्यकर्ता उनकी परिस्थिति के अनुकूल कार्य कर सकता है।


7. स्थानीय नेतृत्व का विकास होता है।

सीमाएं:

1. सभी प्रकार की उन्नत विधियों के लिए अनुकूल नहीं होता है।
2. इस विधि में समय, शक्ति व धन अधिक लगता है।
3. प्रदर्शन की सफलता प्रकृति पर निर्भर करती है।
4. प्रदर्शन की व्यवस्था की सामग्री जुटाना कठिन हो जाता है।
5. यदि किन्हीं कारणों से परिणाम प्रदर्शन असफल हो जाता है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव अन्य प्रसार कार्यक्रमों पर भी पड़ता है।

परिणाम प्रदर्शन और विधि प्रदर्शन के बीच अंतर

विवरण	परिणाम प्रदर्शन	विधि प्रदर्शन
उद्देश्य	किसी वस्तु के तुलनात्मक गुणों को व्यक्त करना	कौशल युक्त कार्य करना सिखाने के लिए (कौशल सिखाने के लिए)
द्वारा आयोजित	विस्तार कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में किसान (प्रदर्शनकारी)	विस्तार कार्यकर्ता खुद या विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित स्थानीय नेता
फायदा	प्रदर्शनकारी तथा किसान दोनों को	प्रदर्शन में मौजूद लोग
तुलना	आवश्यक (उसी क्षेत्र में प्रतिकृति के लिए आवश्यक नहीं है।)	आवश्यक नहीं
रिकार्ड का रखरखाव	जरूरी	जरूरी नहीं
समय सीमा	पर्याप्त अवधि	अपेक्षाकृत बहुत कम
लागत	महंगा	अपेक्षाकृत सस्ता
आपसीसंबंध	आमतौर पर अवलोकन प्लॉटों में एक या अधिक विधि प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं	अक्सर परिणाम प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त करता है



प्रदर्शन के चरण

9.3.1.2.2 सभाएं/ बैठक (Meetings)

लोगों का ध्यान आकर्षित करने, उनकी रूचि जागृत करने, उन्हें प्रेरित व उत्साहित करने, उनकी समस्याओं का समाधान करने तथा नये विचारों /तथ्यों / तकनीकी को अपनाने के लिए सभाएं आयोजित की जाती हैं। बैठक में लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, तथा आपसी विचार-विमर्श करके समस्याओं का समाधान करते हैं। सभा आयोजन का विषय सबकी रूचि को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसी उत्सव अथवा आयोजन से पूर्व भी लोगों की बैठक बुलायी जाती है, जिसमें आपसी विचार-विमर्श द्वारा आगे के कार्यक्रमों की तैयारी की जाती है। किसी सार्वजनिक महत्व के विषय में भी सामान्य बैठक बुलाई जाती है जैसे स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, पर्यावरण सुरक्षा आदि।

सभा करते समय प्रसार कार्यकर्ता को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये:

1. सभा केन्द्रीय स्थान पर करें जहाँ पर लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था हो सके।
2. सभा का समय व दिन गाँव के लोगों की सुविधानुसार निश्चित करें।
3. सभा में बोलने वाली व्यक्तियों से चर्चा करें।
4. गाँव के स्थानीय नेताओं से विचार कर कार्यक्रम बनायें।
5. सभा की सूचना लोगों को पूर्व में दें।
6. समय पर सभा प्रारम्भ व समाप्त करें।
7. सभा में उद्देश्य को ध्यान में रखें तथा लोगों को स्वतंत्र विचार प्रकट करने का अवसर दें।
8. सभा में वार्ता करते समय दृश्य सहायता का उपयोग करें।
9. सभा में समूह मनोविज्ञान के आधार पर अभिरूचि जागृत करें।
10. धन्यवाद में सभी लोगों की सराहना करें।
11. जिन विषयों में निर्णय लिये गए हैं उनकी सूचना लोगों को दें।

लाभ:

1. सूचना अधिक लोगों तक कम समय और कम खर्च में पहुंचती है।
2. बैठक में लोगों के विचार सुने-समझे जाते हैं तथा उसके आधार पर कार्यक्रम को शीघ्र ही क्रियात्मक रूप दिया जाता है।
3. समूह मनोविज्ञान द्वारा लोगों को किसी विशेष कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
4. प्रसार कार्यकर्ता और ग्रामीण एक-दूसरे से परिचित होते हैं।

5. लोगों को सामूहिक निर्णय की जानकारी होती है।
6. सभा में कई प्रकार की सूचना प्रदान की जाती है।

सीमाएं:

1. सभा के लिए उपयुक्त स्थान और सुविधयें आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती हैं।
2. लोगों के भिन्न-भिन्न रुचियों और दृष्टिकोण के कारण प्रभाव भी समान नहीं होता है।
3. सभा में सभी बातों पर विचार का अवसर नहीं मिल पाता है सिर्फ प्रश्न-उत्तर तक ही सीमित रहती है।
4. कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां भी जैसे खराब मौसम आदि लोगों की उपस्थिति में बाधक बन सकती हैं।
5. यदि सभा का आयोजन ठीक प्रकार से न किया जाये तो इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है।

9.3.1.2.3 समूह चर्चा (Group discussion)

प्रसार में समूह से अर्थ मनुष्यों के एक ऐसे ढांचे से है जिसमें सभी के हित समान होते हैं। इस प्रकार के समूह में मनुष्यों की अधिकाधिक संख्या बीस (20) होती है। समूह के सदस्य आपसी वार्ता करके सामूहिक हितों के बारे में निर्णय लेते हैं। समूह चर्चा का खास उद्देश्य, प्रजातान्त्रिक विधियों द्वारा, व सामूहिक सहयोग लेते हुए, व्यक्तियों/ समाज की सामूहिक अनुभूत आवश्यकताओं का विश्लेषण करना है। प्रसार की इस विधि द्वारा व्यक्तियों के अनुभवों का आपस में आदान-प्रदान होता है, सामूहिक रूप से विचार कर व योजना बनाकर कार्यों को करने का अवसर मिलता है।

किसी कार्य के प्रति, बनी मनोवृत्ति को बदलकर जनता को कार्य करने के लिए तैयार करना केवल समूह चर्चा द्वारा सम्भव हो सकता है, क्योंकि जनता के कौन-कौन से आर्थिक, सामाजिक इत्यादी बंधन हैं जो उसे कार्य करने से रोकते हैं, समूह चर्चा द्वारा ही जाने जा सकते हैं।

सामूहिक वार्ता के प्रकार:

1. **सिम्पोजियम (Symposium):** यह एक संपर्क विधि है। इसमें भाषण एक ही विषय तक सीमित रहता है। विषय को वक्ताओं की संख्या के अनुसार विभिन्न पहलुओं में बाँट लिया जाता है। वक्ता भिन्न-भिन्न विचार भिन्न-भिन्न पहलुओं पर बोलते हैं। वक्ताओं की संख्या दो से पांच तक होती है, तीन अच्छी संख्या मानी जाती है। इसे संक्षिप्त व्याख्यान माला या लघु श्रृंखला भी कह सकते हैं। श्रोताओं को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। (Symposium is a short series of lecture usual by two to five speakers each has different view points.
2. **पैनल (Panel Discussion):** इसमें चार से छः सदस्य अर्द्धवृत्ताकार रूप में बैठकर किसी दिए गए विषय पर आपस में चर्चा करते हैं। सदस्यों का चयन अत्यंत बुद्धिमतापूर्वक सोच-समझकर किया जाता है। नेता सभी वक्ताओं का परिचय करता है साथ ही अपनी बात संक्षिप्त में रखने के

लिए प्रेरित करता है। अपनी-अपनी बारी आने पर सदस्य अपने विचार रखते हैं। विचार-विमर्श के अंत में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

3. **फोरम (Forum):** इसका रूप छोटी सभा की तरह होता है। इसमें श्रोताओं में से अधिकतर दो कार्यकर्ताओं को विषय वस्तु पर चर्चा के लिए छाँट लिया जाता है। यह कुछ समय के लिए व्याख्यान माला का रूप ले लेता है। यह समूह संपर्क के लिए अच्छा साधन है।

लाभ:

1. यह एक प्रजातांत्रिक तरीका है जिसमें सामूहिक विचार विनिमय में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को बोलने का पूरा मौका दिया जाता है।
2. यह लोगों को क्रियात्मक हल खोजने की प्रेरणा देती है।
3. हर पद्धति के लिए लागू हो सकता है।
4. इससे लोगों में समस्या के प्रति रूचि पैदा होती है।
5. प्रचार शीघ्र होता है क्योंकि सभी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को बताते हैं।
6. कोई भी पद्धति कम व्यय से समझाई जा सकती है क्योंकि इस साधन में कोई खर्चा नहीं होता।
7. सामूहिक विचार-विनिमय से लोगों में आलोचनात्मक और विश्लेषित ढंग से सोचने की आदत का जन्म होता है।

सीमाएं:

1. यह उन विषयों के लिए नहीं अपनाया जा सकता जो नए हैं।
2. तथ्यों वाली समस्याओं के हल के लिए यह तरीका अच्छा नहीं है।
3. समूह-विवाद उत्पन्न होने का भय रहता है, जिससे गाँव का वातावरण खराब हो जाता है और कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है।
4. चूँकि इसमें मूलतः पारस्परिक विचार-विनिमय रहता है अतः पार्यप्त अनुशासन करना कठिन कार्य है।

9.3.1.2.4 खेत भ्रमण/ भ्रमण (Field Trips /Tours /Exposure Visits)

भ्रमण, प्रसार शिक्षा के “देखकर विश्वास करने” के सिद्धांत के आधार है पर अपनी महत्वता को दर्शाता है। यह विधि उन ग्रामीणों को संतुष्ट और प्रेरित करती है जो आश्वस्त नहीं हैं और किसी चीज़ को अपनी आँखों से देखने के बाद ही उसपर विश्वास करते हैं।

ग्रामीण लोगों को समूह में ऐसे स्थानों पर जहां अनुसन्धान या विकास कार्य की उल्लेखनीय प्रगति हुई हो ले जाकर अवलोकन कराया जाता है जिसे देखकर विश्वास उत्पन्न हो सके और वे उस कार्य को अपनाने को तैयार हो जाए, भ्रमण कहलाता है। इस विधि में लोगों को ऐसे स्थानों पर ले जाया

जाता है जहाँ पर सफलताएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें देखकर विश्वास किया जा सकता है और लोग उस प्रयोग को स्वयं अपनाने हेतु तैयार हो जाते हैं।

लाभ:

1. सभी ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग करने से लोगों में विश्वास तथा कार्य करने की अभिलाषा आती है।
2. सदस्यों और कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास बढ़ता है।
3. नेतृत्व विकास होता है।

सीमाएं:

1. भ्रमण के लिए विशेष तैयारी करनी पड़ती है।
2. इसमें अधिक समय, शक्ति व धन व्यय होता है।
3. भ्रमण के दौरान लोगों में आपसी विवाद उत्पन्न हो सकता है।
4. स्थान व भोजन की उचित व्यवस्था न होने पर सदस्य आगामी कार्य में असहयोगी हो जाते हैं।
5. नियंत्रण से परे परिस्थितियाँ, जैसे मौसम इत्यादिकार्यक्रम की सफलता को प्रभावित कर सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

जोड़े मिलाएं:

A	B
1. नयी विधि की महत्ता (value) को प्रदर्शित करना	(a) सिम्पोजियम
2. किसी विधि को क्रमशः समझाना व करके दिखाना	(b) भ्रमण
3. संक्षिप्त व्याख्यान माला	(c) विधि प्रदर्शन
4. भ्रमण	(d) परिणाम प्रदर्शन

9.3.1.3 विराट जनसंपर्क विधि

जब कम समय में, कम ऊर्जा व्यय करके, एक साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है, तब उसे विराट जनसंपर्क कहते हैं। प्रसार कार्य के लिए सदैव यह आवश्यक होता है। एक प्रसार कार्यकर्ता को नई जानकारी को लोगों तक पहुँचाने और उसका उपयोग करने में मदद

करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क करना पड़ता है। विराट संपर्क में जनसमुदाय तक कोई भी तकनीकी सूचना या कार्यक्रम की जानकारी पहुँचाने के लिए रेडियो, टेलीविज़न, भाषण, सम्मलेन, प्रदर्शनी आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रसार कार्यकर्ता के लिए उपयुक्त जनसंपर्क के कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं:

1. छपित एवं मुद्रित सामग्रियां (अखबार, पत्रिकाएँ, परिपत्र, फ़ोल्डर्स, बुलेटिन, समाचार कहानियां, आदि)
2. प्रदर्शनियां
3. अभियान
4. प्रसारण मीडिया (रेडियो, टेलीविज़न)

विराट संपर्क प्रभावशाली हो, इसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है –

1. ऐसी ही बातें कहनी चाहियें जिनका कम से कम विरोध हो ।
2. सामुदायिक रीति-रिवाजों को सहानुभूतिपूर्वक समझकर उन्ही के अनुसार वार्तालाप करनी चाहिये तथा जनता की कठिनाइयों का पूरा विश्लेषण करके उसका सरल हल जनता के सामने इस प्रकार रखना चाहिये की उन्हें उस पर विश्वास हो जाये।
3. विराट संपर्क के समय बात सरल और स्पष्ट भाषा में करनी चाहिए । स्थानीय भाषा का उपयोग प्रभावशाली होता है अतः स्थानीय भाषा का उपयोग करें ।
4. जनसंपर्क के समय प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित करना चाहिए ।
5. लोगों से उनकी बातें सुनना चाहिये और अपने विचार इस तरह रखें की विरोध न हो ।

लाभ: विराट संपर्क से निम्नलिखित लाभ हैं-

1. कम समय में अधिक लोगों से संपर्क हो जाता है ।
2. कार्य प्रारंभ करने के लिए उचित पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है ।
3. कार्यक्रम क्रियान्वयन में लोगों का सहयोग प्राप्त होता है ।
4. लोगों का मत परिवर्तन किया जा सकता है ।
5. स्थानीय नेतृत्व विकसित करने में मदद मिलती है ।

सीमाएं:सामूहिक संपर्क की कुछ सीमाएं भी हैं-

1. व्यक्तिगत ध्यान देना संभव नहीं होता । अतः लोगों की समस्याओं, आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों का पता नहीं चल पाता है ।
2. सभी लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि लोगों की अभिरुचि भिन्न होती है ।

3. द्वितरफ़ा संचार नहीं होने से प्रतिपुष्टि (feedback) नहीं हो पाता ।

9.3.1.3.1 छपित एवं मुद्रित सामग्रियां

प्रसार कार्यकर्ता अपने विचार या तकनीकी ज्ञान को लेख के रूप में जैसे पत्र, पत्रक, पत्रिकाएँ, बुलेटिन, समाचारकहानियां, आदि के द्वारा प्रसारित करते हैं। इन प्रकाशनों के लिखने और प्रकाशित करने का उद्देश्य लोगों तक सूचना पहुँचाना है ।

विभिन्न प्रकाशनों के लिए लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें:

1. तथ्यों का चयन:

- (क) उपयुक्त विषय-वस्तु: क्या यह आवश्यकता की पूर्ति करती है? क्या यह सामायिक है? क्या यह पाठकों की रुचि का है? क्या यह सूचना व्यवहारिक है?
- (ख) पाठक: किन लोगों को आप सन्देश देना चाहते हैं? उनकी समस्याएँ, रुचियाँ तथा शिक्षा का स्तर क्या है? क्या उनका पर्यावरण और क्षमता सूचना का उपयोग करने योग्य है?
- (ग) प्रकाशन का उद्देश्य: आप अपने लेख से किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं । इसके जरिये आप कार्यक्रम के प्रति लोगों की रुचि प्रेरित करना चाहते है अथवा लोगों को कुछ करने के लिए प्रभावित करना चाहते हैं ।

2. तथ्यों का विचलन:

- (क) स्पष्ट सूचना देने के लिए अनिवार्य तथ्यों का स्थानान्तरण जरूरी है ।
- (ख) ऐसी कठिन संकल्पनाएं जो पाठक के अनुभव और समझ के परे हों उन्हें अलग कर लेना चाहिए ।
- (ग) प्रारंभिक पाठक को विषय का महत्व बताया जाए न कि उसका विस्तारपूर्वक वर्णन ।
- (घ) कार्यक्रम की मुख्य बातों को अभिव्यक्त करें ।
- (ङ) आप जो कुछ जानते हों उसे सम्पूर्ण रूप से व्यक्त करके प्रारम्भिक पाठक पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न न करें ।

3. तथ्यों की छंटाई:

- (क) तथ्यों को तर्क संगत क्रम में रखें ।
- (ख) विशेष बातों को 1-2-3 आदि क्रम में रखें ।

- (ग) पाठकों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त रेखाचित्रों व फोटोग्राफों का प्रयोग करें।
4. **पत्रकारिता की आरंभिक बातें:** यथार्थता, संक्षिप्तता और स्पष्टता जो अच्छे लेखन के मूल तत्व हैं को ध्यान में रखें।
5. **लेख को पठनीय बनाने के लिए निम्न बातें अपनाएं:**
- (क) वाक्य छोटे हों, अर्थ स्पष्ट हों तथा कठिन शब्दों का उपयोग न हो।
- (ख) एक वाक्य में एक ही विचार व्यक्त करें।
- (ग) ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनसे लोग परिचित हों।

लाभ:

1. कम समय में अधिक लोगों तक सूचना एक साथ पहुंचाई जा सकती है।
2. फुर्सत कइ समय पढ़ा जा सकता है और भविष्य में उपयोग के लिए रखा जा सकता है।
3. सामान्यतः छपी हुई सामग्री में लोगों का विश्वास अधिक होता है।
4. शिक्षा के अन्य तरीकों के आपूरक रूप में भी प्रयोग में लाया जा सकता है।
5. सूचना सामान्यतः निश्चित, भली-भांति संगठित और सरलता से समझने योग्य होती है।
6. अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ती भी है।
7. व्यक्तियों या समूह की उपलब्धियों को पहचानने का अवसर मिलता है।

सीमायें:

1. अशिक्षित लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है।
2. नए अनुसंधानों के कारण सूचना का बारम्बार नवीनीकरण करना पड़ता है।
3. सामान्य लोगों के लिए दी गयी सूचना कभी-कभी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हो पाती।
4. इससे व्यक्तिगत संपर्क या सभाओं का सामाजिक मूल्य कम हो जाता है।

9.3.1.3.1.1 परिचालित पत्र (Circular letter):

यह ऐसा पत्र है जो प्रसार कार्यकर्ता द्वारा विभिन्न प्रसार कार्यो जैसे – सभाओं, प्रदर्शनों आदि का प्रचार करने के लिए बहुत से लोगों में वितरित किया जाता है। इनसे ग्रामीणों को विभिन्न गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की सूचना ससमय दी जाती है।

9.3.1.3.1.2 पत्रक

पत्रक में किसी एक ही विषय पर पूर्ण सूचना होती है। सूचना कितने पृष्ठों में है, उसके अनुसार इन पत्रकों के नाम भी अलग-अलग हो जाते हैं। जैसे – एक पृष्ठ को पत्रक/ लघुपत्र (Leaflet)

et), दो पृष्ठों को मुड़ाव पत्रक (fol der), 3-4 पृष्ठों को पम्फलेट या बुलेटिन। इन पत्रकों में उन्नत कृषि प्रणाली, घर की सुरक्षा आदि के विषय में लेख होते हैं, जिनसे लोगों को इनका ज्ञान और जानकारी हो सके।

फोल्डर: यह बड़े आकार के कागज का एक ही मुद्रित पत्रक है, जो एक या दो बार मुड़ा हुआ होता है, और किसी विशेष विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी देता है। इसे आवश्यकतानुसार बनाया जाता है। आम तौर पर निः शुल्क वितरित किया जाता है।

बुलेटिन: यह एक मुद्रित, बाउंड बुकलेट है जिसमें किसी विषय के बारे में व्यापक जानकारी वाले कई पृष्ठ हैं। इसे आवश्यकतानुसार बनाया जाता है।

9.3.1.3.1.3 समाचार कहानी (News stories):

समाचार तात्कालिक घटना का प्रतिवेदन है। इसमें कोई आश्चर्यजनक घटना का वर्णन लेख के रूप में किया जाता है। यह लेख लोगों के कार्यों या उनकी उपलब्धियों पर आधारित होता है। कोई भी विषय समाचार पत्र में कहानी के रूप में यदि प्रस्तुत किया जाए तो वह अधिक प्रभावशाली होता है।

9.3.1.3.1.4 समाचार पत्रिका/ समाचार लेख

यह अच्छी गुणवत्ता के पेपर में एक लघु समाचार पत्र है, जिसमें संगठन की गतिविधियों और उपलब्धियों से संबंधित जानकारी है। समाचार पत्रिका प्रकाशन की एक निश्चित अवधि है और आम तौर पर मुफ्त में वितरित की जाती है।

9.3.1.3.1.5 पत्रिका / जरनल

ये सामयिकी हैं, जिसमें न केवल किसानों के लिए बल्कि प्रसार कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों, आदि के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी शामिल है। इसमें प्रकाशन की एक निश्चित अवधि है।

9.3.1.3.2 प्रदर्शनियां/ किसान मेला (Exhibition)

प्रदर्शनी प्रतिरूप, बानगी या नमूना, चार्टों, सूचनाओं, पोस्टरों इत्यादि के क्रमबद्ध प्रदर्शन को कहते हैं जिससे शिक्षण में सहायता मिले तथा भाग लेने वाले या देखने वालों में इनके प्रति अभिरुचि जागृत हो। प्रदर्शनी प्रसार शिक्षा की तीन अवस्थाओं का सम्मिश्रण है जैसे लोगों में अभिरुचि पैदा करना, उनमें सीखने की इच्छा उत्पन्न करना तथा निर्णय करने का अवसर प्रदान करना।

प्रदर्शनी आयोजन निम्न प्रकार से करना चाहिए-

1. उद्देश्य स्थान, समय, लोगों और तात्कालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनी के प्रारूप का निर्णय करें।
2. प्रदर्शनी सरल और समझ पूर्ण हो।
3. प्रदर्शनी की व्यवस्था निश्चित क्रम से करना चाहिए।

4. प्रदर्शनी कुछ निश्चित विषय और विकाह पर केन्द्रित करना चाहिए।
5. प्रदर्शित वस्तुओं पर संक्षिप्त और स्पष्ट शीर्षक लगायें।
6. व्याख्या देने वाले को प्रदर्शित वस्तुओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
7. प्रदर्शनी के स्थान और समय की पूर्व सूचना लोगों को दें।
8. प्रदर्शनी सामग्री कार्यशील रखें।
9. प्रदर्शनी भ्रमण के समय उपयोगी साहित्य की व्यवस्था हो।
10. स्थानीय सामग्री का उपयोग प्रदर्शनी में अधिक करें।

लाभ:

1. अशिक्षित व्यक्तियों तक उन्नत विधियों की जानकारी पहुँचाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है।
2. प्रसार कार्य का अच्छा प्रचार होता है।
3. सभी प्रकार की अभिरुचि के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है।
4. त्यौहार, मेलों आदि अवसरों के लिए उपयुक्त है और इससे मनोरंजन भी होता है।
5. इससे किसी सीमा तक क्रियात्मक योग्यता को भी बढ़ावा मिलता है।
6. कुछ वस्तुओं के लिए बाजार बनाने में भी इससे सहयोग प्राप्त होता है।

सीमाएं:

1. प्रदर्शनी आयोजन में अधिक तैयारी और खर्च लगता है।
2. सभी जगह इसका आयोजन सुविधाजनक नहीं हो सकता है।
3. सभी विषयों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। विभिन्न कार्य के सभी पहलुओं को पूरी तरह नहीं दिखाया जा सकता है।

9.3.1.3.3 अभियान (Campaign)

किसी विशेष समस्या पर विशाल जनसमूह के ध्यान को आकर्षित करने के लिए उनमें जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अभियान चलाया जाता है। अभियान एक प्रकार शिक्षण का कार्य है जो एक ही समस्या के हल के लिए आरम्भ किया जाता है और कुछ समय बाद समाप्त कर दिया जाता है। इसमें लोगों को भावनात्मक रूप से संलग्न किया जाता है।

अभियान के तीन चरण होते हैं:नियोजन, क्रियान्वय और प्रतिगमन

(अ)नियोजन: अभियान नियोजन में निम्न पर विचार किया जाता है:

1. स्थानीय समस्या या आवश्यकता ज्ञात करते हैं।
2. स्थानीय लोगों और संगठनों से वार्ता कर विचार-विमर्श करते हैं।

3. विशेषज्ञों से समस्या पर विचार करते हैं।
4. उचित तकनीकी सेवा और सुविधा निश्चित करते हैं।
5. उचित समय का चुनाव कर तिथि की पूर्व घोषणा करें जिससे लोगों में उत्साह निर्मित हो सके।

(ब) क्रियान्वयः अभियान क्रियान्वय निम्न तरीके से पूर्ण किया जाता है:

1. स्थानीय नेताओं को कार्य में आगे रखें।
2. योजनानुसार कार्य क्रियान्वित करें।
3. प्रारम्भ से समाप्ति तक अभियान में सतर्कतापूर्वक कार्य करें।
4. असफलता के कारणों का अध्ययन कर दूर करें।

(स) प्रतिगमनः प्रतिगमन में निम्न बातें ध्यान में रखें:

1. लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अभियान के परिणाम पर विचार करें।
2. अभियान की सफलता और असफलता के कारणों का विश्लेषण करें।
3. अभियान में प्राप्त सहयोग की सराहना करें।

लाभः

1. कम समय में विरत जन समूह के ध्यान को आकर्षित किया जा सकता है। सूचनाएं दूर-दूर तक प्रचारित की जा सकती है।
2. अभियान के परिणाम शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं।
3. कम समय में अधिक कार्य हो जाता है ;
4. लाभाकरी स्थिति में सामुदायिक विश्वास प्राप्त होता है।
5. अभियान के समय कई पद्धति से कार्य किया जा सकता है।
6. प्रसार कार्य क्रियान्वयन की सघन विधि है।

सीमाएंः

1. सभी लोगों का सहयोग प्राप्त करना कठिन होता है।
2. पूर्व तैयारी और तकनीकी सहयोग की व्यवस्था में कठिनाई होती है।
3. जटिल तकनीकी का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

9.3.1.3.4 प्रसारण मीडिया (रेडियो, टेलीविज़न)

1. **रेडियोः** रेडियो ताररहितसंचार का माध्यम है। ग्राम विकास सम्बन्धी उपयोगी सूचना और सलाह रेडियो के माध्यम से संचालित करना जिससे लोगों की जीवन सम्बन्धी मनोवृत्ति

निर्माण हो रेडियो प्रसारण कहलाता है। रेडियो द्वारा किसी समस्या पर वार्ता, साक्षात्कार, विचार विनमय, लोकगीत, आदि प्रसारित किए जाते हैं।

- ✓ जब रेडियो के लिए लिखें तो यह ध्यान रहे कि यह सुनाने की सामग्री है न कि पढ़ने की, इसके लिए शैक्षिक या अकादमिक भाषा का प्रयोग न करें।
- ✓ सरल एवं सुविदित भाषा का प्रयोग करें।
- ✓ जहाँ तक सम्भव हो स्थानीय सूचनाएं, अनुभव, एवं नामों का प्रयोग करें।
- ✓ अपरिचित शब्दों का प्रयोग न करें।
- ✓ श्रोताओं के दृष्टिकोण को सदैव ध्यान में रखें।
- ✓ जब भी रेडियो वार्ता प्रसारित करें तो साधारण भाषा में सामान्य व्यक्ति की तरह बातचीत करें।
- ✓ भाषण शैली का प्रयोग न करें।
- ✓ बहुत सारी बातें न कहकर कुछ ही ठोस बातों को सोत्साह प्रस्तुत करें।

लाभ:

1. रेडियो द्वारा जानकारी अन्य साधनों की अपेक्षा कम समय में अधिक लोगों तक पहुँच जाती है।
2. अपेक्षाकृत सस्ता साधन है।
3. सूचना उन लोगों तक भी पहुँच जाती है जो अशिक्षित या अर्द्ध शिक्षित हैं।
4. आपातकालीन सूचनाओं को ससमय लोगों तक पहुँचाया जा सकता है।
5. उन लोगों को भी सूचना मिल जाती है जो प्रसार गोष्ठियों में भाग नहीं ले पाते।
6. प्रसार के अन्य माध्यम जैसे व्यक्तिगत संपर्क आदि में यह रूचि पैदा करता है।
7. श्रोताओं के लिए रेडियो सुनने के समय ही कुछ अन्य कार्य करना भी सम्भव है।

सीमाएं:

1. प्रसारण की सुविधा सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं है।
2. रेडियो द्वारा प्रसारित सुझाव व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप नहीं भी हो सकता है।
3. प्रसार कार्य के लिए प्रसारण का समय सीमित होता है।
4. विचारों के दो तरफा आदान-प्रदान का अवसर नहीं मिलता।
5. प्रसारण के परिणामों की जाँच करना मुश्किल है।
6. इसके लिए विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है।

7. इसका प्रयोग लोग मनोरंजन के लिए अधिक करते हैं।
 8. इसका प्रभाव केवल उन्हीं लोगों तक सीमित है जो इन कार्यक्रमों को बुद्धिमानी से सुनते हैं।
2. दूरदर्शन (टेलीविजन): सामुदायिक संचार के विभिन्न साधनों में दूरदर्शन सूचना प्रसारण का सबसे महत्वपूर्ण और अशक्त माध्यम है। इस माध्यम का उपयोग जन जागरूकता पैदा करने के लिए किया जा सकता है। अन्य जनसंचार माध्यमों की अपेक्षा टेलीविजन के अद्वितीय फायदे हैं। यह माध्यम कम से कम समय में सबसे बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचता है। इसमें चित्र और वार्ता दोनों का उपयोग एक साथ किया जाता है और लोग देख कर और सुनकर बातें सीखते हैं

लाभ:

1. सफलता, व्यक्तिगत उपलब्धियां आदि दिखाई जा सकती है।
2. एक ही समय में अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच जाती है।
3. शिक्षित और अशिक्षित लोगों तक पहुंचा जा सकता है।
4. लोगों में अभिरुचि शीघ्र जागृत होती है।
5. लोगों की उपलब्धियों को पहचानने का अवसर मिलता है।

सीमाएं:

1. तकनीकी कुशलता की आवश्यकता होता है।
2. सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है।
3. विशेष यंत्रों की आवश्यकता होती है।

अभ्यास प्रश्न 2

जोड़े मिलाएं:

A	B
1. विशेष विषय से सम्बंधित मुद्रित पत्रक जो एक या दो बार मुड़ा हुआ होता है	(a) बुलेटिन
2. किसी विषय के बारे में व्यापक जानकारी वाली मुद्रित बाउंड बुकलेट	(b) अभियान
3. लघु समाचार पत्र	(c) फोल्डर
4. विशेष समस्या पर विशाल जनसमूह में	(d) समाचार पत्रिका

जागरूकता उत्पन्न करना

9.4 विस्तार विधियों के चयन और उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक

सभी परिस्थितियों में सहायता प्राप्त करने के लिए प्रसार की विभिन्न प्रणालियों के चुनाव और उपयोग हेतु कोई अटल नियम नहीं है। अधिक प्रभावकारी परिणामों के लिए प्रसार कार्यकर्ता को-

- (1) उपयुक्त तरीके का चुनाव
- (2) चुने गए तरीकों का उपयुक्त संयोजन और
- (3) विभिन्न तरीकों से पुनरावृत्ति हेतु उनका क्रमबद्ध ढंग से उपयोग करना चाहिए।

विस्तार विधियों के चयन और उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रखना अतिआवश्यक है।

(क) तरीके का चयन

a) श्रोता या दर्शक:

1. व्यक्तिगत और सामूहिक भिन्नता- ज्ञान, अभिवृत्ति, दक्षता, विधि अपनाने वाले के वर्गों में स्थान, शिक्षा स्तर, आयु, आमदनी, सामाजिक स्तर, धार्मिक स्तर आदि। कुछ लोग प्रगतिशीलता से परिवर्तनों की तलाश करते हैं जबकि दूसरे लोग परिवर्तनों को धीरे-धीरे अपनाते हैं। कुछ लोग केवल देखकर ही किसी वस्तु पर विश्वास करते हैं।
2. श्रोताओं या दर्शकों की संख्या: यह भी प्रसार तरीकों के चयन को प्रभावित करने का कारक है। व्यक्तिगत और सामूहिक संपर्क विधियाँ अपेक्षाकृत धीमी होती हैं तथा इनके द्वारा कम समय में सूचना ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकती। उदाहरणार्थ यदि भाग लेने वालों की संख्या तीस से अधिक हो तो सामूहिक चर्चा को उपयोग में नहीं लाया जा सकता। विधि प्रदर्शन का उपयोग अपेक्षाकृत कम दर्शकों के समक्ष किया जाता है जबकि व्याख्यानों का उपयोग अधिक श्रोताओं के लिए किया जाता है।

(1) शिक्षण का उद्देश्य: देखें कि क्या आप लोगों के

- (i) सोचने या ज्ञान में,
- (ii) उनकी अभिवृत्ति या अनुभूति में,
- (iii) उनके कार्यों और योग्यता में परिवर्तन लाना चाहते हैं ?

यदि आप अधिक लोगों तक सूचना देने या प्रभावित करना चाहते हैं तो सामुदायिक संचार के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप छोटे समूह या कम लोगों को अत्यधिक तरक्की की लिए प्रभावित करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत संपर्क विधियों का प्रयोग करें। यदि आपका उद्देश्य लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना या किसी विकाह के लिए सर्वसम्मति प्राप्त करना है तो स्थानीय नेताओं के जरिये सामूहिक विचार-विनिमय का आयोजन करें।

- b) विषय-वस्तु: जहाँ नए तरीके साधारण या पूर्वपरिचित होते हैं वहाँ समाचार, लेख, रेडियो, परिपत्र अधिक प्रभावकारी सिद्ध होंगे, जबकि कठिन और अपरिचित तरीकों के लिए सम्मुखी संपर्क, लिखित सामग्री तथा दृश्य-श्रव्य सहायता की आवश्यकता होगी।
- c) नयी क्रियाओं की विशेषताएं: उपयुक्त तरीकों का उपयोग नवीन क्रिया की विशिष्टताओं और प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे किसी चीज़ का प्रयोग बताने के लिए विधि प्रदर्शन और किसी चीज़ का प्रभाव दिखाने के लिए परिणाम प्रदर्शन अधिक प्रभावकारी है।
- d) लोगों और प्रसार कार्यकर्ताओं की संख्या का सम्बन्ध: प्रसार कार्यकर्ता की संख्या जितनी अधिक होगी, प्रत्यक्ष तथा व्यक्तिगत संपर्क की सम्भावना उतनी ही अधिक होगी।
- e) संचार के साधनों जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि की उपलब्धता पर कुछ हद तक उनका उपयोग निर्भर करता है। यदि ग्रामीणों के पास रेडियो, टीवी है, वे पत्रिकाओं, समाचार पत्रों की सदस्यता लेते हैं या प्रसार प्रकाशन खरीदते हैं, तो उन तक प्रभावी रूप से ऐसे मीडिया के माध्यम से पहुंच जा सकता है। लेकिन यदि इनमें से कोई एक या सभी संचार माध्यम उनकी पहुंच से दूर हैं तो उनके साथ संवाद करना मुश्किल होगा।
- f) विभिन्न प्रणालियों के चयन एवं व्यवहार के लिए उन पर होने वाले अपेक्षाकृत व्यय का विचार करना आवश्यक है।
- g) प्रसार प्रणालियों से प्रसारकर्ता का परिचय तथा उनके व्यवहार के लिए दक्षता का असर भी विधियों के चयन एवं उपयोग पर पड़ेगा। सभी प्रसार कार्यकर्ता सभी शिक्षण विधियों के उपयोग में समान रूप से कुशल नहीं होते हैं। इसलिए वे उन तरीकों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग करते हैं जिनके साथ वे परिचित हैं।
- h) भौतिक सुविधाएं: वर्तमान समय की स्थिति में यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अधिकांश दूरदराज के क्षेत्रों में ऐसी भौतिक सुविधाएं नहीं हैं, जहां हम शिक्षण के लिए बहुत नाजुक, परिष्कृत मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

- (ख) विभिन्न विधियों का संयोजन: यह पाया गया है की तीन-चार तरीकों को तार्किक और उचित ढंग से संयोजित करके प्रस्तुत करने से अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम मिलते हैं। यह संयोजन उपलब्ध तरीकों, श्रोताओं या दर्शकों की विशेषताओं, दर्शकों की प्रकृतियों आर प्रसार कार्यकर्ताओं की योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए।
- (ग) तरीकों का क्रमबद्ध ढंग से उपयोग: सही तरीके सही अनुपात में सही समय पर अपनाएं जाने चाहिए। सही प्रभाव केवल विशेष परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रसार तरीकों को बुद्धिमत्तापूर्ण अपनाकर ही प्रयोग में लाया जा सकता है।

9.5 प्रसार में श्रव्य-दृश्य साधन

प्रसार का कोई भी माध्यम बिना श्रव्य-दृश्य के अधूरा है चाहे ग्रामीणों को किसी बात या विधि से सिर्फ परिचय ही करना क्यों न हो। प्रसार शिक्षा के कार्य में श्रव्य-दृश्य सामग्री का होना जरूरी है, क्योंकि इनके द्वारा देख व सुनकर कर समझती है। अधिगम प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावशाली आँख, कान और क्रियात्मक इन्द्रियां होती हैं- श्रव्य, दृश्य और क्रियाशीलता। इनसे व्यक्ति वास्तु, विचार, पद्धति के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष अनुभव करता है

उद्देश्य

श्रव्य-दृश्य सहायता का उपयोग शिक्षण की उन्नति के लिए किया जाता है; जैसे किसी विषय के मूर्तता को बढ़ाने, विचारों को स्पष्ट और प्रभावकारी बनाने, और दक्षता को सफलतापूर्वक दूसरों तक पहुँकाहने के लिए। ये दर्शकों या श्रोताओं को देखने, सुनने और सीखने की क्षमता प्रदान करती है। इनके द्वारा लोग जल्दी और विस्तारपूर्वक सीख सकते हैं तथा सीखी गई बातों को लम्बे समय तक याद रख सकते हैं।

एडगर डेल का अनुभवों के शंकु (cone of experience) चित्र प्रदर्शित करता है कि विभिन्न दृश्य-श्रव्य सामग्री में क्या पारस्परिक सम्बन्ध है तथा शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया में उनका व्यक्तिगत स्थान है।



इस शंकु में प्रत्येक भाग दो पराकाष्ठाओं- प्रत्यक्ष अनुभव जो शंकु के आधार पर है और पूर्ण अमूर्त मौखिक चिन्ह जो शंकु के शिखर पर है, के बीच एक अवस्था विशेष का प्रतिनिधित्व करती है।

1. प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव: यह तीनों प्रमुख तत्वों – प्रत्यक्षता, उद्देश्यपूर्णता और उत्तरदायित्व के युक्त जीवन में प्राप्त अनुभव है।
2. अवबोधित या संकल्पित अनुभव: ये अनुभव वास्तविक अनुभवों के प्रतिरूपों से प्राप्त होते हैं। ये प्रतिरूप मूल वस्तु के आकार एवं जटिलता में भिन्न हो भी सकती है और नहीं भी हो सकते हैं।
3. नाटककृत अनुभव: अर्थात् पुनर्निर्मित अनुभवों में भाग लेना।
4. प्रदर्शन
5. खेतों पर जाना
6. प्रदर्शनीय वस्तुएं (प्रदर्शन): यह प्रतिरूपों, नमूनों, चार्टों, पोस्टरों आदि के निर्देशनार्थ प्रतियोगिता, विज्ञापन अथवा मनोरंजन के लिए नियोजित ढंग से किया गया प्रदर्शन है।
7. चलचित्र या फ़िल्में
8. रेडियो, रिकॉर्डिंग (डिस्क, टेप पर की गयी रिकॉर्डिंग),
9. अचल चित्र (फोटोग्राफ निर्देश चित्र आदि, स्लाइड्स, फिल्म पट्टियां आदि)

10. दृश्यव्य चिन्ह: नक्शे, चाक बोर्ड, रेखाकृति, पोस्टर, ग्राफ, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैश कार्ड, आदि)
11. मौखिक चिन्ह: वे अभियान जो मूल विषय से भौतिक समानता नहीं रखते मौखिक चिन्हों द्वारा व्यक्त किये जाते हैं।

9.5.1 श्रव्य-दृश्य साधनों की परिभाषा

- ❖ **श्रव्य साधन:** श्रव्य सामग्री वह साधन है जिनसे सिर्फ सुना जा सकता है देखा नहीं जा सकता है श्रव्य साधन श्रवण इन्द्रियों पर प्रभाव डालता है। उदाहरण टेप रिकॉर्डिंग, रेडियो आदि।
- ❖ **दृश्य साधन:** वह यांत्रिक विधि है जिससे सन्देश सुना नहीं जा सकता बल्कि देखा जा सकता है। जैसे मॉडल, नमूने, वस्तुएं, माक अप, फ्लैनेल ग्राफ, फ्लैश कार्ड, फोटोग्राफ, पोस्टर, आदि।
- ❖ **श्रव्य-दृश्य सामग्री:** वह यांत्रिक विधि है जिससे सन्देश सुना और देखा जा सकता है यानि देखने और सुनने की क्रिया साथ-साथ होती है। जैसे टेलीविजन, बोलते चलचित्र, कठपुतली प्रदर्शन आदि।

हास एवं पैकर (1964) के अनुसार श्रव्य-दृश्य साधन शिक्षण सम्बन्धी उपकरण है जिन्हें सुना और देखा जा सकता है।

श्रव्य-दृश्य साधन ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग सीखने के अनुभव को अधिक ठोस, अधिक यथार्थवादी और अधिक गतिशील बनाने के लिए किया जा सकता है।

– किंडर एस. जेम्स

श्रव्य-दृश्य साधन शिक्षण सम्बन्धी उपकरण हैं जो ध्वनि और दृश्य के माध्यम से संदेशों को अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह साधन कान और आंखों जैसे संवेदी अंगों को उत्तेजित करने में मदद करते हैं, और दर्शकों द्वारा संदेश की त्वरित समझ की सुविधा प्रदान करते हैं।

9.5.2 श्रव्य-दृश्य साधनों का वर्गीकरण

शिक्षण सम्बन्धी साधनों को निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है

1. श्रव्य साधन में - संदेश केवल सुना जा सकता है,

2. दृश्य साधन - संदेश केवल कल्पना किया जा सकता है, और
3. श्रव्य-दृश्य - संदेश को एक साथ सुना और देखा जा सकता है।

श्रव्य साधन	दृश्य साधन					श्रव्य-दृश्य साधन	
	प्रक्षेपित	अप्रक्षेपित				प्रक्षेपित	अप्रक्षेपित
		ग्राफिक एड्स	डिस्प्ले बोर्ड	3-डी एड्स	गतिविधि सामग्री		
टेप रिकॉर्डर	स्लाइड्स	चार्ट / ग्राफ	ब्लैक/ वाइट बोर्ड	प्रतिरूप (मॉडल)	प्रदर्शनी	नाटकीक रण (Drama)	
रेडियो	फिल्म पट्टियाँ (Film strip)	पोस्टर	फ्लैनेल बोर्ड	नमूने (Specimen)	प्रक्षेत्र भ्रमण	चलचित्र कठपुतली (Motion picture)	
रिकॉर्डिंग स	मूक चलचित्र (Silent Film)	फ्लैश कार्ड	बुलेटिन बोर्ड	चित्रावली (Diorama)	संग्रहालय (Museum)		
लाउडस्पीकर	ओवरहेड प्रोजेक्टर	फोटोग्राफ	खूंटी बोर्ड (Peg board)	कार्य करने वाले प्रतिरूप (mock up)	प्रदर्शन (Demonstration)		
टेलीफोन	एपीडियोस्कोप	रेखाचित्र (Diagrams)	Magnetic board				
	एल.सी.डी . प्रोजेक्टर	मानचित्र (Maps)	कार्टून कॉमिक्स				

	भित्त समाचार पत्रक (Wall newspa per)	
--	---	--

9.5.3 श्रव्य-दृश्य साधनों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक

निम्न कारकों को ध्यान में रखते हुए किसी एक या एक से अधिक श्रव्य-दृश्य सहायता का प्रयोग किया जाता है।

1. शिक्षण का उद्देश्य अर्थात् किस प्रकार का व्यावहारिक परिवर्तन आप लोगों में लाना चाहते हैं: सूचित करना चाहते हैं, अभिवृत्ति में परिवर्तन लाना चाहते हैं या कुछ दक्षता सीखना चाहते हैं।
2. सिखाये जाने वाले विषय की प्रकृति
3. दर्शकों की प्रकृति: आयु स्तर, शिक्षा का स्तर, अभिरुचि, अनुभव, ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता।
4. श्रोताओं या दर्शकों की संख्या: यदि श्रोताओं की संख्या कम हो तो फ्लैश कार्डों का उपयोग किया जा सकता है जबकि अधिक संख्या के लिए चलचित्रों का उपयोग किया जा सकता है।
5. उपकरण, सामग्री और धन की उपलब्धता
6. प्रसार कार्यकर्ता का श्रव्य-दृश्य के साधनों की तैयारी और उपयोग करने में कौशल और अनुभव होना।

9.5.4 श्रव्य-दृश्य साधनों का संयोजन

श्रव्य-दृश्य साधनों के आधार के लिए देखें कि:

1. क्या उपलब्ध सामग्री उस विचार का सही चित्र प्रस्तुत करती है जिसे व्यक्त किया जाना है ?
2. क्या वे प्रस्तुत विषय के अर्थपूर्ण तथ्य को व्यक्त करने में समर्थ है ?
3. क्या उपलब्ध सामग्री सीखने वालों की आयु, बुद्धि और अनुभव की दृष्टी से उपयुक्त है ?
4. क्या सामग्री की भौतिक अवस्था संतोषजनक है ?
5. क्या ये सीखने वाले को आलोचनात्मक विचारधारा प्रदान करती है ?
6. क्या इनसे मानवीय संबंधों को बढ़ावा मिलता है ?

7. क्या सामग्री, समय और प्रयास की सम्भाव्य लागत के योग्य है ?

श्रव्य-दृश्य साधनों का संयोजन: श्रव्य दृश्य साधनों के प्रभावकारी ढंग से उपयोग निम्न चरणों पर आधारित है:

(अ) नियोजन

- प्रस्तुतीकरण के उद्देश्यों को स्पष्टतः समझ लें।
- एक सरल, व्यावहारिक, शैक्षिक और दिलचस्प प्रस्तुति के लिए योजना बनायें।
- श्रोताओं या दर्शकों की संख्या का अनुमान लगा लें और इस बात की पुष्टि कर लें की सामग्री सभी श्रोताओं या दर्शकों के लिए पर्याप्त है।
- जहाँ तक हो सके रंग-बिरंगे दृश्य सहायताओं के उपयोग की योजना बनाएं। यह प्रस्तुतीकरण भी गति को परिवर्तित करने में मदद करती है और दर्शकों की अभिरुचि को बनाये रखता है।

(ब) तैयारी

- प्रासंगिक उपकरण और सामग्री एकत्र करें।
- प्रदर्शन के पहले पूर्वाभ्यास करें ताकि प्रस्तुतीकरण सरल हो।
- स्थान का चुनाव ऐसी जगह करें जो सबके लिए सुगम हो और विशिष्ट उद्देश्य के लिए बैठने की व्यवस्था भी करें।
- बिजली की आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, अंधेरे की आवश्यकता, बैठने की व्यवस्था आदि की जाँच करें।
- दृश्य-श्रव्य सामग्री को एक क्रम में व्यवस्थित करें और उन्हें अपनी पहुंच तक सीमित रखें।
- दृश्य-श्रव्य सामग्री को संचालित करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति को चुनें और प्रशिक्षित करें।

(स) प्रस्तुतीकरण

- प्रस्तुतीकरण से पहले दर्शकों को प्रेरित करें और प्रमुख बिंदुओं पर जोर दें।
- एक समय में केवल एक ही सहायता का प्रयोग करें।
- सही समय पर सही क्रम में श्रव्य-दृश्य सहायताओं का प्रयोग करें।
- सभी असम्बद्ध सामग्री हटा दें।
- सहायता उपकरण के पीछे खड़े हों न कि उसके आगे।

- दर्शकों की ओर मुहं करके बोलें ।
- जल्दबाजी वाली प्रस्तुति से बचें

(द) मूल्यांकन

- दर्शकों की प्रतिक्रिया पर गौर करें । मूल्यांकन हेतु अंत में विचार-विमर्श का मौका देकर श्रोताओं या दर्शकों की गलत-फहमियों का विश्लेषण करें तथा उन्हें दूर भी करें।
- इसका बाद में भी अध्ययन करें तथा परिणामों का अवलोकन करें ।
- अप्रासंगिक और पुरानी सामग्री को हटाकर और बाद की प्रस्तुतियों में कुछ नया जोड़कर सुधार करें।

9.5.5 श्रव्य-दृश्य साधनों के लाभ

1. दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है और उनकी रुचि जगाता है
2. संदेश के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से हाइलाइट करता है
3. अवधारणाओं की गलत व्याख्या की संभावना को कम करता है
4. सीखने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी रूप से संरचित करता है
5. कई इंद्रियों के साथ कथित संदेशों की समझ और प्रतिधारण में सुधार करता है
6. अनुभव प्राप्त करना मुश्किल है अन्यथा प्राप्त करना मुश्किल है
7. साक्षरता और भाषा के अपने स्तर के बावजूद अधिक लोगों तक पहुँचने में मदद करता है
8. सीखने की प्रक्रिया को गति देता है
9. शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए समय बचाता है

9.5.6 श्रव्य-दृश्य साधनों की सीमाएं

1. यदि दी गयी सूचना की ठीक प्रकार से व्याख्या न की जाये तो दर्शक गलत या विकृत रूप में भी समझ सकते हैं ।
2. कुछ शिक्षकों के मस्तिष्क में यह गलत विचार रहता है की दृश्य-श्रव्य सहायता के समय उन्हें कुछ नहीं करना है ।
3. इसका भी भय है कि दर्शक इसे देखने की उद्देश्य से ही देखें और विचारपूर्ण पूछताछ न करें ।
4. हो सकता है इससे शिक्षक कुछ महत्वपूर्ण विचारों को ही व्यक्त करे जिससे विषय का पूर्ण चित्रण नहीं हो पाता है ।
5. दृश्य-श्रव्य सामग्री पर अधिक निर्भरता शिक्षण को दिखावे में बदल सकती है ।

अभ्यास प्रश्न 4

सही/ गलत बताइए।

1. श्रव्य सामग्री वह साधन हैं जिनसे सिर्फ सुना जा सकता है।
2. श्रोताओं या दर्शकों की संख्या अधिक हो तो फ्लैश कार्ड का उपयोग प्रभावशाली होता है।
3. ओवरहेड प्रोजेक्टर, एल.सी.डी. प्रोजेक्टर अप्रक्षेपित दृश्य साधन हैं।
4. टेलीविजन, चलचित्र प्रक्षेपित श्रव्य-दृश्य साधन हैं।

9.6 सारांश

प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है- लोगों के व्यवहारों, अभिवृत्तियों, ज्ञान, कौशल, समझ तथा मूल्यों में परिवर्तन लाना। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों के घरों, खेतों, कार्यस्थल पर जाकर उन्हें उन्नत तरीकों के बारे में बताता है। केवल संपर्क स्थापित करने से ही प्रसार-कार्य पूरा नहीं होता है, संपर्क तो प्रसार के कार्यों को करने के लिए प्रथम सीढ़ी का कार्य करता है जिसको पूरा करने के बाद कार्यक्रम को व्यापक, स्थायी तथा सर्वप्रिय बनाने के लिए बहुत से साधनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें प्रसार के साधन कहते हैं। प्रसार शिक्षण स्थिति, व्यवस्था की प्रक्रिया है जिसमें विषय, तकनीकी, विचार, उन्नत विधियाँ आदि लोगों को सिखायी जाती है। प्रसार कार्यकर्ता को कार्यक्रम, स्थिति, उपलब्धता, संसाधनों और समय के अनुसार उपयुक्त विस्तार विधियों का चयन करना होता है। विस्तार शिक्षण विधि का उचित संयोजन शिक्षार्थियों पर सबसे बड़ा प्रभाव डालता है।

9.7 पारिभाषिक शब्दावली

प्रसार शिक्षण विधियाँ: प्रसार शिक्षण विधियाँ वे उपकरण और तकनीकें हैं जिनका उपयोग उन स्थितियों को बनाने के लिए किया जाता है जिनमें ग्रामीण लोगों और प्रसार कर्मचारियों के बीच संचार हो सकता है।

व्यक्तिगत संपर्क विधि: एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों के साथ प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष संपर्क विधि।

समूह संपर्क विधि: समूह पद्धतियों को तब अपनाया जाता है जब एक साथ कई लोगों से संवाद करना आवश्यक होता है। इन विधियों में आमने-सामने संपर्क भी शामिल होता है, लेकिन संचार की प्रक्रिया समूह में लोगों के साथ होती है न की अकेले व्यक्ति के साथ।

विराट जनसंपर्क विधि: एक विस्तार कार्यकर्ता को नई जानकारी प्रसारित करने और इसका उपयोग करने में मदद करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क करना पड़ता है। यह बड़े पैमाने पर संपर्क विधियों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।

श्रव्य-दृश्य साधन: श्रव्य-दृश्य साधन वे साधन हैं जो ध्वनि और दृश्य के माध्यम से संदेशों को अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

9.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

सही/ गलत बताइए। :

1. सही
2. गलत
3. सही
4. सही
5. गलत
6. सही

अभ्यास प्रश्न 2

जोड़े मिलाएं:

1	2	3	4
D	c	a	b

अभ्यास प्रश्न 3

जोड़े मिलाएं:

1	2	3	4
c	a	d	b

अभ्यास प्रश्न 4

सही/ गलत बताइए।

1. सही
2. गलत
3. गलत
4. सही

9.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Ranjit Singh, 2016, Extension Education, Jaswant Printers, Ludhiana, Punjab, India
2. Sagar Mondal, Fundamentals of Agricultural Extension Education, Kalayani Publishers
3. A.K. Singh, I Akhan Singh and R. Roy Burman, 2006, Dimension of Agricultural Extension, Aman Publishing House, Meerut, UP

9.10 सहायक पाठ्य सामग्री

- 1) G. Ray, 2012, Extension Communication and Management. New Delhi: Kalayani Publishers.
- 2) O.P. Dahama and O.P. Bhatnagar, 2009, Education and Communication for Development. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Company.
- 3) डॉ बृन्दा सिंह, प्रसार शिक्षा, पंचशील प्रकाशन, जयपुर
- 4) डॉ बी.डी. त्यागी एवं डॉ एस. के. अरुण, मौलिक कृषि प्रसार शिक्षा, रामा पब्लिशिंग हाउस, मेरठ

9.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. विस्तार विधियों के चयन और उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिये।
2. शिक्षण विधियों के उपयोग के अनुसार विस्तार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण दें और विभिन्न शिक्षण विधियों की चर्चा करें।
3. श्रव्य-दृश्य साधनों के संयोजन के विभिन्न चरणों की महत्ता का वर्णन करें?

इकाई 10: सतत विकास के लिए कार्यक्रम

- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 उद्देश्य
- 10.3 सतत विकास
- 10.4 सतत विकास लक्ष्य
- 10.5 सतत विकास के लिए कार्यक्रम
- 10.6 सारांश
- 10.7 पारिभाषिक शब्दावली
- 10.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 10.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 10.10 सहायक पाठ्य सामग्री
- 10.11 निबंधात्मक प्रश्न

10.1 प्रस्तावना

आज विकास के नाम पर दुनिया भर के देशों में प्रतिस्पर्धा है। बढ़ती मानव आबादी और परिणामस्वरूप खपत प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव डालती है। जिस तरह से, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, इसका परिणाम यह हो सकता है कि आने वाली मानव पीढ़ियों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए सतत विकास की अवधारणा को भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की बचत के मद्देनजर विकसित किया गया था।

सतत विकास मानव विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संगठित सिद्धांत है, जबकि उसी समय में प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राकृतिक प्रणालियों की क्षमता को बनाए रखना आवश्यक है, जिस पर अर्थव्यवस्था और समाज निर्भर करते हैं। वांछित परिणाम समाज की एक ऐसी स्थिति है जहां प्राकृतिक परिस्थितियों की अखंडता और स्थिरता को कम किए बिना रहने की स्थिति और संसाधन का उपयोग मानव की जरूरतों को पूरा करना जारी रखता है। सतत विकास में आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को संयुक्त रूप से संबोधित करके एक स्वस्थ समुदाय को विकसित करने और प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालिक, एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है, जबकि प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के अधिभार से बचा जाता है। यही कारण है कि सतत विकास अपने शाब्दिक अर्थ के अनुसार निरंतर चलता रहता है।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई के अंत तक, आप निम्न कार्य कर सकेंगे:

- स्थायी विकास और यह सामुदायिक विकास पर कैसे लागू होता है इस पर चर्चा करें।
- सतत विकास के महत्वपूर्ण तत्वों, जरूरतों, उद्देश्यों और सिद्धांतों का वर्णन करें।
- देश में सतत विकास के लिए किए गए प्रचारों को पहचानें।
- सतत विकास लक्ष्यों को सूचीबद्ध करें और देश के विकास में लक्ष्यों की भूमिका को समझें।

इकाई शुरू करते हैं

10.3 सतत विकास

10.3.1 सतत विकास क्या है?

सतत विकास कई आयामों और कई व्याख्याओं के साथ एक गतिशील अवधारणा है।

सतत विकास को परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो स्थानीय संदर्भों, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर अत्यधिक निर्भर है। (यूनेस्को, 2005-2014)

1987 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग ने सतत विकास को "विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, सतत विकास के रूप में परिभाषित किया है"।

नायक और कानूनगो, 1993 ने इसे एक अवधारणा के रूप में देखा, जो व्यापक राजनीतिक आम सहमति को जुटा सकता है, जिसे एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय का निर्माण करना चाहिए। यह सामाजिक और आर्थिक प्रगति की एक व्यापक अवधारणा है।



सतत विकास इसलिए है:

एक वैचारिक ढाँचा: प्रमुख विश्व दृष्टिकोण को एक में बदलने का एक तरीका जो अधिक समग्र और संतुलित है;


एक प्रक्रिया: एकीकरण के सिद्धांतों को लागू करने का एक तरीका - अंतरिक्ष और समय के पार - सभी निर्णयों के लिए; तथा

एक अंतिम लक्ष्य: संसाधन की कमी, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक बहिष्कार, गरीबी, बेरोजगारी, आदि की विशिष्ट समस्याओं की पहचान करना और उन्हें ठीक करना।

स्थिरता पर पिछले संवादों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कम या ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन स्थिरता के नए प्रतिमान के रूप में, लोगों और ग्रह के लिए एक समावेशी, टिकाऊ और लचीला भविष्य की दिशा में सभी प्रयास शामिल हैं। पिछले ढांचे से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान अब तीन तत्वों का एक "सामंजस्य" है: आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश

और पर्यावरण संरक्षण। यूएन ने कहा है। "अपने सभी रूपों और आयामों में गरीबी का उन्मूलन सतत विकास के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है,"

दुनिया की सरकारों ने 2030 तक हमारी दुनिया को बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडे पर सहमति व्यक्त की है, सतत विकास लक्ष्यों को अपनाते हुए, जिसका उद्देश्य कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है और सभी को विकास के प्रयासों का लाभ मिलता है। एजेंडा 2030 गुंजाइश और महत्व में अभूतपूर्व है।



(स्रोत: अमेरिकी राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद, नीति प्रभाग, सतत विकास पर बोर्ड)

सतत विकास को विकास के पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भावी पीढ़ियों को कम से कम वर्तमान पीढ़ियों के समान रहने की अनुमति देता है।

स्थायी शब्द का विकास वर्ल्ड कमिशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा ग्रीन हाउस ब्रुन्डलैंड की अध्यक्षता में रिपोर्ट "हमारा साँझा भविष्य" 1987 लंदन में किया गया था।

10.3.2 सतत विकास की अवधारणा:

1. सतत विकास लोगों के लिए संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग करने का एक तरीका है ताकि संसाधनों उपलब्धता आने वाली पीढ़ी के लिए बनी रहे।

2. इसके लिए नवीकरणीय संसाधनों के बढ़ते स्टॉक की आवश्यकता है।
3. अक्षय संसाधनों को स्थायी आधार पर निकाला जाना चाहिए।
4. गैर-नवीकरणीय संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग किया जाना चाहिए।
5. पर्यावरण प्रदूषण से बचना चाहिए।

10.3.3 सतत विकास अवधारणा का विकास

सतत विकास की अवधारणा के विकास में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 आयोजित मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग (डब्ल्यूसीईडी) की रिपोर्ट ऐतिहासिक घटना थी।

हमारे साझा भविष्य एवं पर्यावरण और विकास पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) या रियो अर्थ शिखर सम्मेलन के रूप में इसे आमतौर पर संदर्भित किया जाता है। पिछले घटनाओं के परिणाम पर निर्माण करने, मुद्दों को स्पष्ट करने और प्रारंभिक प्रक्रिया के बीच कई गतिविधियाँ:

(UN ने UNCED का प्रभावी अनुसरण सुनिश्चित करने और स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थ समिट के समझौतों के कार्यान्वयन पर निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए दिसंबर 1992 में सतत विकास (CSD) पर आयोग की स्थापना की।

जून 1997 को आयोजित महासभा (रियो + 5) के विशेष सत्र ने एजेंडा 21 के आगे कार्यान्वयन के साथ-साथ 1997- 2002 के लिए सीएसडी के कार्यक्षेत्र के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया।

दिसंबर 1997 में अपनाई गये क्योटो प्रोटोकॉल और पिछले वर्षों में आयोजित पार्टियों सी.ओ.पी. के सम्मेलनों ने वित्त पोषण के विभिन्न पहलुओं के स्पष्टीकरण और वैश्विक स्तर पर सतत विकास को लागू करने से संबंधित कुछ प्रगति की है।

10.3.4 सतत विकास के तत्व:

सतत विकास की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें तीन तत्व शामिल हैं: पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था या हम कह सकते हैं तीन Ps यानी प्लेनेट, पीपल एंड प्रॉफिट। तीनों, किसी विशेष क्रम में संतुलित नहीं हैं ताकि एक दूसरे को नष्ट न करें।

- **आर्थिक:** एक आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रणाली सरकार और बाहरी ऋण के प्रबंधनीय स्तर को बनाए रखने और नुकसान का कारण बनने वाले चरम क्षेत्रीय असंतुलन से बचने के लिए निरंतर आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए।

- **पर्यावरण:** एक स्थायी पर्यावरणीय प्रणाली को एक स्थायी संसाधन आधार बनाए रखना चाहिए, जो अक्षय संसाधनों और गैर-नवीकरणीय संसाधनों के अत्यधिक दोहन से बचता है ताकि निवेश एक उपयुक्त विकल्प बन जाए।
- **सामाजिक:** एक स्थायी सामाजिक प्रणाली को वितरण की समानता, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सामाजिक सेवाओं के प्रावधान, लिंग समानता और राजनीतिक और भागीदारी जिम्मेदारियों को प्राप्त करना चाहिए। (हैरिस, 2000)

सभी तीन कारक परस्पर जुड़े हुए हैं, परस्पर-व्यापक और परस्पर-निर्भर हैं। चौथा कारक यानी सांस्कृतिक विविधता प्रकृति के लिए जैव विविधता जितनी जरूरी है। सतत विकास को केवल आर्थिक विकास के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता है, बल्कि एक अधिक संतोषजनक बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को प्राप्त करने के साधन के रूप में भी समझा जा सकता है।

10.3.5 सतत विकास की आवश्यकता

- प्राकृतिक संसाधनों का भंडार और पर्यावरण की गुणवत्ता सभी पीढ़ियों के लिए समान विरासत हैं।
- आज के विकसित देशों द्वारा सभी प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग।
- विकास की लागत के रूप में प्राकृतिक संसाधनों के भंडार का रिक्तीकरण और पर्यावरण का पतन
- पर्यावरण की गुणवत्ता वर्तमान पीढ़ी के आर्थिक कल्याण को निर्धारित करती है।

10.3.6 सतत विकास के उद्देश्य

ब्रिटिश सरकार ने सतत विकास के चार उद्देश्यों को मान्यता दी है। इसमें शामिल है

- 1) सामाजिक प्रगति
- 2) पर्यावरण संरक्षण
- 3) प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और
- 4) स्थिर आर्थिक विकास

यह प्रदूषण, गरीबी, गरीब आवास और बेरोजगारी को कम करके प्राप्त किया जा सकता है।

(स्रोत: sustainable-environment.org.uk)

10.3.7 सतत विकास के सिद्धांत

विश्व और मानवता के लिए निम्नलिखित स्थायी विकास के सिद्धांत हैं:

1. **समग्र विकास:** विकास की योजना बनाते समय सभी जैविक और अजैविक पदार्थों को ध्यान में रखते हुए। इसका समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए।
2. **पर्यावरण की सीमा के भीतर विकास:** विभिन्न पर्यावरण-प्रणालियों के बीच संतुलन प्राकृतिक घटकों के उपयोग, खराब वायुमंडलीय संरचना, किसी भी घटक के शोषण और इतने पर के रूप में केवल निश्चित मात्रा में दबाव का विरोध कर सकता है। इस प्रकार, प्राकृतिक साधनों के दोहन के लिए जाने से पहले, पर्यावरण के घटक कारकों के बीच में संरचना और अंतर्संबंध के बारे में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।
3. **सामाजिक-सांस्कृतिक और पारंपरिक-ज्ञान आधार के भीतर विकास:** वैज्ञानिक क्रांति के युग में, सामाजिक मूल्यों, मानदंडों और पारंपरिक ज्ञान की दुनिया को यह कहकर इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह दिनांकित हो गया क्योंकि ये तर्कहीन हैं। अब सवाल यह है कि इनोवेटर्स ने इनोवेशन को आधार क्यों बनाया? क्या ये तर्कहीन थे। तथाकथित वैज्ञानिक नवाचारों ने विभिन्न खतरों का निर्माण क्यों किया है?
4. **जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि:** न केवल मानव जीवन बल्कि अन्य जीवित स्थूल और सूक्ष्मजीवों का जीवन है क्योंकि वे पर्यावरण की संतुलित वृद्धि के लिए अपनी क्षमता के अनुसार योगदान करते हैं।
5. **सामूहिकता को बढ़ावा देना:** तीसरी दुनिया के देशों में जहां काम करने वाले हाथों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है, स्वचालन से बहुत प्रभावित होते हैं और अत्यधिक परिष्कृत उपकरणों के उपयोग से इतनी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। इस प्रकार विकास की रणनीतियों को तथ्यों की गणना करनी चाहिए और सभी के लिए काम को बढ़ावा देने की योजना बनानी चाहिए।
6. **भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं:** विकास आगामी पीढ़ी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यहां निष्पक्ष हिस्सेदारी और देखभाल व्यवहार में लाने की जरूरत है। संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन में होने वाले सभी लाभों और लागतों को समान रूप से गरीब और समृद्ध, चिंतित और गैर-संबंधित और विभिन्न उपसमूहों और समुदायों के बीच वितरित किया जाना चाहिए। इसलिए, यह सिद्धांत हमें सामाजिक रूप से लाभ और लागतों के समान वितरण की ओर ले जाता है।
7. **वैश्विक विविधता:** विभिन्न जानवरों और पौधों की प्रजातियों के विलुप्त होने के पैमाने को ध्यान में रखते हुए वैश्विक विविधता को बचाने और बनाए रखने के लिए संरक्षण आधारित विकास को जानबूझकर कार्रवाई में शामिल करना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए।

8. अपने आसपास और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए लोगों की भागीदारी और सशक्तिकरण: विकास में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें अपने संसाधनों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाना चाहिए।

9. राष्ट्रीय नीति और जरूरतों के आधार पर: सभी विकासात्मक प्रयास राष्ट्रीय नीतियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए।

10. कम से कम ऊर्जा और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग: विकास हेतु कम से कम ऊर्जा का उपभोग करना चाहिए और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

मानव केवल एक सीमित पारिस्थितिक सीमा के भीतर ही जीवित रह सकता है और इसलिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य में गिरावट निश्चित रूप से तबाही का कारण बनेगा, जिससे अब तक मानव चिंतित है। बसु (1995) का मानना है कि व्यावहारिक स्थिरता के आधार पर दो मुद्दे हैं:

1. प्रौद्योगिकी को विकसित किया जाना है, ताकि प्रत्येक परिवर्तन प्रक्रिया में बहुत कम ऊर्जा की खपत हो, इसलिए न केवल उत्पादन प्रणाली बल्कि जीवन यापन की पद्धति को भी संशोधित करना होगा।

2. प्रत्येक मनुष्य को कम ऊर्जा खपत के आधार पर आचार संहिता को स्वीकार करना होगा।

अभ्यास प्रश्न 1

सही और गलत

1. स्थायी विकास शब्द का गठन विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा किया गया था।
2. सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ी के लिए आर्थिक और सामाजिक गिरावट में परिणाम होने पर भी पर्यावरणीय स्थिरता प्रदान करता है।
3. प्रदूषण, गरीबी, गरीब आवास और बेरोजगारी को कम करके सतत विकास प्राप्त किया जा सकता है।

10.4 सतत विकास लक्ष्य

2012 में, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की दिशा में चर्चा करने के लिए लक्ष्यों का एक समूह विकसित करने के लिए चर्चा हुई; वे सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों से विकसित हुये, जो वैश्विक गरीबी को कम करने में सफलता का दावा करते हुए स्वीकार करते हैं कि अभी भी बहुत कुछ करना

बाकी है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) अंततः 17 वस्तुओं की एक सूची के साथ आया, जिसमें अन्य चीजें शामिल थीं:

- 1) गरीबी से मुक्तता
- 2) शून्य भूख
- 3) लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण
- 4) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
- 5) लैंगिक समानता
- 6) स्वच्छ पानी और स्वच्छता
- 7) सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा
- 8) सम्माननीय कार्य और आर्थिक विकास
- 9) उद्योग, नवाचार, और बुनियादी ढाँचा
- 10) असमानताओं को कम करना
- 11) स्थायी शहर और समुदाय
- 12) जिम्मेदार खपत और उत्पादन
- १३) जलवायु क्रिया
- १४) पानी के नीचे जीवन
- १५) जमीन पर जीवन
- 16) शांति, न्याय और मजबूत संस्थान
- 17) लक्ष्यों के लिए साझेदारी

10.5 सतत विकास के लिए कार्यक्रम

भारत के कई विकास लक्ष्यों को स्थायी विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया है। हमारी सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कई कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिनमें मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आदि शामिल हैं। इसके

अतिरिक्त, बुनियादी सुविधाओं के विकास और गरीबी के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों को अधिक बजट आवंटन के साथ प्रोत्साहित किया जा रहा है।

1. गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम:

1. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम:** एक महत्वपूर्ण गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम में सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से रोजगार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कृषि बुनियादी ढांचे, उत्पादक परिसंपत्तियों और उद्यमशीलता-आधारित आजीविका के अवसरों को विकसित करने में मदद करता है।
2. **प्रधान मंत्री जन-धन योजना:** इस लक्ष्य के लिए प्रासंगिक एक और पहल प्रधान मंत्री जन-धन योजना है, जो 2014 में बैंकिंग, क्रेडिट, बीमा और पेंशन सहित वित्तीय सेवाओं के पूरे अनुदान तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी।
3. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम):** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। यह योजना ग्रामीण गरीबों के स्व-रोजगार और संगठन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के पीछे मूल विचार गरीबों को SHG (सेल्फ हेल्प ग्रुप्स) समूहों में संगठित करना और उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। 1999 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRD) के पुनर्गठन के बाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने ग्रामीण गरीबों के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) की शुरुआत की। एसजीएसवाई को अब एनआरएलएम बनाने के लिए फिर से तैयार किया गया है जिससे एसजीएसवाई कार्यक्रम की कमी दूर हो जाएगी। यह योजना 2011 में \$ 5.1 बिलियन के बजट के साथ शुरू की गई थी और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह गरीबों की आजीविका में सुधार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। यह कार्यक्रम विश्व बैंक द्वारा \$ 1 बिलियन के क्रेडिट के साथ समर्थित है। 25 सितंबर 2015 को दीन दयाल अंत्योदय योजना द्वारा इस योजना को सफल बनाया गया।
4. **दीनदयाल अंत्योदय योजना:** दीन दयाल अंत्योदय योजना (डी.ए.वाई.) कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके गरीबों की मदद करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। यह आजीविका की जगह लेता है। भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में 2016 से प्रति वर्ष 0.5 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 201 people तक 1 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करना है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में, SHG संवर्धन, प्रशिक्षण केंद्र, विक्रेता बाजार जैसी सेवाएं प्रदान

करना है। और बेघर के लिए स्थायी आश्रय योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी भारत दोनों का कौशल विकास है जो अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है।

2. सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना:

1. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP):** राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम बुजुर्गों, विधवाओं और अलग-अलग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए जीवन बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के साथ-साथ पेंशन तक पहुंच को आसान बनाने के लिए पहल शुरू की गई हैं।

3. बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना:

1. एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि मातृ और बाल कुपोषण को व्यवस्थित तरीके से संबोधित किया जाए।
2. **जननी सुरक्षा योजना (JSY):** जननी सुरक्षा योजना (JSY) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। इसे गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई यह योजना सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) में लागू हो रही है, जिसमें कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों (IPS) पर विशेष ध्यान दिया गया है।

JSY एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो डिलीवरी और डिलीवरी-पश्चात देखभाल के साथ नकद सहायता को एकीकृत करती है। योजना ने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) को सरकार और गर्भवती महिलाओं के बीच एक प्रभावी कड़ी के रूप में पहचाना है। यह योजना उन गरीब गर्भवती महिलाओं पर केंद्रित है, जिनके पास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू-कश्मीर राज्यों की संस्थागत प्रसव दर कम है। जहां इन राज्यों को लो-परफॉर्मिंग स्टेट्स (IPS) नाम दिया गया है, वहीं बाकी राज्यों को हाई-परफॉर्मिंग स्टेट्स (HPS) नाम दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: साक्षरता / शिक्षा सुधार से संबंधित सभी योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की छतरी के नीचे रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन स्वयं चार छत्र योजनाओं से बना है:

- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - साक्षर भारत
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - सर्व शिक्षा अभियान

- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - शिक्षक प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान (SSA): यूनिवर्सल एलीमेंट्री एजुकेशन का एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम एक मिशन मोड में समुदाय के अधीन गुणवत्ता शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों को मानवीय क्षमताओं में सुधार करने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास भी है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA): भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाती है और इसकी गुणवत्ता में सुधार करती है। इसका उद्देश्य हर घर की उचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान करके नामांकन दर में वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर, लिंग, सामाजिक-आर्थिक और विकलांगता बाधाओं को दूर करके और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करके माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

3. प्रधान मंत्री आवास योजना:

प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) को 1 जून 2015 को प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया है। इसके दो घटक हैं: शहरी गरीबों और प्रधान मंत्री के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U)। ग्रामीण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-G और PMAY-R)। इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ परिवर्तित किया गया है, ताकि घरों में एक शौचालय, सौभय योजना बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन, पीने के पानी और जन धन बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच आदि को सुनिश्चित किया जा सके। 28 दिसंबर 2019 तक 1.12 करोड़ की कुल मांग के खिलाफ कुल 1 करोड़ घर स्वीकृत हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं यह हैं कि सरकार ऋण की शुरुआत से लाभार्थी को 20 वर्षों की अवधि के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत 6.5% (ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए), एमआईजी -1 के लिए 4% और आवास ऋण के लिए एमआईजी-II के लिए 3% की ब्याज सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण एक ऐसी तकनीक के माध्यम से किया जाएगा, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जबकि पी.एम.ए.वाई. के तहत किसी भी आवासीय योजना में भूतल का आवंटन, प्राथमिकता अलग-अलग विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों को दी जाएगी।

4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों से महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक योजना है। 2017

में, सरकार ने प्रधान मंत्री एल.पी.जी. पंचायत, पी.एम.यू.वाई. के लिए एक अनुवर्ती योजना शुरू की।

5.राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम: यह कार्यक्रम 2009 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य हर ग्रामीण व्यक्ति को पीने, खाना पकाने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है।

6.स्वच्छ भारत मिशन: सरकार की एक प्रमुख पहल स्वच्छ भारत मिशन (स्वच्छ भारत मिशन) है, जिसका उद्देश्य हर परिवार को शौचालय, अपशिष्ट निपटान प्रणाली, गाँव की सफाई और सुरक्षित और पर्याप्त पीने के पानी की आपूर्ति सुविधाएं 2 अक्टूबर, 2019 तक प्रदान करना है।

7.प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई): पी.एम.जी.एस.वाई.-चरण I को दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था, ताकि सभी मौसमों को असंबद्ध बस्ती तक पहुँचाया जा सके। राज्य सरकार के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय पी.एम.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

8.डिजिटल इंडिया: डिजिटल इंडिया सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। भारत की सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑनलाइन बुनियादी ढाँचे में सुधार करके और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को उपलब्ध कराया जाए। इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया, यह भारतनेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, औद्योगिक गलियारों, भारतमाला, सागरमाला जैसी अन्य प्रमुख सरकार की योजनाओं का प्रबोधक और लाभार्थी दोनों है।

9.दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY): दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भारत सरकार की एक योजना है, जो ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

10.स्किल इंडिया: स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को प्रधान मंत्री द्वारा 2022 तक भारत में विभिन्न कौशल में 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है। स्किल इंडिया की मुख्य विशेषता युवाओं को इस तरह से कौशल प्रदान करना है, ताकि वे रोजगार प्राप्त करें और सभी व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके उद्यमिता में सुधार करें। इस अभियान के तहत विभिन्न पहलें राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.), कौशल ऋण योजना और ग्रामीण भारत कौशल हैं।

11.महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार: भारत सरकार ने 2014 में उन बच्चों को कवर करने के लिए मिशन इन्द्रधनुष की शुरुआत की, जो बिना टिके के या आंशिक रूप

से टीकाकृत हैं। मिशन का उद्देश्य दो साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना

12.पौष्टिक भोजन तक पहुंच: महिलाएँ खाद्य सुरक्षा पर अधिक ध्यान देती हैं, इसी कारणवश राशन कार्ड घर की वरिष्ठतम महिला सदस्य के नाम से जारी किया जाता है। देश भर में एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली भी प्रचालित की गई है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सहित आई.सी.डी.एस. जैसे अन्य कार्यक्रमों का उद्देश्य विशिष्ट जनसंख्या समूहों की पोषण सुरक्षा को संबोधित करना है।

13.आपदा के खिलाफ लचीलापन को बढ़ावा देना: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत, आपदा प्रबंधन (2009) पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति है, जो सक्रिय रोकथाम और न्यूनीकरण दृष्टिकोण को एकीकृत करती है।

14.प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश में संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। जल संरक्षण और इसके प्रबंधन के लिए उच्च प्राथमिकता देने के लिए, भारत सरकार ने हर खेत को पानी 'सिंचाई के कवरेज को बढ़ाने और पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार लाने के लिए "प्रति बूंद अधिक फसल" केंद्रित तरीके से स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, दायर आवेदन और विस्तार गतिविधियों पर अंत से अंत समाधान करने की दृष्टि से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की।

15.सतत और अनुकूल कृषि: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत अन्य मिशनों के सहयोग से सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन कृषि उत्पादकता के प्रभाव को कम करने और बनाए रखने की दिशा में प्रयास कर रहा है। NMSA के तहत, किसानों को फसलवार पोषक तत्व प्रबंधन सिफारिशें प्रदान करने और उन्हें मिट्टी की उर्वरता के साथ-साथ फसल उत्पादकता में सुधार करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं। बीज की गुणवत्ता और विविधता का प्रबंधन भी स्थायी कृषि के पहलुओं में से एक है। इसके अलावा, एकीकृत कृषि प्रणाली दृष्टिकोण, बाजारों और कीमतों तक बेहतर पहुंच, फसल विविधीकरण के लिए विशेष उपाय, बेहतर कृषि उत्पादकता, पानी में सुधार और कृषि-इनपुट संबंधी नीतियां कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मॉडल अधिनियम के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने में मदद कर सकते हैं। नीति आयोग द्वारा विकसित पट्टेदार के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से भी यह सुनिश्चित करते हुए कि जमीन स्वामी को भूमि के स्वामित्व को खोने का जोखिम ना हों।

अभ्यास प्रश्न 2:

निम्नलिखित को मिलाएं

अ	ब
1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	(a) 2014
2. जननी सुरक्षा योजना	(b) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
3. दीनदयाल अंत्योदय योजना	(c) 2005
4. प्रधानमंत्री आवास योजना	(d) 2011
5. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	(e) आजीविका
6. मिशन इन्द्रधनुष	(f) 2015

10.6 सारांश

भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हम 7 साल में सभी इनपुट को दोगुना कर देंगे। स्थिरता मानव और प्राकृतिक वातावरण के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करने का एक प्रयास है, जो अब और निश्चित भविष्य में है। स्थिरता मानव समाज के आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत और पर्यावरणीय पहलुओं, साथ ही साथ गैर-मानव पर्यावरण की निरंतरता से संबंधित है। सतत विकास लक्ष्यों को लक्ष्य के एक समूह में पर्यावरण और विकास को एक साथ लाने की आवश्यकता है। सतत विकास का उद्देश्य हमारी आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक आवश्यकताओं को संतुलित करना है, जिससे अभी और आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि की अनुमति मिलती है। यह प्रदूषण, गरीबी, गरीब आवास और बेरोजगारी को कम करके प्राप्त किया जा सकता है। वैश्विक सम्मेलनों में कभी भी गरीबी रेखा, पर्यावरण और विकास के बीच अनुचित संतुलन है। हम एम.डी.जी. ढांचे को फिर से तैयार करने और ठीक-ठीक ट्यूनिंग के लिए एक अवसर के रूप में एस.डी.जी. और 2015 के बाद के एजेंडे को भी देख सकते हैं, और विकास के मुद्दों पर लगातार ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

10.7 पारिभाषिक शब्दावली

सतत विकास: सतत विकास मानव विकास के एक मॉडल को संदर्भित करता है, जिसमें संसाधन उपयोग पर्यावरण को संरक्षित करते हुए मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, ताकि ये आवश्यकताएं न केवल वर्तमान में हो, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो।

आर्थिक विकास: आर्थिक विकास एक निम्न-आय (गरीब) अर्थव्यवस्था से उच्च-आय (समृद्ध) अर्थव्यवस्था वाले देशों के लोगों के जीवन स्तर का विकास है।

पर्यावरण स्थिरता: प्राकृतिक संसाधनों की कमी या गिरावट से बचने और दीर्घकालिक पर्यावरण गुणवत्ता की अनुमति देने के लिए पर्यावरण स्थिरता को पर्यावरण के साथ जिम्मेदार बातचीत के रूप में परिभाषित किया गया है।

सामाजिक विकास: सामाजिक विकास का तात्पर्य समाज द्वारा भोगी जाने वाली जीवन स्थितियों और जीवन स्तर में प्रगतिशील सुधार से है और इसके सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है।

स्थायी कृषि : स्थायी कृषि, खेती करने का एक तरीका है, जो कृषि उद्यम, पर्यावरण संरक्षण और उपभोक्ता सुरक्षा की दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए कौशल और प्रौद्योगिकी का अनुकूलन करने का प्रयास करता है।

10.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न: 1

सही और गलत

1. सही
2. गलत
3. सही

अभ्यास प्रश्न: 2

निम्नलिखित को मिलाएं

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

d	C	e	F	b	a
---	---	---	---	---	---

10.9 संदर्भ / संदर्भ सूची

1. Harris, M.J. (2000), Basic Principles of Sustainable Development. pp-1.
2. Govind, S.; Tamilselvi, G. and Meenambigai, J. (2011). Extension Education and Rural Development. Agrobios (India).

10.10 सहायक पाठ्य सामग्री

1. Abazi-Alili, H.; Abazi, C.B.; Chaushi, A. and Anastasievska-Tanevska, H. (2017). Identifying factors that influence sustainable development: the case of Macedonia. Socio-economic perspectives in the age of XXI century organization. Pp. 525-538
2. <https://pmksy.gov.in/>
3. http://www.sd-commission.org.uk/pages/history_sd.html.

10.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. स्थायी विकास शब्द से आप क्या समझते हैं? समुदाय के विकास में सतत विकास की प्रासंगिकता पर चर्चा करें।
2. स्थायी विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं?
3. सतत विकास के उद्देश्यों और सिद्धांतों का वर्णन करें?